(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] षष्टम् विधान सभा के तृतीय सत्र का 19वां दिवस [संख्या 16

शनिवार,

दिनांक 18 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री अजीतसिंह।

अन्त्योदय योजना के तहत ऋण का वितरण

143. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में अन्त्योदय योजना में दिये गये ऋण की ब्याज दर क्या होगी ?

(2) जिले के राष्ट्रीयकृत बैंकों पर ऋण वितरण हेतु अन्त्योदय कार्यक्रम पूर्ति हेतु गांववार या आदमीवार क्या जिम्मेदारी है ?

(3) बैंकों के ऋण की जमानत कौन देगा ?

(4) ऋण में प्राप्त धन का उपयोग सही हो, इसका ध्यान कौन रखेगा ?

(5) क्या सरकार विकास अधिकारी की प्रत्येक तहसील में सम्पूर्ण अन्त्योदय कार्यक्रम की पूर्ति हेतु जवाबदार नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

कृषि मंत्री (श्री दिग्विजयसिंह): (1) राज्य में अन्त्योदय योजना में बैंकों द्वारा ऋण पर ब्याज दर 13% चार्ज की जाती है। जहां कहीं राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास डी. आई. आर., कोटा डिफरेन्शीयल इन्ट्रेस्ट रेट की ऋण राशि उपलब्ध है वहां ऐसे व्यक्तियों को ऋण 4% पर दिया जाता है।

(2) व्यावसायिक बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के अन्त्योदय परिवारों को अधिकाधिक ऋण प्रदान कराने हेतु हर स्तर पर प्रयत्न किये जा रहे हैं ? इन बैंकों पर राज्य सरकार का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है जिससे जिम्मेवारी निर्धारित की जा सके। राज्य सरकार द्वारा इस हेतु भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक स्तर पर निर्णय जारी करवाने के प्रयास जारी हैं।

(3) ऐसे ऋणों की जमानत ग्रुप गारन्टी प्रथा के अन्तर्गत ऋणियों द्वारा ही एक दूसरे

Page No. 2

(2)

(श्री दिग्विजयसिंह)
को दी जाती है। कहीं कहीं पर व्यक्तिगत जमानतें भी दी जाती रही हैं।

(4) प्राप्त धन के सही उपयोग का ध्यान जिला स्तर के ऋण देने वाले सम्बन्धित बैंक रखते हैं। पंचायत समिति स्तर पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा इसका सुपरवीजन किया जाएगा।

(5) विकास अधिकारीगण के माध्यम से ही यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।

श्री अजीतसिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार इसके अन्दर पूर्णतः असफल रही है। व्यवस्था ठीक नहीं है। ऋण देने के लिए बैंक तैयार नहीं होता है। बार बार बात की जाती है। ऋण की व्यवस्था ठीक न होने के कारण अन्त्योदय योजना पूरी नहीं हो पाती है। गारन्टी का कोई इन्तजाम नहीं है। मेरा निवेदन है कि गारन्टी की व्यवस्था हो। जब तक यह न होगा, यह अन्त्योदय प्रोग्राम सफलता की ओर नहीं बढ़ पाएगा। गरीब गरीब की क्या जमानत देगा? इस प्रकार की योजना बना कर आप चलना चाहते हैं, यह संभव नहीं होगा। आप इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन बनावें। विकास अधिकारी उनके नाम लिख कर बैंक को फार्वर्ड कर देता है उससे काम नहीं होने वाला है। श्रीमान्, जो गाय, भैंस, बकरी आप देंगे, वह उसको बेच देगा।

श्री कौशल्य किशोर जैन (भीलवाड़ा) : मंत्री महोदय यह जानकारी देंगे कि सरकार ने यह घोषणा की थी कि ब्याज की दर अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चार प्रतिशत होगी किन्तु कोई भी बैंक चार प्रतिशत ब्याज की दर पर उनको ऋण नहीं दे रहा है? क्या मंत्री महोदय इस बात का उत्तर देंगे कि सरकार ने जो घोषणा की थी उसका क्या होगा?

श्री रावत राम (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत बैंक जिन परिवारों को ऋण देता है, उस पर ब्याज कितना लिया जाता है? इसका आप स्पष्ट उत्तर दें। क्या यह भी सही है कि इन परिवारों को चार प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? इसका भी उत्तर स्पष्ट दें।

दूसरा सवाल है गारन्टी का। आपने यह फर्माया कि एक दूसरे की गारन्टी दें। वह किस आधार पर देगा? उसके पास कोई चीज हो तब तो वह गारन्टी दे सकता है। उसके पास साधन नहीं हैं तभी तो वह अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत लिया गया है, उसको गाय, बैल, भैंस दी जा रही है। गवर्नमेन्ट को उसको गारन्टी देनी चाहिए। उसको चार पर्सेन्ट ब्याज पर ऋण देना चाहिए। इसके बारे में सरकार क्या निर्देश देगी?

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : इसके साथ ही साथ मैं यह पूछना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि क्या राज्य सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से कोई निर्णायत्मक बात की है या नहीं की है? दूसरा प्रश्न यह है कि अभी तक इस सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई भी निर्देश दिया गया है? अन्त्योदय योजना के नाम पर जो कोई ऋण लेने जाते हैं बैंक

Page No. 3

(5)

(श्री ईश्वर चन्द्र)
के अधिकारी उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। आपकी सरकार ने यह योजना तो बना दी किन्तु उसका बैंक के साथ कोई तालमेल नहीं है। मेहरबानी करके इसका जवाब दीजिए।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : कोआपरेटिव बैंक जो ऋण देता है उस पर ब्याज 13 पर्सेन्ट से कम नहीं होता है। यह बैंक 13 पर्सेन्ट से कम पर लोन देने को तैयार नहीं है। दूसरे शेयर मनी लिए बिना बैंक लोन देने को तैयार नहीं है। योजना के अन्तर्गत छांटे गये व्यक्ति अगर शेयर मनी दे देते हैं तो उनका चयन गलत है। इसलिए यह सारी स्कीम इस क्षेत्र में फेल हो गई है। अन्त्योदय गरीब का होने के बजाय सरकार का अन्त्योदय हो रहा है।

श्री बालचन्द आर्य (डग) : लोग बैंकों के चक्कर लगाते हैं, परेशान होते हैं। मैं सरकार से आपके माध्यम से यह मांग करूंगा कि ये लोग गरीब हैं, ये कैसे जमानत दे सकते हैं।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री की यह योजना है या कोई सरकार की योजना है? यदि यह सरकार की है तो इसका ब्ल्यू प्रिन्ट किसने तैयार किया है? इसको क्रियान्वित करने के लिए क्या सरकार ने कोई बोर्ड अथवा समिति का गठन किया है? इसका कोई प्रारूप यदि सरकार ने तैयार किया है तो कौन कौन आदमी इसका लाभ लेंगे तथा इसके ऋण पर ब्याज दर क्या होगी? यह निश्चित नहीं होता है तो मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि यह योजना कैसे सफल होगी?

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत पांच पांच परिवार प्रत्येक गांव से चुने जाने हैं उसके लिए आप कोई एक तारीख निश्चित कर दीजिये जिस तारीख तक तमाम कार्यवाही पूरी होकर लोन देना, भेड़ देना, जानवर देना तय हो जाए। यह आप कब तक निश्चित कर देंगे? मंत्री महोदय इसकी घोषणा करने की कृपा करें।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): अध्यक्ष महोदय, इस अन्त्योदय योजना में last man of the last line लिया गया है। इन व्यक्तियों के पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे बैंक से ऋण ले सकें। जब दूसरे लोग उनको गारन्टी नहीं दे सकते तो क्या सरकार अन्त्योदय योजना में आने वाले व्यक्तियों को खुद ही ऋण लेकर चार पर्सेन्ट पर तकसीम करेगी? अथवा सरकार ऐसे लोगों को खुद ही गारन्टी देने को तैयार है?

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि स्पष्ट निर्देश के अभाव में राष्ट्रीयकृत बैंक अन्त्योदय योजना के परिवारों को, जिनका चयन किया गया है, कोई ऋण, सहायता नहीं दे रहा है?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से सम्बन्धित कई सप्लीमेन्ट्रीज पूछे गये हैं, खास तौर से रेट आफ इन्ट्रेस्ट और इन परिवारों को गारन्टी देने के बारे में। यह सही बात है कि राज्य सरकार भी इससे चिन्तित है। इस योजना

Page No. 4

(५)

(श्री दिग्विजय सिंह)

को सफल बनाने के लिए हमें कारगर कदम उठाने होंगे। यह सवाल पहले एक दफा यहां पर उठा था। गारन्टी का जो प्रश्न है उसको फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट एग्जामिन कर रहा है कि राज्य सरकार इसकी गारन्टी दे या नहीं दे तथा इसके क्या इम्पलीकेशन्स होंगे। रेट ग्राफ इन्ट्रेस्ट का प्रश्न है। इसके बारे में माननीय सदस्यों ने कई प्रश्न किये हैं। मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान के बैंकों के साथ बात करने का प्रश्न आया था। राज्य सरकार और उनके बीच में बातचीत हुई। राज्य सरकार यह उनको सुझाव दे रही है कि यह लोन्स कम रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट पर दिया जाए। डिफरेंशियल रेट ग्राफ इन्ट्रेस्ट से लोन दिलाया जाये। बैंक के अन्तर्गत वह पैसा आता है तो 4% पर दिया जायगा नहीं तो 13% पर दिया जाएगा। यह कोशिश की जायेगी कि कम ब्याज के ऋण दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, फाइनेन्स डिपार्टमेण्ट से बात करें। सरकार गारण्टी देगी, यह सरकार ने घोषणा की है। यह स्पष्ट कहिये कि सरकार को गारण्टी देनी है।

श्री अयूब खां (तिजारा) : योजना के लिए भूमि विकास बैंक के द्वारा ऋण दिलाया जाये।

श्री दिग्विजय सिंह : उस पर बैंकों का ही नियन्त्रण रहता है।

अन्त्योदय योजना के नियम

344. **श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा)** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अन्त्योदय योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई भी नियम नहीं बनाए गए हैं? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार का निकट भविष्य में अन्त्योदय योजना के नियम बनाने का इरादा है?

• **कृषि मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह)** : अन्त्योदय योजना की क्रियान्विति के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रशासनिक निर्देश जारी कर दिये गये हैं। यदि इस विषय में कानूनी नियम बनाने की भविष्य में आवश्यकता हुई तो नियम भी बनाये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह तो वही प्रश्न है?

कई माननीय सदस्य : नहीं साहब। यह दूसरा है।

श्री ईश्वर चन्द्र : अत्यन्त संक्षिप्त उत्तर है। आप बता रहे हैं, प्रशासनिक निर्देश जारी कर दिये गये हैं। उसकी जानकारी किसी को नहीं है। मेरी जानकारी में आया है कि सरकार ने तीन समितियां बनाई हैं। एक 15 सदस्यों की, दूसरी 13 सदस्यों की और तीसरी 17 सदस्यों की। इसमें मुख्य सचिव है और मेम्बर्स भी हैं। इसमें मेम्बर कौन कौन हैं? मैं कहना चाहता हूं कि आपने इतनी महत्वपूर्ण योजना के नियम नहीं बनाये हैं। इसके लिये स्टेट्यूरी पावर नहीं दी जायेगी? क्या मन्त्री महोदय चाहते हैं कि पटवारी और एस० डी० ओ० ही छांट लें?

श्री **कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : अन्त्योदय योजना के बारे में कोई साहित्य आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

श्री **ईश्वरचन्द्र** : परिवारों के चयन के बारे में क्या नियम हैं ?

श्री **रतनलाल वर्मा** (भिनाय) : क्या मंत्री महोदय ने अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत कोई निर्देश जारी किये हैं ? क्या उसकी एक एक प्रति समस्त सदस्यों को देने की कृपा करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री **बालचन्द आर्य** : मैं पूछना चाहता हूं......

श्री **ईश्वरचन्द्र** : प्रशासनिक समितियों के अन्त्योदय योजना के नियम क्या हैं ? इलाज शुरू हो गया और बीमारी का पता नहीं है।

श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : अन्त्योदय योजना एक ढकोसला है। बिल्कुल ढकोसला है।

श्री **रतनलाल वर्मा** : उत्तर तो आ जाने दो।

श्री **मूलचन्द डागा** : पता ही नहीं सरकार को।

(व्यवधान)—

श्री **अब्दुल अजीज** (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा बिल्कुल साधारण प्रश्न है। अर्ज यह है कि इस अन्त्योदय योजना के नियम की सूची तमाम माननीय सदस्यों को प्रदान करें। दूसरा मुझे यह कहना है कि इस योजना के अन्तर्गत सरकार ने लाखों रुपये कुछ पंचायतों को डिस्ट्रीब्यूट किये हैं, वह राजनीति के आधार पर किये हैं, गरीबी के आधार पर नहीं।

श्री **रतनलाल वर्मा** : यह गलत है।

(व्यवधान)

अगर यह बात सही निकल जाये तो आप जो भी जुर्माना करना चाहें, कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री **अब्दुल अजीज** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से कहला दिया जाये।

श्री **अध्यक्ष** : आपने पूछ लिया है।

श्री **अब्दुल अजीज** : इसका उत्तर तो दिला दिया जाये।

श्री **दिग्विजय सिंह** : ऐसी कोई रकम नहीं दी गई। बैंकों द्वारा ऋण दिया गया है, बाकी राज्य सरकार ने कुछ नहीं दिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल !

पंचायत मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है कि कुछ पंचायतों को अधिक धनराशि वितरित कर दी गई है, यह सूचना बिल्कुल गलत है। मैं उनकी सूचना के लिये निवेदन कर दूं कि पंचायतों के माध्यम से कोई भी धनराशि अन्त्योदय योजना में वितरित नहीं की गई है। पंचायतों से कहा जा रहा है कि इस

(6)

(श्री कैलाश मेघवाल)
योजना में सहयोग दें। पांच परिवारों के छांटने में उनका सहयोग लिया गया है। माननीय सदस्य ने जो बात कही है, यह गलत है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने 25 लाख का बजट रखा था, उसका उपयोग कहां कहां किया गया ?

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : कुछ इलाकों में पैसा वितरित हुआ है। चैक्स बन चुके हैं यह राजनैतिक आधार पर हुआ है।

विधि मन्त्री (श्री सूर्यनारायण चौधरी) : बिल्कुल गलत। बार बार सरकार की तरफ से मना किया जा रहा है फिर भी बार बार आप इसे रिपीट किये जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय ने उत्तर सुना दिया।

श्री मूलचन्द डागा : कोई मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया बैठ कर ? क्या अन्त्योदय योजना पर विचार किया जाये ? क्या निर्णय लिया ? वह बतायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सचेतक महोदय।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द सामरिया : केवल एक प्रश्न !

श्री अध्यक्ष : अच्छा, एक पूछ लीजिये।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, इस अन्त्योदय योजना में सभी सदस्यों का, विरोधी दल के माननीय सदस्यों का भी सहयोग लेना चाहिए। इसको आफिसर्स के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिये। माननीय सदस्यों की एक समिति गठित करनी चाहिये जो इस योजना की देख-रेख और सफलता के लिये जिम्मेदार हो।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, यही तो कह रहा हूं कि राजनीतिक आधार पर दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको सप्लीमेन्ट्री पूछना हो तो पूछिये नहीं तो मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने कहा है कि उनको अन्त्योदय योजना पूरी तरह समझ में नहीं आई है। मंत्री महोदय को यह बात समझ में आ गई क्या ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के समझ में आ गई है तो बहुत अच्छा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दीजिये।

श्री दिग्विजय सिंह : गावों के अन्दर समय-समय पर अन्त्योदय योजना के बारे में जो सूचना दी गई है उसकी प्रतिलिपि भेज दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री माधोसिंह।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट कह दिया है कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में नियम बनाने का विचार कर रही है।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनू) : अध्यक्ष महोदय, 1 लाख 54 हजार परिवार जो छांटे गये हैं उनके नाम और पतों की एक लिस्ट मन्त्री महोदय हमको दे सकते हैं क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, जब कानून ही नहीं बना तो नियम कैसे बना देंगे ?

जब स्टेट्यूटरी बेकिंग ही नहीं है तो रूल्स कैसे बनायेंगे ?

श्री दिग्विजयसिंह : आप तो समझदार हैं, माननीय सदस्य, इसलिए मैंने कहा है कि राज्य सरकार विचार कर रही है।

श्री मूलचन्द डागा : भैरोंसिंह शेखावत की देन है, न मन्त्रिमण्डल को पूछा है और न कोई निर्णय ही लिया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्रीजी से यह कहना चाहती हूं कि जिला स्तर पर अन्त्योदय परिवारों की सूचियां विभिन्न जिला स्तर के अधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं हैं जिसके फलस्वरूप क्या इन परिवारों को विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजना से लाभान्वित नहीं किया जा रहा है।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिला लेवल पर इन परिवारों की सूची उपलब्ध हैं। जिस समय ये परिवार छांटे गये थे उस समय चयन करने में सरपंच और विधायक सभी का सहयोग लिया गया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री आलम अली खां (फतेहपुर) : यह झूठ बोल रहे हैं।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : श्रीमान, मुझे उदयपुर जिले की जानकारी है, जब जब भी परिवारों का चयन किया गया, वहां विधायक भी थे। एस.डी.ओ., तहसीलदार, विकास अधिकारी सभी ने दिलचस्पी ली। जहां पर भी विधायकों ने दिलचस्पी ली वहां पर चयन ठीक प्रकार से हुआ होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री माधोसिंह।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मांडलगढ़ क्षेत्र में जहां जहां भी

Page No. 8

(8)

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
परिवारों का चयन हुआ वहां पर सभी मौजूद थे और ठीक प्रकार से चयन हुआ है, विधायकों की मौजूदगी में ही चयन हुआ है एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां विधायक नहीं गये हों ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : राज्य सरकार की कोई हिदायत हमारे पास नहीं है ।

श्री रतन लाल वर्मा : बिल्कुल गलत कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन ।

ऊन की खरीद और अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

345. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा) : क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भेड़ व ऊन विभाग के अधीन कितने अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध ऊन खरीद में गबन एवं अधिक क्षति के मामले दर्ज हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कितनी राशि वसूली हेतु आदेश जारी हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) दोषी व्यक्तियों से कितनी राशि वसूल हो चुकी है ?

(4) उपरोक्त शेष मामलों में वसूली आदेश जारी क्यों नहीं किये गये ? क्या पक्षपात होने की संभावना पर पुनः जांच की जायेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन (श्री नन्दलाल मीणा) : (1) ऊन की क्षति एवं मूल्य सारणी से ज्यादा मूल्य देने के 1129 मामले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विभाग के ध्यान में आये । दो कर्मचारियों के विरुद्ध गबन के मामले हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) दोषी अधिकारियों से रु. 97,759/- एवं कर्मचारियों से रुपये 2,15,496/- व इस प्रकार कुल रकम 3,11,257/- रुपये की वसूली के आदेश जारी किये गये । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) दोषी अधिकारियों से 26,858/- रु० एवं कर्मचारियों से रु. 23,986/- की वसूली अब तक हो चुकी है । शेष राशि उनके वेतन में से किश्तों में वसूल की जा रही है ।

(4) शेष मामलों में अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कार्यवाही जारी है । पक्षपात के स्पष्ट दृष्टान्त एवं साक्ष्य आने पर नियमान्तर्गत कार्यवाही की जावेगी ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री माधोसिंह कछवाह : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो मामले विचाराधीन हैं उनमें से कितने दोषी व्यक्तियों को निलम्बित किया गया है और कब से किया गया है ? उनके सम्बन्ध में कार्यवाही कहां तक हो चुकी है ?

रु० 26,858/– और 23,986/– की वसूली होना बताया गया है । 3 लाख 11 हजार 257

(श्री माधोसिंह कछवाह)
के अगेन्स्ट में करीब 50 हजार के लगभग राशि वसूल हुई है। बकाया राशि किश्तों में कितने समय में वसूल हो जायेगी ? गबन में जिन लोगों के मामले बने हैं उन लोगों से बिना इन्ट्रेस्ट के रुपया ले रहे हैं या इन्ट्रेस्ट के साथ ले रहे हैं ? 5-6 व्यक्ति जो फरार हो गये हैं उनका क्या पता लगाया गया है ? आखरी प्रश्न मेरा यह है कि यह भेड़ ऊन विभाग है या नागरिकों की ऊन उतारने वाला विभाग है ?

श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, सीमावर्ती क्षेत्र में भेड़ ऊन विभाग में काम करने वाले कर्मचारी तस्कर व्यापार करते हैं। भेड़पालकों को दाम कम दिया जाता है और झूठा बिल बनाकर सरकार से राशि ज्यादा ली जाती है। अतः इसे रोका जाना चाहिये।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, विभाग में ऊन खरीद के प्रसंग में निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य देने या निर्धारित छीजत से अधिक छीजत होने के 1129 मामले आए। इसके अतिरिक्त दो मामले ऊन खरीद में दी गई राशि के गबन के भी आये हैं। प्रथम मामला श्री के.एन. अवस्थी, पर्यवेक्षक, कोलायत का है। यह मामला न्यायालय में चल रहा है। विभागीय जांच के परिणामस्वरूप श्री अवस्थी को राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। श्री अवस्थी लम्बे समय से फरार हैं। दूसरा मामला श्री गोविन्दसिंह, पर्यवेक्षक, लोहावट का है। इस मामले में विभागीय जांच चल रही है। ये दोनों मामले रुपये 50,840.85 की राशि से सम्बन्धित हैं।

इन 1129 मामलों में से 811 अधिक छीजत या अधिक दिये मूल्य के हैं। निदेशालय स्तर पर प्राथमिक जांच करने के पश्चात् निरस्त कर दिये गये हैं। 40 अधिकारियों/39 कर्मचारियों के मामले विचाराधीन हैं एवं 23 अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रसंग में रुपये 3,11,257/- के वसूली के आदेश जारी किये जा चुके हैं। इस रकम के विपरीत अभी तक रुपये 50,844/- की वसूली हो चुकी है बकाया रकम की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन में से प्रति माह कटौती कर दी जा रही है। कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनसे एक से अधिकतम मामलों में वसूली करनी है ऐसे मामलों के प्रसंग में एक की वसूली होने के पश्चात् दूसरे प्रसंग की वसूली चालू की जाती है।

40 राजपत्रित अधिकारी एवं 61 अराजपत्रित कर्मचारियों से रु० 2,60,413/- की वसूली इस प्रसंग में चालू है तथा इस रकम में से रुपये 1,39,558 की वसूली अन्तरिम तौर पर स्थगित की गई है। 5/6 मामलों में अपील या रिमाण्ड इन्क्वायरी में हैं और उनकी अपील या रिमाण्ड पर निर्णय होने के पश्चात् निर्णय लिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री कमलेन्द्र सिंह।

श्री माधोसिंह कछवाह : कितने अधिकारियों को निलम्बित किया गया, यह नहीं बताया।

श्री ईश्वर चन्द्र : मंत्री महोदय ने इतनी स्पीड से पढ़ा कि कुछ समझ में नहीं आया, इसमें ऑफिसर्स की साजिश है। झूठे बिल्स बनाकर पैसे उठाये जाते हैं।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, पुर) : आपने बताया कि 3 लाख 11

(श्री गुल मोहम्मद)
हजार रुपये की वसूली के आदेश जारी किये गये हैं। यह आदेश कब दिये गये ?

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ कौनसी कार्यवाही की जा रही है? आपने कहा कि वसूली की गई। लेकिन केवल वसूली करने से काम नहीं चलेगा।

श्री ईश्वर चन्द्र : सैक्शन 408 के अन्तर्गत गबन के केसेज क्यों नहीं चलाते हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, जो केसेज पैंडिंग हैं, वह आप डिस्पोज आॅफ कर दीजिये।

नैक्स्ट। श्री कमलेन्द्रसिंह।

श्री ईश्वर चन्द्र : जहां मिसएप्रोप्रिएशन साबित है, वहां पर आपको एक्शन लेना चाहिये वरना भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, वसूली का आदेश कब दिया है, यह तो बतायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब मैं एक भी सप्लीमेंट्री नहीं पूछने दूंगा।

श्री ईश्वर चन्द्र : मंत्री महोदय से उत्तर तो दिलायें।

श्री माधोसिंह कछवाह : अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री महोदय देवता हैं। मैंने जो प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर वह पहले ही लिख कर लाये हैं। वह मेरे प्रश्न को पहले से ही जानते थे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो है वह आपने सुन लिया।

श्री रतनलाल वर्मा : देवता और पुजारी का सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष : But what can I do?

श्री रतनलाल वर्मा : वसूली स्थगित करने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री कमलेन्द्र सिंह।

श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर) : अध्यक्ष महोदय, नियम 43 के अन्तर्गत मैं निम्न प्रश्न नहीं पूछना चाहता।

ग्राम दरोली के सरपंच को अलॉट की गई भूमि

346. क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम दरोली (जिला उदयपुर) के सरपंच को सन् 67 से 70 तक कितनी जमीन, कब-कब अलॉट हुई ?

(2) इसमें से कितनी जमीन इन्होंने बेच दी और उससे कितना रुपया प्राप्त हुआ ?

एक माननीय सदस्य : स्थगित नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री): मैं तो उत्तर देने के लिये तैयार हूं, पर माननीय सदस्य स्थगन चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 346 स्थगित किया गया।

श्री अब्दुल अजीज।

जयपुर-शाहजहांपुर राष्ट्रीयकृत मार्ग पर कार्यरत व्यक्ति

347. श्री राम करणसिंह (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर से शाहजहांपुर तक 1970 से आज तक कितने लोगों ने मस्टर रोल पर राष्ट्रीय मार्गों पर कितने दिन क्या-क्या कार्य किया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उनमें से किस-किस को कितने दिन काम करने पर स्थायी नियुक्ति-पत्र दिया गया ?

(3) इस समय कौन-कौन कब से कार्य कर रहे हैं ?

(4) जिनकी नियुक्ति की गई वे किस किस ने कीं ?

(5) क्या यह सही है कि 5-7 व्यक्ति कनिष्ठ या सहायक अभियन्ता के घर व मर्जीदानों के काम करने जाते हैं और पैसे मस्टर-रोल से उठा रहे हैं ? यदि हां, तो यह कब तक हुआ ?

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न रह गया।

श्री अध्यक्ष : यह भी स्थगित किया गया।

मकराना में रजिस्ट्री करने की व्यवस्था

348. श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि मकराना की जनता को दस्तावेजात का रजिस्ट्रेशन कराने के लिये तहसील परबतसर जाना पड़ता है। यदि हां, तो क्या जनता की तकलीफ को मिटाने हेतु राज्य सरकार मकराना में इसकी व्यवस्था करेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री) : जी हां। जनता की सुविधा के लिये पंजीयन कार्य हेतु मकराना को पंजीयन नियमों के अन्तर्गत उप-जिला घोषित करने के प्रस्ताव सचिव, वित्त विभाग (कॉमर्शियल टैक्सेज सैक्शन) राजस्थान, जयपुर के यहां विचाराधीन है।

श्री अब्दुल अजीज : यह कब तक हो जायेगा ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : बहुत जल्दी हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री नवरंग सिंह।

ऊन मिल, नवलगढ़

349. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे:—

(1) नवलगढ़ ऊन मिल में क्या उत्पादन का कार्य चालू है ? यदि हां, तो क्या उत्पादन हो रहा है ?

(श्री नवरंग सिंह)

(2) क्या यह सही है कि ऊन मिल मुख्य रूप से कम्बल तैयार करने के लिए चालू की गई थी ? यदि हां, तो क्या विभाग पुनः इस मिल में ऊनी कंबल बनाने के काम शुरू करने पर विचार कर रहा है ?

(3) क्या नवलगढ़ की ऊनी मिल को स्पिन्डल विविंग (ऊनी धागा) के काम करने का लाइसेन्स मिल चुका है ? यदि हां, तो इस काम को कब तक शुरू करने का विचार है ?

(4) इस मिल में पावरलूम की कितनी मशीनें चालू हैं और कितने कारीगर कार्यरत हैं?

(5) क्या यह सही है कि फिनिशिंग प्लांट लगा हुआ है परन्तु अभी तक चालू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो राज्य सरकार कब तक फिनिशिंग प्लांट को चालू करेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री सूर्य नारायण चौधरी): (1) जी हां। मिल में पावरलूम पर सूती कपड़ा व हाथ करघों पर बेड शीट्स बनाई जा रही हैं तथा कुछ बैरक ब्लेंकेट्स (कम्बल) भी तैयार किये गये हैं।

(2) यह मिल सैनिक बोर्ड के द्वारा स्थापित की गई थी । कई कारणवश यह मिल 1970 से बन्द थी। जून, 1976 में लघु उद्योग निगम ने इस मिल को 5 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर लिया है । मिल में कम्बल का उत्पादन आंशिक रूप से ट्रायल के तौर पर फरवरी, 1977 में प्रारम्भ कर दिया है। पुलिस व सेना विभाग की सप्लाई ऑर्डर्स प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं। प्रथम बार गृह आयुक्त को पुलिस के लिए कम्बलों की खरीद के लिये दिनांक 30-12-76 को लिखा गया । इसी प्रकार मिलिटरी अथोरिटीज को दिनांक 20-1-77 को लिखा गया था, किन्तु सन्तोषजनक प्रगति नहीं हो पाई है । ऑर्डर्स मिलने पर ही उत्पादन कार्य में वृद्धि की जा सकेगी। पुलिस विभाग ने 15,000 कम्बलों की मांग दिनांक 7-7-77 को भेजी । इसके उत्तर में ऑफर दिनांक 19-7-77 को भेज दी गई, किन्तु सप्लाई ऑर्डर नहीं मिला।

(3) इस मिल को ऊनी धागा उत्पादन हेतु 500 स्पिंडल्स का लाइसेन्स वर्ष 1963, में मिला था जबकि यह मिल राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड के अधीन थी। किन्तु लाइसेन्स का निश्चित अवधि में उपयोग नहीं करने पर निरस्त कर दिया गया । अब राजस्थान लघु उद्योग निगम पुनः 500 स्पिंडल्स के लाइसेन्स भारत सरकार के टेक्सटाइल कमिश्नर से प्राप्त करने हेतु प्रयास चालू हैं ।

(4) मिल में पावरलूम की 18 मशीनें हैं। अभी इन पर 15 कामगर कार्यरत हैं। मिल में फिनिशिंग प्लांट लगा हुआ है तथा वह चालू हालत में है ।

श्री नवरंग सिंह : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो इन्फार्मेशन, दी है कि प्लांट चालू है और कम्बलों का उत्पादन भी चालू है, यह सही नहीं है। मंत्री महोदय स्वयं नवलगढ़ होकर आये हैं, कम्बलों का उत्पादन चालू नहीं है और फिनिशिंग प्लांट भी खराब पड़ा हुआ है। मिलिटरी इस मिल को कम्बलों का ऑर्डर इसलिये नहीं देती है क्योंकि पहले जो कम्बल उनको सप्लाई किये गये वह घटिया

(श्री नवरंग सिंह)
किश्म के थे। इन बातों से संस्था को घाटा हुआ और वह बन्द हो गई।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : जितनी भी हिन्दुस्तान के अन्दर ऊनी मिल्स लगी हुई हैं, वह क्या पुलिस और मिलिटरी के ऑर्डर्स पर ही चलती हैं या यही मिल ऐसी है जो सेना और पुलिस के आर्डर्स पर ही चलती है ?

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनूं) : माननीय मंत्री महोदय यह बतायें कि मिल के पास इस वक्त कुल कितने कम्बल तैयार पड़े हैं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय श्री नवरंग सिंह ने जो फर्माया कि उत्तर में इन्फार्मेशन गलत दी गई है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि इसकी जांच करेंगे और जिस अधिकारी ने गलत इन्फार्मेशन दी है और सदन को गुमराह करने की कोशिश की है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। माननीय सदस्य ने जो कुछ भी फर्माया है, उसको मैं गम्भीर रूप से लेता हूं। इसकी जांच करेंगे।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मैंने भी तो प्रश्न पूछा है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इस बारे में कोई डिटेल्स नहीं पूछे थे कि इस समय कितने कम्बलें तैयार हैं। इस बात की भी जांच करेंगे और सख्त से सख्त एक्शन लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या 350। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

विभाग के वाहन

350. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग में कितने वाहन कबसे खराब पड़े हैं ? इनके खराब होने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या विभाग द्वारा किन्हीं व्यक्तिगत वाहनों को भी किराये पर लिया गया है ? यदि हाँ, तो कहां-कहां, कब तथा उनको क्या किराया दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न स्थगित किया गया।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने इस प्रश्न के पहले प्रश्न में यह उत्तर दिया कि मुझे सूचना गलत मिली होगी तो मैं उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करूंगा जिसने यह गलत सूचना दी है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैंने यह नहीं कहा कि मुझे गलत सूचना दी है।

श्री रामकरणसिंह : तो मेरा निवेदन है कि लोग मंत्री परिषद् के सदस्यों को गलत सूचना देते हैं इस कारण हाउस में गलत सूचना मिलती है और हाउस को गुमराह किया जाता है। मेरा निवेदन है कि जो भी सूचना दी जाय उस सूचना को पहले कन्फर्म किया जाये फिर सदन में दी जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। यह क्या बात है आप एक

(14)

(श्री अध्यक्ष)
सप्लीमेन्ट्री प्रश्न के ऊपर सप्लीमेन्ट्री करते हैं। सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पर सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछना कहां तक उचित है ?

श्री रामकरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सदन की गरिमा का सवाल है। कोई अधिकारी गलत सूचना दे दे, यह कहां तक उपयुक्त है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

नैक्स्ट प्रश्न। श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा।

न्याय पंचायतों के सचिव

351. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (मनोहर थाना) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विकास विभाग के एक आदेशानुसार न्याय पंचायतों को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप जो सचिव बेकार हो गये हैं उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या करने जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि कितने ही सचिव जो ग्राम पंचायतों एवं न्याय पंचायतों में बीस बीस साल से सेवारत थे उन्हें हटा दिया गया है और उनके स्थान पर नये सचिवों की नियुक्ति की जा चुकी है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सचिवों ने अपने प्रार्थना-पत्र विकास अधिकारियों के माध्यम से विकास विभाग को भेजे थे, और कई विकास अधिकारियों के कार्यालय से प्रार्थना-पत्र निश्चित समय पर विभाग को न भेजे जाने के कारण उन कार्यरत सचिवों को नियुक्ति का निर्णय नहीं लिया जा सका ?

(4) ऐसे बेकार सचिवों को पुनः सेवा में लिया जा सके इसके लिये राज्य सरकार का क्या विचार है ?

(5) क्या यह सही है कि ऐसे कितने सचिव एवं चपरासी हैं जिनको न्याय पंचायतों के विलीनीकरण के समय एक साल का या 6 माह का वेतन लेना बकाया था ?

(6) क्या यह सही है कि अब चूंकि न्याय पंचायतें अस्तित्व में ही नहीं हैं उनके बकाया वेतन भुगतान की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

पंचायत मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल) : न्याय पंचायतें समाप्त होने पर उनके सचिवों एवं ग्राम पंचायतों के सचिवों में से जो व्यक्ति दिनांक 31-12-76 को 45 वर्ष से अधिक आयु के नहीं थे, मिडिल पास हैं तथा जिन्हें न्याय पंचायतों या ग्राम पंचायतों से कम से कम एक वर्ष तक कार्य करने का अनुभव है उनमें से 427 व्यक्तियों का राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (सेवा) नियम, 1959 के नियम 17 (ए) के अधीन ग्राम पंचायतों में ग्रुप सचिव के पद पर चयन करा कर पंचायतों के ग्रुप सचिवों के पद पर लगा दिया गया है। नियमों द्वारा निर्धारित योग्यता धारण करने वाले शेष व्यक्तियों में से भी योग्य व्यक्तियों का चयन करने संबंधी कार्यवाही पुनः की जा रही है। उपरोक्त निर्धारित योग्यता धारण करने वाले व्यक्तियों में से ग्रुप सचिव के पद के लिए इच्छुक व्यक्तियों के आवेदन-पत्र पुनः मांगे जाकर रिकार्ड के आधार पर उनकी

(श्री कैलाश मेघवाल)

योग्यता, अनुभव एवं आयु संबंधी जांच करा कर समस्त सचिव, जिला कर्मचारी वर्ग समितियों (जिला परिषदों) से ऐसे व्यक्तियों की सूचियां प्राप्त की जा रही हैं। ऐसी सूचियां प्राप्त होने पर उन्हें सेवा चयन आयोग को भेजकर उनकी चयन संबंधी कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।

(2) जी हां। जिन न्याय पंचायतों के जो भूतपूर्व सचिव एवं ग्राम पंचायतों के सचिव निर्धारित योग्यता धारण नहीं करते थे अथवा जिन्होंने चयन हेतु निर्धारित अवधि में आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किये थे अथवा सेवा चयन आयोग द्वारा जिनका चयन नहीं किया गया उनको सेवा से हटा दिया गया है और उनके स्थान पर चयनित ग्रुप सचिवों को लगा दिया गया है। जहां चयनित ग्रुप सचिव नहीं लगाये गये हैं वहां ग्राम पंचायतों में पूर्व के कार्यरत सचिव कार्य कर रहे हैं।

(3) इस बाबत जांच की जा रही है, साथ ही निर्धारित योग्यता रखने वाले न्याय पंचायत एवं ग्राम पचायतों के भूतपूर्व सचिवों को फिर से चयन किये जाने का अवसर दे दिया गया है।

(4) नियम 17(ए) के अनुसार निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखने वाले न्याय पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के भूतपूर्व सचिवों के आवेदन-पत्र पुनः मांगे गये हैं तथा उनकी जांच की जाकर ग्रुप सचिव के पद पर सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित जाने सम्बंधित कार्यवाही की जा रही है। निर्धारित योग्यता धारण नहीं करने वाले व्यक्तियों को यदि ग्राम पंचायतें अपने आय के साधनों और [illegible] को देखते हुए काम पर लगाना आवश्यक समझें तो उन्हें सहायक सचिव के पद पर अथवा पंचायत संबंधी अन्य किसी भी कार्य पर लगाया जा सकता है।

(5) जी हां।

(6) न्याय पंचायतों के कर्मचारियों के बकाया वेतन को नियमानुसार संबंधित पंचायतों द्वारा शीघ्र चुकाने के लिये आदेश दिये जा चुके हैं क्योंकि वेतन आदि के चुकाने का दायित्व भी ग्राम पंचायतों पर ही है।

श्री ईश्वर चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कितने हो सचिव एवं चपरासी हैं जिनका न्याय पंचायतों के विलीनीकरण के समय का एक साल और 6-6 माह का वेतन बकाया है।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के पांचवें खण्ड में यह लिखा है, क्या यह सही है कि ऐसे कितने ही सचिव एवं चपरासी हैं जिनका न्याय पंचायतों के विलीनीकरण के समय 1 साल का या 6 माह का वेतन लेना बकाया था।

श्री ईश्वर चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने "पांचवें खण्ड का यह जवाब दिया है, 'जो हां' तो ऐसे कितने ग्रुप सचिव होंगे और उनको कितनी बकाया होगी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें।

श्री शंकर लाल : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों की एक-एक साल की तनख्वाह बाकी है उनके मामले में विकास अधिकारियों ने तो लिख दिया कि इनको पेमेन्ट कर दिया जाय। लेकिन जिन ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों का विलीनीकरण हो गया और समाप्त हो गयी उनके मामले में क्या होगा? जैतारण की पंचायतों में लोग नौकर थे उनमें ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको चार हजार रुपये की बकाया है। बी.डी.ओ. साहब ने तो लिख दिया कि पेमेन्ट कर दिया जाय पर पंचायतों के पास पैसा नहीं है तो क्या राज्य सरकार पेमेन्ट करेगी उस अनुदान में से जो वह पंचायतों को देगी? उनके पेमेन्ट का क्या होगा?

श्री अयूब खां : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक छोटा सा प्रश्न है। वे लोग जिस समय रखे गये थे तब मान लो वे मिडिल पास नहीं थे, तो क्या अब वह वापस 15-20 साल बाद बुड्ढे होकर भी पढ़ने जायेंगे? उनके लिये आपने क्या प्रोविजन किया है? क्या आप उन लोगों को मिडिल पास नहीं होते हुए भी नौकरी पर ले लेंगे?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से यही निवेदन है कि ऐसे कितने ग्रुप सचिव हैं जो कि अभी तक वापस नहीं लिये गये हैं? दूसरे यह बताने की कृपा करें मन्त्री महोदय कि जिन लोगों का वेतन बकाया था जिनको भुगतान करने के यह आदेश कलेक्टर ने कर दिये हैं कि जहां-जहां वह लोग नौकर थे वे ही पंचायतें उन्हें वेतन देंगी, तो उसके लिये क्या व्यवस्था है पंचायतों के पास पैसा नहीं है तो उनके वेतन का भुगतान कैसे होगा?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। कम से कम मंत्री महोदय को जवाब तो देने दें। एक सप्लीमेन्ट्री का उत्तर तो आने दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उठिये, मंत्रीजी जवाब दीजिये।

श्री ईश्वर चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेन्ट्री मेरा और है। उस समय जो लोग सचिव पद पर काम कर रहे थे हालांकि वह मिडिल पास नहीं थे लेकिन बाद में उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान दे दिया पर वह पास नहीं हुए तो क्या उन लोगों को मिडिल पास मान कर राज्य सरकार नौकरियों के लिये कन्सीडर कर लेगी?

(व्यवधान)

सुन लें, हमारे यहां के बी.डी.ओ. ने तीन ग्रुप सचिवों का राजनैतिक कारणों से प्रार्थना-पत्र समय पर नहीं भेजा तो क्या अब बाद में भिजवाने पर उनको राज्य सरकार सर्विसेज के लिये कन्सीडर करेगी? यह जवाब दें।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, विकास अधिकारियों की गलती से जो एप्लीकेशन्स समय पर नहीं भेजी गई, क्या सरकार उनको कन्सीडर करेगी?

एक माननीय सदस्य : कई महीनों के वेतन बकाया पड़े हैं पुराने सचिवों के, उसके लिये क्या कार्यवाही राज्य सरकार कर रही है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, स्थगित प्रश्न ले लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अजीब बात है कि आप एक प्रश्न के सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पर भी सप्लीमेन्ट्री पूछते रहते हैं। आखिर प्रश्न का अन्त तो होना चाहिये। यह क्या ढंग है। इस प्रकार कैसे सदन की कार्यवाही चलेगी। मन्त्रीजी जवाब दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आज कल के मन्त्री जो हैं वह जवाब देना नहीं चाहते हैं, वह तो सुनते रहते हैं। जब उनके लिये मुफीद कोई प्रश्न आता है जिसका वह उत्तर देना चाहते हैं उसका उत्तर देते हैं, बाकी तो सुनते रहते हैं, बैठे रहते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपको इनके बैठे रहने पर भी तकलीफ है क्या ?

श्री कौशलकिशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खण्ड पांच में पूछा है, "क्या यह सही है कि ऐसे कितने सचिव एवं चपरासी हैं जिनका न्याय पंचायतों के विलीनीकरण के समय एक साल का या 6-6 माह का वेतन लेना बाकी था"। मन्त्री महोदय ने जवाब दिया, "जी हां"।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। मन्त्री महोदय, आप घबरायें नहीं। अगर प्रश्न आपके ग्रिप में नहीं आता है तो आप डट कर कह दीजिये कि यह प्रश्न मेरे ग्रिप में नहीं है क्योंकि इस प्रश्न की बहुत ही वाइड रेन्ज है। यह इर्रेलेवेन्ट प्रश्न है। आप कह दें। डट कर कह दें।

श्री मूलचन्द डागा : आप मन्त्री महोदय को संरक्षण दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : You should be assertive. You should be forceful.

श्री मूलचन्द डागा : You are protecting him.

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न।

(व्यवधान)

श्योपतसिंहजी, आप भी सभी सदस्यों के साथ हो लिये। कृपया स्थान ग्रहण करें।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3 मार्च, 1978)

राजकीय खर्च पर नियंत्रण

30. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्री ने दिसम्बर, 1977 में वित्तीय अनुशासन के बाबत में राज्यपालों के सम्मेलन में क्या क्या बातें कही थीं और उस विषयक राज्य सरकार के वित्त विभाग ने आज तक क्या-क्या कदम उठाए हैं ?

(2) राजकीय खर्च पर नियंत्रण किस-किस रूप में किया गया और किस-किस क्षेत्र में कितने-कितने खर्च की कमी नयी सरकार बनने के बाद की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No. 18

(1d)

वित्त मंत्री (श्री आदित्येन्द्र): (1) राष्ट्रपति सचिवालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि माह दिसम्बर, 1977 में हुए राज्यपालों के सम्मेलन की कार्यवाही का विवरण अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। अत: राज्य सरकार द्वारा किसी तरह की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(2) राजकीय खर्चे पर नियंत्रण, नये पदों के सृजन पर कठोर नियंत्रण एवं 3 माह से अधिक के रिक्त रहे पदों के भरे जाने पर प्रतिबन्ध, सरकारी कार्य से यात्रा पर मात्र आवश्यक संख्या में ही कर्मचारियों का भेजा जाना, नये वाहनों की खरीद, स्टाफ कारों के उपयोग पर नियंत्रण, कार्यालय व्यय में सजावट साज-सामान की खरीद पर रोक तथा अन्य व्यय पर कठोर नियंत्रण, भवनों की बनावट में सादगी बरतने आदि के रूप में किया गया है।

इन सबसे इस वर्ष 1977-78 में रुपये 522.16 लाख की बचत होने की संभावना है। इससे वेतन मद में 229.61 लाख रुपये तथा अन्य आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय में 292.55 लाख रुपये की बचत होगी। सूची संलग्न है।

(सूची के लिये अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देखें)

श्री मूलचन्द डागा: श्रीमन्, आपने जो बजट के समय आंकड़े पेश किये उनके अनुसार आपने बताया, 11 अरब 50 करोड़ 30 लाख आमदनी और 13 अरब 32 करोड़ व्यय। बजट के समय जो आंकड़े आपने पेश किये उससे क्या यह आंका जाय कि जो खर्चा आपने पहले बताया वह सही है या अब बताया वह सही है? जो परिवर्तित बजट, जो शानदार बजट आपने पेश किया था उसमें आपने यह कहा था कि इन-इन को शामिल कर लेंगे और वित्तीय वर्ष के अन्त तक 5 करोड़ की धनराशि बचा लेंगे। तो किन-किन अधिकारियों को, किस-किस विभाग के कितने-कितने अधिकारियों को आपने रिट्रेन्च किया, हटाया या उनको कम किया? आपने बजट भाषण में जो कहा और अब आपका यह उत्तर है इन दोनों ही बातों में विरोधाभास है। इसका उत्तर दीजिये फिर दूसरा सप्लीमेन्ट्री पूछूंगा।

श्री आदित्येन्द्र: मैं निवेदन करूंगा कि इस समय जो मितव्ययता की गयी है वह केवल 522.16 लाख की, की गयी है। जो मदें हैं जिनमें मितव्ययता की गई है, वह इस प्रकार हैं:—

विभिन्न क्षेत्रों में की गई राजकीय खर्च में मितव्ययता की सूची—

	वेतन भत्ते	अन्य व्यय
1	2	3
1. राज्य के अंग	12,25,000	27,71,000
2. राजकोष सम्बंधित सेवायें	19,10,000	12,75,000

(श्री ग्रादित्येन्द्र)

1	2	3
3. प्रशासनिक सेवायें	51,27,500	6,36,000
4. सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें	79,91,600	30,72,000
5. आर्थिक सेवायें	41,97,000	84,44,000
6. सहायतार्थ अनुदान और अंशदान	..	8,00,000
7. अन्य	..	10,00,000
8. पूंजीगत व्यय :		
सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं पर पूंजी लागत ।	..	8,00,000
सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी लागत, कृषि और सम्बद्ध सेवाओं पर पूंजी लागत, उद्योग और खनिज पर पूंजी लागत, जल और बिजली विकास पर पूंजी की लागत ।	25,10,000	30,33,000
9. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	..	45,00,000

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, आप तो मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिये ।

श्री ग्रादित्येन्द्र : आप सुन लीजिये ।

राजकीय खर्च में की गई कमी का विवरण इस प्रकार है:—

वेतन मद में कमी :

गत वर्ष लगभग 7,000 पदों के रिक्त रखे जाने के कारण ।	रु. 229.61 लाख

अन्य व्यय में कमी :

1. मोटर गाड़ियों व उनके रख-रखाव पर कमी ।	रु. 69.27 लाख
2. भू-जल विभाग में प्रशिक्षण मद में कमी ।	रु. 0.72 लाख
3. राजस्थान नहर विभाग के भवन एवं यंत्र आदि में कमी ।	रु. 24.90 लाख
4. राजस्थान स्टेट टेनरीज में पूंजी विनियोजन पर कमी ।	रु. 10.00 लाख
5. सोडियम सल्फेट के विस्तार मद खर्च में कमी ।	रु. 20.00 लाख

(श्री ज्ञानेन्द्र)

6.	खजाने आदि के व्यय में कमी	रु. 2.00 लाख
7.	नगर विकास मद में सड़कों व नालियों की मरम्मत में कमी ।	रु. 2.00 लाख
8.	आफार्म डवलपमेन्ट के व्यय में कमी	रु. 10.75 लाख
9.	ऐतिहासिक भवनों पर रोशनी आदि पर खर्च में कमी ।	रु. 1.00 लाख
10.	अन्य मदों में कमी ।	रु. 151.91 लाख
	योग ..	रु. 522.16 लाख

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप बिराज जाओ। हम सब समझ गये हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं प्रश्नकर्ता से यह पूछना चाहूंगा कि अतारांकित प्रश्न के द्वारा क्या आप इन आंकड़ों को लिखित रूप से मंत्री महोदय के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष : No please. हो गया।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने बहुत रेलेवेन्ट पूछा है । एक मिनट.....

श्री अध्यक्ष : No please. यह फारेस्ट आफ फिगर्स हैं, आप अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछ लीजिये । It is beating about the bush.

श्री मूलचन्द डागा : वित्त मंत्रीजी ने जो भाषण दिया आपकी अध्यक्षता में वह बड़ा सारगर्भित भाषण दिया मैं उस भाषण को.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

श्री खेतसिंह राठौड़ : वे वयोवृद्ध हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सदस्य, इतना समय सदन का बिगाड़ते हैं कि दूसरे माननीय सदस्यों को समय ही नहीं मिल पाता है । मैंने चार-चार बार प्रश्न पूछे हैं। मेरा प्रश्न संख्या 354 है। माननीय सदस्य इतना लम्बा खींचते हैं कि दूसरे माननीय सदस्यों के प्रश्न रह जाते हैं। मैं मेरे प्रश्न को पूछ ही नहीं सकी हूं ।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, किसी भी माननीय सदस्य के लिये डेरोगेटरी लेंग्वेज में नहीं कहना चाहिये । माननीय डागाजी ने कहा कि 'बड़ा सारगर्भित भाषण दिया वित्तमंत्रीजी ने' This is defamatory courtesy.. आइरोनिकल लेंग्वेज में नहीं कहना चाहिये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वित्त मंत्रीजी जवाब दे रहे थे.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पुकार लिया गया था। मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाया जाये।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3 मार्च, 1978)

अन्त्योदय योजना

32. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने अन्त्योदय योजना के बारे में कोई ब्ल्यू प्रिन्ट तैयार किया है? यदि हां, तो उक्त ब्ल्यू प्रिन्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य के विभिन्न जिलों में अन्त्योदय योजना की क्या प्रगति है?

(3) अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में कितनी राशि कर्ज एवं सब्सिडी के रूप से किन किन कार्यों के लिये राज्य सरकार एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितने गरीब लोगों को अब तक वितरित की गई है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या राज्य सरकार ने इस बारे में भी रूपरेखा तैयार की है कि ये उपरोक्त वर्णित गरीब व्यक्ति कितने वर्षों में गरीबी की रेखा को पार कर सकेंगे?

कृषि मंत्री (श्री दिग्विजयसिंह): (1) राज्य सरकार ने एक एप्रोच पेपर तैयार किया था जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) राज्य सरकार प्रयत्न कर रही है कि चयनित परिवार शीघ्रातिशीघ्र निर्धनता सीमा को पार कर लें, परन्तु यह प्रश्न ऐसा है कि इसके विषय में निश्चित समय सीमा तय करना सम्भव नहीं है। जिन परिवारों का चयन इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया है वह निर्धनों में भी निर्धनतम हैं तथा उनको पहले निर्धनता सीमा के निकट लाना होगा और उसके बाद उससे ऊपर लाने का प्रश्न पैदा होता है।

(एप्रोच पेपर विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, आप अन्त्योदय योजना बना रहे हैं और योजना बना कर के गरीबों को गरीबी रेखा से निकाल कर आगे लाना चाहते हैं। इसके बारे में जब आपका कोई कार्यक्रम नहीं है और आपका अभी तक दिमाग स्पष्ट नहीं है, निश्चित योजना नहीं है तो फिर यह किस प्रकार की योजना है? एक प्रश्न तो यह है।

दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो भूमि अलॉट की है वह अन-इकानामिक होल्डिंग है। अन-इकानामिक होल्डिंग को आप अलॉट करके गरीबी को दूर कर सकेंगे क्या?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय जहां तक आप कह रहे हैं कि इस योजना का

(श्री दिग्विजय सिंह)
एप्रोच पेपर सदन में नहीं दिया है...

श्री वृद्धिचन्द जैन : उसमें जिन लोगों. ...

श्री दिग्विजय सिंह : यह एप्रोच पेपर दिया गया है उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें सारी जानकारी उपलब्ध है कि किस तरह से सीमा रेखा के ऊपर ले जायेंगे और क्या कार्यक्रम है ? रहा सवाल अन-इकानामिक होल्डिंग के अलॉटमेन्ट का तो इस अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम में है कि जितनी भूमि उपलब्ध है उसी सीमा में आवंटन किया जा सकता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह अन्त्योदय योजना तो मुख्य मंत्रीजी ने अपने दिमाग से बनाई है। वित्त मंत्री जी ने तो खुद ने कहा है और स्वीकार किया है कि यह उनके समझ में नहीं आया कि यह योजना क्या है । तो माननीय मंत्री जी बतायें कि यह योजना क्या है और इस योजना से कब तक गरीबों को, गरीबी की रेखा से वह पार करा देंगे ? इसके बारे में क्या योजना है ?

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय खेतसिह जी, आप तो खुद उनको रेखा के ऊपर ला नहीं सके और हम ला रहे हैं तो आपको जलन हो रही है ।

श्री शंकर लाल : अध्यक्ष महोदय, इस पर आधे घंटे की चर्चा रख लें । यह बहुत अहम सवाल है और फिर प्रश्नोत्तर काल भी समाप्त हो गया है ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं एक सवेप्चन पूछूंगा ।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि प्रश्नोत्तर काल के प्रथम प्रश्न और द्वितीय प्रश्न पर भी इसके संबंध में चर्चा हो चुकी है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैंने दूसरे प्रश्न नहीं पूछे। मैंने प्रश्न वह पूछे हैं जो कि पहले नहीं पूछे गये हैं । किसानों को प्लॉट दिये हैं तो कितने बीघा जमीन अलॉट की है ? क्या जमीन जो अलॉट की है उससे गरीबी दूर की जा सकेगी ? ऐसा नहीं हो कि उससे और गरीबी बढ़ जाये ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपके क्या विचार हैं इस अन्त्योदय योजना के बारे में ?

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष के कोई विचार नहीं हुआ करते । मैं आपके साथ बैठता तो विचार व्यक्त करता ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 19 मार्च, 1978)

संयुक्त कृषि सहकारी समिति, कुचेरा

170. **श्री राम रघुनाथ चौधरी** (डेगाना): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सन् 1960-61 में कुचेरा गांव जिला नागौर में एक संयुक्त कृषि सहकारी समिति कार्यरत थी जिसका सन् 1962 में अवसायन कर दिया

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)
गया था और जिसकी जमीन खुडखुडा खुर्द में थी ? अगर हां, तो अवसायन करने के क्या कारण थे तथा उसके लिए अवसायक किनको नियुक्त किया गया था तथा इसकी क्या कार्यवाही किस प्रकार कितने समय में की गई ?

(2) इस समिति के इस कृषि फार्म पर 1961 तक कुल कितनी लागत किस-किस प्रकार लगी ?

(3) इसको किन कारणों से किस के आदेश से नीलाम किया गया ? नीलामी की बोली लगाने वालों की लिस्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें तथा नीलामी कितनी बार, किस किस तारीख को की गई थी ? अन्तिम बोली किसकी थी जिसको उक्त जमीन दे दी गई थी ?

(4) आज वह जमीन किस के नाम से राजस्व रिकार्ड में है ? तथा उन्होंने किससे खरीद की थी ? उनका स्थाई पता मय प्रथम अवसायक के रिश्ते के बताने की कृपा करें ।

(5) क्या उक्त खुडखडा खुर्द कृषि फार्म की जमीन नीलाम करने के बाद उक्त समिति के अध्यक्ष ने विभाग को अवसायक के विरुद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि जमीन मिलीभगत से सस्ती कीमत पर बेच दी है अतः दुबारा नीलाम की जावे एवं अवसायक के विरुद्ध कार्यवाही की जावे ? अगर हां, तो फिर असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग, नागौर ने या विभाग ने इस पर क्या कार्यवाही की ? क्या यह सही है कि शिकायत के बाद इसकी जांच हेतु श्री माथू राम बेनीवाल को दूसरा अवसायक नियुक्त किया गया था ? अगर हां, तो उन्होंने क्या जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(6) जिस वर्ष यह कृषि फार्म अवसायक द्वारा नीलाम किया गया, इस कृषि फार्म की जमीन की मय कुओं व मशीन के क्या कीमत थी ?

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रह गया ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आप इसे स्थगित फर्मा दें । यह स्थगित प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । प्रश्न संख्या 170, इसमें भ्रष्टाचार को पराकाष्ठा वाला मामला है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका स्थगित प्रश्न स्थगित कर सकता हूं ।

श्री शंकर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न भी स्थगित कर दीजिए....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

श्री रामकरणसिंह : व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री शंकर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी स्थगित फर्मा दें ।

श्री अध्यक्ष : कोई समस्या हो तो मुझ से चेम्बर में मिल लें, माननीय सदस्य ।

श्री रामकरण सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मेरा स्थगित प्रश्न 170 है इसको स्थगित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : 170 स्थगित किया ।

Page No. 24

(24)

श्री रामकरण सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री शंकर लाल : अध्यक्ष महोदय, 352 को भी स्थगित फर्मायें।

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे इस संबंध में मेरे चेम्बर में मिल लें। अगर आप मुझे कन्फ्यूज़ करना चाहते हैं तो कन्फ्यूज़ नहीं होऊंगा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सहकारी विभाग के कर्मचारियों को डेपूटेशन अलाउन्स

81. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग के बैंकों में लगे कर्मचारियों का डेपूटेशन अलाउन्स बन्द कर दिया गया है जब कि दूसरे विभागों में यह चालू है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या राज्य सरकार इस डेपूटेशन अलाउन्स को फिर से देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

(1) जी हां। सहकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सहकारी संस्थाओं में ही प्रतिनियुक्ति पर जाने पर प्रतिनियुक्ति-भत्ता दिया जाना उचित नहीं समझा गया।

(2) इस विषय में राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

केडर कमेटी का कार्य

82. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केडर कमेटी के निर्माण का क्या आधार है?

(2) क्या केडर कमेटी के कार्य का राज्य सरकार ने मूल्यांकन किया है? यदि हां, तो क्या और उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राजस्थान सहकारी संस्था नियम, 1966 के नियम 41 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाये गये 'दी राजस्थान को-आपरेटिव बैंक सर्विस नियम, 1976' के अन्तर्गत सहकारी बैंकों के अधिकारियों के चयन हेतु गठित कमेटी का नाम केडर कमेटी है। चूंकि इन नियमों के अन्तर्गत सहकारी बैंकों के लिये वरिष्ठ अधिकारियों का चयन होगा जिसके लिये सक्षम व वरिष्ठ अधिकारियों की ही चयन कमेटी होना आवश्यक समझा जाकर केडर कमेटी का नियमों में प्रावधान किया गया है।

(2) जी नहीं।

पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल

83. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या पंचायती राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पंचायत समिति, झालरापाटन व पिड़ावा के

(श्री ईश्वरचन्द्र)
कितने प्राथमिक स्कूल हैं तथा कहां-कहां पर भवन बनवाये गये है ?

(2) उक्त पंचायत समितियों के किन-किन ग्रामों में स्कूल भवन अधूरे पड़े हैं तथा उन्हें कब तक पूर्ण करने का इरादा है ?

उत्तर

(1) 115 प्राथमिक स्कूल हैं। निम्न ग्रामों में स्कूल भवन बनवाये गये हैं:—

(1) रायपुर
(2) छाबल
(3) रामपुरिया
(4) सेमेली कल्याण
(5) पालखन्दा
(6) रघनाथपुरा
(7) पूरासलो
(8) सायला
(9) आजमपुर
(10) मूण्डला जागीर
(11) दोबड़ी
(12) गरवांड़ा
(13) सेमली खाम
(14) सेमली भवानी
(15) काली तलाई
(16) दीबलखेड़ा (कस्बा)
(17) आकोदिया
(18) चछलाई
(19) पेटमर
(20) कनबाड़ी
(21) लालगांव
(22) शामिया
(23) गुराड़िया
(24) दूबलिया
(25) कांदलखेड़ी
(26) सेमला
(27) सामरिया
(28) हेमड़ा (लड़कों का)
(29) हेमडा (कन्याओं का)
(30) बोलिया बुजुर्ग
(31) गेलाना

(2)

(32) बोरदा
(33) कुंडला प्रताप
(34) करसा खेड़ी
(35) बोर खेड़ी
(36) ओढिया खेड़ी
(37) पीपां खेड़ी
(38) दावला मौजा
(39) छोड़ी
(40) हरनावदा गजा
(41) खेराना
(42) शेरपुर
(43) सरोनिया
(44) ढोला
(45) मिलवाडी
(46) रून्जी
(47) राजपुरा
(48) खोद
(49) बान्डी
(50) शामिया
(51) गरनावद
(52) चोरखेड़ी
(53) अरोल्या
(54) सूल्या

(3) ग्राम चंवली, फतहगढ़, गुणदो, गोविन्दपुरा, नराना, नोलाई, निम्बाहेड़ा, आंवलीखुर्द, ताल बोरदा, बड़बेला और झिरनिया में स्कूल भवन अधूरे पड़े हुये हैं। उन्हें शीघ्र पूरा कराने की व्यवस्था की जा रही है।

विकास अधिकारियों की नियुक्ति

84. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पशुपालन विभाग के अधिकारियों को विकास अधिकारी लगाया जाता है तो क्या उनको वरिष्ठता के आधार पर लगाया जाता है? यदि हां, तो वर्तमान में कार्य कर रहे विकास अधिकारियों की नियुक्ति में वरिष्ठता का कोई झगड़ा नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कई अधिकारियों ने यह एतराज किया है कि उनसे जूनियरों को विकास अधिकारी लगा दिया गया है और उनको नहीं ? यदि हां, तो किस-किस ने कब-कब और उस पर क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

(3) इस प्रकार की शिकायतों का अंतिम फैसला कब तक हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। पशुपालन सेवा के व्यक्तियों में से विकास अधिकारी के पद पर चयन राजस्थान पंचायत समिति (विकास अधिकारियों का चयन) नियम, 1968 के नियम 5 व 6 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है जिसमें वरिष्ठता ही मूल आधार नहीं है। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

पंचायत समितियों के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

85. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रियां पंचायत समिति, ज़िला नागौर के अधिकारीगण के विरुद्ध जनसम्पत्ति के गबन की कई शिकायतें राज्य सरकार एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं ?

(2) क्या इस पर कोई जांच एवं कार्यवाही होकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध फौजदारी एवं विभागीय कार्यवाही की गई है ? व इसमें कौन दोषी पाये गये ?

(3) यदि नहीं, तो क्या कारण है कि अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई ?

(4) राज्य सरकार अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री प्रतापसिंह, भूतपूर्व विकास अधिकारी पंचायत समिति, रियां को दोषी पाये जाने से उनके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारम्भ करने हेतु उन्हें नियमानुसार आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण-पत्र दिये जा रहे हैं। एक मामले में पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज हुई थी किन्तु पुलिस ने एफ. आर. दे दी है।

(3) जिलाधीश, नागौर से आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण-पत्र के प्रारूप प्राप्त नहीं होने से अब तक विभागीय जांच कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकी है। अब शीघ्र विभागीय जांच प्रारम्भ कर दी जावेगी।

(पंचायत मंत्री)

(4) दोषी अधिकारी के विरुद्ध शीघ्र विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण कराकर जांच प्रतिवेदन के अनुसार दोषी पाये जाने पर दण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

86. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या कृषि मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे:-

(1) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में कृषि उपज मंडी समिति, भवानी मंडी द्वारा कौन-कौन सी एप्रोच सड़कें वनवाने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, भवानी मण्डी ने एप्रोच रोड्स के मामले में पिड़ावा क्षेत्र की भारी उपेक्षा की है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्वन्ध में क्या कर रही है ?

उत्तर

(1) राज्य में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा वनाई जाने वाली सड़कों की योजना तैयार की जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाकर ही योजना की रूप-रेखा वनाकर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

पशु चिकित्सालय खोलने का आधार

87. श्री हरजीराम वुरडक (लाडनूं): क्या पशुपालन मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में वर्ष 1977-78 में कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां पर कव-कव खोले गये ?

(2) चिकित्सालय खोलने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

(3) चिकित्सालय खोलने के स्थानों का चयन किस आधार पर किया गया ?

(4) इस सम्वन्ध में कोई नियम वने हुए हों तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(5) क्या अव भी पशु चिकित्सालय खोलने की कोई मांग विचाराधीन है ? यदि हां, तो कहां-कहां की तथा कव-कव से ?

(6) वित्तीय वर्ष 1978-79 में कितने चिकित्सालय खोले जायेंगे ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1977-78 में 50 नये पशु औषधालय खोले गये, जिनकी सूची 'क' संलग्न है ।

(2) प्रदेश के समस्त जिलों को प्रतिनिधित्व दिया जाने की प्रक्रिया अपनाई गयी ।

(3) (अ) सर्वोपरि आधार यह रखा गया है कि पशुओं की संख्या पर अधिक महत्व दिया जावे (जिले को इकाई मानते हुए) ।

(ब) गांव की जनसंख्या दो हजार से अधिक हो ।

(पशुपालन मंत्री)

(स) प्रस्तावित स्थान के 15 कि. मी. की परिधि में कोई अन्य पशु चिकित्सालय न हो।

(द) ग्रामवासियों द्वारा इस हेतु मांग हो एवं उनके द्वारा निःशुल्क भवन उपलब्ध कराने की सहमति हो।

(4) जी नहीं।

(5) जिन स्थानों से पशु औषधालय/पशु चिकित्सालय खोलने हेतु विभाग को मांग प्राप्त हुई है उनकी सूची 'ख' संलग्न है।

(6) फिलहाल वर्ष 78-79 में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

केसरीसिंहपुर-धनूर सड़क का कार्य

89. **श्री मनफूल राम** (केसरीसिंहपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि केसरीसिंहपुर (तहसील श्री करणपुर) से धनूर को बन रही पक्की सड़क बीच में ही रोक दी गई है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य क्यों बन्द कर दिया गया है ? उपरोक्त सड़क अब कब तक पूरी हो जायेगी ?

उत्तर

इस सड़क की लम्बाई लगभग 12 कि.मी. है जिसका निर्माण करने के लिये अनुमानित लागत 18 लाख रु. होगी। इस सड़क के लिये धनराशि स्वीकृत नहीं होने के कारण कार्य पूरा कराये। जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

घाटोल तहसील में राहत कार्य

91. **श्री माथूलाल** (घाटोल) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले की घाटोल तहसील में राहत कार्य अब तक चालू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक राहत कार्य चालू होने की संभावना है ?

उत्तर

जी नहीं। जिलाधीश, बांसवाड़ा ने सूचित किया है कि दिनांक 5-1-78 से इस क्षेत्र में बांसवाड़ा–प्रतापगढ़ सड़क का राहत कार्य चल रहा है। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में उपरोक्त कार्य के अलावा निम्न और राहत कार्य स्वीकृत कर दिये हैं:—

सिंचाई कार्य :

1. मोरखानिया तालाब
2. दूध का तालाब
3. गौरछा प्रोजेक्ट
4. महुवाल भूंगड़ा

वन विभाग :

1. गमरगढ़ पानडिया

सा. नि. विभाग :

1. मूंगडा से खेमरा रोड
2. माही डेम से केला मेला
3. घंटाली सोडालपुरा

सवाई माधोपुर एवं जयपुर जिले की पंचायत समितियों को लेवी के रूप में दी गई राशि

92. श्री **मूलचन्द** सामरिया (दौसा), **श्री** कुंजीलाल (बामनवास), श्री **रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर जयपुर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों को गत वर्ष लेवी बोनस के रूप में कितनी-कितनी धनराशि दी गई ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त लेवी बोनस की राशि सरकारी नीति के अनुसार पंचायत समितियों द्वारा प्राप्त राशि को जिन ग्राम पंचायतों ने जितनी लेवी तोली उस अनुपात के अनुसार उन्हें बोनस राशि का अंश दिया जावेगा ? यदि हां, तो पंचायत समिति, नादोती, मुख्यालय बामनवास, जिला सवाई माधोपुर में प्राप्त धनराशि का वितरण किस आधार पर किया गया है ? यदि सरकारी नीति के अनुसार नहीं किया गया तो क्यों ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति नादोती, मुख्यालय बामनवास में उक्त राशि को कुछ ऐसे भूतपूर्व सरपंचों में वितरित कर रखा है, जिन्होंने उक्त राशि का अब तक उपयोग नहीं किया है या फर्जी हिसाब पेश कर रखे हैं ? यदि हां, तो ऐसी धनराशि के वसूल करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया उक्त पंचायत समिति में जिन सरपंचों को यह धनराशि वितरित की गई उनकी सूची प्राप्त धनराशि व उसके उपयोग या बिना उपयोग की स्थिति को दिखाते हुए विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) गत वर्ष सवाईमाधोपुर व जयपुर जिले की किसी भी पंचायत समिति को लेवी बोनस के रूप में कोई भी धन-राशि नहीं दी गई है अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(2) गत वर्ष लेवी बोनस के रूप में कोई भी राशि नहीं दिये जाने से प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) गत वर्ष लेवी बोनस के रूप में कोई भी राशि नहीं दिये जाने से प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

लघु उद्योग निगम द्वारा 65-66 में की गई खरीद

93. **श्री माधो सिंह कछवाह** (सरदारपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. राजस्थान लघु उद्योग निगम (Rajasthan Small Industries Corporation) द्वारा वर्ष 1965-66 में कुल कितना सामान क्रय किया गया जिसमें से जोधपुर संभाग से कितना और जयपुर संभाग से कितना किया ?

(उद्योग मंत्री)

उत्तर

वर्ष 1975-76 में राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा कुल क्रय	जयपुर संभाग से क्रम	जोधपुर संभाग से क्रम
84,89,000.00	48,30,050.00	2,23,484.00

लघु उद्योग निगम द्वारा 66-67 में की गई खरीद

94. **श्री माधोसिह कछवाह** (सरदारपुरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राजस्थान लघुउद्योग निगम (Rajasthan Small Industries Corporation) द्वारा वर्ष 1966-67 में कुल कितना सामान क्रय किया गया जिसमें से जोधपुर संभाग से कितना और जयपुर संभाग से कितना किया ?

उत्तर

वर्ष 1966-67 में राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा कुल क्रय 12,00,900,00

जयपुर संभाग से क्रय 2,28,000.00

जोधपुर संभाग से क्रय 51,000.00

लघु उद्योग निगम द्वारा 67-68 में की गई खरीद

95. **श्री माधोसिह कछवाह** (सरदारपुरा क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राजस्थान लघु उद्योग निगम (Rajasthan Small Industries Corporation) द्वारा वर्ष 1967-68 में कुल कितना सामान क्रय किया गया जिसमें से जोधपुर संभाग से कितना और जयपुर संभाग से कितना किया ?

उत्तर

वर्ष 1967-68 में राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा कुल-क्रय 11,51,506.00

जयपुर संभाग से क्रय

4,51,368.00

जोधपुर संभाग से क्रय

50,922.00

लघु उद्योग निगम द्वारा 68-69 में की गई खरीद

96. **श्री माधोसिह कछवाह** (सरदारपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान लघु उद्योग निगम (Rajasthan Small Industries Corporation) द्वारा वर्ष 1968-69 में कुल कितना सामान क्रय किया गया जिसमें से जोधपुर संभाग से कितना और जयपुर संभाग से कितना किया

(उद्योग मंत्री)

उत्तर

वर्ष 1968-69 में राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा कुल क्रय	जयपुर संभाग से क्रय	जोधपुर संभाग से क्रय
20,17,964.00	7,37,440.00	66,027.00

लघु उद्योग निगम द्वारा 69-70 में की गई खरीद

97. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान लघु उद्योग निगम (Rajasthan Small Industries Corporation) द्वारा वर्ष 1969-70 में कुल कितना सामान क्रय किया गया जिसमें से जोधपुर संभाग से कितना और जयपुर संभाग से कितना किया ?

उत्तर

वर्ष 1969-70 में राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा कुल क्रय	जयपुर संभाग से क्रय	जोधपुर संभाग से क्रय
29,18,428.00	10,65,268.00	3,98,623.00

जिलों के पुनर्गठन का मामला

98. श्री हरजी राम बुरड़क : (लाडनू) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार के पास जिलों के पुनर्गठन का मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और किन-किन जिलों का पुनर्गठन कब तक किया जायेगा?

(2) क्या जनसंख्या की वृद्धि आदि अनेक कारणों से जिलों का पुनर्गठन आवश्यक नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या इस प्रकार से तहसीलों व सब डिविजनों का भी पुनर्गठन करने की आवश्यकता है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। फिलहाल जिलों का पुनर्गठन आवश्यक नहीं है।

(3) जी हां। तहसीलों व सब-डिविजनों के पुनर्गठन बाबत अलग से विचार किया जा रहा है।

तहसील श्री गंगानगर, श्री करणपुर, रार्यसिंह नगर व पदमपुर में राजस्व अभियान

99. **श्री मनफूल राम** (केसरीसिंहपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्व अभियान के अन्तर्गत तहसील श्री गंगानगर, श्री करनपुर, रायसिंहनगर व पदमपुर के कितने हरिजन परिवारों को उनके द्वारा रहन कृषि भूमि में से कितनी भूमि उन्हें वापस दिलवाई एवं कितने परिवार ऐसे शेष हैं जिनको अभी तक उनकी भूमि वापस नहीं दिलवायी जा सकी और क्यों ? शेष भूमि को वापस दिलवाने हेतु राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

राजस्व अभियान के अन्तर्गत तहसील गंगानगर में 28 हरिजनों को 229 एकड़, श्री करनपुर में 7 हरिजनों को 97.10 बीघा (67 एकड़), रायसिंह नगर में 5 हरिजनों को 52.1 बीघा (33 एकड़) एवं पदमपुर में 10 हरिजनों को 127.10 बीघा (79 एकड़) भूमि, जो हरिजन परिवारों के द्वारा रहन की हुई थी, का कब्जा वापस दिलाया गया है। इन तहसीलों में कब्जा दिलाने हेतु और कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रश्नों के गलत उत्तर

श्री रामकरण सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आपकी टेक्टिस से मैं खूब वाकिफ हूं।

श्री रामकरण सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न दो मुद्दों पर हैं। एक तो मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि चाहे कोई स्थगन प्रस्ताव हो या प्रश्न पूछा जाये उस समय जो माननीय मुख्य मंत्री को सूचना अधिकारीगण से मिलती है....

श्री अध्यक्ष : अगर आपको यह मुद्दा उठाना है तो मैं व्यवस्था दे दूं उसके पश्चात् आप कह सकते हैं। अभी आसन अपने पैरों पर है। मुझे स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देने दीजिए। एक-एक करके सब की सुनूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : हम आपके बहुत आभारी हैं, श्रीमान्।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 16 मार्च को झुंझुनू जिले में पवाना मंडी को नगरपालिका क्षेत्र मुकन्दगढ़ से अलग करने के प्रश्न पर पांच हजार से अधिक किसानों द्वारा किये गये प्रदर्शन के विषय में।

(2) श्री परसराम मोरदिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनू जिले के सूरजगढ़ कस्बे में हरिजनों के मोहल्ले में स्वीकृत पाइप लाइन को अन्य लोगों के मोहल्ले में डाल दिये जाने के विषय में।

(3) सर्व श्री रणजीत सिंह, अब्दुल अजीज, मांगीलाल, शीशराम ओला, जयकृष्ण शर्मा, जेठमल बरबड़, प्रद्युम्नसिंह, नरपतराम,

Page No. 33

(33)

(श्री उपाध्यक्ष)
अब्दुल अजीज, श्योपतसिंह मकासर, राम रघुनाथ, रामसिंह विश्नोई, रघुनाथ विश्नोई, सूरजपाल सिंह, श्रीमती मदन कौर, श्री दुलाराम व श्री वृद्धिचन्द जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जोधपुर की तहसील ओसियां के ग्राम बापीनी के हरिजन, मेघवाल एवं कमजोर वर्ग के लोगों को आवंटित कृषि भूमि को वहां के भूतपूर्व जागीरदारों द्वारा छीन लिये जाने की घटना के विषय में।

(4) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में अनिक्रमण करके रातों-रात मकान खड़े हो रहे हैं, इस विषय में।

(5) श्री खेतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर के ग्राम गुड्डा विश्नोईयान, खेजड़ली आदि विश्नोई बहुल आबादी वाले गांवों में हिरणों के अंधाधुन्ध शिकार के विषय में।

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(6) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 17 मार्च को लखनऊ में किसानों के शान्त प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किये गये लाठी चार्ज, अश्रु गैस आदि की घटना के विषय में।

यह विषय इस विधान सभा के कार्य-क्षेत्र के बाहर का है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री केदारनाथ (श्रम मंत्री) : इजराइल का अभी तक नहीं आया ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी...

व्यवस्था का प्रश्न

प्रश्नों के गलत उत्तर

श्री रामकरणसिंह : मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया, उस पर व्यवस्था दे दें तो आपकी कृपा होगी।

अध्यक्ष महोदय, दो मुद्दों पर व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी को हमारे अधिकारी जो सूचना देते हैं उस सूचना और माननीय सदस्य, जिनको स्थानीय हर हालात की जानकारी है, की सूचना में बड़ा फर्क होता है। हमें अधिक मालूम है क्योंकि वास्तव में हम उस स्थान पर जाते हैं। माननीय मंत्री जी को उनके अधिकारी गुमराह कर देते हैं जिससे इस प्रकार का विरोधाभास होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे यहां नांगल पण्डितपुरा में 24 कुएं टूटे हुए हैं। अधिकारियों की सूचना के आधार पर 4–5 कुएं टूटे हुए हैं।

स्थगन प्रस्तावों पर कार्यवाही

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो स्थगन प्रस्ताव पेश करते हैं उनके करने के बाद में जो व्यक्ति विशेष रूप से उस काम को करने में ज्यादा जोर देता है तो कार्यवाही होती है। गृह मन्त्री जी सोचें, सुगम शिक्षा समिति सिविल लाइन्स में है। उनका पुलिस कुछ नहीं कर सकी, उन्होंने प्राइवेट जीप में गुण्डों को बैठाकर प्रबन्धकों ने

(श्री रामकरणसिंह)
टीचर्स को बुरी तरह मारा और उनका जो टेन्ट था जो शान्ति से प्रदर्शन कर रहे थे उसको उठाकर जीप में लाये, किसी तरह से वहां बैठने नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं है। इस सम्बन्ध में आप चर्चा उठा रहे हैं।

श्री रामकरण सिंह : मैं व्यवस्था चाहता हूं जो प्रोब्लम्स हैं उनकी सच्चाई की बात हमें मालूम है। अधिकारीगण....

श्री अध्यक्ष : यह बात मेरे कक्ष में आकर कहें, विचार करूंगा।

श्री रामकरणसिंह : धन्यवाद।

श्री शंकर लाल (जैतारण) : सदन में अगर कोई गलत सूचना दें तो ब्रीच आफ प्रिविलेज में आता है।

श्री अध्यक्ष: जानकारी प्राप्त करने के बाद जानकारी दे सकता हूं, अगर ऐसा है तो।

श्री कल्याण सिंह : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामनारायण चौधरी : पहले मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका क्या है ?

प्रश्नों की वापसी या स्थगन

श्री रामनारायण चौधरी : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी : प्रश्न काल में आज एक व्यवस्था हुई उसकी ओर नम्रतापूर्वक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज तक विधान सभा में अथवा संसद में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया और माननीय राजस्व मंत्री महोदय उसका उत्तर देना चाहते थे, उसके पहले माननीय सदस्य ने खड़े होकर आसन से प्रार्थना की कि स्थगित कर दिया जाये। उत्तर आने के बाद कह सकते थे कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाये व इसकी रिपोर्ट पूरी नहीं आई। आज तक किसी भी प्रश्न में ऐसा नहीं हुआ ..

श्री अध्यक्ष : कौन से प्रश्न के संबंध में ?

श्री रामनारायण चौधरी : प्रश्न संख्या 346।

हो सकता है उन पर कोई दबाव डाला जा रहा हो, उन पर दबाव हो किसी प्रकार का। माननीय सदस्य के नाते वे असमर्थ पा रहे हों। मान्यवर यह मर्यादा के अनुकूल नहीं है। यह गम्भीर प्रश्न पैदा हुआ है। मान्यवर, सदस्य नये हैं, यह मैं मान सकता हूं। यह परम्पराओं का प्रश्न है। आज तक कभी भी संसद के इतिहास के अन्दर इस प्रकार की स्थिति नहीं आई जिस प्रकार आज प्रस्तुत हुई है। इसलिये मैं चाहूंगा इस पर गंभीरता से विचार कर आप अपनी व्यवस्था दें ताकि आगे के लिये मार्ग प्रशस्त हो सके।

श्री मूलचन्द डागा : नियम 43 की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी को तो कहने दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : हमारा कहना यह है कि इसी प्रश्न के बारे में . . .

श्री शंकरलाल : इसी प्रश्न के संबंध में मेरा यह निवेदन है कि जो नियम 43 है उसके अनुसार कोई सदस्य उस बैठक से पहले, जिसके लिये उसका प्रश्न सूची में रखा गया है, किसी भी समय सूचना देकर अपने प्रश्न को वापस ले सकेगा या उस सूचना में उल्लिखित किसी बाद के दिन के लिये स्थगित करा सकेगा और बाद के ऐसे दिन वह प्रश्न, नियम 34 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए . . .

श्री अध्यक्ष : यह कौनसा नियम पढ़ रहे हैं ?

श्री शंकरलाल : नियम 43, प्रश्नों की वापसी या स्थगन माननीय रामनारायणजी ने जो बात उठाई है वह बात ठीक नहीं है। अपने प्रश्न का जवाब पूछना नहीं चाहते तो नियम 43 में स्पष्ट है। इसलिये आपने जो फर्माया जब माननीय सदस्य ने यह कहा . . .

श्री मन्जूर अली (सवाई माधोपुर) : ऑन ए पॉईन्ट ऑफ ऑर्डर। रामनारायण जी ने जो पॉइन्ट उठाया है, ऐसा हो नहीं सकता। इससे पर्पज ही फस्ट्रेट हो जावेगा।

श्री शंकरलाल : उन्होंने स्थगित कराया है नियम 43 के तहत, वह अपने प्रश्न का उत्तर नहीं चाहते, इसलिए स्थगित कराया। आपने उस समय जो व्यवस्था दी, वह व्यवस्था ठीक थी।

श्री मूलचन्द डागा : यह बात ठीक नहीं है . . .

(व्यवधान)

सवाल यह नहीं है, सवाल यह है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य डागाजी, माननीय सदस्य श्योपत सिंह जी।

श्री मूलचन्द डागा : There is a proviso in rule 43 to which I am inviting your attention. It says, "Provided that a postponed question shall not be placed on the list until four clear days have expired from the day when the notice of postponement has been received by the Secretary." So once it has been tabled in the House, he cannot request to postpone it.

श्री मंजूर अली : . . . . अध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री मंजूर अली।

श्री मंजूर अली : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इसी रूल की ओर आकर्षित करता हूं —

Rule 43 says that a member may, by notice, given at any time before the sitting for which his question has been placed.....

श्री अध्यक्ष : A notice has been duly received by me.

श्री मंजूर अली : Before the sitting ?

अध्यक्ष : es. I am going to convey this sense to Shri Ram Narayan Chaudhary in no mistakable terms.

माननीय सदस्य मेरा यह निवेदन करना है स्पष्टीकरण के रूप में कि इसी तरह का प्रश्न 23 तारीख की सूची में है। माननीय प्रश्नकर्ता ने कहा 23 तारीख की सूची में यह प्रश्न है इसलिये इसे स्थगित कर दिया जाय। लेकिन जो मुद्दे आपने उठाये वे भी विचार के योग्य हैं। मेरा जो निर्णय है वह मेरी अक्ल-तमीजी के अनुसार ठीक है।

श्री रामनारायण चौधरी : हाउस की तरफ से विचार सुझाना....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको पता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह आभास नहीं था, माननीय सदस्य सदन में हैं। यह बात चली जब प्रश्न काल था.....

(व्यवधान)

जब माननीय सदस्य ने कहा, ..

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल दरअसल स्थगित नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न डाई आउट हो गया और 23 तारीख को ले लिया जायगा।

विशेषाधिकार प्रश्न।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का हक है।

माननीय अध्यक्षजी, मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि पवाना मण्डी को नगरपालिका क्षेत्र, मुकन्दगढ़ में जो आपातकाल के दौरान असंवैधानिक और अनियमित रूप से मिलाया है, 16 तारीख को पवाना मण्डी में 6-7 हजार वहाँ के लोग और 6-7 हजार अन्य किसानों एवं ग्रामवासियों ने उसके विरोध में प्रदर्शन किये। प्रदर्शन के बाद एक संघर्ष समिति बनाई। 16 तारीख से दो व्यक्ति क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुये हैं। जब तक उनकी मांग पूरी न हो जायेगी तब तक वे क्रमिक भूख हड़ताल चालू रखेंगे। इस विषय में माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से मेरा यह निवेदन है, अभी सभी पंचायतों में चुनाव हुये थे लेकिन इस पंचायत के मतदाताओं ने चुनावों का बहिष्कार केवल इस ग्राउण्ड पर किया कि पवाना मण्डी ग्राम पंचायत क्षेत्र में आती है और जिससे ग्राम पंचायत का एरिया लगा हुआ है, बिल्कुल कन्टीनुअस है, उस मण्डी के उस समय कुछ निहित स्वार्थों के आधार पर, निहित स्वार्थी लोगों के कहने के अनुसार, नगरपालिका क्षेत्र मुकन्दगढ़ में मिला दिया गया था। इस बात को लेकर पंचायत ने बहिष्कार किया और आज तक वहां चुनाव नहीं हुए।

श्री सूर्यनाराय चौधरी : उस समय मन्त्री कौन था स्वायत्त शासन का ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपातकाल में की गई ज्यादतियों को आपने दुरुस्त किया है, ठीक किया है आप

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

जानते है जब अन्धकार होता है और अन्धकार में तलवार चलती है तो अपने और पराये की पहचान नहीं होती है । बिना सोचे समझे आपातकाल के दौरान जितने काम किये गये उनको आपने ठीक किया है । मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं इस पवाना मण्डी को जो नगरपालिका क्षेत्र मुकन्दगढ़ में मिलाया है उस गलती को भी आप दुरुस्त करें । किसी क्षेत्र को नगरपालिका में मिलाने का एक प्रोसीजर होता है, बाकायदा गजट नोटिफिकेशन होता है, लोगों की आपत्तियां सुनी जाती हैं और हियरिंग होती है उसके बाद ही कहीं फैसला होता है । लेकिन इस मामले में न कोई आपत्ति सुनी गई, न गजट नोटिफिकेशन हुआ और न लोगों की हियरिंग हुई, राज्य सरकार में क्योंकि उस समय सारी शक्तियां केन्द्रित थीं और बिना प्रोसीजर अडाप्ट किये जो कुछ सोचा, कर दिया और बिल्कुल अनुचित एवं असंगत कर दिया । माननीय अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगी सन् 1964 में एक बार पहले भी इस प्रकार का मूव चला था तब भी नगरपालिका, मुकन्दगढ़ के अध्यक्ष ने यह प्रश्न उठाया था और कहा था कि इस क्षेत्र को नगरपालिका, मुकन्दगढ़ में मिला दिया जाय, क्योंकि इसके मिलाने से उनकी आमदनी में काफी अच्छा इजाफा होता था । सन् 1964 में तत्कालीन जिलाधीश महोदय ने वहां के लोगों की राय जानकर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की थी । उसमें लिखा था, न यहां लोग चाहते हैं और न मण्डी के हित में है इसलिये नगरपालिका, मुकन्दगढ़ में इसे नहीं मिलाया जाय । तब सन् 1964 में पवाना मण्डी, जो पंचायत का हैडक्वार्टर है, केन्द्र है, उस पर यह मण्डी है, को उससे अलग रखने का फैसला किया था लेकिन आपातकाल के दौरान जनता को सूचना दिये एवं जनता की राय लिए बिना जिस तरह फैसला किया उससे न केवल पवाना ग्राम पंचायत के लोगों में बल्कि आसपास के लोगों में भी भारी रोष है । 16 तारीख को प्रदर्शन किया, डिमोन्स्ट्रेशन किया, जुलूस निकाला और इस सम्बन्ध में एक संघर्ष समिति भी बना ली गई । वह संघर्ष समिति आगे का प्रोग्राम चाक-आउट करेगी और बराबर 2-2, 4-4 आदमी क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे । मैं चाहती हूं वहां इस प्रकार की हालत हो रही है इसलिए राज्य सरकार को तुरन्त हस्तक्षेप करके मंडी को नगरपालिका, मुकन्दगढ़ से अलग करके वहां के लोगों को सन्तोष देना चाहिये । लोकतन्त्र में सभी को अपनी आवाज उठाने की स्वतन्त्रता है, इसके आप विशेष रूप से हामी हैं । राज्य सरकार को उसी समय पता लगाना चाहिये था कि आखिर वहां के मतदाताओं ने चुनाव का बहिष्कार क्यों किया ? मैं इतनी ही बात कहती हुई माननीय स्वायत शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगी कि यह बहुत गंभीर मामला है, अवश्य शीघ्रातिशीघ्र इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करें और मंडी को नगरपालिका मुकन्दगढ़ से अलग रखें ।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन में गलत तथ्य प्रस्तुत करना

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है ।

कल यहां पर खेतड़ी के सम्बन्ध में एक

(श्री कल्याणसिंह सांखला)
चर्चा चली थी। माननीय सदस्यों ने उसे उठाया था। लोकसभा में गृह मंत्रीजी के बयान के बाद जिन सदस्यों ने चर्चा उठाई, उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि वह घटना बिल्कुल गलत थी। अतः मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं....

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : पूरी बात सुन लीजिये।

श्री कल्याणसिंह सांखला : यहां भी माफी मांगें और त्याग-पत्र का ऐलान करें। यही उचित होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर तो है नहीं। मानना और न मानना तो माननीय सदस्यों के अधिकार की बात है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस तरह से बात कह कर सदन को गुमराह कर रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री कल्याणसिंह सांखला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हाउस को गुमराह किया है और केवल सरकार को बदनाम करने की नियत से कल सब कुछ कहा था...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, This no point oforder.

श्री दुलाराम : जिन सदस्यों ने आज फिर इस पाइन्ट को उठाया है उनको माफी मांगनी चाहियें...

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा निवेदन है कि खेतड़ी में महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। महिलाओं के नाम पर जो राजनैतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, इसके लिये इनको माफी मांगनी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : क्यों मांगें माफी। कल मुख्य मंत्री ने हुक्म दिया...

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सदस्य को माफी मांगनी चाहिए। कल महिलाओं का नाम लेकर उनको बदनाम करने की कोशिश की है...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : कल मुख्य मंत्री ने जांच के लिये आदेश दे दिये थे। जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आती है माफी मांगने का प्रश्न नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वहां से आदमी आये हैं उन्होंने बताया है कि वहां पर इस तरह की कोई घटना नहीं हुई।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़े अफसोस की बात है कि सतारूढ़ दल के मुख्य मंत्री ने कल घोषणा कर दी जांच की...

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

(व्यवधान)

जो संभ्रात परिवार की औरतें थीं, अच्छे परिवार के लोग हैं वे कभी भी इस बात की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करायेंगे।

श्री नवनीत पालीवाल : तब फिर आपको पता कैसे चला ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : वहां के लोगों ने कहा है। यह आप गलत कह रहे हैं कि वहां महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ। सरकार उन लोगों को बचाना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं कि यह काण्ड हुआ है इसको इन्क्वायरी होनी चाहिए।

श्री रतनलाल वर्मा : यह बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, वहां कोई दुर्घटना नहीं हुई।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप झूठ कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : बिल्कुल झूठी बात कह कर सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : कल लोकसभा में गृह मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है वह यहां के गृह मंत्री के स्टेटमेंट के आधार पर दिया है। राजस्थान के गृह मंत्री के स्टेटमेंट को ही दोहराया है जब यहां पर राजस्थान के गृह मंत्री ने स्टेटमेण्ट दिया उसके बाद मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि मैं इसकी जांच कराऊंगा तो यह बात यहीं खतम नहीं हो जाती है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह बिल्कुल झूठ है कि वहां पर इस तरह की कोई घटना हुई है। अखबार में प्रकाशित एक पत्र के आधार पर इन्होंने यह बात कही है, इनको माफी मांगनी चाहिए।

श्री जयकृष्ण शर्मा : हम कहते हैं कि यह बात बिल्कुल सत्य है, इसलिए आपसे माफी मांगने को तैयार नहीं हैं। जो कहते हैं कि माफी मांगो, उनको माफी मांगनी चाहिए।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मुख्य मंत्रीजी ने जब घोषणा कर दी इंक्वायरी की तो कल ही मेटर समाप्त हो चुका था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माफी मांगने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य हमारे पर हमला करने को उतारू हो रहे हैं, आप हमारी रक्षा करें।

श्री दुलाराम : जो इंक्वायरी का निर्णय किया गया है उसको प्रिजुडिस करने के लिए, लोगों पर दबाव डालने के लिए कि वे बयान न दें, यह सब बातें कही जा रही हैं। वहां से कुछ लोग दबाव डालने आए हैं और उनके दबाव में आकर ही यह बातें कही जा रही हैं....

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : 26 तारीख से अभी तक आप कहां थे ?

श्री दुलाराम : आप भी कहां थे ?

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक खुद ही इस तरह

Page No. 40

(40)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
से खड़े होकर कहते हैं यह उचित नहीं है। सत्ता पक्ष की तरफ से इस तरह की बात हुई है....

(व्यवधान)

आप इस तरह से आक्षेप कर रहे हैं...

श्री दुलाराम : क्यों पीछे-पीछे घूमते फिरते हो? क्यों उनके पीछे पीछे घूमते हो..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही को कुछ आगे भी तो चलाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : सदन को इन्होंने गुमराह किया है, इनको माफी मांगनी चाहिए। हमने सही घटना रखी है।

श्री रतनलाल वर्मा : आपने सदन को गुमराह किया है और बिलकुल झूठ बात कही है। बिलकुल झूठी बात है..

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : सदन को गुमराह नहीं किया है। आपके गृह मंत्री ने इसको माना है।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : कल इस पर चर्चा हो चुकी है, सदन में इस बात को उठा कर जो बयान देना चाहते हैं उनको दबाना चाहते है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री मूलचन्द डागा : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर...

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : आप झूठ कह रहे हैं, खेतड़ी में कुछ नहीं हुआ।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सब बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस उग्रता के वातावरण को समाप्त करें और सदन की कार्यवाही आगे चलने दें। जो प्रश्न उठाया गया है, कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता। माफी मांगना, नहीं मांगना यह आप सब माननीय सदस्यों के अधिकार की बात है इससे किसी को क्या लेना। शासनारूढ़ दल की ओर बैठे माननीय सदस्य माफी की डिमाण्ड किसी से नहीं कर सकते। इसमें कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर अराइज नहीं होता। अब आप सदन की कार्यवाही आगे चलने दें।

श्री मूलचन्द डागा : जो इन्क्वायरी चल रही है वह इससे कन्फ्यूज होगी...

श्री अध्यक्ष : कौनसी इन्क्वायरी ?

श्री मूलचन्द डागा : जो कल मुख्य मंत्री ने हुक्म दिया कि इस घटना की जांच कराई जाएगी उसको प्रिजुडिस करने के लिए इन्होंने इस प्रकार की बात कही है..

श्री अध्यक्ष : मैं जिम्मेदारीपूर्वक आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री

(श्री अध्यक्ष)

का आश्वासन है वह सही है। उस आश्वासन के अनुसार ही सरकार कार्यवाही करेगी। जो कुछ भी अभी यहां पर कहा गया है यह अनधिकृत है, अवांछनीय है और अनुचित है। . .

गृह मंत्री कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए।

श्री रणजीतसिंह : आगे चलिए साहब।

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री, अब आगे चलें, ये भी आगे चलने को तैयार हैं।

श्री सम्पतराम : एक संक्षिप्त।

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्षजी, मैंने कल भी दोनों तरफ के माननीय सदस्यों की भावना सुनी। यह निश्चित बात है कि जैसे माननीय रामनारायणजी ने भावना व्यक्त की, इस प्रकार की घटना दरअसल बड़ी अशोभनीय और बड़ी शर्मनाक है। दुःख की बात यह है कि जब तक इत्मिनान न कर लिया जाय और सत्यता का यकीन न हो इसके पहले इस तरह का वातावरण बनाना चाहते हैं। मैंने तथ्यात्मक रिपोर्ट जो हुई थी वह सदन के सामने पेश कर दी। उस पर यकीन करना चाहिए।

श्री वृत्ताराम : मुख्य मंत्रीजी ने उसको नहीं माना....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आपका निर्णय हो चुका है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

They are not in a mood to listen to you.

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : आप स्टेटमेंट देकर एडिशनल आई.जी.पी. पर प्रभाव डालने जा रहे हैं....

श्री सम्पतराम : मेरी मोरल ड्यूटी थी। और भी जाँच करा लेंगे। माननीय सदस्य कह रहे हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मुझे दुःख है कि जो यहां पर कहा है आपने जान-बूझकर प्रोपेगण्डा किया था...

श्री मूलचन्द डागा : यह मामला और भी गम्भीर है...

(व्यवधान)

एडिशनल आई.जी.पी. से इन्क्वायरी करा रहे हैं तो वह प्रिजुडिस होगी। जुडिशियल इन्क्वायरी करायें। यह मामला और भी गम्भीर हो गया है....

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : इन्क्वायरी कराने के लिए कहा गया है तो इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करायें। नहीं कराते हैं तो यह गलत बात है। मुख्य मंत्री ने कह दिया और अध्यक्ष महोदय ने कह दिया है कि अब

Page No. 42

(42)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मुख्य मंत्री ने कह दिया था कि जांच होगी तो फिर होगी....

(व्यवधान)

गृह मंत्री चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री बालकृष्ण यादवी : उनको माफी मांगनी चाहिए, सदन से माफी मांगनी चाहिए...

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : जब मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया कि इन्क्वायरी करायेंगे तो गृह मंत्रीजी...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अब तो आई.जी.पी. की इन्क्वायरी कोई मायने नहीं रखती है, जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह हमेशा हाउस का अपमान करते हैं... ;

(व्यवधान)

यह सदन की गरिमा के लिए उपयुक्त नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं। इनको सदन का अपमान करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए.....

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : यह हमारा अधिकार है....

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह सदन का अपमान है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 12.45 बजे 15 मिनट के लिए स्थगित हुई)

(विधान सभा की बैठक पुनः म. प. 1.00 बजे प्रारम्भ हुई)

(श्री रामचन्द्र उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री सुखलाल सेणचा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो चर्चा चल रही थी...

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष-महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए और स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 1-00 बजे 15 मिनट के लिए स्थगित की गई)

(विधान सभा की बैठक पुनः म. प. 1.28 बजे प्रारम्भ हुई)

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा चल रही थी ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले खेतड़ी वाले मामले के बारे में फर्मा दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि खेतड़ी के संबंध में जो कुछ भी घटना हुई थी, उस बारे में ट्रेजरी बेंचेज और विपक्ष के बीच में बातचीत हुई। मैं आशा करता हूं कि मुख्य मंत्री के लौट आने तक कम से कम आज सदन में इस समस्या को पुनरावृत्ति के रूप में नहीं उठाया जाएगा। अतएव मेरा निवेदन है कि स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा प्रारम्भ कर सदन की कार्यवाही चालू की जाए।

स्थगन प्रस्ताव-आदि पर चर्चा

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : अध्यक्ष महोदय, हमने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। अध्यक्ष महोदय, आज हालात राजस्थान में जगह जगह इस तरह के हो गये हैं कि ऐसा सुनने में आ रहा है जहां देखो वहां पर हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। आज हालात ऐसे कर दिये हैं कि एक तरफ तो जनता सरकार ने गांवों में झूठी घोषणायें करके, झूठे वायदे करके गांवों की गरीब-जनता को फुसला करके उनके साथ में धोखा धड़ी करके उनसे वोट ले लिये और सत्ता में आ गये। अब जिन लोगों ने इनके ऊपर विश्वास करके इन्हें जिताया उनके हौसले पस्त हो गये हैं। अब गांवों में गरीब हरिजनों, पिछड़े वर्ग के लोगों और गरीब किसानों का जीना दूभर हो गया है। एक तरफ तो जनता पार्टी की सरकार ने झूठी-झूठी घोषणायें की, रेडियो से गांवों में गरीबों के भले का प्रचार करके सस्ती वाह वाही लूटी दूसरी तरफ मुख्य मन्त्री जी ने यह अन्त्योदय योजना प्रारम्भ की जिसका कि भयंकर प्रचार किया जा रहा है। जगह जगह अखबारों में भाषण छपवाकर और रेडियो से समाचार प्रसारित करवा-कर ऐसी गलत तस्वीर राजस्थान की दी जा रही है कि मानो गरीब और हरिजन वर्ग के लोगों को एक नयी जिन्दगी दी जा रही है; एक नयी दिशा दी जा रही है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि यह नई दिशा किस तरह से दी जा रही है? आज हरिजनों के साथ अन्याय हो रहा है खुले आम।

अध्यक्ष महोदय, गरीब और पिछड़े लोगों के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कई अच्छे काम किये गये थे। हो सकता है उनमें एकाध काम कोई गलत हो गया हो, पर जिस तरह से 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब लोगों, गरीब हरिजनों को जमीनें दे कर, लोन देकर राहत दी थी। उसी तरह से अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत एक गांव के पांच गरीब परि-वारों को ऊपर उठाने के लिये, उन्हें वापस बसाने के लिये जिनको जमीन चाहिये उन्हें जमीन दी जा रही है और जिन लोगों को कोई धन्धा करना हो उनको धन्धे के वास्ते बैंक से लोन देने की व्यवस्था करने की घोषणायें की जा रही हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ घोषणायें ही हैं। कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस सर-कार ने जिन गरीब लोगों को, कमजोर वर्ग को जमीनें अलॉट कीं, सीलिंग कानून बनाकर लोगों से जमीनें लीं और वह गरीबों में बांटी गयीं, जो लोग गरीब झोपड़ियों में रहते थे जिनके पास जमीन नहीं थी भूमिहीन थे उन्हें सीलिंग कानून बना कर

(श्री रणजीत सिंह)

जमीन अवाप्त करके मुफ्त में नहीं चाहे किश्तों में पैसा लेकर ही दी लेकिन जब से जनता पार्टी फोर्स में आई है तब से गांवों में गरीब लोगों का रहना मुश्किल हो गया है, उनका दिल अत्याचार से दहल रहा है। जगह जगह गरीबों को जो जमीनें अलाट की गयी थीं उनसे छीनी जा रही हैं। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनकी कोई पुकार नहीं सुन रहा है। न पुलिस सुनती है न सरकार सुनती है। अध्यक्ष महोदय, यह जमीनें छीनने वाले कौन व्यक्ति हैं? यह जनता पार्टी के ही नेता लोग हैं। वह कहते हैं कि हमने जनता पार्टी का राज्य बनाया है। तो ऐसी हालत में, अध्यक्ष महोदय, किस तरह काम चलेगा, किस तरह गरीब जिन्दा रह सकेगा, यह तो भगवान ही जाने। जो जनता पार्टी के सदस्य हैं, खास तौर से जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के सदस्य हैं वह अपने मन में इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे वे लोग सत्ता पक्ष में बैठे हों पर मैं और वह लोग भी मन में अच्छी तरह से जानते हैं कि यह जनता पार्टी सरकार गरीब और कमजोर वर्ग के हरिजन लोगों का भला नहीं करने वाली है। उनकी हितैषी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जो किस्सा बता रहा हूं वह एक उदाहरण मेरे क्षेत्र ओसियां के एक गांव मेघ का है जो कि ज़िला जोधपुर की तहसील ओसियां में पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 20-6-76 को एस. डी. एम., जोधपुर ने उस गांव में जाकर भूमिहीन लोगों को, जो कि गरीब थे, हरिजन थे, जमीनें अलॉट कीं। अध्यक्ष महोदय, उन गरीब कमजोर वर्ग के लोगों ने उस जमीन पर दो साल तक काश्त की, उनका जमीन पर कब्जा था पर दो साल तक उनके पास वह जमीन रहने के बाद जनता पार्टी के लोगों ने छीन ली। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने दो साल तक काश्त की, फसल बो ली लेकिन उन्हें बेदखल कर दिया गया। वहां पर इस प्रकार भयंकर लूटमार उन गरीब लोगों के साथ हो रही है। अध्यक्ष महोदय, जो सीलिंग कानून के तहत जमीन अवाप्त की गयी थी, सरकार द्वारा भूमिहीनों को जमीन अलाट की गयी थी उससे पता नहीं अब किस कानून के तहत उनको बेदखल किया गया है? अध्यक्ष महोदय, अगर कोई जमीन सरकार को लेनी है तो ले पर कानून में पहले चेन्ज तो करे। जब तक आप कोई कानून में चेन्ज नहीं करें तब तक आप कैसे उन लोगों की जमीन को अवाप्त कर सकते हैं? ठीक है आपका बहुमत है आप बहुमत के आधार पर सीलिंग का बिल लाइये, आप कानून में चेन्जेज करिये। आप कायदे कानून से तो कोई काम करो यह क्या बात कि आप जनता में तो झूठा ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम गरीबों के मददगार हैं, हम अन्त्योदय योजना में गरीबों को जमीन दे रहे है। आप दे कहां रहे हैं आप तो गरीबों को अलाट की हुई जमीनें ले रहे हैं, छीन रहे हैं। आखिर यह बात कब तक जनता सहन करती रहेगी? अगर गांव में गरीब लोगों की जमीन छीन ली जाय, उनके साथ इस तरह की ज्यादती होती रहे और उनकी कहीं पर सुनवाई नहीं हो, गरीबों की पुकार जनता पार्टी की सरकार न सुने, गरीब कहीं जा कर पुकार भी करे तो सरकार और सरकार के अधिकारी गूंगे की तरह बैठे सुनते

(श्री रणजीत सिंह)
रहें तो, अध्यक्ष महोदय, जो बहुत ही कमजोर वर्ग के लोग हैं जिनके पास कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटाने के लिए पैसे नहीं वे गरीब आखिर कहां जायें गरीबों का हक इस जनता पार्टी के राज्य में छीना जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र ओसियां के गांव का उदाहरण है। वहां पर 12 व्यक्तियों की जमीनें छीन ली गई हैं। उनमें से आठ व्यक्ति तो मेघवाल हैं और दो हरिजन हैं मेहतर, एक सुनार है और एक सुथार है। अध्यक्ष महोदय, सभी कमजोर वर्ग के लोग हैं। वैसे तो मुख्य मन्त्रीजी ने बड़ी ही मेहरबानी की है राजस्थान सरकार का गृह विभाग एक दलित वर्ग के सदस्य को देकर। उनका आशय इसमें शायद यह हो कि हरिजनों के साथ अत्याचार होता है तो कोई शिड्यूल्ड-कास्ट्स के सदस्य को ही गृह मन्त्री बना दो तो शायद पुलिस और दूसरे सम्पन्न वर्ग के लोग बेचारे गरीब लोगों पर अत्याचार नहीं कर सकेंगे अगर ऐसा होने के बाद भी किसी हरिजन पर अत्याचार होता है तो उसकी जिम्मेदारी उस दलित वर्ग के मन्त्री, जो कि गृह विभाग देखते हैं, की होगी। बड़े ताज्जुब की बात हैं, अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में जगह जगह चोरियां हो रही हैं, डाके डाले जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं पर कोई सुनवायी नहीं। चोरियों में किसी भी चोरी का पता नहीं लगता है। आज गांवों में जब चोरी होती है और लोग रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो तुरन्त रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। एफ० आई० आर० दर्ज होने के बाद पुलिस आफिसर उस मुस्तगीस से कहता है कि ठीक है भाई आगे कार्यवाही करेंगे हम पता लगाने की कोशिश करेंगे आप भी पता लगाने की कोशिश करना अगर कोई पता या सुराग लगे तो हमें बताना। पर पुलिस पता लगाने की कोशिश नहीं करती है। फिर, अध्यक्ष महोदय, वह व्यक्ति बेचारा कहीं से पता लगा कर आता है और कहता है, साहब फलां व्यक्ति जिसने चोरी की है, ऐसी मुझे सूचना मिली तब फिर उसका नाम लिखकर यह कह देते हैं, ठीक है भाई उसको बुलाऊंगा, तुम भी आ जाना। फिर पुलिस वाले यह करते हैं कि जिस पर शक होता है उसको बुलाते हैं 11 बजे और जिसके यहां चोरी होती है उसको बुलाते हैं दस बजे एक घन्टे तक उसे बैठाये रखते हैं। जिस पर शक होता है उसे 11 बजे बुलाते हैं। उसको पूछते हैं, भाई फलां जगह चोरी हुई तुम्हें पता है? वह कहता है, हां साहब, हुई थी। तब कहते हैं कि हमको तो तुम्हारे पर ही शक है। तो वह कहता है, साहब मैंने तो चोरी नहीं की। फिर कहते हैं कि तुमने चोरी नहीं की तो लिखकर दे दो। उससे यह लिखा लेते हैं कि मुझे इस चोरी का कोई पता नहीं है। मैंने किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं किया। या कोई जमीन की शिकायत हो तो लिखा लेते है कि मैंने कोई जमीन नहीं छीनी। और उससे दस्तखत करवा कर उसको कहते हैं कि आप जाओ। फिर मुस्तगीस को कहते हैं, भाई उस व्यक्ति ने तो यह कहा है कि वह तो इस बारे में कुछ नहीं जानता है। तब वह मुस्तगीस कहता है कि आप ने उनको मारा पीटा तो है नहीं, आपने उसे डांट डपट नहीं की। तो पुलिस वाले यह कहते हैं कि हम उसको क्यों पीटें? हमें कोई जेल जाना है क्या? यह तो हालत आज मुकदमे की है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई मुकदमे की पैरवी करने को तैयार नहीं है।

(श्री रणजीत सिंह)
इसका कारण यह है कि पुलिस। डीमोरेलाइज हो गई है। यह तो अपनी जान बचाने के अन्दर लगी हुई है। वह जानते हैं, जनता पार्टी के ही लोग हैं जो गड़बड़ियां कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज क्या शहर में, क्या गांवों में इस तरह की चोरियां, और डकैतियां हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जनता पार्टी में वह लोग आगे आ गये हैं जो कि गुण्डागर्दी करते थे। अब उन्हें कोई कहने वाला नहीं है। अब ऐसे हालात हैं कि आप सभी लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, अपने इलाकों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं चोरियों के बारे में।

श्री बालकृष्ण थानवी : क्या आपके कांग्रेस राज्य में एक भी चोरी नहीं हुई थी? आपको मालूम है कि आपके कांग्रेस राज्य में पिछले दस साल में फलौदी में जितनी चोरियां हुई उनमें से एक भी चोरी नहीं खुली थी।

(व्यवधान)

श्री रणजीत सिंह : आपके मन्दिर की जो सबसे बड़ी चोरी हुई थी वह तो खुलवा दी।

श्री शंकर लाल : अध्यक्ष महोदय, हरिजनों के साथ भयंकर अत्याचार हो रहा है। जिन लोगों की जमीनें अभी जनता पार्टी की सरकार ने खोसी हैं क्या वह उन्हें वापस देगी? आप देख लें लिस्ट, इतने हरिजनों की जमीनें छीन ली गयी हैं।

(व्यवधान)

श्री रतनाराम : इसका मतलब है...

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विचार प्रकट करूं...

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मय सबूत के आपके सामने कुछ बातें पेश करना चाहूंगा।

मान्यवर, आज राजस्थान में हरिजनों को किसी प्रकार से संरक्षण नहीं मिल रहा है। गृह मंत्रीजी भी सुन रहे हैं और राजस्व मंत्री जी भी सुन रहे हैं। वे उस पर विचार करके यदि कोई निर्णय लेंगे तो मैं उसका स्वागत करूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस के राज में हरिजनों पर अत्याचार नहीं होते थे, उस समय भी होते थे लेकिन आज ज्यादा बढ़ गये हैं। मैं यह बात इस विधान सभा के सम्मुख इसलिये रखना चाहता हूं, श्रीमान्, ताकि आप कोई ऐसा निर्णय लें जो स्थायी हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम बापिनी, तहसील ओसियां में भूतपूर्व सरकार ने कुछ गरीब हरिजनों को सीलिंग में आई हुई भूमि अलाट की, वह एस. डी. ओ., फलौदी द्वारा दिनांक 20-6-76 को अलाट की गयी थी।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मुझे बीच में टोक देते हैं तो मेरे भाषण का जो फोर्स है वह खतम हो जाता है। तो, मान्यवर, कहने का अर्थ यह है कि गरीब हरिजन व्यक्तियों को जमीन

(श्री दुलाराम)

अलाट की गयी। कुल 12 व्यक्तियों को जमीन अलाट की गयी थी जिसमें से दस तो हरिजन जाति के, दलित वर्ग के हैं व दो कमजोर वर्ग के हैं। (1) कानाराम पुत्र छोगाराम हरिजन, खसरा नम्बर 1063। 4 14) बीघा जमीन अलाट की।

(2) भगाराम पुत्र लालूराम मेघवाल, खसरा नं. 143। 3 14) बीघा जमीन।

(3) भभूता राम पुत्र छोगाराम, खसरा नं. 1063। 9 14) बीघा जमीन।

(4) मोमाराम पुत्र डूंगरराम, खसरा नं. 1063। 6 14) बीघा जमीन।

(5) शंकरराम पुत्र सीमाराम, खसरा नं. 1063। 10 14) बीघा जमीन।

(6) पेमाराम पुत्र उत्माराम, खसरा नं. 1063। 4 14) बीघा जमीन।

(7) बींझाराम पुत्र सीमाराम, खसरा नं. 1063। 12 14) बीघा जमीन।

(8) जेठाराम केसाराम, खसरा नं. 1063। 8 14) बीघा जमीन।

(9) दलाराम टीकाराम भील, खसरा नं. 1013। 115 14) जमीन

(10) भगवान् पुत्र रामपाल, खसरा नं. 1063। 5 13) बीघा जमीन।

श्री मंजूर अली : माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप इनको इतना समय देते रहे तो दूसरों के लिये तो समय ही नहीं बचेगा। इतना समय दे रहे हैं आप इनको।

श्री मदनसिंह दांता : एक सदस्य बोल रहा है तो आप बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : आपका स्थगन प्रस्ताव है क्या ?

श्री दुलाराम : मेरा प्रस्ताव है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दो दो मिनट का समय दिया जाय ताकि दूसरों को भी समय मिल सके।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बीच में मत बोलिये।

श्री खेतसिंह राठोड़ : हरिजनों का सवाल है। कम से कम सुनें तो सही।

श्री उगमराज मेहता : जबरदस्ती उभाड़ रहे हैं बातों को।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : मैं निवेदन करूं....

श्री मदनसिंह दांता : तो क्या कोई बोले ही नहीं ? आप चाहते हैं कि ये नहीं बोलें ?

एक माननीय सदस्य : हरिजन सदस्य बोल रहे हैं। आप इनको नहीं बोलने देना चाहते हैं ?

श्री दुलाराम : जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, दलित वर्ग और कमजोर वर्ग के लोगों को जो जमीन अलॉट कर दी गई थी वह वापस भूतपूर्व जागीरदार के द्वारा

(श्री बुलाराम)

छीन ली गई है । जबरदस्ती इन लोगों का कब्जा हटा कर उनकी खड़ी हुई फसल को भी वे लोग ले गये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि राजाओं के टाइम में भी इस तरह का अत्याचार तो नहीं हुआ करता था जैसा कि आज जनता-पार्टी के राज में हो रहा है । मैं कांग्रेस के राज की वकालात नहीं करता लेकिन आज जितने अत्याचार हो रहे हैं उतने कांग्रेस के राज में नहीं हुए थे । मंत्री परिषद में जो लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा कि कांग्रेस वालों के लिये कुछ भी कह सकते हैं । मैं कह

(व्यवधान)

रहा हूं वह सुनने की कृपा कीजिये ।

भरतपुर का उदाहरण पेश कर रहा हूं। सतवाड़ी-जिला भरतपुर के मजहबी अनुसूचित जाति के दल की ओर से मुझे प्रार्थना-पत्र की कापी मिली है। नई सूची 43 पर मजहबी जाति किन-किन को माना जायगा यह अंकित है। मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस के पक्ष वालों ने कोई गलत काम ही न किया हो । कई काम गलत किये हैं । श्रीमान्, एक मजहबी अनुसूचित जाति है उसने प्रधान मंत्रीजी को, गृह मंत्रीजी को प्रार्थना-पत्र दिये हैं । उसमें मांग की है कि जिन सवर्णों ने, चाहे उसमें राजपूत हो, बनिया हो और कोई सवर्ण जाति का हो जिन्होंने भी अवैध तरीके से उनकी भूमि पर कब्जा किया है उनको वापस भूमि दिलायी जाय । उनको अब तक भूमि वापस नहीं मिली है । पहले वालों ने भी जमीन नहीं दिलायी । अब आपका राज आया है, जनता पार्टी का राज आया है। आपने राजस्व अभियान, अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत भी उनको नहीं सम्भाला । आपको उनको सम्भालना चाहिये था । आप का प्रोग्राम 20 सूत्री प्रोग्राम को नीचे दबाने का था लेकिन वह दबेगा नहीं वह तो उभरेगा । कोई नहीं रोक सकता । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जिन लोगों के पास उनकी भूमि है जिस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने भी कब्जा कर रखा है और आज तक वापस नहीं मिली है वह उनको वापस दिलानी चाहिये ।

• एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सदन में बताना चाहता हूं । जनता पार्टी बनी, खुशी हुई । अल्प संख्यकों के लिए जो आदेश निकले उन्हें पढ़कर खुशी हुई लेकिन जनता पार्टी सरकार के बनने के बाद रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा एक फैसला हुआ उसके बारे में बताना चाहूंगा । सन् 1977, पेज संख्या 479 छोगा पडखना अपील संख्या 27 चित्तौड़गढ़ फैसला 25 4-77 को हुआ । यह जनता पार्टी के जमाने का फैसला है । राजस्व मंडल ने अपील स्वीकार करते हुए हरिजन की जमीन पर सवर्ण को खातेदारी के अधिकार दिए हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें ।

श्री बुलाराम : मेरा निवेदन है कि जिन हरिजनों की जमीनों पर नाजायज कब्जे हुए हैं उनको तुरन्त हटाया जाय । यही सरकार से पुनः निवेदन है ।

श्री रतनलाल वर्मा : संवत् 2015 का कब्जा होगा इसलिये खातेदारी दे दी ।

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं आप आपस

(श्री अध्यक्ष)

में यह तय कर ल और समय का ध्यान रखते हुए चार पांच माननीय सदस्य इस पर बोल लें।

श्री श्योपतसिंह।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे वह शब्द याद आ रहे हैं हमारे मुख्य मंत्रीजी के कि जिस अधिकारी ने भी हमारे किसी हरिजन को, गरीब को बेदखल होने दिया तो वह अधिकारी खुद बेदखल हो जायेगा। यह सबूत मौजूद है। इसमें कुछ इधर उधर की बात नहीं है। तारीख 26-6-76 को सीलिंग से टूटी हुई जमीन का अलॉटमेन्ट हुआ, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर, गांव वापोनी में। अभी स्थगन प्रस्ताव आया है कि 12 लोगों की 165 बीघा जमीन जो कि सीलिंग में निकली थी अलॉट कर दी गयी एस.डी.एम. द्वारा। वह जमीन उनके कब्जे से वापस वहां के जागीरदार ने या जमींदार, ने जिसकी सीलिंग में जमीन कटी थी, जनता पार्टी की हुकूमत बनते ही और ठीक आपकी घोषणा, कि हम उस अधिकारी को बेदखल कर देंगे, के दूसरे दिन ही गरीबों को बेदखल कर दिया। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप बेदखल कीजिए वहां के मौजूदा एस.डी.एम. और तहसीलदार को, ताकि आपकी घोषणा की कुछ कद्र हो। आपकी घोषणाओं का और मंत्रियों का कुछ तो असर हो। आप करिश्मा करके दिखाइये तो सही। आप घोषणा ही घोषणा करें और लोग बेदखल हो जायें तो उनको पूछने वाला कोई नहीं है। एस.डी.एम. कहता है, थोथी घोषणा है। इससे आपकी इज्जत कम होती है। इसलिये आप मेहरबानी करके अपनी घोषणाओं की इज्जत कायम रखने के लिये सबसे पहला काम कीजिए कि अगर वह जमीन उनके कब्जे में है तो आप बातचीत कीजिये। अगर अलॉटीज के कब्जे में नहीं है तो सबसे पहले आप एस. डी. एम. को और तहसीलदार को बेदखल कीजिये, आप उनको सस्पेन्ड कीजिए और फिर जांच कीजिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई: माननीय अध्यक्ष जी, जो मेरा दूसरा स्थगन प्रस्ताव है जोधपुर के गांवों में विश्नोई जाति के गांव हैं......

श्री जयकृष्ण शर्मा: इसी पर बोल रहा हूं मैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस ओर ध्यान दिलाया है। मुझे वह शब्द याद आते हैं 'घटाटोप का राज्य था पहले अब घटाटोप का राज्य भी नहीं है। मैं जौहरियों के जूलूस को देखता हूं, किसान आते हैं तो लाठियां खाते हैं, शिक्षक आते हैं तो उनकी बात नहीं सुनी जाती। न राज्य मजदूर का है, न राज्य किसान का है, न राज्य गरीब का है और न राज्य अमीर का है। तो फिर किसका राज्य है मुझे समझ में नहीं आता......

श्री शंकरलाल: यह शायद ग्रुप राज्य है।

श्री जयकृष्ण शर्मा: ....मुझे बड़ा फख्र था इस बात का कि मेरे ही जिले के और सुलझे हुए व्यक्ति इस राजस्थान के गृह मंत्री बने हैं। उनके मन में टीस है किसानों के लिए क्योंकि वह खुद किसान हैं। किसान भी ऐसे हैं कि बहुत से छोटे मोटे किसान

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

उनकी बराबरी भी नहीं कर सकते । अच्छी खेती करने वाले किसान हैं । अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं । अब उन्हें यह गृह विभाग सौंप दिया गया है । मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूं, जैसे महात्मा गांधी ने पंडित जी को कहा था कि यह कांटों का ताज है, तो, सम्पतरामजी, यह गृह विभाग आपको नहीं दिया, यह तो आपको कांटों का ताज दिया है । क्यों दिया है ? आपकी जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं वह हरिजनों को पसन्द नहीं करते हैं । चाहे शासन में रहने वाले लोग हों या अधिकारी हों । आपने देखा, मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि बीस सूत्री कार्यक्रम में 200 हरिजन परिवारों को बसाने के लिए बापोनी गांव में जमीन दी गयी । एक ही आदमी ने जब जनता पार्टी की सरकार आ गयी तो काश्त कर ली और बाजरा खड़ा रहा । सरकार इस मामले की छानबीन करती रही और उसने बाजरा काट लिया । दस हजार की वह पैदा वाली जमीन है तो वह मुकदमा क्यों नहीं लड़ेगा ? बेचारे हरिजन मुकदमा लड़ने के लिए पैसा कहां से लायें ? अगर आपको अपनी नीति में विश्वास नहीं है तो अपने नेता को हटायें । बैरी आयोग को बैठा दिया, आप उसका इन्तजार नहीं करना चाहते हैं, लेकिन लोग आपकी घोषणाओं का इन्तजार नहीं करना चाहते । सवाल यह है कि यह तो जनता सरकार है । मैंने बार-बार कहा है और फिर कहना चाहता हूं कि आप एक बार योजना को समझ लें । कल आपके लोगों ने भी कहा था और मैं भी कहता हूं कि उस समय जनता के सामने विकल्प के रूप में कोई दूसरा दल नहीं था इसलिए आप आये । आपको सोचना चाहिए कि आज विरोधी पक्ष इतना कमजोर नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं । क्योंकि हमने आजादी के पहले जन्म लिया है, सिद्धान्तों के आधार पर पार्टी का निर्माण किया है, हमने सत्ता के लिए पार्टी का निर्माण नहीं किया । आप खेतों में रहे हैं, सर्किट हाउस में रहे हैं और हलवा और पुड़ी खाई है । हमने जेलों में वह यातनायें सही हैं . . .

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप जेलों की बात कर रहे हैं और हलवा पूड़ी की कह रहे हैं बड़ी हालत खराब रही है . . .

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : तोड़ मरोड़ कर बात कह रहे हैं.....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अब आपका क्या लेना देना ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : एस. डी. ओ. साहब ने उन 12 परिवारों को बेदखल कर दिया, उनकी फसल लूट कर ले गए । फसल लूटने के बाद हमारे मुख्य मंत्रीजी एलान करते हैं और कहते हैं कि मैं पेट से निकलवा लूंगा । कोई बात कहें तो कहते हैं आपके पेट में दर्द क्यों है । हमारे पेट में दर्द है या नहीं, पेट से निकलवा लेंगे लेकिन किसके लिए निकलवा लेंगे ? गरीबों के नाम पर जो जमीन अलॉट की गई उसका अभी खसरा नम्बर आपके सामने माननीय सदस्य ने पढ़कर सुनाया । बड़े अफसोस की बात है कि जिन किसानों का दम भरते हैं, जिन हरिजनों के बारे में

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

यह मानते हैं कि समग्र क्रांति के अनुयायी हैं उन हरिजन के ऊपर जब अत्याचार होता है तो आंखें मूंदकर बैठे रहते हैं और, अध्यक्ष महोदय, कोई उनको राहत नहीं देता। यह समय है। यह पिछड़ा हुआ वर्ग है। आज हमारे समाज के लिए एक तरह से जरूरी है....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : तीन मील दूर हरिजनों की कॉलोनी बनाई....

श्री जयकृष्ण शर्मा : हमने जो कॉलोनी बनाई, उस पर आपने खेती करवा दी...

एक माननीय सदस्य : उनको बेच-बेच कर खा रहे हैं....

श्री जयकृष्ण शर्मा : जनता पार्टी से एक ही बात कहना चाहता हूं इस तरह राज चलने वाला नहीं है कि आप हमेशा कांग्रेस को कोसते रहें। अभी बात आई कहने लगे, सब इन्दिरा गांधी की बदोलत है....

(व्यवधान)

हो सकता है वह दिन आये, जनता पार्टी अपने बाप का नाम बदल दे...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने बदल लिया क्या ?

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऊट पटांग बोल रहे हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जयकृष्णजी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उनको कार्यवाही से निकाला जाये। वे इस बात के लिए सदन से माफी मांगें....

(व्यवधान)

और वे यदि माफी नहीं मांगते हैं तो मैं सदन में भूख हड़ताल करता हूं। इनको अपना स्वाभिमान नहीं, अपने माता पिता का ज्ञान नहीं। इस प्रकार के शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रोसीडिंग्स को देख लूंगा। प्रोसीडिंग्स देखने के बाद जो भी अनपालियामेन्ट्री शब्दों का प्रयोग किया होगा, उनको हटा दिया जायेगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, किसी आधार पर मैंने अपने ख्यालात जाहिर किये हैं। आपकी परम्पराओं का अनुसरण कर रहा हूं। अपोजीशन के नेता की हैसियत से आपने खड़े होकर कहा था, किसी का दिल दुखता है उसके लिये मैं माफी चाहता हूं। उसी का अनुसरण करके उसके लिये मैं माफी चाहता हूं।

यह छोटी-छोटी राजनैतिक हरकतें हैं, कांग्रेस को गालियां देते रहने से कुछ नहीं होगा। अगर इस तरह राज चलता रहा तो आपका राज जल्दी चला जायेगा।

श्री मदनसिंह दांता : इन्होंने क्या कोई हरकत नहीं की है ?

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है, मुझे इजाजत दी जाये।

श्री अध्यक्ष : कृपया दो-दो मिनट बोलें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बहुत टाइम हो गया, डिमाण्ड पर भी बहस होगी ।

श्री अध्यक्ष : आज रात के 3 बजेंगे शायद ।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस बात का है, चर्चा इस बात की है कि राज्य किसी का भी आये लेकिन ऐसा राज्य नहीं देखा । आज गांवों में कितने लोग हैं जो यह समझते हैं कि राज हमारा है ? वे कुछ लोग हैं जिनको इंगित किया जा सकता है । आज जागीरदार कहता है, जितनी जमीन है हड़प लें, राज हमारा है । सही बात है । जो मालदार हैं वे ये समझ रहे हैं कि मौका अब आया है 30 साल के बाद, ब्याज तक हासिल कर लो । यह मौका फिर नहीं आने का । आपको माइनोरिटीज की बात बताऊं, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की बात बताऊं । अध्यक्ष महोदय, अगर सच्चाई सुनने की हिम्मत करते हैं तो मुझे दो मिनट बोलने दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में मैंने सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव दिया था । मेरे इलाके के पिछड़ी जाति के हरिजनों को इस बिना पर नहीं जाने दिया गया क्योंकि उन्होंने वोट किसी जागीरदार को नहीं दिया । अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न उठाया इसी सदन में सबसे पहले वह प्रोसीडिंग्स में है कि किसानों को इसलिये पीटा गया कि उन्होंने वोट नहीं दिया । मैं मांग करना चाहता हूं कि 9 महीने के बाद भी केस का चालान पुट अप नहीं हुआ । यह आपका काम है ? यह आपका पुलिस विभाग है ? यह एक शर्मनाक बात है । हमारा फर्ज है सच्चाई पेश करें । आप उन लोगों को राहत दें । हम झूठे हों तो हमें सदन से बाहर निकाल दें, आप हमको कह सकते हैं कि आपने सारा पब्लिसिटी करने के लिये काम किया । आज सब लोगों ने बताया कि चिटानिया गांव के 12 लोग हैं उसमें अधिकतर शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं उनके साथ क्या हो रहा है । मेरी उनके साथ हमदर्दी है । सरकार को ऐसी बातों पर ध्यान देना चाहिये । लोगों को दी हुई जमीनों पर फिर कब्जा कर लिया । इसीलिये मैं कहता हूं ऐसे लोग हैं जिनको पहले मौका नहीं था । और मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, माइनोरिटीज के बारे में । आपको मैं बताऊं कि रेवेन्यू अभियान में चौहटन बाड़मेर में मुसलमानों कोजमी नें अलॉट हुई लेकिन आपकी सरकार ने, मुख्य मंत्री के इशारे से, कैलाशदान के दस्तखतों से वह रोक दी । आपको शर्म करनी चाहिये इस तरह मुसलमानों के साथ, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के साथ ऐसी बात हो रही है । आपसे बात करने आये तो आपने निगाहें फेर लीं । आपने माइनोरिटी के श्री महबूब अली को मंत्री बनाया...

श्री मूलचन्द डागा: फूल पलेज नहीं...

श्री अब्दुल अजीज : राज्य मंत्री हो, या केबिनेट मिनिस्टर, जो काम नहीं करता है उसको उस पद पर रहने का अधिकार नहीं है । मैं जयपुर के मुसलमानों की बात बताऊं । गिरधारीलाल भार्गव की बात बताऊं । मैं कहना नहीं चाहता था । मैं छोटे-छोटे साम्प्रदायिकता के मामलों में नहीं जाता हूं । कुछ लोग मेरे पास आये उन्होंने कहा कि मस्जिद के पास कुछ लोग मन्दिर बनाना चाहते हैं ।

Page No. 53

53

(श्री अब्दुल अजीज)

मैं बात कह रहा हूं जिसके एम. एल. ए. के इलाके में हो उसकी ड्यूटी है। इनके पास गये तो कहा, वे करेंगे तो करेंगे, मैं क्या करूं ? मैंने कहा, किसी मन्दिर या मस्जिद को बनाने के लिए कलेक्टर के आदेश की जरूरत होती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने कभी नहीं कहा है। यह गलत है। असेम्बली की वजह से जा नहीं सका, यह दूसरी बात है। मेरे क्षेत्र की बात के लिये आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं जिम्मेदार हूं मेरे क्षेत्र के लिये।

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर नहीं हों, माननीय सदस्य। स्थगन प्रस्ताव पर ही चर्चा करें। विषयान्तर न हों।

श्री अब्दुल अजीज : ...उसके बाद काम चलता रहा। ये छोटी-छोटी बातें आपके चित्तौड़ में हो चुकी हैं। हम वहां भी बहुत चिल्लाये। आप सच को सुनना सीखिये....

(व्यवधान)

आप सच सुनने से क्यों घबराते हो ? मैं आपका, सदन का तथा मंत्रिमण्डल का ध्यान उन गरीबों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिनकी जुबान न हो। अगर हमारी तरफ से यह बात आये तो आप विचार करें। मैं फिर कहता हूं आप इस पर विचार करें ....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अरे भाई, आपको सच्चाई सुना रहे हैं। हमको इमर्जेन्सी में कई बातों की सच्चाई का पता नहीं चला, उसी के नतीजे को तो हम भुगत रहे हैं। अगर आप इस तरह की बातें नहीं सुनेंगे तो शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों ने तो आपका साथ छोड़ ही दिया है, और भी लोग आपका साथ छोड़ देंगे।

श्री रतन लाल वर्मा : ये सब बातें अपना नाम अखबार में प्रकाशित करवाने के के लिये हो रही हैं...

(व्यवधान)

कहीं मस्जिद की बात, कहीं चित्तौड़ की बात, कहीं शिड्यूल्ड कास्ट्स और हरिजनों की बात, यह सब क्या हो रहा है ?...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उनको बैठाइये साहब।

श्री अध्यक्ष : अब कृपया इस प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह कोई एक गांव का मामला हो, ऐसी बात नहीं है। राजस्थान में प्रतिदिन आपने सुना होगा हर रोज किसी न किसी जगह इस तरह के झगड़े होते रहते हैं। पिछड़े लोगों की, हरिजन लोगों की अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाता है और जमीनें हड़प ली जाती हैं। सौभाग्य

(54)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)
से गृह मन्त्रीजी विराजमान हैं। गृह मंत्री जी ने भाषण भी दिया था कि हरिजनों को विभाजित करने का प्रश्न पैदा न करें। हरिजनों के साथ कहीं कोई ज्यादती नहीं हुई है और वे वैल प्रोटेक्टेड हैं उनकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। पर यह सर्वथा गलत है। जबकि स्थिति मन्त्री-जी ने कहा उसके विपरीत है।

मैं यह निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैंने रेवेन्यू की डिमान्ड के दिन भी कहा था और मैंने नमूना भी प्रस्तुत किया था कि हरिजनों की जमीनों पर, जिस जमीन पर 10-10 साल से आबाद हैं और काश्त कर रहे हैं, नाजायज कब्जा कर लिया। अब यह एक और ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। बापीना नामक इस गांव में जून, 1976 में अलॉटमेंट हुआ। यह 165 बीघा जमीन है, अलॉटीज के नाम अभी माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये थे। पिछले वर्ष तक वे काश्त करते आ रहे थे। पिछले वर्ष तक सामान्तशाही लोगों की हिम्मत नहीं हुई। अब हिम्मत क्यों हुई? तो, अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत स्पष्ट है, जाहिर है— कांग्रेस सरकार ने सीलिंग का कानून लगाकर जिन लोगों की जमीनें ली हैं, उनको गरीबों को बांटा है। गरीबों को बांटने का प्रमाण यह सामने है जिन लोगों को जमीनें अलॉट हुई, जिन्होंने काश्त की है जनता पार्टी के आने के बाद इतनी क्रूरता से, इतनी बर्बरता से उनसे जमीनें वापस ले ली हैं।

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस मामले की जांच सरकार करा लेगी। मगर गलती हुई है तो एक सप्ताह में पूरी कार्यवाही कर वापस जमीनें उनको लौटा दी जायेंगी।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अब चूंकि मंत्री महोदय ने फर्मा दिया है कि मैं जांच करा लूंगा, इसलिए मैं इतना ही कह कर समाप्त करता हूं कि वर्ष 77-78 की उन्होंने राजस्व रसीदें कटाई हैं वे मेरे पास हैं। चाहे तो मंत्री महोदय सबूत के तौर पर ले सकते हैं। आपके सम्मुख जो जांच आये, मैं निवेदन करूंगा सदन में, वह प्रस्तुत की जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हाउस में प्रस्तुत करें और हाउस में प्रस्तुत न करें तो विधायक को बता दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में विश्नोई पापूलेशन है। वहा मिलिट्री वाले विशेष रूप से हैं जहां मिलिट्री एरिया है वहां स्टेट के टाइम भी कोई हिरण का शिकार करने के लिये नहीं जाता था, यदि कोई जाता और मालूम पड़ जाता तो उसको पकड़ कर सर प्रतापसिंह-जी खेजड़ी के बान्ध दिया करते थे। जब कोई ऐसी बात हो जाती थी तो राजा गांव के सारे लोगों को बुलाता था और कहता था तो लोगों में डर था, उस समय कोई मारने वाला ही नहीं बचता था। राजा द्वारा एक परवाना निकाला हुआ था। मेरे क्षेत्र गुढा में और इधर बीकानेर स्टेट में, बीकानेर के हिज हाइनेस गंगासिंह-जी ने परवाना निकाल दिया था कि विश्नोई पापूलेशन में कोई हिरण का शिकार नहीं करेगा। आपको मालूम है आज भी बिश्नोइयों के गावों में कोई हिरण नहीं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मारता है । यहां तक हालत है, अध्यक्ष महोदय, कोई विश्नोई अपनी आंख से शिकार को नहीं देख सकता है ।

अभी थानवी साहब हैं नहीं, उनको मालूम है । एक विश्नोई लड़का खेत में शिकार करने वाले के पीछे भाग रहा था। पीछा करते-करते शिकारी ने एक हिरण के गोली लगा दी, लेकिन उसको लेकर वह जा नहीं सका । लड़के ने फाइट किया । शिकारी ने गोली लगा दी और वह वहीं मर गया । उस केस का चालान हुआ है या नहीं, पता नहीं । 11 साल का लड़का, इकलौता लड़का मार दिया गया, उसकी मां रोती फिर रही है । वह शिकारी का पीछा करता रहा, रुका नहीं और बराबर उसका पीछा करता रहा । इस प्रकार की उसकी धार्मिक भावना थी, रीलिजियस भावना थी। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की उसकी रीलिजियस भावना थी कि वह हिरण का शिकार अपनी आंखों से देख नहीं सकता था ।

खेजड़ी की कटाई पर, अध्यक्ष महोदय, 88 आदमियों की जानें गई हैं । दूसरी बातों पर तो अनेक मरे होंगे । राजाओं के टाइम पर सरक्यूलर निकाल कर हिरण के शिकार पर रोक लगाई थी । अध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर शीघ्र से शीघ्र पाबन्दी लगाइये । अध्यक्ष महोदय, यह वह कौम है जिनकी पापूलेशन में हिरण घरों से पानी पीकर जाते हैं । झुण्ड के झुण्ड घरों में जाकर पानी पीकर आते हैं, कोई उनको डर ही नहीं है । जहां शिकार नहीं होता, शिकारी नहीं जाते वहां पर हिरण आराम से गांव तक आते हैं । ऐसे सैकड़ों गांव हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से चाहूंगा और विशेषतौर से फोरेस्ट मंत्री से, क्योंकि यह फोरेस्ट से सम्बन्धित मामला है, दूसरे राज्यों ने, हरियाणा, पंजाब ने सर्क्यूलर जारी कर हिरणों का शिकार बन्द कर दिया है। वहां पर हिरण का शिकार नहीं हो सकता । मेरा आपसे निवेदन है कि कई गांवों को खतरा हो चुका है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सैकड़ों आदमी मारे गए हैं इसलिए इस मामले में आप सख्ती से इन गांवों में, सेफ गार्ड करें ताकि शिकार होना बन्द हो जाय । इस मामले में हजारों मुकदमे चल रहे हैं । इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए और विश्नोइयों की धार्मिक भावना को देखते हुए राज्य सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए । वहां शिकार बिल्कुल बन्द कर दें ताकि लड़ाई झगड़े न हों ।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे ही क्षेत्र का मामला है, मैंने ही रखा था ....

श्री अध्यक्ष : आपका इसमें स्थगन प्रस्ताव नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर के आसपास जो लूणी का क्षेत्र आया हुआ है ....

श्री अध्यक्ष : आपका नाम तो हरिजनों की भूमि के सम्बन्ध में है।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह मेरे क्षेत्र का ही मामला है....

श्री अध्यक्ष : हिरणों के शिकार का ?

श्री रामसिंह विश्नोई : जी हां। हिरणों के मामले में ही बोल रहा हूं। मैंने ही नोटिस दिया था. : .

श्री अध्यक्ष : समझ गया।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह जो जोधपुर शहर के आसपास में विश्नोइयों की आबादी के गांव हैं वहां पर मिलिट्री वाले, एयर फोर्स के लोग रात को जीपें लेकर के गांव में जाते हैं और ऐसे असामाजिक तत्व, जो शिकार करते हैं या शिकार खाते हैं, पचासों की संख्या में रात को शिकार करते हैं, जो हिरण रात को स्वच्छन्द रूप से गांव के आसपास घूमते हैं, उनका ये शिकार करते हैं। इस सम्बन्ध में मैंने आपसे निवेदन किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिरण का शिकार करना सामाजिक दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से मना है वैसे तो किसी भी वन्य जीव का शिकार करना हमारे हिसाब से मना है। आप देखेंगे कि गांव के अन्दर जहां पर विश्नोइयों की आबादी नहीं है मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि वहां हिरण देखने को भी नहीं मिलेंगे। जहां तक सरकार का रुख है, सरकार की तरफ से इस पर पाबन्दी है कि वहां पर हिरण का शिकार नहीं हो सकता। विश्नोइयों के गांव में तो किसी कदर भी शिकार नहीं हो सकता। तो जिस समाज के अन्दर, जिस किसी जाति के अन्दर धर्म से और समाज से बन्दिश हो, वहां पर मिलिट्री के आदमी इस प्रकार से जाकर शिकार करें और लड़ाई झगड़े हों, मुकदमे दर्ज हों, हाथापाई हो, मारकूट हो, मुकदमे दर्ज होने के बाद [अधिकारी लोग, एस.पी., कलेक्टर या फोरेस्टर्स से मिल कर मुकदमों को दबा दें, यह न्याय की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से उचित नहीं है। शहर के आसपास से ये मिलिट्री के लोग शिकार के लिए गांव में जाते हैं, हजारों की संख्या में जाते हैं, गाड़ियां और जीपें लेकर जाते हैं और जो हिरण गांव के आसपास आते हैं उनका शिकार करते हैं। गांव के आदमी बोल नहीं सकते क्योंकि ये लोग बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। इस कारण झगड़े भी हो जाते हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार तुरन्त इस सम्बन्ध में व्यवस्था करे। सरकार ने व्यवस्था नहीं की, सरकार ने जांच नहीं की इसलिये गांव के अन्दर असंतोष फैला हुआ है। हमारे पास वासियों तरह के तार आये हैं पांच-सात दिन पहले जिसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ लोग मिलकर, मिलिट्री वाले झुंड आए और तीन चार हिरण मार कर ले गये। मुकदमा दर्ज होता है वह भी रफा दफा हो जाता है। गोली दागने से लोग मरे हैं। रात-दिन ऐसी वारदातें होती रहती हैं, इसलिए आप इसकी व्यवस्था करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

धर्म की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से हिरण का शिकार करना मना है। वन्य जीवों के पालन में आप भी सहयोग देते हैं, आगे होकर लाखों रुपया खर्च करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं, और विश्नोई समाज के लोग भी इसमें आपका सहयोग देते रहे हैं, प्रोत्साहन देते रहे हैं लेकिन ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, राज के आदमी हैं, एयर फोर्स के अधिकारी, मिलिट्री के अफसर हैं, वे गलत तरीके से मिलकर इस तरह की वारदातें करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो अढ़ाई शताब्दी . . . ,

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, किस पर बोल रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : स्थगन प्रस्ताव पर।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल): हिरणों के शिकार पर रोक लगाने पर मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है। माननीय रघुनाथजी ने और रामसिंहजी वगैरह ने हिरणों के शिकार को रोकने के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं सदन का ज्यादा समय खराब करना उचित नहीं समझता। माननीय सदस्यों ने इस पर प्रकाश डाल दिया है मगर मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र में हिरणों का शिकार एयर फोर्स, आर्मी वाले करते हैं वह वास्तव में उचित नहीं है। इस प्रकार के शिकार से दो-चार आदमियों के पहले भी गोलियां लग जाने की वारदातें हो चुकी हैं क्योंकि इन गांवों में विश्नोई जाति का बाहुल्य है और इस समाज में हिरण की इज्जत है। विश्नोई समाज की भावना को ठेस पहुंचाते हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि गांवों में इसका बहुत कड़ाई से पालन किया जाय और शिकार को रोका जाय।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इस पर वक्तव्य दे, इसकी व्यवस्था करे। सदन को बताये कि इस बारे में गवर्नमेंट क्या व्यवस्था करने जा रही है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी के लिए सरकार को भेजा गया है। जानकारी आने पर जो कुछ भी जानकारी मिलेगी उसकी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान में और खास तौर पर जयपुर में अढ़ाई शती मनाई जा रही है और लाखों और करोड़ों रुपया...

श्री अध्यक्ष : आप किस विषय पर बोल रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : जयपुर शहर में अतिक्रमण पर।

अढ़ाई शती के उपलक्ष में करोड़ों रुपया शहर को सुन्दर करने के लिए खर्च किया जा रहा है, दूसरी और रातों-रात न जाने किन राजनीतिक संरक्षण के कारण बड़े-बड़े मकान खड़े हो रहे हैं। इस अतिक्रमण के कारण जयपुर शहर के अन्दर जो बड़े-बड़े बाजार हैं अच्छी-अच्छी जगह हैं उनका सौन्दर्य नष्ट हो रहा है। एक समय लोगों ने यह बात कही थी कि आपातकाल में जयपुर शहर का सौन्दर्य, उसकी खूबसूरती बढ़ाई जा रही थी। आज जब कि अढ़ाई शती मनाई जा रही है, जानबूझ कर हजारों शहर के भीतरी रास्तों में और आम बड़े-बड़े बाजारों में अतिक्रमण हो रहे हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तरफ राज्य सरकार लाखों करोड़ों रुपया पर्यटकों से कमाना चाहती है, जयपुर को सुन्दर बनना चाहती है दूसरी ओर अतिक्रमण कर रहे हैं, कमरे बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, उनको रोकने में, उनके अतिक्रमण रोकने में सरकार असफल रही है और जानबूझकर उन लोगों को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि या तो चुनाव को लड़ने में इनको मदद दी है, या वह घटक के हैं, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में कदम उठावे और सदन में स्टेटमेंट दे कि जयपुर शहर के अन्दर कितने मकान नगरपालिका से, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से बिना इजाजत लिये बना लिये गये, कितनों

(श्री मूलचन्द डागा)
को आपने हटाया और हटा कर वापस शहर की खूबसूरती को कायम रखा। यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। आपने इस पर जानकारी मांगी है। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में विशेष प्रकार की सख्त कार्यवाही की जावे ताकि शहर का सौंदर्य नष्ट नहीं हो।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने भी एक प्रस्ताव, श्रीमान्, प्रस्तुत किया था।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपका प्रस्ताव अस्वीकार किया है।

श्री रामनारायण चौधरी : अस्वीकार किया है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं बहुत संक्षेप में।

श्री अध्यक्ष : केवल दो मिनट।

श्री रामनारायण चौधरी : केवल दो मिनट में ही।

मान्यवर, मैंने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, लाठी चार्ज, टीयर गैस इन जयपुर, इन लखनऊ। लाठी गोली की यह सरकार जयपुर में किसानों को प्रदर्शन नहीं करने देती, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने आवें तो उन पर लाठी चार्ज करती है, सरकार उनसे मिलती नहीं है। दस करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश राज्य, जहां की जनसंख्या में अस्सी प्रतिशत किसान हैं, में कल वहां के किसान एक बहुत बड़ा प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर यू.पी. की सरकार के सामने करना चाहते थे। उनके रास्ते बन्द कर दिए गए, वहां पहुंचने नहीं दिया गया और लाठी चलाई गई, टीयर गैस छोड़ी गई, ग्रेनेड छोड़े गये। वहां काश्तकार घायल हुए। 107 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुए। कईव्यक्ति हॉस्पिटल में हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी, कांग्रेस पार्टी के लीडर और वहां की विधान सभा के भूतपूर्व स्पीकार श्री वासुदेव शरण सिंह जैसे व्यक्तियों को चोटें आई हैं। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के 45 लाख किसान परिवारों की हमदर्दी उत्तरप्रदेश के किसानों के साथ है। इसलिए मेरी मांग है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार अपने यहां जो रिजेंटमेंट है उसके बारे में भारत सरकार को लिखे। वहां पर किसानों की, गन्ना उत्पादकों की समस्या है उसको हल करे। किसान तबाह हो रहे हैं और वहां पर 4) रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से गन्ना बिक रहा है। जितने गन्ना उत्पादक हैं वे परेशान हैं। यह न केवल यू.पी. में ही हो रहा है यहां पर भी यह लाठी, गोली चलने वाली जनता पार्टी की सरकार है इस सरकार के लोग कभी इसका विरोध किया करते थे, किन्तु आज उनकी सरकार किसानों की वाजिब मांगों को लेकर उन्हें प्रदर्शन नहीं करने देती है, सड़कों पर चलने नहीं देती है और प्रदर्शन करते हैं तो 144 की धारा लागू कर देती है, सर पर लाठी का प्रहार करती है। हम यू. पी. की घटना की, मान्यवर, भर्त्सना करते हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : वाक आउट तो नहीं करेंगे।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित लेख

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार प्रस्ताव।

(व्यवधान)

मुझे पढ़ लेने दें। माननीय श्री मूलचन्द डागा एवं श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 160 के अन्तर्गत दैनिक राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित लेख के लेखक श्री कपूरचन्द कुलिश व उक्त पत्र के प्रबन्धक और मुद्रक के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की सूचना दी है। मैंने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के नियम 157 के अन्तर्गत इस प्रश्न को उठाने के लिए अपनी सहमति दे दी है। अतः मैं श्री मूलचन्द डागा एवं श्री हरजीराम बुरड़क से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विशेषाधिकार प्रश्न को उठाने के लिए सदन की अनुमति मांगें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। श्रीमन् भारतीय संसद प्रणाली के अनुसार आसन द्वारा दी हुई व्यवस्था के ऊपर न तो पुनर्विचार किया जा सकता है.......

श्री रामनारायण चौधरी : कौन से नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं ?

श्री टीकमचन्द कान्त : संसदीय प्रणाली।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : न उसके खिलाफ अपील की जा सकती है, और न उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा सकता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार आसन द्वारा दी गई व्यवस्था की अवहेलना की जा रही है। एक बार जब प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया तो उस पर पुनर्विचार करने की अपील करके स्वीकार कराना संसदीय प्रणाली के विरुद्ध है। आसन के द्वारा दी गई व्यवस्था के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है, लेकिन किसी पत्र में कुछ निकलने के कारण यह किया जा रहा है। मैं आपके सामने संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार के पेज 248 का एक अंश प्रस्तुत करता हूं—

"यह बात सभा की गरिमा के अनुकूल नहीं है कि प्रत्येक ऐसे मानहानि कारक वक्तव्य के बारे में दण्ड देने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाय, जो विशेषाधिकार भंग की परिभाषा में आती हो। समिति, यह तो मानती है संसद का कर्तव्य है कि जहां उस पर ऐसे आक्रमण किये जायं जिनसे कि संसद में जनता का विश्वास कम हो जाय या लोग उसका समर्थन करना छोड़ दें, वहां पर कार्य करे लेकिन हमारा विचार है कि इस बात का भी बड़ा महत्व है कि संसद के विशेषाधिकार सम्बन्धी कानून को इस ढंग से लागू नहीं करना चाहिए कि स्वतन्त्र रूप से विचार प्रकट करने या आलोचना करने में बाधा पड़े या उसके लिए व्यक्ति निरुत्साहित होते हों वह आलोचना और विचार चाहे कितने ही अतिशयोक्तिपूर्ण तथा पूर्व धारणाओं पर आधारित क्यों न हों। इसके साथ ही संसद की जांच की प्रक्रिया का प्रयोग इस ढंग से नहीं होना चाहिए कि उससे गैर जिम्मेदारी से कही गई बातों को महत्व मिले।"

(60)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

टाइम्स ऑफ इंडिया और डेली टेलीग्राफ में कुछ ऐसी बातें छपी थीं जिनमें विधान सभा के आचरण तथा अध्यक्ष की निष्पक्षता पर आरोप लगाया गया था। उन पर केन्द्रीय धारा सभा में वाद-विवाद उठाया गया। एक प्रस्ताव की सूचना दी गई जिसमें कहा गया था कि सभा इन आक्षेपों की कठोरतम निन्दा करे। इस संबंध में अध्यक्ष श्री पटेल ने अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी कहा :–

"मैंने हाल ही में यह राय प्रकट की है कि विधान सभा को यह जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है कि यदि उस पर या अध्यक्ष पर कोई आक्षेप हो तो यह प्रस्ताव पास करके उसकी निन्दा कर सकती है। इसके साथ ही मेरी स्पष्ट राय है कि ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण बहुत ही असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि अध्यक्ष से यह आशा करना सभा की कार्यवाही और सौम्यता से मेल नहीं खाता कि वह प्रश्नों का उत्तर दे और बहस में पड़े। इससे अध्यक्ष की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती है। इसलिए ऐसी प्रक्रिया को अच्छा नहीं समझना चाहिए और इसे निरुत्साहित करना चाहिए।"

श्रीमन्, केवल [illegible] ने एक आइटम निकाल दिया उसके लिए अगर हम इस सदन में इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो जिस तरह से आपातकाल में स्थिति थी कि अखबारों का गला घोंट दिया गया था, उसी प्रकार गला घोटना चाहते हैं ताकि वह स्वतन्त्र राय नहीं दे सके।

श्री मूलचन्द डागा : आप स्पीच दे रहे हैं या अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहे हैं ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : श्रीमन्, यह चाहते हैं...

श्री मूलचन्द डागा : व्यवस्था का प्रश्न है तो किस रूल के नीचे बोल रहे हैं ? बतायें। आप समय नहीं दे सकते।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जिसको एक बार अस्वीकार कर दिया गया उसको पुनः स्वीकार नहीं करने के बारे में मेरे व्यवस्था के प्रश्न का ताल्लुक है।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, एक दफा जब आसन ने आज्ञा दे दी है तो मैं उसे उठा रहा हूं। उसके बाद में आसन जैसा हुक्म देगा उसकी अनुपालना करूंगा। उसके बाद जांच हो जायेगी। मैं आपकी सेवा में रख रहा था...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपने इनको सुनकर व्यवस्था दे दी। उसके पहले अखबार के सम्पादक को भी बुलाते और उसकी राय लेते।

श्री मन्जूर अली : वह तो बाद की स्टेज है। जो प्रणाली है उसमें साफ लिखा है, प्रिविलेज मूव करने की स्पीकर की इजाजत के बाद माननीय सदस्य लीव ग्रांट करने की प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में कोई आपत्ति होगी तो सुनी जावेगी।

श्री शंकरलाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपकी व्यवस्था हो गई है कि इस प्रश्न को उठाने दिया जाय तो उठाने की बात तो उचित है। अब वह सदन की सम्मति चाहते हैं, इस पर विचार

Page No. 61

(61)

(श्री शंकरलाल)

करना चाहते हैं, तो वह कहां तक उचित है? मैं यह नहीं कहता कि जो व्यवस्था आपने डिटेल में दे दी, उस पर आगे विचार किया जाय। आपकी व्यवस्था होने के बाद उसको चैलेन्ज कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। आपने स्वयं ने जो व्यवस्था दी है वह उचित है। सदन में प्रिविलेज मोशन उठाने के बाद उस पर विचार होगा। उस पर हम भी बोलेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 160 के अन्तर्गत दैनिक "राजस्थान पत्रिका" में प्रकाशित लेख के लेखक श्री क. च. कुलिश व उक्त समाचार-पत्र के प्रबन्धक और मुद्रक के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की आज्ञा चाहता हूं।

इसके लिए आपने जो आज्ञा दी है और जो पहले आज्ञा दी उसके लिए मैं आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष : आप इस सम्बन्ध में दो मिनट बोलना चाहें तो बोल लीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, 7 मार्च, 1978 की "राजस्थान पत्रिका" में एक लेख श्रीमान् कपूरचन्दजी कुलिश के द्वारा निकाला गया है। मैं उसके सारे डिटेल में जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं उसके जरूरी अंश आपकी सेवा में पेश करना चाहता हूं :

"विधान सभा में जनता पार्टी के विधायकों का जो रवया देखने में आया उसे देखकर यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि समग्र क्रान्ति के सूत्रधार जयप्रकाश नारायण के किये करायें पर हाथों-हाथ पानी फिर गया।"

"सचमुच शर्मनाक रवैया है। शर्मनाक इसलिए नहीं कि वे खुले आम कटुभाषा में सरकार पर तीखे प्रहार करते हैं बल्कि इसलिए भी कि इस रवैये के पीछे कुर्सी की भूख है। कुर्सी की यह भूख इस भद्दे तरीके से प्रकट हो रही है जैसे कि जन्म-जन्मान्तर के भूखे को रोटी सामने नजर आई हो।"

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था..

श्री शंकरलाल : इसमें तो जनता पार्टी के विधायकों के लिए कहा है।

श्री मूलचन्द डागा : "कई बार तो सदन के नेता को कुर्सी भी खाली नहीं मिलती। मुख्य मन्त्री भैरोंसिंह शेखावत जब कभी अपने चैम्बर से सदन में आते हैं तो बहुधा उनकी कुर्सी पर कोई न कोई विधायक बैठा हुआ अपने कुर्सी-प्रेम की पूर्ति करता है।"

श्री शंकरलाल : यह तो सच है।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, यह सोचा जाता है कि यह तो जो पार्टी सत्ता में है उसी के सदस्यों के खिलाफ है, लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह इधर बैठने वाले या उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों का प्रश्न नहीं है। सवाल एक प्रिन्सिपल का है। किसी माननीय सदस्य का अपमान होता है तो पूरे सदन का अपमान होता है। यहां तो सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा के संरक्षक आप हैं। मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने इसे रखने का अवसर दिया है ताकि सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा खंडित न हो।

(श्री मूलचन्द डागा)

इसलिए इस प्रकार का जो लेख लिखा गया है, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि राजस्थान पत्रिका के जो प्रबन्धक, लेखक और प्रकाशक हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। यह इतना अपमानजनक है कि इससे सदन जनता की नजरों में गिरा है। मैं ज्यादा समय न लेकर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि—

'Speeches and writings reflecting on the House or its committees or members are punished by the House as a contempt on the principle that such acts tend to obstruct the House in the performance of their functions by diminishing the respect due to them.

मैं यह कहता हूं कि जिस प्रकार की उन्होंने कार्यवाही की है, जो अखबार में लेख निकाला है, प्रकाशित किया है, उससे जनता की नजरों में सारे माननीय सदस्यों का अपमान हुआ है। इसीलिये मैं चाहता हूं कि इस पर कार्यवाही की जाए और इसे प्रिविलेज कमेटी को सुपुर्द किया जाए।

श्री अध्यक्ष : जो प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे खड़े हो जाएं....

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री डागा ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका विरोध करता हूं। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं

(व्यवधान)

जब भी आप सदन की राय लेंगे तो दोनों पक्षों को सुनेंगे, इसलिये मुझे अनुमति दी जाए....

श्री अध्यक्ष : नियमों के अन्तर्गत राय ले रहा हूं।

जो सदस्य माननीय डागाजी के प्रस्ताव के पक्ष में हों वे खड़े हो जाएं.......

श्री मन्जूर अली : अध्यक्ष महोदय, यह बात तब आती है जब किसी को आपत्ति हो....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य गुलाबचन्द कटारिया ने आपत्ति प्रकट की है इसलिये नियमों के अन्तर्गत मेरा यह कर्त्तव्य होगा कि सदन की राय लूं।

माननीय सदस्य श्री डागा के प्रस्ताव के पक्ष में जो सदस्य हों वे खड़े हो जायं...

(कई सदस्य खड़े हुए)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो आपत्ति थी, यह केवल आपकी व्यवस्था के लिये थी। आपने यह व्यवस्था दी थी कि यह नहीं उठाया जा सकता है। इसके बाद में माननीय सदस्य श्री डागा आपसे मिले और आपने यह व्यवस्था दी। आज उन्होंने यह विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अब मुझे आपत्ति है, वह मैं पेश करूंगा। मैं इस प्रस्ताव के बारे में आपत्ति पेश करूंगा, सदन उस पर डिस्कशन करेगा और अपनी राय दे सकेगा। इसलिए हमको सुनिए कि उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है, उस पर हमारी आपत्ति क्या है?

श्री अध्यक्ष : सबकी आपत्ति सुनने का मेरा कर्त्तव्य है।

Page No. 63

(63)

(श्री अध्यक्ष)

श्री शंकरलाल ।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति इस प्रकार है. . .

श्री अध्यक्ष : कृपया, आप स्थान ग्रहण करें।

माननीय श्री हरजीराम बुरडक अगर इस सम्बन्ध में बोलना चाहें तो पहले बोलें। आपके नाम का भी प्रस्ताव था। आप बोल सकते हैं।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): अध्यक्ष महोदय, माननीय डागाजी ने पत्र में प्रकाशित लेख के सम्बन्ध में प्रकाश अभी डाला है और उसे उन्होंने सदन में पढ़ कर सुनाया है। इस प्रकार के लेख प्रकाशित होने से कई माननीय सदस्य निष्पक्ष रूप से अपनी बात सदन में नहीं कह सकेंगे। इसलिए इस प्रकार के मामलों पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव को आप विशेषाधिकार समिति को विचार के लिए भेज दीजिये। वह इस सम्बन्ध में तय करे ताकि ज्यादा समय सदन का नष्ट न हो। समिति इस पर विचार करके रिपोर्ट दे और उस पर विचार हो तो उचित होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री डागाजी ने राजस्थान पत्रिका के 7 मार्च के अंक में प्रकाशित लेख के एक अंश के ऊपर विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाया है। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है, यह स्पष्ट है कि इस लेख में किसी माननीय सदस्य, किसी व्यक्ति के लिये कोई बात नहीं कही है। केवल नीति सम्बन्धी बात कही है। माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं जो लेख लिखा गया है, वह सही है इसके अलावा प्रेस ऐसा कर सकता है। प्रेस एण्ड पार्लियामेन्टरी प्रिविलेज हैं, जिसका उन्होंने हवाला दिया है, उसके सम्बन्ध में यहां पर निवेदन करूंगा। यह पुस्तक अंग्रेजी में है, इसलिए अंग्रेजी में रखूंगा। वह यह है. .

'To what extent a newspaper can comment on the proceedings of Parliament, has not been clearly stated either in Great Britain or in India.'

प्रेस हाउस पर कमेन्ट कर सकते हैं या नहीं, जहां तक इसका ताल्लुक है, उसमें लिखा है :

"If the Committee of privileges of the House of Commons is of the opinion that the comments contain a defamatory statement constituting contempt of Parliament or are inconsistent with the dignity of the House, it takes penal proceedings for breach of privilege. In other words, Parliament intervenes only in cases where the comment may have a tendency to undermine public confidence in the institution of Parliament itself."

उन्होंने जनता पार्टी के कई विधायकों का हवाला दिया है जो मुख्य मन्त्री की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। यह हमें पता है। केवल उनकी यह आलोचना लगती है। उन पर, सब पर कहा है इस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है :

(श्री शंकरलाल)

"It has however, been recognised in Great Britain that the Parliamentary privilege should not be administered in a way which would fetter or discourage the free expression of opinion or criticism, however, prejudiced or exaggerated such opinions or criticism might be and that, on the other hand, the process of Parliamentary investigation should not be used in a way which would give importance to irresponsible statements.

A long catena of decisions of the Committee of privileges of the House of Commons has established some healthy conventions in regard to comments in newspapers on the proceedings of Parliament."

अब खास बात आती है।

"It has been recognised that it would be very undesirable to take notice of all cases in which Members are unfairly criticised. The decisions have also served to emphasise that it is absolutely necessary that there should be freedom of comment, that freedom of comment may, of course, be occasionally abused; but it would not be becoming to the dignity of the House to notice it". छोटी-छोटी बातों का नोटिस नहीं लेना चाहिए।

" In this context have been quoted the words of Lord Atkin with regard to the criticism of the judiciary;"

यह एग्जाम्पल दी है। इसके आगे उन्होंने कहा है। अपने यहां पर कई ऐसी मिसालें आई हैं। श्रीमान्, इसमें आगे कहा है :

"The path of criticism is a public way: the wrong-headed are permitted to err therein;...Justice is not a cloistered virtue: she must be allowed to suffer the scrutiny and respectful, even though outspoken, comments of ordinary men."

श्री मन्जूर अली : आपत्ति करने के बजाय भाषण करने लगे हैं। यह हाउस को प्रिजुडिस करेंगे। इनको भाषण करने से रोका जावे। अगर नहीं मानते हैं तो इसे रिकार्ड न करने के आदेश दिए जावें।

श्री अध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्य श्री शंकरलाल की बात को शान्तिपूर्वक सुनिए। फिर मैं आपको भी मौका दूंगा।

Let it be discussed on the merits of the case.

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था यह जो एग्जाम्पल है, जो सिस्टम है और जो परम्परा रही है, उस पर ध्यान देने की बात है तो अभी आसाम में माननीय सदस्यों का भत्ता बढ़ाया है, यहां पर सदस्यों का भत्ता बढ़ाया है, उस पर एक प्रिविलेज मोशन आया था :

" Commenting on the move to increase the salary of Members of the Assam Legislative Assembly, Natun Assamiya said, "in an article

(श्री शंकरलाल)

entitled 'Tyag aur bhog' (renunciation or enjoyment) that when people in general were labouring under economic hardship and distress, it was neither fair nor proper to increase the salary of some members.'

"It further said that in this matter the members had not taken the handsome lead given by their leader (Chief Minister) who volunteered a cut in his salary. The Committee of Privileges came to the conclusion that the article does cast some reflections on the dignity of the House and amount to contempt of the House. The Editor first moved the Assam High Court for a writ. Later when the Rule was discharged by the Court, he, in a letter addressed to the Speaker said that he never intended to cast any reflection on the august House or its Members. The committee after considering that explanation, recommended that it would not be necessary to pursue the matter."

प्रश्न यह है कि यह हरएक आदमी की नीयत के प्रति शक करने की बात है। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं हाउस में विराजते हैं। हम भी हाउस में उपस्थित होते हैं। हाउस में कार्यवाही होती है, हम प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, कटमोशन प्रस्तुत करते हैं। यह कार्यवाही बिलकुल सही है। मेरा निवेदन है कि उन्होंने पूरे हाउस की कोई मानहानि नहीं की है। उन्होंने पूरे हाउस की बात कही है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी की कुर्सी पर माननीय सदस्य बैठते हैं। फिर भी यह बात ऐसी नहीं है कि प्रिविलेज मोशन बनाकर कोई सजा दी जाये। ऐसी कोई बात नहीं बनती है। अध्यक्ष महोदय, जापान में, जहां फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फेयर कमेण्ट्स देते हैं। मेरा निवेदन है कि इसको देखते हुए इस मोशन को ड्राप किया जाना चाहिए।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ शब्द निवेदन करूंगा। ress is one of the important pillars of democracy. इसके महत्व को देखते हुए प्रेस को थर्ड हाउस कहा गया है। प्रेस कुछ कमेण्ट करे, प्रेस हमारी डेमोक्रेसी के लिए इम्पार्टेण्ट है। अगर प्रजातन्त्र के लिए एम. पी. और एम. एल. ए. का महत्व है तो उससे अधिक इम्पार्टेण्ट प्रेस है, क्योंकि हम जो विचार व्यक्त करते हैं, प्रेस उसका प्रचार करता है। इसके प्रचार की जरूरत है। प्रेस प्रचार करता है। इसकी इम्पार्टेन्स को देखते हुए प्रेस की स्थिति को अलग रखा गया है। प्रेस की जो इम्पार्टेन्स है, जो सेंक्टिटी है, प्रेस अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए जो करता है उसका यह बेनीफिट दिया गया है, उसको थर्ड हाउस का दर्जा देकर मान्यता दी है। प्रेस और इंडिविजुअल के कथन को एक स्तर पर रख कर तोला नहीं जा सकता। प्रेस एक अलग धरातल पर खड़ा है। यह विचार अभिव्यक्ति लिए आवश्यक है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर हम इसमें इस तरह से नहीं सोचेंगे तो हमारा प्रेस ठीक काम

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

नहीं कर सकेगा। मतदाता के पास बात नहीं पहुंचा सकेगा। तो मैं चाहूंगा सर्वप्रथम कि प्रेस एडीटर ने इस आर्टिकल में कोई ऐसी बात नहीं कही है कि हम उसके लिए यहां मोशन लायें। हमारे संविधान ने आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम आफ स्पीच दी है। बम्बई, दिल्ली और गुजरात हाई कोर्ट ने आपातकाल में भी ऐसे फैसले दिये हैं। प्रेस को फ्रीडम का माध्यम रखा है। आज हम कहते हैं कि हमने फ्रीडम रेस्टोर कर दी है। ऐसे परिवेश में क्या हम कोई रोक लगायेंगे या यह करेंगे ? हम ऐसे विशेषाधिकार की मांग करें तो प्रेस कमेण्ट्स देने में फ्री महसूस नहीं करेगा। भले ही कमेण्ट हमारे विपरीत हों, हमें अपने आचरणों को स्वच्छ और इतना ऊंचा उठाना चाहिए कि प्रेस हम पर अंगुली नहीं उठा सके। प्रेस और हमें दोनों को मिल कर डेमोक्रेसी को ऊंचा उठाना चाहिए। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस मोशन को ड्राप किया जाये।

श्री मन्जूर अली : जनाबे सदर, इस प्रिविलेज मोशन को लिये जाने की इजाजत दे दी गई है। उन्होंने लीव चाही है। माननीय सदस्यों ने प्रेस की आजादी का सवाल उठाया है। जो आर्ग्मेंट्स इस जंक्चर पर आये हैं वह कब्ल अजवक्त है। इस स्टेज पर मेरिट्स की बात नहीं है। अगर अखबारों को ऐसी ढील दी गई तो दिमाग बिगड़ जाएगा। अखबारों की इस आजादी से कोमनमैन की ही नहीं एम.एल.ए. की भी यह स्थिति होगी कि वह किसी बात को हाउस में नहीं कह सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि इसको इसी निगाह से देखें।

इस सम्बन्ध में आपत्ति सामने आई है तो मोशन के सपोर्ट में 10 एम.एल.ए. खड़े होते हैं या नहीं, यह देख लें। केवल लीव ग्रान्ट करने का प्रश्न है। मेरिट्स पर आजादी साबित हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष : अब इस पर मेरे ख्याल से डिबेट तो नहीं होनी चाहिए।

जहां तक मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। इस सम्बन्ध में मैं निर्णय दे चुका हूं। लेकिन यह सदन है इसका जो कुछ निर्णय हो, वह मेरे लिए शिरोधार्य है। नियमों के अन्तर्गत जैसा कि माननीय सदस्य मन्जूर अली ने अवगत कराया, यदि माननीय सदस्य डागा अपने मोशन को प्रेस करते हैं और दस सदस्य खड़े हो जाते हैं तो यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है अन्यथा माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह मोशन टाक्ड आउट किया जा सकता है। तो यह मूवर के अधिकार का प्रश्न है। मैं माननीय सदस्य डागाजी से इस व्यवस्था के बाद निवेदन करूंगा कि क्या आप अपने मोशन को प्रेस करना चाहते हैं, आप मोशन को उचित समझते हैं, या वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं इसको वापस नहीं लेता हूं। इसकी गम्भीरता को देखते हुए मैं चाहता हूं कि इसकी जांच की जाये। यह इस प्रकार का नहीं है जैसा उन्होंने कहा है। जिन्होंने यह पूरा लेख पढ़ा हैं, वह जानते हैं। यह बहुत बुरा लेख लिखा है। मैं तो यह कहूंगा यह जो आर्टिकल लिखा है, इसमें पूरे के पूरे सदन का अपमान किया है। यह मेरा

(श्री मूलचन्द डागा)

अपमान नहीं है यह सारे सदन का अपमान है। यह सदन की गरिमा का प्रश्न है। इसलिए मैं चाहूंगा इसे प्रिविलेज कमेटी को भेज दें। उस कमेटी के सामने जायगा तो कमेटी उस पर निर्णय लेगी। उसको पूरा अधिकार है, वह माफ करे या सजा दे। वह जो निर्णय लेगी, वह मुझे मान्य होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री गुलाबचन्द कटारिया ने जो आपत्ति सदन के समक्ष रखी उस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना है कि स्पीकर भी आखिरकार मनुष्य है। अभी-अभी लोक सभा के अध्यक्ष ने भी अपने निर्णय पर नजरसानी/पुनर्विचार भी किया। पुनर्विचार करने के पश्चात् माननीय सदस्य डागा से भी मैंने जानकारी प्राप्त कर ली, वह मोशन को विदड्रा नहीं करना चाहते हैं अतएव मेरे लिए और कोई चारा नहीं रहा, सिवाय इसके कि मैं इस मोशन को सदन के समक्ष रखूं और माननीय सदस्यों को निवेदन करूं कि जो इस मोशन के पक्ष में हों वो खड़े हो जायं।

(दस से अधिक माननीय सदस्य खड़े हुए)

प्रस्ताव पर सदन द्वारा यह अनुमति प्रदान की गई कि इसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाय।

घोषणा

दलीय स्थिति

श्री जगतारसिंह द्वारा कांग्रेस (आई) दल की सदस्यता ग्रहण

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री जगतारसिंह, विभाजन संख्या 50 सदस्य विधान सभा ने कांग्रेस (आई) अर्थात् कांग्रेस इन्दिरा की सदस्यता ग्रहण की है।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के साहसिक निर्णय के लिए उनका अभिनन्दन करता हूं।

आधे घंटे की चर्चा

गोगुन्दा पंचायत समिति द्वारा हैण्ड पम्प की खरीद में हुए घोटाले

[तारांकित प्रश्न संख्या 123]

श्री अध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा। माननीय सदस्य श्री भूरालाल।

श्री भूरालाल (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गोगुन्दा पंचायत समिति द्वारा हैण्ड पम्प की खरीद में जो घोटाले किये गये, उसके बारे में कहना चाहूंगा। इसमें 25 हजार रुपये का जो घोटाला किया गया वह साबित हो जाने के बाद भी मंत्री महोदय ने किसी को दण्डित नहीं किया। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह मांग करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को दण्ड दिया जाय और 25 हजार रुपये का जिस सरकारी कर्मचारी ने गबन किया उसको नौकरी से निकाला जाय। इसके अलावा सारे हैण्ड पम्प जो खरीदे गये, उनमें से एक भी हैण्ड पम्प काम नहीं कर रहा है। व बेकार पड़े हुए हैं। इसके लिए भी मैं मांग करता हूं कि दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाय। हजारों रुपया खर्च करने के बाद भी जनता को पानी देने के लिए हैण्ड पम्प काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी पुनः जांच की जाय और दोषी अधिकारियों को दण्ड दिया जाय। साथ ही

(श्री मूरालाल)

साथ 25 हजार वसूल करने के आदेश भी फर्माये जायं ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न इस सदन के समक्ष रखा गया था गोगुन्दा पंचायत समिति के हैण्ड पम्प की खरीद को लेकर। श्रीमन्, 1965 में श्री सर्वदानन्द, जो उस समय विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, ने अपने पद का दुरुपयोग कर हैण्ड पम्प खरीदे थे। जो हैण्ड पम्प खरीदे गये थे, उनकी कीमत गुजरात में 195/- है लेकिन, श्रीमान्, 338.71 प्रति हैण्ड पम्प के हिसाब से खरीदे गये। इस तरह से 64089.03 रुपयों के हैण्ड पम्प खरीदे गये। इस तरह से 25 हजार रुपये जो बाजार की कीमत थी उससे अधिक में ये हैण्ड पम्प खरीदे गये। श्रीमन्, इतना ही नहीं जो हैण्ड पम्प खरीदे गये वे अहमदाबाद की एक कम्पनी के थे लेकिन उदयपुर की एक फर्म गणेश इन्जीनियरिंग वर्क्स के नाम से बिल बनाया गया। श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की गड़बड़ी की गई। इस कम्पनी के यहां इस प्रकार का कोई इन्द्राज नहीं है। स्वर्गीय श्री रोशनलाल जी ने भी यह मामला उठाया था। उसके बाद इस मामले की जांच की गई थी और इस व्यक्ति पर सारा दोष साबित हुआ था। श्रीमन्, इस व्यक्ति ने रेट्स के सम्बन्ध में जो टेन्डर्स प्राप्त करने चाहिए थे उनमें भी अनियमितताएं कीं। टेण्डर प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 25-9-65 थी लेकिन टेन्डर 22 तारीख को खोल दिये गये। उसके बाद एक टेण्डर 24 तारीख को खोला गया। 25 के बाद भी टेण्डर खोले गये। श्रीमन्, जो लिफाफे खोले गये उन लिफाफों पर कोई सील नही थी, लिफाफे खुले हुए थे। इसी तरह से जिस कम्पनी के नाम से टेण्डर दिये थे, वह कम्पनी नहीं थी। 36 लोगों के बयान लिये गये थे। उन्होंने यह स्वीकार किया था यह फर्जी है। यह इसकी जांच से साबित होता है कि पांच एम्प्लाइज इसमें दोषी पाये गये। इसके पश्चात भी केवल तीन इन्क्रीमेंट रोके गये। दो लोग और थे, एक तो भीमसिंह, लेखा-लिपिक और दूसरा भंवरलाल, ओवरसियर। उनकी नेगलिजेन्स के कारण यह घोटाला किया गया। जांच होने के बाद उनको सजा दी गई। 25 हजार रुपये का घोटाला प्रथम तो पकड़ा नहीं जा सकता, और पकड़ा जाता है तो आंखों से ओझल कर दिया जाता है। एक केस पकड़ा गया, उसमें सजा क्या हुई? तीन इन्क्रीमेंट रोके गये। क्या यही भ्रष्टाचार को रोकने का तरीका है? उस व्यक्ति को सस्पेण्ड किया जाता। इतना ही नहीं 25 हजार रुपये उससे वसूल किये जाने चाहिए थे लेकिन राज्य सरकार ने केवल यह उत्तर दिया कि तीन इन्क्रीमेंट रोक दिये हैं। मेरा निवेदन है कि यह सजा पर्याप्त नहीं है। पैसा सरकारी खजाने से गया है, गरीबों का दिया हुआ पैसा था। 25 हजार रुपया रफा-दफा कर दिया गया, मैं चाहता हूं कि कम से कम और कुछ नहीं तो........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसकी पुनः जांच हो और जिन लोगों ने यह घोटाला किया है उनसे 25 हजार रुपये वसूल किये जायं। इसी के साथ-साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गोविन्द सिंह शक्तावत।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

माननीय श्री कौशल किशोर जैन ।

(अनुपस्थित)

आय-व्ययक (बजट) । श्री महबूब अली (जनस्वास्थ्य मंत्री)

श्री कैलाश मेघवाल (मंत्री, पंचायत-राज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आज्ञा दें तो मैं इसका उत्तर दे दूं।

श्री अध्यक्ष : मुझे क्षमा करें, मंत्री महोदय, आप इसका उत्तर दें ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में जो मुद्दा उठाया गया है यह सच है। 25 हजार रुपये का जो पंचायत समिति गोगुंदा को घाटा दिया गया है इसके सम्बन्ध में जो तथ्य माननीय विधायकों, श्री भूरामलजी और श्री गुलाबचन्द जी कटारिया ने रखे हैं, वह सभी तथ्य सही हैं। इसमें दो-तीन मुद्दों पर जांच करवाई गई । एक बार जांच करने के बाद और सजा दिये जाने के बाद जो जुरिस्प्रूडेंस का नेचरल प्रिन्सिपल है, उसके अनुसार मामले को दुबारा खोला जा सकता है और सजा दी जा सकती है । इसकी विधि विभाग जांच कर रहा है। जो कुछ भी हो सकता है वह किया जायेगा । मुझको भी लगता है जिस तरह का घोटाला हुआ था, उसकी तुलना में जो सजा दी गई है वह कम दी गई है । जो जांच हुई उसके परिणाम-स्वरूप सजा कम दी गई । पेनल्टीज के जो रूल्स हैं उसमें पैसे की वसूली का भी एक रूल है ।

रूल 14, सब रूल 3 :

"Recovery from the pay in whole or in part under the rule or order;"

यह रिकवरी करने का रूल है । जो डिसिप्लीनरी एक्शन लिया जा सकता था, वह भी नहीं लिया गया । यह स्पष्ट था कि पंचायत समिति में 25 हजार का घोटाला किया गया है । जिस समय फैसला हुआ उस समय जो फैसला करने वाले अधिकारी थे वे इस तरह के आदेश दे सकते थे । किन्तु आदेश भी नहीं दिया गया । अब भी यदि 25 हजार रुपये कानूनन वसूल किये जा सकेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार वसूल करने में नहीं चूकेगी । इसमें मुख्य अभियुक्त और हैं वे थे तत्कालीन प्रधान पंचायत समिती वे कांग्रेस के थे श्री राम कृष्ण गोपाल । उन्होंने जो अनुमति दी खरीदारी की, वह गैर कानूनी थी। और जो उसके खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है वह जांच के लिए भेज दी गई है । मैं विश्वास दिलाता हूं कि जांच के बाद जो स्थिति सामने आएगी, उसके अनुसार राज्य सरकार नियमानुसार अपराधियों को दंडित करेगी, पीछे नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

आय-व्ययक (बजट) 1978-79 ।

अनुदान की मांग

संख्या 27, पेयजल योजना की प्रस्तुति

श्री महबूब अली राज्यमंत्री (जन स्वास्थ्य): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27, पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 25,10,17,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाए ।

श्रीमती मदन कौर : कितनी राशि बताई?

श्री महबूब अली : 25 करोड़ ।

श्रीमती मदन कौर : वर्ष कौनसा बताया ?

श्री महबूब अली : 1979 ।

श्रीमती मदन कौर : आपने 1969 कहा है ? कृपया सुधार करलें ।

मांग संख्या 27 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक पेयजल योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशन-पोल बाजार, जयपुर),

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) :

1. जयपुर नगर में स्थाई पेयजल व्यवस्था को ठीक किये जाने में विभाग द्वारा की जा रही लापरवाही पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण),

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर),

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी) :

2. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में जल-पूर्ति योजना लागू न किये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

3. जल महल क्षेत्र के निवासियों को वहां पानी इकट्ठा रहने से बदबूदार हवा में रहने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

4. कोटपूतली तहसील में मोलाहेड़ा देवता, छारड़ा ग्रामों में खारा पानी के स्थान पर मीठा पानी देने के लिये विभाग द्वारा योजना नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये ।

5. कोटपूतली तहसील के बड़े ग्रामों में भी पीने का पानी उपलब्ध कराने में विभाग असमर्थ रहा है जैसे—पावटा, सूदरपुरा, नारेहेड़ा, सुन्दरपुरा, भोपालपुरा, गोनेड़, बड़नगर, पाछोड़ाला पर चर्चा के लिये ।

6. विभाग के कर्मचारी बिलों में व पानी बेचने में लापरवाही करते हैं, जिससे पानी के कनेक्शन लेने में उत्पन्न होने वाली बाधा पर चर्चा के लिये ।

7. ग्रामीण जनता को और शहरी जनता को विभाग समान दर पर पानी देने में पक्षपात करता है इस पर चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

8. चितिम्बा व सानगढ में जलप्रदाय योजना बनाये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

9. खन्दरा आदि बीस गांवों में तथा शिवगंज तहसील में बड़ योजना लागू करा कर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) :

10. मकराना क्षेत्र में पेयजल की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

श्री विजय सिंह नवेरा (बान्दीकुई) :

11. दौसा पेयजल योजना व जलपूर्ति में आने वाली बाधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राम सिंह विश्नोई (लूणी) :

12. वर्तमान जल प्रदाय योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अवैज्ञानिक ढंग से बनी योजनाओं के कारण गांवों में पानी नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. जलप्रदाय विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से निर्माण कार्यों में हुई क्षति के कारण जगह-जगह टांकों में टूट-फूट हो जाने व लाइनों के टूट जाने से होने वाली कठिनाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

14. जोधपुर तहसील में जलप्रदाय योजनाओं की स्वीकृति व क्रियान्विति की आवश्यकता तथा जलप्रदाय योजनाओं से पानी गांवों में नहीं सप्लाई करने से उत्पन्न विकट समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

15. डेगाना जंक्शन, जिला नागौर के ड्रेनेज के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

16. कितलसर जलप्रदाय योजना में चारणावा, जाव, वाजियों की ढाणी को जोड़ने के सम्बन्ध में जिनका पानी कुबड़ा कर देने वाला है, इस पर चर्चा के लिये।

17. गोरेटीकरणा को गोरेटी वाचा से जल पूर्ति हेतु जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. मोगा जल योजना से भादवासी, खुड़ी कलां, खुड़ी खुर्द, दुगोर मचला, दुगोर-वासा, गुन्दीसर को जोड़ने के सम्बन्ध में जिनका पानी जहरीला हो गया है, इस पर चर्चा के लिए।

19. सांजू जलप्रदाय योजना से बामणा, जिवताना, चौसली, दागड़ा, दागड़ी गांवों को जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

20. पूनास जलप्रदाय योजना को अविलम्ब पूरा कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

21. मोगास योजना से दिये जा रहे पानी की सप्लाई की अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

22. मोगासर जल योजना में चड़ियास, मलवास के ग्रामों में पानी की अव्यवस्था की चर्चा के लिये।

23. पेयजल योजना के संबंध में कोई निश्चित नीति न होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री रामदेव चौधरी (मूण्डवा) :

24. जहां पानी की कमी है वहां पर अविलम्ब जलदाय योजना बना कर पानी उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

25. जलप्रदाय योजना हेतु बनाये गये ट्यूब वेल को अविलम्ब चलाने की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़):

26. खटबाड़ा, मीगोली, मानपुरा, डुमा, धामनियां में जल की टंकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

Page No. 72

(72)

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

27. जहां-जहां भी 200 की जनसंख्या को हुण्ड पम्प लगाने तथा इसी अनुपात में हैण्ड पंप लगाने हेतु चर्चा के लिये।

28. छोटी बिजोलिया में टंकी बनाकर पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

29. पेयजल योजनाओं में कुप्रबन्ध और भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

30. पाली निर्वाचन क्षेत्र में रोहट पंचायत समिति में पीने के पानी की व्यवस्था न करके सरकार ने उस क्षेत्र की उपेक्षा की है, इस पर चर्चा के लिये।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) :

31. देवगढ़ नगर की जल-प्रदाय योजना की क्षमता बढ़ाने तथा गांव कुम्रायल और दवेर की जल योजनायें शीघ्र चालू करा पर चर्चा के लिये।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

32. जोधपुर नगर में पानी की गंभीर समस्या के समाधान हेतु राजस्थान नहर से पेयजल लाने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

33. बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर को संशोधित पेयजल योजना के क्रियान्वयन करने में ढिलाई बरतने के कारण बाड़मेर नगर को अपर्याप्त पानी मिल रहा है जिसके कारण नगर की जनता में तीव्र असंतोष व्याप्त है जिस पर चर्चा के लिए।

34. बाड़मेर जिले के निम्न ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत जिला जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा लापरवाही; अकर्मण्यता एवं उदासीनता अपनाने के कारण इर्रेगुलर, अपर्याप्त पानी पहुंच रहा है जिसके कारण ग्रामीण जनता में तीव्र असन्तोष है :—

1. शिक्कार-गुडला ग्रामीण जल-प्रदाय योजना
2. भीपडा–बायतु " "
3. भाडरवा-देरासर " "
4. ऊंडु-पनाडडा " "
5. ऊंडु-मूपलिया " "

जिस पर चर्चा के लिए।

35. बाड़मेर जिले के निम्नलिखित ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन करने में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा ढिलाई बरतने के कारण ग्रामीण जनता में व्याप्त असन्तोष है:–

1. ऊंडु–पनाड्डा ग्रामीण जल-प्रदाय योजना में ग्राम गोकू, आकदड़ा में गत 7 माह में पानी नहीं पहुंचाने
2. भाडरवी–देरासर योजना में ग्राम तिरबीगढी, निरसीगढा, धानोडा, बोला, गुडसिर एवं देरासर में पानी नहीं पहुंचाने
3. नीव जायडु
4. माडरवा-रोडली

पर चर्चा के लिये।

36. बाड़मेर जिला आयोजना समिति की बैठक में भीपड़ा–सीण धरी ग्रामीण जलप्रदाय योजना प्रस्तावित है जो बहुत ही बड़ी योजना है,

Page No. 73

(73)

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

जिसे भीमड़ा-नोसर ग्रामीण जलप्रदाय योजना का रूप देकर हेमाणिद्रा का तला (बाटाडू), हुणाणियों का तला (बाटाडू), सिदाराय का तला (बोलू), नरसाली माडी (बोलू), हेमजी का तला स्कूल वायतू चिमनजी, भादासर तथा स्कूल (बायतू-भीमजी), जोगासर तला (बायतू भेपजी, बाणाणियों की ढाणी) (ग्रामसोमेसरा), ग्राम सोमेसरा भोलासर सेवनियाला नोसर ढोवेड़िया ग्रामों एवं बस्तियों को सम्मिलित करते हुये योजना का सर्वे कर (सर्वे का आदेश हो चुका है) स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. बाड़मेर जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्तावित भीमड़ा या बाटाडू-रेवाली नल-कूप से रेवाली स्कूल, पुरोहितों की ढाणी, हर खाली स्कूल, लुणाढवा तथा स्कूल एवं रामदान का तला (बाटाडू) की घनी बस्तियों का सर्वे कर स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. बाड़मेर जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्तावित चौहटन से एकसिया ग्रामीण जलप्रदाय योजना की इसी वर्ष स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):

39. लाडनूं शहर की जलदाय योजना का पुनःनिर्माण कराने पर चर्चा के लिये।

40. ग्राम कोसरी, कोयल व बैड, तहसील लाडनूं, जिला नागौर को पाइप लाइन से अभी तक नहीं जोड़ने पर चर्चा के लिये।

41. ग्राम भिल्ली ढाणी, जिला नागौर को पाइप लाइन से जोड़ने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर):

42. पीने के पानी का भयंकर कष्ट है करनवास, हींचर बोरदा, आदि ग्रामों में पीने के पानी की परेशानी पर चर्चा के लिये।

श्री अजीत सिंह (टौंक):

43. जलप्रदाय योजना, टौंक शहर के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. ग्रामीण जलप्रदाय योजना के विकास व रेट की असमानता पर चर्चा के लिये।

45. पंचायतों द्वारा जमा करवाई गई धनराशि को वापस दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

46. बनास जलप्रदाय योजना पूरी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री माधोसिंह (रेवदर):

47. रेवदर विधान सभा क्षेत्र में पेय-जल योजना व दूषित जल व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ इस बाबत चर्चा के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल):

48. भीनमाल निर्वाचन क्षेत्र के गांव विसाला व मोडकुणा की जल योजना का कार्य शीघ्र करवाने बाबत चर्चा के लिये।

49. भीनमाल निर्वाचन क्षेत्र के खारे पानी के गावों को शीघ्र मीठा जल उपलब्ध कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री नारायणसिंह (डिग्गी) :

50. पेयजल योजनाओं के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

51. पेयजल योजना द्वारा चलाये जाने वाले प्रोग्राम में ढिलाई व गांव में पीने के पानी की समस्या के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) :

52. भरतपुर जिले में पेयजल की कमी तथा ड्रेनेज की समस्या पर चर्चा के लिए।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) :

53. नगरों में जलदाय योजनाओं पर शत-प्रतिशत क्रियान्वयन होना एवं 80 प्रतिशत क्षेत्र में विशेषकर खारी क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी मुहैय्या न करवाया जाना प्रशासन की शिथिलता है, इस पर चर्चा के लिये ।

54. देहाती क्षेत्र में ही पेयजल योजनाओं को लागू कर देहाती क्षेत्र की उपेक्षा को संतुलित किया जावे, इस पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती भारंगो देवी (किशनगंज) :

55. किशनगंज क्षेत्र के 150 ग्रामों में पेयजल योजना की व्यवस्था में विभागीय शिथिलता पर चर्चा के लिये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

56. तहसील शेरगढ़ की जल योजनाओं की उपेक्षा करने बाबत तथा 54 मील से शेरगढ योजना बनाने बाबत चर्चा के लिये ।

57. सोइतरा-जुड़िया तथा कमोड़िया-रेंधु पेयजल योजनाओं की अव्यवस्था के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

58. पंचायत समिति, अलसीसर के गांवों में स्वीकृत जल योजनाओं को पूरी करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

59. अलसीसर पंचायत समिति में सभी गांवों के लिये क्षेत्रीय जल योजना स्वीकार करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) :

60. किलोड़ा-सुराणा पेयजल योजना का कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरु कराने बाबत चर्चा के लिये ।

61. आकुआ, कालू, बागोड़ा आदि गावों की पेयजल योजनाओं को शीघ्र हाथ में लेने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

62. सिरोही में ड्रेनेज की समस्या को रोकने की चर्चा के लिये ।

63. बान्दरा योजना के द्वारा शिवगंज गावों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था हेतु चर्चा के लिए ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :

64. समय पर पर्याप्त पानी न मिलने व निवाई निर्वाचन क्षेत्र में नई पेयजल योजना बनाने हेतु चर्चा के लिए ।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

65. ब्यावर में पेयजल की कमी से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिए ।

Page No. 75

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

66. तहसील सांचौर में अधूरी क्षेत्रीय पेयजल योजनाओं को शीघ्र पूरा करवाने के बारे में चर्चा के लिए।

67. सांचौर नगरीय जल योजना के सुधार एवं सांकड, पालडीपुर वगैरह ग्रामों की क्षेत्रीय जल योजना के अन्तर्गत नये नलकूप बनवाकर शीघ्र पानी सप्लाई करने की चर्चा के लिए।

68. तहसील सांचौर में खारे पानी वाले ग्रामों में मीठा पानी उपलब्ध कराने की नई योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) :

69. किशनगढ में कई वर्षों से भयंकर जल संकट के होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा निरन्तर की जा रही उपेक्षा के बारे में चर्चा के लिये।

70. किशनगढ पंचायत समिति के सांभर झील के अधीनस्थ गांवों में मीठे पानी के अभाव के बावजूद राज्य सरकार द्वारा की जा रही उपेक्षा के बारे में चर्चा के लिये।

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) :

71. ग्राम भारनी, जिला सीकर में पीने के पानी का एक कुआं 180 फुट गहरा होने व नीचे पत्थर आ जाने से एवं दूसरे कुएं का पानी खराब होने से पीने के पानी के अभाव से उत्पन्न जनता की भारी परेशानी पर चर्चा के लिये।

72. ग्राम जोरावर नगर, जिला सीकर में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. ग्राम जयतुसर, जिला सीकर की आबादी 5 हजार से अधिक होने पर भी जलप्रदाय योजना मंजूर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

74. ग्राम नायूसर नांगल, जिला सीकर की आबादी 5 हजार से अधिक होने पर भी जलप्रदाय योजना मंजूर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री समरथलाल (राजगढ़) :

75. पिनाण, सकर, राजपुर, तहसील राजगढ (अलवर) में पानी की व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये।

76. विभाग में लगे डेली वेजेज कर्मचारियों की दुर्दशा के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) :

77. ग्राम राजसर व ग्राम सोढ़ी में पेयजल योजना क्रियान्वित किए जाने हेतु अतिरिक्त राशि न दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री नवलराय बच्वाणी (अजमेर पश्चिम)

78. अजमेर नगर से वाटर मीटर प्रणाली समाप्त की जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) :

79. ग्रामीण पेयजल योजना का फेज्ड प्रोग्राम लागू करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

80. जल बोर्ड बनाने बाबत नीति उपयुक्त नहीं है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (मांडल) :

81. दुर्गा, जिला भीलवाड़ा में पानी की टंकी बनाने बाबत चर्चा के लिये ।

82. नल योजना के साथ जल निकास की योजनाओं पर विचार करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री गंगाराम चौधरी (गुड़ामालानी) :

83. जिला बाड़मेर में कार्यरत एवं स्वीकृत की जाने वाली पेयजल योजनाओं की क्रियान्वित नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

84. जिला बाड़मेर में उपलब्ध पेयजल के सिमित स्रोतों के विकास हेतु चर्चा के लिये ।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) :

85. पेयजल योजनाओं की स्वीकृति में सरकार द्वारा पक्षपात किये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जमवारामगढ़) :

86. जमवारामगढ़ क्षेत्र में पेयजल योजना के लिये सुझाव एवं कमियों पर प्रकाश डालने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी) :

87. तहसील लाडपुरा के सैकड़ों गांव रामगंजमंडी तहसील के भी सैकड़ों गांव पेयजल के लिये तरस रहे हैं, इनकी व्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

श्री एच. एम. शर्मा (बैनू) :

88. ग्रामवासियों द्वारा जलपूर्ति हेतु अपना अनुदान देने पर भी जलपूर्ति नहीं की जाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

89. उदयपुर नगरपालिका क्षेत्र में ऐसी कई बस्तियां हैं जहां पर आज दिन तक पानी उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

90. उदयपुर जिले में कई गांवों के पैसे नल योजना हेतु पिछले कई वर्षों से जमा हैं लेकिन उन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, इस पर चर्चा के लिये ।

91. नगरपालिका क्षेत्र के गोवर्धन विलास में आज दिन तक पेयजल व्यवस्था नहीं की गई, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व) :

92. अजमेर नगर के लिये बनास योजना को शीघ्र पूर्ण करें तथा पेयजल समस्या का स्थाई रूप से हल हो, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री प्राणकलाल ठाकोर (नैनवा) :

93. बूंदी जिले के देहाती क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था संबंधी बजट का प्रस्ताव नहीं होने एवं नल व्यवस्था ठीक नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

94. कच्ची व गन्दी बस्तियों में तथा मरु क्षेत्र में पेयजल की समस्या पर चर्चा के लिये ।

Page No. 77

(77)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) :

95. जोधपुर तहसील में लूनी नदी के किनारे पर बसे हुये खारे पानी के गाँवों में पेयजल योजना नहीं बनने से जनता की परेशानी पर चर्चा के लिये ।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) :

96. जोधपुर में दुर्गादास कॉलोनी (ए० आई०आर० के पास), लक्ष्मीनगर, रातानाड़ा, सरदारपुरा, पोलो प्रथम व द्वितीय, बागर (नागोरी गेट के अन्दर), उम्मेद चौक आदि में पानी की कमी और आवश्यक क्षमता के नल नये लगाने एवं बदलने की तुरन्त कार्यवाही की चर्चा के लिए ।

97. जोधपुर नगर में पानी की भयंकर कम आवक को, जंवाई बाँध से जोधपुर तक पाइप लाइन लगाकर बढ़ाये जाने की माँग की, चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (नोहर) :

98. पेयजल योजनाओं को अनिवार्य रूप से ग्रामों में लागू करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री ईश्वरचन्द (पिड़ावा) :

99. पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या का समाधान अब तक न होने पर चर्चा के लिये ।

100. राज्य सरकार पेयजल के लिये केन्द्र से सहायता लेने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये ।

101. अफसरों की भारी संख्या के बावजूद पेयजल योजना के क्रियान्वयन में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये ।

102. पेयजल योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

103. पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में हैण्ड पम्प मशीनों के दुरुपयोग की चर्चा के लिये ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना) :

104. मनोहरथाना जलप्रदाय योजना के टैंक के निर्माण एवं ग्रामीण क्षेत्रों के जल के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालोर) :

105. जालोर विधान सभा क्षेत्र के करीब 80% गांवों का पानी पीने योग्य नहीं है, अतः सभी योजनाओं की शीघ्र स्वीकृति हेतु चर्चा के लिये ।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरु) :

106. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उचित व्यवस्था एवं प्राथमिकता दिलाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रावतराम (सुजानगढ़) :

107. तहसील सुजानगढ़ (जिला चूरू) के खारे व विरायता पानी के गांवों में मीठा पानी सुलभ कराने हेतु चर्चा के लिये ।

108. गांव मुबड़ा, बाबासरा, तहसील सुजानगढ़ जल योजना के बारे में चर्चा के लिये ।

109. साड़वा, जिला चूरू की जल योजना पर तथा सुजानगढ़ व छापर में जल सप्लाई में धांधलीबाजी पर चर्चा के लिये ।

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़):

110. कम खर्चे पर गांवों में शुद्ध व मीठे पानी की व्यवस्था की जावे व पानी की व्यवस्था करने का कार्य सरपंचों को सौपा जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन):

111. ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराने में सरकार की ढिलाई पर चर्चा के लिये।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर):

112. सूरसागर क्षेत्र में पेयजल योजना बनाने व अधूरे कार्य को पूरा करवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू):

113. बीबासर, बाकरा एवं फतेहसरा की रीजनल जलप्रदाय योजना में ग्राम हनुमानपुरा को और सम्मिलित किये जाने पर चर्चा के लिये।

114. ग्राम बुहाना की जलप्रदाय योजना में कालिमपुरा, लालपुर एवं देससर सोती को सम्मिलित किये जाने पर चर्चा के लिये।

115. इस वर्ष पेयजल योजनाओं पर पिछले वर्ष के मुकाबले कम धनराशि का प्रावधान किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा):

116. ग्रामीण जलदाय योजनाओं के लिये पर्याप्त धनराशि आवंटित नहीं किये जाने के संबध में चर्चा के लिये।

117. राजस्थान नहर की लिफ्ट योजनाओं के माध्यम से बाड़मेर जिले को पीने का पानी देने संबंधी विषय पर सरकार की उदासीन नीति पर चर्चा के लिये।

118. बाड़मेर जिले के विभिन्न गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये विश्वसनीय स्त्रोतों की खोज न किये जाने संबंधी विषय पर चर्चा के लिये।

119. बाड़मेर जिले की ग्रन्डू से कुंपलिया की क्षेत्रीय जलदाय योजना के ग्रामों में पानी वितरण में भयंकर अव्यवस्था है, इस पर चर्चा के लिये।

120. विभाग द्वारा पानी के बिल वास्तविक पानी के खर्चे पर आधारित न होकर मनमाने ढंग से दिये जाने से संबंधित चर्चा के लिये।

121. जोधपुर शहर में सरदारपुरा की 'सी' और 'डी' रोड के आस-पास के आवासीय मकानों में लगातार सात दिन पानी न दिये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़):

122. गांवों के सार्वजनिक कुओं पर पम्प चला कर पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. नवलगढ़ के विभिन्न ग्रामों में पानी की व्यवस्था किये जाने पर चर्चा के लिये।

124. नवलगढ़-मुकन्दगढ़ में जल योजना के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. जलदाय विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली) :

126. इन्टाली ग्राम (तहसील मावली) में नल व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर):

127. जयपुर नगर में स्थाई पेयजल समस्या के समाधान के लिए बनास योजना की क्रियान्विति किए जाने पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम):

128. तहसील नादौती की पेयजल समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा):

129. सूरतगढ़ तहसील क्षेत्र के खारा एवं फ्लोराइडयुक्त पानी वाले क्षेत्र में जल्दी पेयजल योजनाएं प्राथमिकता के आधार पर चालू कराई जावें, इस पर चर्चा के लिये

130. पीलीबंगा क्षेत्र के दुलमाना, गोलूवाला, पंडितावाली, जाकड़ावाली, सरदारगढ़, मानकथेड़ी, रामपुरा, सरदारपुरा व लखासर में पेयजल योजना को चालू किया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

131. पीपल्दा क्षेत्र के इटावा, खातोली, पीपल्दा, गैंता तथा सुमेरगंज मंडी में जलदाय योजना चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

132. पीपल्दा क्षेत्र के करीब 35 गांवों में पेयजल की असुविधा को दूर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा):

133. कुम्हेर क्षेत्र पूरा खारी होने के कारण मीठा पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (बागीदौरा):

134. बांसवाड़ा जिला के आदिवासी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने, नलकूपों की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

135. बांसवाड़ा जिला में जलप्रदाय विभाग के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) :

136. भारीजा, सुरेरा, दूदवा, रलावता, जीवनमाताजी पेयजल योजना बनाने बाबत चर्चा के लिये।

137. ग्रामीण जल योजना दांता को रेगुलर करने एवं ग्राम कुली खाचरियावास में टंकी बनाकर पानी देने तथा कनेक्शन देने बाबत तथा अलोदा ग्राम पंचायत योजना बाबत चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल),
श्री भैरूलाल बैरवा :

138. भीलवाड़ा में जिलाधीश कार्यालय के पास बनी टंकी में दोषी व्यक्तियों को चाहे ठेकेदार हो या अधिकारी, के विरुद्ध कार्यवाही कर सजा दिलाने बाबत चर्चा के लिये।

139. जल सप्लाई का समय निश्चित कराने बाबत चर्चा के लिये।

140. खारे या कड़वे पानी के स्थानों पर पहले पानी देने में प्राथमिकता बरती जावे, इस पर चर्चा के लिये।

Page No. 80

श्री रामप्रसाद लड्ढा,

श्री भैंरुलाल बैरवा ।

141. जल योजना वाले गांव जैसे कारोई बड़ी गांव के मध्य जोगटिया मोहल्ले में नल नहीं है जो कनेक्शन बन्ध सकते हैं ऐसे स्थानों पर अविलम्ब लाइन बिछाने बाबत चर्चा के लिये ।

142. राजस्थान में पीने के पानी की असमान दरों के बाबत चर्चा के लिये ।

श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) :

143. धौलपुर में मीठे पानी की कमी है व बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पीने के पानी की कमी है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

144. पीने के पानी की दरों में असमानता पर चर्चा के लिये ।

145. पीने के पानी की व्यवस्था करने का मापदण्ड 2000 की आबादी न होकर आवश्यकता होनी चाहिये, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) :

146. चालू जलप्रदाय योजनाओं की अव्यवस्था से जन असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

147. तहसील सोजत में सियाट-भेसाना योजना शीघ्र चालू करने तथा बारिया भींव योजना के लिये नया कुआ खोदने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

डा. गंगा सहाय (कठूमर) :

148. कठूमर क्षेत्र की पेयजल योजनाओं की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

श्री रामजी (सपोटरा),

श्री उमरावसिंह गूजर (महुआ) :

149. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की ग्रामीण पेयजल योजना प्रारम्भ करने में प्रशासन की शिथिलता की चर्चा के लिये ।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) :

150. लक्ष्मणगढ़ (सीकर) निर्वाचन क्षेत्र में कोई पेयजल योजना स्वीकार नहीं करने के प्रश्न पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवराजसिंह (बस्सी)

151. तहसील बस्सी व चाकसू में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री कुंजीलाल (बामनवास) :

152. पंचायत समिति बामनवास एवं टोडाभीम की पेयजल की समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) :

153. जिला झुन्झुनूं में पेयजल की व्यवस्था करने में सरकार की ओर उदासीनता की चर्चा के लिये ।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) :

154. पेयजल समस्या का समाधान युद्ध स्तर पर किये जाने और इसमें नीति

(श्री बंशीलाल सारस्वत)
निर्धारण राज्य स्तर पर करली जावे एवं प्राथमिकता भी राज्य स्तर पर तय किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमार (झालरापाटन) :

155. झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र में पेयजल योजना की क्रियान्विति हेतु चर्चा के लिये।

श्री उमरावसिंह गूजर (महुआ),
श्री रंगजी (सपोटरा) :

156. मंडावर मंडी में पेयजल योजना के लिये 7500/– की सिक्योरिटी जमा कराने पर भी योजना क्रियान्वित किये जाने में सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल शर्मा (केकड़ी) :

157. जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व आवश्यक योजनाओं के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री अचलाराम (देसूरी) :

158. सोमेसर (भादरलाऊ) पेयजल समस्या के समाधान हेतु चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (रतनगढ़) :

159. रतनगढ़ में एवं तहसील में पेयजल योजनाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

160. मेरे क्षेत्र में 87 ग्रामों में पीने के पानी का अभाव है अतः इसी वर्ष समुचित व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार) :

161. खण्डार तहसील में ऐसे बहुत गांव है जहां कुओं में बहुत गहरा पानी निकलता है वहां सरकार सहायता करके पम्प लगावे जैसे रोड़ावद, बड़ा मैंरावड़ा बाजेर, ब्यारदां कलां इत्यादि पर चर्चा के लिये

श्री हरि सिंह यादव (बानसूर) :

162. बानसूर विधान सभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने तथा जयपुर शहर में पेयजल की दूषित व्यवस्था को समाप्त कर जनता को शुद्ध जल उपलब्ध करवाने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला),
श्री हरिसिंह (फुलेरा),
श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा),
श्री अयूब खां (तिजारा) :

163. राजस्थान के समस्त गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हजारीमल सारण (सरदारशहर) :

164. चूरू जिले के खारे पानी के गांवों में पेयजल की व्यवस्था कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा (जनीपार्क, जयपुर):

165. समुचित पेयजल की व्यवस्था के अभाव और पेयजल विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व धांधली पर चर्चा के लिये।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी) :

166. फलोदी तहसील के लिये पेयजल योजना के लिये बजट में कुछ भी राशि न रखने पर चर्चा के लिये।

Page No. 82

(82)

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन) :

167. कपासन तहसील में पेयजल योजना की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री बाल चन्द्र आर्य (डग) :

168. गांवों में पेयजल की बहुत समस्या है वहां योजनाबद्ध पेयजल की व्यवस्था करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) :

169. पेयजल योजना को लागू करने में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एवं विस्तार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) :

170. गांवों के समुचित विकास को आधार शिला मानकर योजना प्रचलित करने पर उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल परमार (डूंगरपुर) :

171. डूंगरपुर में कई स्थानों पर हैण्ड पम्प लम्बे समय से खराब पड़े हैं, उन्हें दुरुस्त कराने हेतु चर्चा के लिये।

172. हैण्ड पम्प द्वारा पेयजल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में (डूंगरपुर) चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली):

173. मावली क्षेत्र के विकासशील ग्रामों में पेयजल व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. मावली–नाथद्वारा क्षेत्र के पहाड़ी व देहाती क्षेत्र में नल-कूपों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. पेयजल व्यवस्था में पहाड़ी क्षेत्रों की उपेक्षा तथा नारू रोग के प्रकोप पर चर्चा के लिये।

176. नाथद्वारा–मावली क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था प्रदान करने में शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लढ़ढा (माण्डल),
श्री भैरूलाल बैरवा (शाहपुरा) :

177. धामोर में हैण्ड पाइप लगवाने बाबत चर्चा के लिये।

178. कनेघन कलां, फुलिया कलां, डिकोला, कोठिया, पं.स. शाहपुरा की नल योजना का पैसा जमा है पर नल योजना प्रारम्भ नहीं हुई, इस पर चर्चा के लिये।

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़):

179. गांव खटवाड़ा, महुआ, मानपुरा, छोटी बिजोलिया, सागोली आदि गांवों में जल्दी ही पेयजल योजना प्रारम्भ करने की चर्चा के लिये।

180. बीगोद, माण्डलगढ़, काकोला, और बिजोलिया में जहाँ जल के लिये नल लगवाये हैं तुरन्त नालियां बनाने की चर्चा के लिये।

181. मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जो-जो गांव 250 की जनसंख्या के है वहां हैण्ड पम्प तुरन्त लगाने हेतु चर्चा के लिये।

182. सवाईपुर (तहसील कोटड़ी) तथा खटवाड़ा (तहसील माण्डलगढ़) में पानी

(श्री मनोहर सिंह मेहता)
एक-एक किलोमीटर दूर से लाते हैं, अतः इस पेयजल समस्या के समाधान हेतु चर्चा के लिए।

श्री ताराचन्द (रूपवास) :

183. पेयजल योजना को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री शिवनारायण (थानागाजी):

184. ग्राम आगर एवं किशोरी, तहसील थानागाजी एवं टहला, तहसील राजगढ़ में नल योजना चालू करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

185. जयपुर शहर में स्वास्थ्य के लिये हानिकारक जल का पेयजल के रूप में उपयोग होने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

186. जयपुर शहर में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जल का पेयजल के रूप में उपयोग होने पर जयपुर वासियों के पेट में कीड़े पड़ जाने के कारणों पर चर्चा के लिये।

187. जयपुर, टौंक, ब्यावर व अजमेर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बिसलपुर योजना पर कार्यारम्भ न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

188. दौसा में पानी की टंकी के पूर्ण न होने के कारण चर्चा के लिये।

189. दौसा में पेयजल की नियमित पूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) :

190. अजमेर जिले की पेयजल समस्या के लिये राजमहल योजना का युद्ध स्तर पर क्रियान्वित करना अति आवश्यक है, इस पर चर्चा के लिए।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) :

191. चौमू नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल की अव्यवस्था होने एवं जल क्षमता बढ़ा कर जनता को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

192. चौमू क्षेत्र के ईटावा, भोपजी व सिर्गोद कलां में पानी का भारी अभाव होने व पेयजल योजना प्रारम्भ करने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) :

193. जोधपुर शहर में पेयजल की कठिनाइयों पर विचार हेतु चर्चा के लिये।

194. नागौर जिले में आम तौर पर पंचायत समिति डीडवाना में खारे पानी के गांवों में पेयजल की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

195. चूरू शहर के उत्तरी हिस्सों में एक और ओवर हैड वाटर टैंक का निर्माण कराने बाबत चर्चा के लिये।

196. चूरू में व सप्लाई स्कीम को और अधिक सक्षम बनाने हेतु शहर के पीछे

(श्री मेघराज पंवार)

पानी के और कुओं को योजना में शामिल किये जाने बाबत चर्चा हेतु।

197. चूरू देहात के इलेक्ट्रीफाइड गांवों में जिनमें खुले कुओं में खारे पानी का सोर्स उपलब्ध है उनको पेयजल योजना में शामिल किये जाने बाबत चर्चा हेतु।

श्री मंजूर अली (सवाई माधोपुर) :

198. मलारना डूंगर में नल योजना लागू कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री हनवन्तसिंह (बाली) :

199. बीसलपुर-नेरवा-बोया पेयजल योजना में जोड़ा जाये, इस पर चर्चा के लिये।

श्री लाल शंकर डेडोर (सागवाड़ा),
श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़),
श्रीमती गुणवन्त कुमारी (बैराठ),

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन):

200. ओवरी जलप्रदाय योजना वार्ड नं. 2, 3, 4, 6, में नल व्यवस्था कराने हेतु तथा चीरवली पेयजल योजना भाग पराग विष्णु तक विस्तार करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय),
श्री सुभाष चन्द्र (सूरतगढ़),
श्री हरि कृष्ण (नदवई),
श्री गुरु शरण छाबड़ा (सूरतगढ़),

201. ग्रामीण क्षेत्रों की नल योजनाओं पर 10/- व 20/- रुपये चार्ज लगा रखा है वह गलत है, शहरी क्षेत्रों की तरह मीटर प्रणाली लागू की जावे वह भी सरकार की ओर से मीटर का किराया ले लिया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री आलम अली खां (फतहपुर),
श्री नत्थो सिंह (लक्ष्मणगढ़),
श्री हणवन्तसिंह (बाली),
श्री उगमराज मेहता (ब्यावर),
श्री मूलचन्द सार्मरिया (दौसा),
श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (रतनगढ़),
श्री हरि कृष्ण (नदबई),
श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़),

202 राजस्थान के गांवों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किये जाने पर चर्चा हेतु।

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

203. चूरू जिले के गांवों में ग्रामीण जल योजना के अन्तर्गत जिन गांवों में बिना रिजर्वायर बनाये गांवों में जानवरों को पानी देने हेतु बने अनहायजनिक कोठों में दिये गये पानी के सम्बन्ध में चर्चा हेतु।

204. चूरू जिले के गांवों को ग्रामीण जल योजना द्वारा नियमित रूप से बराबर पानी न पहुंचाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हेतु।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) :

205. नगरीय एवं रेगिस्तानी ग्रामीण क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर सर्वेक्षण, भू-तल जल प्राप्ति नल कूप खोदकर व्यापक जाल बिछा कर जल विद्युतीकरण द्वारा प्रत्येक ग्राम की जल [illegible] करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) :

206. पश्चिमी राजस्थान में राजस्थान नहर से लिफ्ट योजना बनाकर जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर के गांवों में पानी उपलब्ध (सप्लाई करने) सम्बन्धी चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

207. मानपुर पेयजल योजना को अविलम्ब पूरा न कराए जाने से व्याप्त जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

208. सिकराय व मेहन्दीपुर बालाजी में पेयजल योजना स्वीकृत कर यथाशीघ्र प्रारम्भ किए जाने पर चर्चा के लिये।

209. पेयजल योजना के तहत स्वीकृत योजना वाले गांवों में इसी विभाग द्वारा नालियां बनाए जाने पर चर्चा के लिये।

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) :

210. पाली जिले के खारे गांवों में मीठे पानी की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री लालूराम (फलासिया) :

211. फलासिया क्षेत्र में पेयजल के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी),

श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़):

212. बून्दी जिले के बरड़ क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था कराने बाबत चर्चा के लिये।

213. बून्दी नगर में पीने के पानी की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री आलमअली खां (फतहपुर) :

214. खारे पानी के इलाकों में पीने के लिये मीठा पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

215. बाड़मेर नगर में दिनांक 26-2-78 से अब तक (दिनांक 12-3-78 में) जिला जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा उनकी लापरवाही, अकर्मण्यता एवं अदूरदर्शिता के कारण पीने के पानी की बिगड़ती विषम स्थिति के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) :

216. सोजत पंचायत समिति के ग्राम देवली, हुल्ला व साडिया नाथल कुन्डी में पेयजल व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

217. रायपुर तहसील के ग्राम गिरी नानणां व सेन्दड़ा में पेयजल की व्यवस्था करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री हजारीमल सारण (सरदारशहर) :

218. सरदारशहर तहसील की वर्तमान पेयजल योजनाओं में अव्यवस्था के कारण गांवों को पानी न मिलने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूंडी (विमाड़ा) :

219. सरकार अपनी घोषणाओं के अनुरूप पेयजल आंशिक रूप में भी उपलब्ध नहीं करा सकी है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) :

220. मेरे क्षेत्र की मण्डी जैतसर, श्री विजयनगर, रायसिंहपुर तथा देहात ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जगतारसिंह कंग (करणपुर) :

221. जल योजनाएं पदमपुर और केशरीसिंहपुर जनसंख्या के मुताबिक पेयजल उपलब्ध कराने में अक्षम है, इसके व्यापक प्रसार हेतु चर्चा के लिये।

श्री बुलाराम (रायसिंहनगर) :

222. गंगानगर जिले की रायसिंहनगर में जलदाय हेतु निर्मित टैंक से पेयजल उपलब्ध कराने में होने वाली अनियमितताओं के बारे में चर्चा के लिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) :

223. पेयजल योजना बनाते वक्त संबंधित क्षेत्रों के जन प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करने हेतु चर्चा के लिये।

224. ग्रामीण क्षेत्रों में सर्विस पाइप डालने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोपाल सिंह (आहोर) :

225. नल योजनायें सुचारु रूप से चलाने के विषय में चर्चा के लिये।

226. ग्राम सामुजा में चौराहों पर नल लगवाने के विषय में चर्चा के लिए।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

227. पेयजल योजना का जहां सर्वे पूरा हो चुका है वहां पर अभी तक काम चालू नहीं कराया गया, इस पर चर्चा के लिए।

श्री मनीराम (तारानगर) :

228. तारानगर तहसील के खारे पानी के गांवों को लखुवाली हैड से पानी पहुंचाने बावत चर्चा के लिए।

श्री शंकरलाल (जैतारण) :

229. विभागीय अधिकारी वर्ग में व्याप्त भ्रष्टाचार की चरम सीमा, इस पर चर्चा के लिए।

230. पाली जिले में पेयजल योजनाओं की क्रियान्विति में शिथिलता एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

231. पेयजल योजनाओं में मरुप्रदेश की अवहेलना करने पर चर्चा के लिए।

232. राजस्थान में जल प्रदूषण की समस्या का अभी तक कोई हल नहीं होने पर चर्चा के लिए।

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

233. मेरे विधान क्षेत्र, दीगोद के पंचायत समिति सुल्तानपुर के ग्राम टहला एवं सुवाणा के नागरिक आज भी सड़ा हुआ पानी पीते हैं, इसके संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लालूदास (फलासिया) :

234. तहसील फलासिया, जिला उदयपुर में पेयजल की समस्या के निदान हेतु चर्चा के लिए।

सुश्री पुष्पा (आमेर) :

235. आमेर निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिए।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) :

236. जहां पानी गहरा हो व कुएं में पानी का स्रोत कम हो जिससे आदमी व पशुओं को पर्याप्त पीने के लिए पानी उपलब्ध न हो वहां पेयजल की योजना लागू करने पर चर्चा के लिए।

वैद्य गोविन्द सहाय (गंगापुर) :

237. गंगापुर सिटी में पेयजल व्यवस्था के बारे में कर्मचारियों द्वारा उपेक्षा करने पर चर्चा के लिए।

238. गंगापुर सिटी में पेयजल व्यवस्था समुचित नहीं होने पर चर्चा के लिए।

239. गंगापुर सिटी में पेयजल व्यवस्था के लिए टंकी का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने पर चर्चा के लिए।

श्री माणकचन्द सुराणा (लूणकरणसर) :

240 राज्य सरकार द्वारा भूमिगत खारे पानी को सूर्यऊर्जा से स्वच्छ करने की धीमी प्रगति व बीकानेर जिले में उसे बिलकुल लागू न करने की नीति पर चर्चा के लिए।

241. सन् 1978-79 में सन् 1975-76 के मुकाबले कम गांवों में जलप्रदाय योजना मंजूर करने पर चर्चा के लिए।

242. राज्य सरकार की गामों को अत्यधिक धीमी गति से जल प्रदाय योजना का लाभ देने के कारणों पर चर्चा के लिए।

243. मीठड़िया-रानीसर-जैतपुर-सुई-रीजनल स्कीम के गांव सावनिया को मीठड़िया से पानी न देने की स्थिति पर व रानीसर से जैतपुर की पाइप लाइन को ढाणी छिपोलाई की ओर से न ले जाने पर चर्चा के लिए।

244. देशनोक नगरपालिका के क्षेत्र में नाइकों व मेघवालों के मोहल्ले में पाइप लाइन द्वारा पानी न पहुंचाने पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनूं) :

245. ग्राम हनुमानपुरा को वाकरा बीबासर एवं फतेसरा की जल योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री रणजीतसिंह राठौड़ (ओसियां) :

246. गांवों में पेयजल योजना जहां चल रही है वह सुचारु रूप से नहीं चलने के संबंध मे चर्चा के लिए।

246. ओसियां तहसील के रेतीले भू-भाग में पीने के पानी की समस्या के कारण गर्मी में सामान्य जीवन खतरे में हो जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल (जायल) :

248. जायल तहसील के गांवों में जहां पानी नहीं अथवा खारा व जहरीला है को स्वच्छ पानी दिलाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

249. राजस्थान नहर से जोधपुर में पेयजल हेतु लिफ्ट योजना लागू करने के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री मोहम्मद जहूर (कामां) :

250. कामां तहसील के गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिए।

श्री लालशंकर डामोर (सागवाड़ा):

251. सागवाड़ा में पानी देने की अनियमितता की जांच हेतु व सुचारु रूप से पानी दिलाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

252. गामड़ा, बासनिया, गोवाड़ा और नन्दोड़ के लिये सामूहिक पेयजल योजना बनाकर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए।

253. घोटाद, वणोरी, लक्ष्मणपुरा तीनों ग्रामों को सामूहिक जलप्रदाय योजना चालू कराने हेतु चर्चा के लिए।

254. घाटा का गांव, मेमई, कोसावा में सामूहिक जलप्रदाय योजना चालू कराने हेतु चर्चा के लिये।

255. जलप्रदाय योजना से, नादिया, गोदरा गरियाता, खंड़ासा, बिजोला, उपैया, अजयपुरा में सामूहिक जलप्रदाय योजना चालू कराने हेतु चर्चा के लिए।

256. जलप्रदाय योजना में, जसेला, गड्डावादर, गड्ढामेरतिया, कटारापाजु, नेन-सावा, तमोलिया, रायपोर नई आबादी में शीघ्र ही जलप्रदाय योजना लागू कराने हेतु चर्चा के लिये।

257. कुवा, गुदलारा, घनगांव, सेठी-सेमड़ी, ढूंढी, मानपाडला में सामूहिक जलप्रदाय योजना लागू कराने हेतु चर्चा के लिये।

258. ग्राम पंचायत क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में मवेशियों के पीने के पानी की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

259. ग्राम पंचायत क्षेत्र के 1 से 8 या 10 या 12 के प्रत्येक वार्ड नम्बर में दो हैण्ड पम्प क्रमश: लगाकर पानी पीने की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

260. ग्रामीण क्षेत्र में गन्दा पानी व खारा पानी व नारू रोग उत्पन्न करने वाला पानी का उपयोग आम जनता को पीने से रोकने व स्वच्छ पानी सुलभ कराने हेतु चर्चा के लिए।

261. ग्राम पंचायत क्षेत्र के सामूहिक ग्रामों को मिलाकर ग्राम जनता को नारू से पीड़ित, गन्दा पानी से मुक्ति दिलाने हेतु जलप्रदाय योजना लागू कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

262. पाली शहर में जो पीने का पानी मिलता है वह स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब है उस पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

263. काप्रेन में पीने के पानी की टंकी का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

264. केशवरायपाटन में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर):

265. बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में नगर संशोधित योजना के अन्तर्गत महावीर नगर मोहल्ला से

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
डोला डूंगरी हौद (रिजर्वायर) के दरम्यान बिछाई गई ए० सी० व सी० ग्राई० पाइप लाइन में ठेकेदार (ए० सी० व सी० ग्राई०) द्वारा जोइन्ट सही नहीं करने ग्रौर पाइप लाइन पूरी गहरी नहीं डालने में गैप रखने ग्रौर विभाग द्वारा जोइन्ट में शीशा कम लगाने के कारण पाइप लाइन के ग्रनुपयुक्त होने से धनराशि में किये गये घोटाले से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

266. ग्रामीण जलदाय योजनाओं में प्राथमिकता का ग्राधार तय करने पर चर्चा के लिये।

267. लाडनूं शहर (जलदाय योजना) का पुनर्गठन करने पर चर्चा के लिये।

श्री कालूभाई मीणा (प्रतापगढ़)

268. ग्राम पंचायत रामपुरिया, पन्डावा, सिकलाड़, देवगढ़, ग्रचलपुर, सोहागपुरा, कचोटिया, मनोहरगढ़ के गांवों में विभाग द्वारा पेयजल हेतु कोई व्यवस्था नहीं किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) :

269. बीकानेर शहर के लिए लूनकरणसर लिफ्ट कैनाल से पेयजल वितरण की योजना से बिना फिल्टर पानी सप्लाई कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

270. कोलायत क्षेत्र में राजस्थान कैनाल व इससे निर्मित वाटर चैनल में से कैनाल मार्ग पर स्थित गांवों को पेय पानी की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

271. वर्तमान पेयजल योजनाओं पर जहां पानी स्रोत है वहां पर ग्रोवर हैड वाटर टैंक्स स्थापित करा कर बड़े गांवों में घरों तक वाटर लाइन डालकर कनेक्शन दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गंगा सहाय (कठूमर) :

272. राजाखेड़ा में पानी की टंकी बनवाने हेतु चर्चा के लिये।

273. राजस्थान के जलप्रदाय विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) :

274. ग्राम गुहाला (जिला सीकर) के मोहल्ला बुधासिंह की ढाणी में पीने के पानी की व्यवस्था कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

275. ग्राम ग्रामावास (जिला सीकर), ग्राम जाजोद, दांदिया, गुरारा, कोटड़ी-लुहारवास, ग्राम चौकड़ी तहसील श्री माधोपुर (जिला सीकर) में पेयजल की अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

276. कस्बा खण्डेला (जिला सीकर) में पेयजल योजना के विकास हेतु चर्चा के लिये।

277. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के साथ फालतू गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था के ग्रभाव से बीमारियां फैल जाने की समस्या पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 27 पर विचार

श्री ग्रध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं जल

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह कहा गया कि राजस्थान में गंगा नदी से पानी लाया जायेगा। हमारे यहां जल के जो स्रोत हैं, हम अभी भी उनको काम में लेने में असमर्थ रहे हैं। राजस्थान में 33,271 गांव हैं जिनमें से 24,037 गांवों में पानी की व्यवस्था नहीं है। यह पिछली कांग्रेस सरकार की भूल है। 7,199 गांव ऐसे हैं जिनमें जल के स्रोत ही नहीं और यदि कहीं पर हैं तो तो वहां पानी बिल्कुल खारा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमने तो भूल की, आपने इतने महीनों में क्या किया ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : 8 महीनों में कौनसा काम कर दिया ?

श्री रामनारायण चौधरी : आपका पानी उतरता जा रहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पानी उतर रहा है या चढ़ रहा है, देखिए।

5,991 गांव ऐसे हैं जहां पानी अत्यधिक फ्लोराइड युक्त है। इसके अलावा 3,838 गांव ऐसे हैं जहां के पानी का उपयोग करने से नारू की बीमारी हो जाती है। 4 हजार गांवों में 60 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। यदि सम्पूर्ण राजस्थान में पानी की व्यवस्था करनी है तो 1975 की कीमतों के आधार पर 200 करोड़ की आवश्यकता होगी। जनता पार्टी ने घोषणा की है कि 10 साल में पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे तो 400 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। मेरा निवेदन है कि इस आधार पर यदि कम राशि का प्रावधान करके चलें तो 10 वर्ष तो क्या 50 वर्ष भी पीने के पानी की समस्या का समाधान करने में लग जायेंगे। इसके लिए राज्य सरकार को प्रयत्नशील होना चाहिए। मुख्य मंत्री ने कहा है कि मैं सबसे पहले राज्य में पेयजल की समस्या का समाधान करूंगा। मुख्य मंत्री इस समय सदन में नहीं हैं, मैं उनके कथन की ओर ध्यान दिलाऊंगा। वे जब विरोधी दल में विराजमान थे, तो उन्होंने बार-बार बनास योजना के बारे में कहा था और पिछली सरकार से बात मनवाई थी। जयपुर शहर की जल समस्या के स्थाई समाधान के लिए बनास योजना बिल्कुल उपयुक्त योजना है। मुख्य मंत्री सुखाड़ियाजी व मथुरादास माथुर ने घोषणा की थी कि दिसम्बर, 1978 तक बनास योजना का काम प्रारंभ किया जाएगा। उसके बाद सिंचाई विभाग ने रोड़ा अटकाया। एक दूसरी योजना बनी अजमेर-टोंक-जयपुर के लिए सिंचाई और पेयजल की। वह 24 करोड़ की थी, इसके बाद सिंचाई विभाग ने जब मुंह मोड़ लिया, तो अन्डरग्राउंड वाटर बोर्ड ने ट्यूबवैल्स बनाने की घोषणा कर दी। 1971-72 में 81 लाख रुपये मिले, 1973 में 110 लाख रुपये मिले ट्यूबवैल्स व पाइप योजना के लिए। 1977 में 305 लाख रुपये मिले ट्यूबवेल्स व रामगढ़ से पानी लाने के लिए। यदि ट्यूबवैल्स के आधार पर काम होता रहा तो 1991 में जयपुर की जनसंख्या के आधार पर हमें अतिरिक्त पानी चाहिए 12,480 लाख गैलन। मेरा निवेदन है कि ट्यूबवैल्स असफल हो गए हैं, इनसे अधिक पानी लेने से पानी का स्तर गिर रहा है जिससे खेती वालों को नुक्सान हो रहा है। जोधपुर में रामपुरा योजना

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

का प्रावधान हैं। वहां पानी की क्वालिटी खराब होती जा रही है। कई ट्यूबवेल्स बंद हो गए हैं। सम्पूर्ण पैसों का अपव्यय हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जयपुर शहर के पेयजल की समस्या के स्थाई समाधान की यदि कोई योजना हो सकती है तो वह बनास योजना ही है यह योजना 24 करोड़ की बनी थी, वह अब 70 करोड़ की हो गई है यदि यह योजना जल्दी लागू नहीं हुई तो महंगाई बढ़ने के कारण वह 70 करोड़ रुपये से अधिक की हो जायेगी। मेरा निवेदन है, बनास योजना को मांगों में पूरा किया जाए, पहले बंधा बनाया जाए।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उस पर 15 करोड़ रुपये खर्च करें। शेष 55 करोड़ में से प्रथम चरण में 35 करोड़ रुपये व्यय करें। इस तरह से योजना पूरी हो सकती है। अब कौनसी एजेंसी के द्वारा बनास योजना पूरी करायें, यह विशेषज्ञों को सौंपना चाहिए। केन्द्रीय सरकार से अनुदान लेकर, जीवन बीमा निगम, विश्व बैंक व राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेकर इसको हाथ में लिया जाए।

इसके अलावा जल वितरण निगम की स्थापना राजस्थान में होनी चाहिए।

तीसरी बात यह है, इस वर्ष हम 50 लाख गैलन पानी अतिरिक्त देने जा रहे हैं जिसमें से 40 लाख गैलन मिलेगा जमवा-रामगढ़ से। जयपुर में जो बड़ी-बड़ी कोठियां

(3.20 म.प.)

(श्री रामचन्द्र उपाध्यक्ष, पदासीन)

हैं उनको चौबीसों घंटे पानी मिलता है लेकिन शहर के भीतर, परकोटे में केवल प्रात: दो घंटे कम प्रेशर के साथ पानी देते हैं, इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। जो भेदभाव पिछली कांग्रेस सरकार ने कर रखा था वह जनता पार्टी की सरकार में नहीं मिटा तो जनता पार्टी की इमेज निश्चित रूप से गिरेगी। मैं अपनी पार्टी की सरकार पर नैतिक दबाव डालूंगा क्योंकि मैं भूख हड़ताल नहीं कर सकता, आंदोलन नहीं कर सकता। मेरा पुन: निवेदन है कि जयपुर शहर में चौबीसों घंटे पानी दिया जाए। इसमें आपकी असमर्थता है, अगर आप 24 घन्टे पानी जयपुर शहर के परकोटे के भीतर नहीं दे सकते हैं तो कम से कम आप पूरे दिन पानी की सप्लाई की व्यवस्था तो करें। मैं चूंकि जनता पार्टी की सरकार का हूं मेरे ही दल की सरकार है इसलिये मैं और तो कुछ कर नहीं सकता लेकिन कम से कम नैतिक दबाव तो डाल ही सकता हूं आप फिक्र नहीं करें, पानी के खर्च में ज्यादा फर्क नहीं आयेगा। आप तो दिन भर पानी की सप्लाई शुरू कर दें ताकि जयपुर शहर की जनता को पानी की दिक्कत नहीं हो। आप एक एक्सपेरीमेन्ट तो करके देखिये। अगर आप दिन भर, 12 घन्टे पानी देंगे तो जो शहर में मल, मूत्र और मैला पड़ा रहता है वह सभी पानी के बहने से दूर हो जायगा। और गन्दे पानी की आम शिकायतें आती हैं वह भी दूर हो जायेंगी। शहर में कहीं पर आग लग जावें तो जो फायर ब्रिगेड वगैरह को पानी मिलने

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

में दिक्कत होती है, वह दिक्कत भी दूर हो जावेगी। उन्हें भी पानी मिल जावेगा।

इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा। आज हमारे यहां पर पानी के मीटर ठीक नहीं हैं। लोगों के पास ज्यादा रकम के पानी के बिल मीटर्स के खराब होने के कारण आते हैं। इससे जनता को जो परेशानी हो रही है, वह दूर की जाए।

इसके साथ-साथ मैं अन्त में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो आज कामर्शियल चार्जेज पानी के मंदिर व मस्जिद के लिये भी लगा रखे हैं उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह समाप्त किये जायें।

इसके अलावा अन्त में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आये दिन हम यह सुनते हैं कि रामगढ़ की पम्प लाइन खराब हो गयी है। रामगढ़ की 27 इन्च की जो लाइन है वह आये दिन खराब होती है। मेरा निवेदन है कि इसको आखिर आप कब तक ठीक करा देंगे? क्या यह लाइन विद्युत की वजह से खराब होती है या और कोई कारण है? इसकी ओर भी राज्य सरकार ध्यान दे, अगर बिजली के कारण पानी आने में दिक्कत होती है या लाइन में खराबी होती है तो उसकी व्यवस्था की जावे ताकि जनता को तकलीफ नहीं हो।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप अलग-अलग लाइन्स, अलग-अलग स्कीमों के लिये अलग-अलग जनरेटिंग सेट्स क्यों नहीं लगाते हैं? जयपुर की जनता को आये दिन जो पानी की दिक्कत होती है वह इससे बन्द हो जायगी। आपको यह भी पता लगाना चाहिए कि आखिर इसमें क्या खराबी है? अगर आपको लाइन बदलवानी हो तो आप लाइन बदलवायें। आये दिन जो दिक्कत होती है उसे तो समाप्त करें। यह तो पता चले कि रामगढ़ नल योजना की कैपेसिटी कितनी है, कितना इंची नल चाहिये जिससे कि लाइन टूटे नहीं। मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस ओर भी ध्यान देकर इस समस्या को हल करे।

(व्यवधान)

मेरा निवेदन है कि जयपुर में पानी के लिए बड़ी वाटर लाइन आप कब तक डाल रहे हैं? वह कितनी साइज की होनी चाहिये? इस संबंध में आप जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें तो जनता को राहत मिलेगी।

इसके अलावा अंत में मैं यह निवेदन, उपाध्यक्ष महोदय, करना चाहूंगा कि जयपुर शहर में पीने के पानी में कई खराबियां होने के कारण लोगों के पेट में कीड़े पैदा होते हैं। मैं कई माननीय सदस्यों से दवाई की दुकान पर मिला हूं, वे पेट के कीड़ों की दवा ले रहे थे। इसके लिए नीरा-नागपुर स्कीम थी, अखिल भारतीय परिषद् जिसके द्वारा कीड़ों के दमन के लिए दवा निकालने की बात थी। हमारी राजस्थान सरकार भी उस परिषद् की एक सदस्य है। हमारी सरकार ने भी दो लाख 25 हजार रुपये उस स्कीम में जमा कर रखें हैं। उसका सर्वे भी हो गया है। उसके द्वारा कीड़ों के मारने के लिये व कीड़ों को नष्ट करने के लिये सुझाव भी दिये गये हैं। उसको लागू किया जाय तो कीड़ों की जो

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जयपुर में भयंकर समस्या है वह समाप्त हो जायेगी। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप क्वान्टिटी की जगह अच्छी क्वालिटी की दवाओं पर जोर दें और उसे पानी में डालें ताकि कीड़े नष्ट हो जायें।

जयपुर में ड्रेनेज की हालत खराब है। जयपुर में ड्रेनेज सिस्टम की कोई योजना नहीं है। इसके लिये निश्चित योजना बनाई जानी चाहिये ताकि नालियों का पानी नलों में नहीं जाय और उससे बीमारियां नहीं फैलें। उपाध्यक्ष महोदय, जगह-जगह पर गटर लाइन टूटी हुई है वह ठीक करायी जाय। जयपुर सड़क के नीचे से जो गटर लाइन जाती है, जो नालियां थीं उन नालियों पर बाजार बन गये हैं जैसे इन्दिरा बाजार, बापू बाजार। अब उनके नीचे नालियों में बहुत ज्यादा कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है। उन नालियों पर बाजार बन जाने के कारण काफी दिक्कत हो रही है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो ड्रेनेज सिस्टम के लिये पहले नई बस्तियों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। जैसे नाहरी का नाका, संसारचन्द्र रोड और अस्पताल रोड आदि पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे यहां पर सीवेज योजना लिये भी ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिये एक योजना भी बनायी गयी है। इसके लिये 14.95 करोड़ की योजना है। इसमें उत्तरी जयपुर के हिस्से के लिये एक 1.65 करोड़ की योजना है। और दूसरे दक्षिणी जयपुर के हिस्से के लिये 5 करोड़ की योजना है। यह योजना बन चुकी है। उसे आप तुरन्त कार्यान्वित करायें ताकि जनता की दिक्कतें समाप्त हों।

इसी तरह हमारी सरकार की और भारत सरकार की एक फ्लड कन्ट्रोल की योजना है। बरसात में हमारे जयपुर में जगह-जगह पानी भर जाता है जिससे बापू बाजार, चौड़ा रास्ता आदि में नावें चलने जैसी स्थिति हो जाती है। म्यूजियम के पास भी पानी बहुत ज्यादा भर जाता है। उसकी दस करोड़ की योजना बनाई हुई है। नक्शा तैयार है आप जिस किसी भी एजेन्सी से काम करना चाहते हैं उससे करायें और जल्दी से जल्दी इसे शुरू करें।

मैं उपाध्क्ष महोदय, आपको थोड़ा राजस्थान में दूषित जल को साफ करने के लिये निवेदन करना चाहूंगा। फैक्ट्रियों के गन्दे पानी को साफ किया जाना बहुत अनिवार्य है। आज जो वायु दूषित हो रही है वह फैक्ट्रियों के धुंए, चिमनी के धुंए, कली के भट्टों और पैट्रोल के धुंए से हो रही है उसको साफ करने के लिये वायु प्रदूषण प्लान्ट लगाने की व्यवस्था राज्य सरकार को जल्दी से जल्दी करनी चाहिये।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा ग्रामीण जलप्रदाय योजना के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। आज न केवल शहरों में बल्कि सभी जगह पर पानी की समस्या है, उसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पेयजल की समस्या का समाधान करने पर विचार किया जाना चाहिये। इसके लिये एक भारत सरकार की पांच करोड़ की योजना है। मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है कि पांच करोड़ कहीं लैप्स नहीं हो जायें। रकम आ गयी है अतः इस पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही शुरू की जावे। साथ ही साथ इतना निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
जयपुर शहर के भीतर दिन भर पानी चलता रहना चाहिये। यह मैं मेरे दल की सरकार को नैतिक चेतावनी देना चाहता हूं, मैं तो मेरी सरकार पर नैतिक दबाव ही डाल सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा।

एक माननीय सदस्य : यह कैसे बोल रहे हैं, साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री बजरंगलाल शर्मा से बोलने के लिये एक्सचैन्ज किया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मान्डल) : उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा जीवन चले, अच्छे जीवन के लिये अच्छा स्वास्थ्य रहे और अच्छे स्वास्थ्य के लिये अच्छा पानी मिले, यह परम आवश्यक है। आदमी का स्वास्थ्य अच्छी हवा और पानी पर निर्भर है। अच्छी हवा और अच्छे पानी के अभाव में आदमी कुछ भी खा ले, कुछ भी व्यवस्था कर ले उसका स्वास्थ्य ठीक हो ही नहीं सकता। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के गत तीस सालों के शासन में

(व्यवधान)

आप सुनिये। जब आप बोलते हैं तब हम नहीं बोलते हैं। आप बीच में क्यों व्यवधान करते हैं ? कांग्रेस के शासन काल में जो कुछ भी हुआ उसको हम अवश्य कहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीस सालों में कांग्रेस के शासन काल में हमारे क्षेत्र की ओर कांग्रेस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय, करोड़ों पये चिकित्सा पर खर्च हों, सफाई पर खर्च हों, या अन्य साधन सुविधा पर खर्च हों. मैं यह नहीं कहता कि इन पर खर्च नहीं हो किन्तु इन पर जो खर्च हो इससे अधिक पानी व्यवस्था पर खर्च हो क्योंकि पानी जीवन का आधार है। आदमी भोजन बिना कुछ समय रह सकता है, भोजन का विकल्प और कुछ भी हो सकता है पर हवा और पानी का कोई विकल्प नहीं है। जिसका कोई वकल्प नहीं है उस पर प्राथमिकता से विचार करना व कदम उठाना अत्यन्त आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीस साल तक कांग्रेस के शासन काल में इस ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया।

श्री सुखलाल सेमचा : उपाध्यक्ष महोदय, ये कांग्रेस के बारे में बोल रहे है या पेयजल की समस्या के बारे में बोल रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, देश को आजाद हुए तीस वर्ष हो गये पर कांग्रेस शासन काल में इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। गांवों में पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं। मैं यह कहना नहीं चाहता कि कांग्रेस सरकार ने ध्यान नहीं दिया इस ओर प्रयास नहीं किया। पानी के लिये लोग तरसते हैं इसलिये मैं जनता सरकार से निवेदन करूंगा कि पूरी ताकत लगाकर इस समस्या का निदान करे जनता सरकार ने तो प्राथमिकता दी है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
समस्या का निदान किस प्रकार हो, इसके लिये मेरे कुछ सुझाव हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं का निर्माण हो। कम से कम खर्च में अधिक से अधिक पानी का उपयोग हो। आज गांव का काश्तकार नल योजना नहीं चाहता, केवल पीने के लिये पानी चाहता है जब वह 2–3 मील दूर जाकर पानी लाने के लिये गत तीस सालों से भी विवश है तो कोई कारण नहीं कि कुए से पानी नहीं ला सके। गत 30 वर्षों में कुओं का निर्माण कहीं-कहीं पर हुआ है पर वे कुएं या तो कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिये खोदे थे या अपने लोगों का पेट भरने के लिये। मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो मुझे तो एक भी कुआ ऐसा नहीं नजर आता जिस पर सरकार का पैसा लगा हो और पानी आ गया हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने अपने स्वार्थों के खातिर कुए बनाये पर जनता सरकार पीने के लिये पानी देने के लिये अधूरे कुओं को पूर्ण करावे। जो कुए खोदे गये वे तो सिर्फ आठ दस फीट गड्ढों की तरह हैं। वे कुएं पूर्ण हों। मैं चाहता हूं कि कई कुएं बने हैं। ज्यों-ज्यों कुओं में पैसा खर्च होता जाये त्यों-त्यों आगे पैसा दिया जावे। पहले पुराने कुओं को पूरा कराया जाय, जिसमें जितने पैसे लगे उतने लगा कर उसे पूरा किया जाय। जहां पानी नहीं है वहां चाहे आपको पाताल फोड़ कुएं ही बनाने पड़ें आप बनावें। हमारे यहां पर पहले पानी आता था वह खराब था, भारी था वहां कुए बना करके पानी प्राप्त किया। उपाध्यक्ष महोदय, यह जनता पार्टी की सरकार आते ही दो महीने के अन्दर-अन्दर हमारे यहां पर जहां कि पहले खारा व भारी पानी मिलता था अब हमें मीठा पानी मिल रहा है।

श्री सुखलाल सेणचा : इस जनता पार्टी ने आपको पानी पिलाया है लेकिन जनता आपको पांच साल में पानी पिला देगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरा तो निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हमारे यहां पानी की व्यवस्था हुई उसी प्रकार से कूओं को गहरा करके पानी की व्यवस्था सारे क्षेत्र में की जावे।

(व्यवधान)

इसके साथ ही मेरा एक सुझाव है कि जहां से मुख्य योजना आपकी जा रही हो उसके आस-पास के गांव यदि पेयजल की समस्या वाले हैं तो उन गांव को आपको पानी पहुंचाना चाहिये, जिससे कि वहां पानी की समस्या का समाधान हो।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर जिन गांवों में खारा पानी है, मीठे पानी का कोई भी साधन नहीं है उनको आपको प्राथमिकता देनी चाहिये। खारा पानी बीमारी का कारण है। मीठा पानी पहुंचाने से पानी और बीमारी की दोनों समस्या हल हो जाती है।

राजस्थान में पीने के पानी के लिये समान रेट नहीं हैं। कांग्रेस के शासन में बहुत ही अव्यवस्था थी उसको दूर किया जाय और ग्रामीण क्षेत्रों में भी रेट समान की जाय।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

एक दो मिनिट में ही समाप्त करता हूं

Page No. 96

(96)

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जल योजना वाला गाँव है जैसे कारोई गाँव है वहा पर जागेटियों के मोहल्ले में नल नहीं है वहाँ नल के कनेक्शन हो सकते हैं। इस ओर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी जगह पर आपको लाइन डाल कर पानी देना चाहिये। भीलवाड़ा जिले में हुर्डा में एक बार ही पानी दिया जाता है जो कि नहीं के बराबर है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रामप्रसादजी लढ्ढा उसी गाँव के थे उन्होंने हुर्डा के ऊपर बाँध बनाया जिससे वहां के कुएं, जो कि बहुत पानी वाले थे, सूख गये। बड़ा सरसब्ज इलाका था वह वैसा न रहा। बहुत ही खुशहाल था कांग्रेस के टाइम में उसको बरबाद कर दिया गया। वहाँ टंकी बनाई जाय जिससे हुर्डा को पानी मिल सके। मौजूदा टंकी से हुर्डा गुलाबपुरा, हुर्डा मिलों को भी पानी दिया जाता है।

श्री रतनलाल वर्मा : लढ्ढाजी को पानी दे दिया।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : मेरे क्षेत्र में सानगढ़ उमरी, पीतास में पानी का अभाव है व माईका मिंस पानी है। वहां पेयजल की व्यवस्था की जाय।

यह बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने पेयजल समस्या को हल करने के लिये एक भागीरथ संकल्प किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सहायता से 40 करोड़ की योजना बनी है। अन्तरिम बजट में इसके लिये 5 करोड़ रुपया रखा गया है। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगी कि उसमें से कितनी धनराशि का युटिलाइजेशन हुआ और कितना होना शेष रहा, कितनी धनराशि का युटिलाइजेशन नहीं हो सका।

जमुवारामगढ़ का बन्ध है। उससे जयपुर शहर को लक्ष्मणगढ़ डूंगरी पर जो पानी की टंकी बनी हुई है वहां शुद्ध हो कर पेयजल दिया जाता है। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि जमुवारामगढ़ से जयपुर शहर को शुद्ध पानी सप्लाई किया जाता है किन्तु उस गांव को शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता है। वहीं से ही उनको पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिये। अभी कोई व्यवस्था न होने से गाँव के लोगों में बहुत ही उत्तेजना है। वे कहते है, कि यदि हमारे गांव को पानी नहीं सप्लाई किया गया तो हम जयपुर शहर का ही पानी बन्द कर देंगे। जयपुर शहर को वहाँ से पानी शुद्ध करके सप्लाई किया जा रहा है किन्तु वहाँ के लोगों को पानी उपलब्ध नहीं है। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन किया है और माननीय मंत्रीजी से भी निवेदन है कि उनको पानी उपलब्ध करायें। बीच में 1½ किलोमीटर पर पड़ने वाला एक छोटा-सा गाँव है वहाँ पर टंकी का निर्माण किया गया लेकिन वह अभी तक अधूरी है। जब मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न किया तो कहा गया कि अर्थ संकट के कारण वह पूरी नहीं कर पाये। एक छोटा-सा गांव है उस को पानी उपलब्ध कराना है। यदि टंकी पूरी करा दी जाती है तो उस गाँव को पानी मिल सकता है।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मेरे क्षेत्र में पड़ने वाले लक्ष्मीनारायण हौदा की मोरी आदि जो स्थान है वहाँ के लोगों को पानी नहीं मिलता है। मैं यहाँ के अधिकारियों से कह-कह कर थक गयी लेकिन उन्होंने उनको पानी उपलब्ध नहीं कराया। वे गरीब तबके के लोग हैं बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं। जब-जब भी मैंने कहा' हर बार यह उत्तर दिया गया कि दो महीने के बाद, दो महीने के बाद पानी उपलब्ध करा देंगे लेकिन 12 महीने में भी पानी उपलब्ध नही कराया गया। लोगों ने आकर घेराव किया। या तो वहां जाकर उनको आश्वासन नहीं देना चाहिये और जब आपने आश्वासन दे दिया तो उनको पानी की सुविधा उपलब्ध करायें। माननीय जोशी-जी, गोयल साहब आदि आदि ऑफिसर्स आपसी रंजिश के कारण ध्यान नहीं देते हैं इसलिये भी काम नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय, उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोगों को जो नुक्सान हो रहा है उसका कौन भुगतान करेगा ?

श्री मूलचन्द डागा : यह मंत्री परिषद् पर आक्षेप लगा रही हैं। अफसरों की चापलूसी को जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, शान्त होइये।

श्री माधोसिंह कच्छवाह : यह हर वक्त बोलते रहते हैं। यह कोई तरीका नहीं है। जनता ने इनको संसद से निकाल दिया, आप इनको सदन से निकाल दीजिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर, बड़ी प्रतिकूल परम्परा डाली जा रही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो माननीय सदस्य ने कहा .....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या !

श्रीमती सुमित्रासिंह : मैं निवेदन करना चाह रही थी कि हम सदन की गरिमा के अनुकूल परम्परा का पालन नहीं कर रहे हैं। किसी भी सरकारी अधिकारी का नाम लेकर उसके खिलाफ वेग चार्जेज के आधार पर कहना सदन की परम्परा नहीं है। जो भी बात कहनी है वह बिना नाम लिये कही जा सकती है। यों ही किसी का नाम लेकर चार्जेज लगा देना उचित नहीं है क्योंकि सरकारी अधिकारी को सफाई पेश करने का मौका नहीं मिलता है। यह तो उनके मोरल को डाउन करने वाली बात होगी।

श्री माधोसिंह कच्छवाह : उपदेश क्यों दिया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्रीमती उजला अरोड़ा : पिछले सत्र में माननीय मंत्री महोदय से कहा था। उन्होंने कहा था कि बात की जायेगी। जो अपराधी हैं उनको सजा दी जानी चाहिये थी लेकिन आज तक उन्होंने बात करना भी उचित नहीं समझा इसीलिये आज सदन के अन्दर कहना पड़ा है।

मरुस्थल का प्रदर्शन था। उस समय में एक दूसरे माननीय सदस्य वहां थे। अध्यक्ष थे श्री भागीरथजी। सामान्य चर्चा के दौरान मैंमुद्दे उठाये गये तो

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
राजवंशी ने कहा कि किराये के लोगों को ले आयी हो। यह सदन के दो माननीय सदस्यों का अपमान है। मैंने जाकर माननीय मुख्य मंत्रीजी को यह बात कह दी। फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाय यह उचित नहीं है। इसी तरह से निवेदन करना चाहूंगी कि रामगढ़ का जो पानी है उसका बहाव सिल्ट होने के कारण कम होता जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामगढ़ बन्धे की चार-चार फीट की चादर चलती है और पानी बह कर चला जाता है। बूंद-बूंद पानी के लिए हम तरसते हैं और पानी इकट्ठा करने के लिए योजना बनाते हैं किन्तु पानी इस तरह से बहकर चला जाता है। मैं नहीं समझ पाती कि चार-चार फीट की चादर चलती है और उससे किनारे टूट जाते हैं फिर भी ठीक व्यवस्था नहीं की जाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पुराने जमाने में पानी को संग्रहित करने के लिए टांके और तलैया बनाई जाती थी और एक तालाब का पानी दूसरे तालाब में जाता था। लेकिन आजकल इस तरह से पानी का अपव्यय हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां विश्व बैंक की 14 सदस्यों की एक टीम आई थी, वह हमें पैसा उपलब्ध कराने वाली थी। उसके क्या ब्यूज हैं यह माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर के दौरान बतायें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहां पेयजल बोर्ड बनाया जाना चाहिए।

साथ ही इसमें मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि जो गांवों में पशु और पक्षी हैं उनके लिए भी पानी का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उनके लिए भी प्रावधान रखा जाना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हम सौर ऊर्जा से भी सहायता ले सकते हैं और अधिक पानी उपलब्ध करा सकते हैं। पन चक्की के प्रयोग से भी हम अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से पानी के वितरण की व्यवस्था ठीक बैठ सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस होता है और विपक्ष के लिए बड़े शर्म की बात है कि 30 साल में पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करा सके। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे गांवों में हमारी बहनें तीन-तीन और चार-चार मील से सिर पर मटके रखकर पानी लाती हैं। हमारे विभाग के व्यवस्थापकों को इसकी चिन्ता नहीं होती कि उनका अधिकांश समय सिर पर पानी लाने में ही बीत जाता है। मेरा निवेदन है कि गांवों में जल उपलब्ध करायें और शहरों में भी समुचित जल की व्यवस्था भी करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : . . . हमारी 225 करोड़ की जो कुल योजना बनेगी उसके लिए एक कमेटी का हम निर्माण करें। जब तक पूरी योजना लागू नहीं हो तब तक स्थाई रूप से पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध करायें।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुल मोहम्मद !

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर की नल योजना के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जयपुर विश्व का एक विख्यात सिटी है और एक तरफ से हिन्दुस्तान का दिल है। ऐसे जयपुर शहर के अन्दर जिस तरह का पानी पीने को उपलब्ध होता है वह पिछली सरकार का कारनामा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह पानी हम सब पीते हैं। मेरी मंत्री महोदय से बातचीत हुई तो मैंने उनसे कहा कि हम ऐसा पानी पीते हैं जिससे कीड़े हो जाते हैं। तो वह कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे भी पेट में कीड़े हैं, आप मुझे देख लें। इस तरह का जवाब हमें मिले तो हम क्या आशा करें कि वह कीड़े मारने के लिए कोई व्यवस्था कर सकते हैं। यह कीड़े पेट में बहुत बड़े-बड़े हो जाते हैं। मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि आपके पेट में लम्बे कीड़े तो नहीं हैं। अगर हों तो निकलवा लीजिए वरना होंगे बड़ा दिक्कत होगी बाद में। ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पेट के कीड़ों का इलाज तो हो जायेगा लेकिन दिमाग का इलाज नहीं होगा।

श्री गुल मोहम्मद : आपके पेट में भी मुझे कीड़े लगते हैं जो कि करीब 1-1 मीटर लम्बे होंगे।

●,

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर की वाटर लाइन के बारे में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह वाटर लाइन बहुत पुरानी हो चुकी है। आखिर इसकी कोई मियाद तो होगी? इस वाटर लाइन को डालने के बाद इसकी मियाद तो होगी। 20 साल बाद, 25 साल बाद या 50 साल बाद यह लाइन चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या वह हमेशा के लिए चलती रहनी चाहिए? आखिर इसका कुछ तो पीरियड होना चाहिए। कब इसका पीरियड खतम होगा? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कई जगह जयपुर में वाटर लाइन टूट चुकी है। उसमें सीवर लाइन का पानी मिक्स होकर हमको पीने को मिलता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर बात है इसको बहुत ही गम्भीरतापूर्वक माननीय मन्त्री महोदय लें। वह देखें कि यह लाइन कब डाली है, इसको कितना पीरियड हो गया और यह कब चैन्ज करनी है। कहीं यह नहीं हो कि हम जयपुर में रहने वाले सभी माननीय सदस्य और जयपुर वासी बीमार पड़ जायें, फिर भी इसका कोई हल ही नहीं हो सके।

मैं कहना चाहूंगा खासतौर से कि जयपुर के अन्दर एक बहुत जबरदस्त बीमारी है और वह मीटरों की है। प्राइवेट मीटर लगाये जाते हैं और फिर वह गवर्नमेन्ट के कर लिये जाते हैं। प्राइवेट मीटर आदमी अपना लगाता है और मीटर गवर्नमेन्ट के कर लिए जाते हैं, और गवर्नमेन्ट उनसे रेन्ट चार्ज करती है। जब मीटर खराब हो जाते हैं तो उनकी दुरुस्ती नहीं होती है। वह कहते हैं कि मीटर हटा लीजिए और फिर कनेक्शन काट दिये जाते हैं। दूसरा मीटर वह लगाते नहीं। जब मीटर सरकारी बना लिया और रेन्ट लेते है तो दूसरा मीटर क्यों नहीं लगाते? या तो उसको सरकारी नहीं करें और अगर सरकारी कर लिया तो फिर दूसरा मीटर सरकार को ही लगाना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए।

(श्री गुल मोहम्मद)

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर के अन्दर आये दिन 20-50 रुपयों के बिल आते हैं जबकि मीटर बन्द पड़ा होता है। 6-7 रुपये का पानी खर्च होता है लेकिन इसके बावजूद जो गरीब जनता है, जो कि ऑफिस में नहीं जा सकते, अनपढ़ हैं, जिनको पता ही नहीं कैसे कहां जायें, उनको तीस-तीस और चालीस-चालीस रुपये का पेमेन्ट करना पड़ता है। इस प्रकार की व्यवस्था इस विभाग में बिगड़ी हुई है, इसको मंत्री महोदय नोट करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में ड्रेनेज का मसला है वह बहुत जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जयपुर के अन्दर ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए कभी कोई प्लानिंग नहीं किया गया। जनता कॉलोनी, सेठी कॉलोनी, सिन्धी कॉलोनी, बजाज नगर में जितने भी इलाके है या और दूसरी साइड है कहीं भी ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। बरसात के अन्दर यहां पर पानी इस कदर भर जाता है कि कारें रुक जाती हैं और दो-दो और तीन-तीन घन्टे तक आदमियों को खड़ा होना पड़ता है। यह जयपुर सिटी की हालत है जिसको हम पिंक सिटी कहते हैं और विश्व विख्यात सिटी है। जब हम बाहर जाते हैं और लोग कहते हैं तो बड़ा अफसोस होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीवर लाइन की जो 15 करोड़ की योजना भी बनाई गई है उसको जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करें, यह बहुत जरूरी है। अगर सीवर लाइन नहीं बनेगी तो बहुत ही गड़बड़ी हो जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बनास योजना, जो कि जयपुर के लिए बहुत पुरानी बनी हुई है, 24 करोड़ की योजना थी। आज वह योजना पूरे 70 करोड़ की हो गई है। अगर उस योजना को चालू नहीं किया तो वह 70 करोड़ के बजाय और बढ़ जायेगी, हो सकता है 1 अरब से भी ज्यादा की हो जाये इसलिए उस योजना को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं जिसमें एक गांव है जिसका नाम गंटोर है। उसमें एक कुआं है। उस कुए का पानी सूख जाता है। वहां पीने के लिए पानी नहीं है। अभी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घाट की गूनी, चौकड़ी तोपखाना हजूरी के अन्दर ही नहीं, बल्कि पूरे शहर के अन्दर पानी की पूरी व्यवस्था नहीं है। कभी पानी रात को छोड़ते हैं और कभी दिन में छोड़ते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो घंटे पानी मिलता है। ऐसी व्यवस्था की जाये कि जयपुर में जैसे पहले 24 घंटे पानी मिला करता था अब भी 24 घंटे पानी मिले।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री गुल मोहम्मद : मैं कहना चाहता हूं कि विधायकों को, मंत्रियों को और खास-खास आदमियों को 24 घंटे पानी देते हैं तो गरीब जनता को पानी देने में क्यों कतराते हैं ? गरीब जनता को भी 24 घंटे पानी देना चाहिये । मैं इतना ही कह कर बैठता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओम प्रकाश ।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बूंदी नगर में जो पानी की टंकी बनी हुई है, वह पहाड़ी के ऊपर बनी हुई है । वह दो बार टूट चुकी है । एक हिस्सा पीछे का है, वह दो बार गिर चुका है । उसे वापस ठीक करके उसी टंकी को बना दिया गया है । मैं समझता हूं, यहां के अधिकारियों को इस घटना का पता भी नहीं होगा । पहले भी कई बातें हो चुकी हैं । इसी प्रकार जो टंकी बनी हुई है उसकी जो क्षमता है वह बहुत ही कम है इसलिए एक और टंकी बढ़ाई जाये । मैंने पूर्व में भी मंत्री महोदय को बताया था कि एक नल लगाने के लिए 11 रुपये की रेट है उसके बजाय 55 रुपये हमारे यहां जो अधिकारी हैं उनके द्वारा लिये जाते हैं । अधिकारी कहते हैं, 55 रुपय लाओ तो नल लगेगा । ठेकेदार के माध्यम से पैसा लिया जाता है । इस प्रकार से बूंदी में करप्शन चलता है ।

बूंदी के अन्दर जहां बड़े-बड़े अधिकारी रहते हैं वहां 8-10 घंटे पानी पहुंचता है । जहां गरीब आदमी रहते हैं वहां पानी नहीं मिलता । मैं कुछ मोहल्लों के नाम बताना चाहूंगा—बालचन्द पाड़ा, गुरु नानक कालोनी म.रा गेट, मोरडी पाड़ा । ये इस प्रकार के मोहल्ले हैं जहां पानी नहीं पहुंचता । गरीबों की जहां कॉलोनीज बनी हुई हैं, वहां पानी उपलब्ध नहीं हो पाता इसलिए वे परेशान होते हैं । अगर पानी मिलता है तो एक मन्जिल पर पानी जाता है जबकि अधिकारी की चार-चार मन्जिल की बिल्डिंग हो फिर भी पानी उपलब्ध हो जाता है ।

इसी प्रकार बूंदी नगर से मिलते हुए गांव हैं छतरपुरा, रघुबीरपुरा, हट्टीपुरा, सिलोर ।

श्री महबूब अली : माननीय सदस्य, यह बताने का कष्ट करेंगे कि अधिकारी के यहां कैसे चार मन्जिल तक पानी पहुंच जाता है और दूसरों के यहां नहीं पहुंचता है ?

श्री ओम प्रकाश शर्मा : जिन मोहल्लों में अधिकारी रहते हैं वहां पानी पहुंचता है, जहां गरीब लोगों की बस्ती है वहां पानी नहीं पहुंच पाता ।

इसी प्रकार बून्दी नगर से मिलता हुआ गांव छतरपुरा है, उस गांव में भी नल योजना चालू की जाये । अगर वहां नल योजना चालू कर दी जाये तो गांव के लोगों को पानी मिलेगा ।

श्रीमान, आज भी 62 प्रतिशत ऐसे गांव हैं जहां पेयजल के नाम पर खारा पानी उपलब्ध हो पाता है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि जहां पर भी पेयजल की व्यवस्था नहीं है, वहां व्यवस्था की जाये । बून्दी जिले में ऐसे भी गांव हैं जहां 300 फीट गहरा खोदने पर भी पानी नहीं मिलता । 8-4 किलोमीटर तक पानी लाने के लिये जाना पड़ता है । ऐसे गांव के नाम मैं बताना चाहूंगा जो मेरे क्षेत्र में आते हैं, बरड़ में, गरडंद पलका, जलोदी, चवरपुरा, आमथून खड़ीपुर आदि यह ऐसे गांव हैं जहां पीने का पानी गर्मियों में नहीं मिलता है । बरसात के कारण नाले भर जाते हैं, उनके पानी से

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

प्यास बुझाते हैं। जैसी कि हमारी योजना है। साल में पानी देने की, अगर इस गति को तेज करें और जहां बिलकुल पानी नहीं मिलता है, उन गांवों को शीघ्र से शीघ्र पानी दिया जाये तो गांव वालों को लाभ होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनन्दन व्यास।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का मसला बहुत महत्वपूर्ण है। पेयजल के लिए 200 करोड़ में से 25 करोड़ इस वर्ष खर्च होंगे। अगर इसी रफ्तार से खर्चा हुआ तो 8 वर्षों में राजस्थान के सभी गांवों को शायद ही हम नलों से पानी पहुंचा सकेंगे। मैं इस बात को नहीं मानता कि गांवों में पानी नहीं है। ठीक है, नलों के हिसाब से जैसा पानी चाहिये, वैसा नहीं है। राजस्थान के अन्दर पुरानी बावड़ियां, तालाब हैं और वह भी संगमरमर के बने हुए दिखलाई पड़ते हैं। उस समय के प्रशासक थे, उन्होंने भी पानी की व्यवस्था की थी। आज के लोग भी, आज की परिस्थितियों के अनुकूल व्यवस्था कर रहे हैं। यदि जनता सरकार इस कार्य को प्राथमिकता देती है तो धन्यवाद की पात्र है।

पेयजल की व्यवस्था के लिये तीन बातें कहूंगा। राजस्थान सरकार पेयजल की योजना को जल्दी कार्यान्वित करना चाहती है तो राजस्थान नहर में किसी एक पाईंट से नल के माध्यम से सारे रेगिस्तानी इलाके में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करे। जो शहर हैं, सिरोही आदि वहां टंकियां ठीक करवानी पड़ेंगी। स्थान-स्थान पर सरकार के माध्यम से सरकारी अन्यथा सार्वजनिक सहयोग लेकर टंकियों के माध्यम से पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। गांवों में जो पुराने पीच थे जहां से लोग पानी भरते थे, पशु पीते थे, उनकी ठीक व्यवस्था करवानी पड़ेगी। दुर्भाग्य यह रहा है कि पीच के ऊपर कब्जे हो गये। सरपंच बेच कर खा गये। हम लोग पीच की व्यवस्था करें, यह दो बातें प्रमुख हैं।

जिस विभाग के माध्यम से पानी पहुंचना है वह जन स्वास्थ्य विभाग जयपुर में है। उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी व्यवस्था बिल्कुल गन्दी है। अगर इस काम को करना है तो सबसे पहले मंत्री महोदय को इस विभाग को ठीक करना पड़ेगा। जिस विभाग के माध्यम से 25 करोड़ रुपये का खर्चा करके व्यवस्थित रूप से हमें राजस्थान के गांवों में पेयजल की व्यवस्था करवानी है अगर उसे हम ठीक नहीं कर सके तो जो हमारा प्लान है वह मृग मरीचिका बनकर रह जायेगा। उसी तरह की स्थिति होगी जैसे मृग भागता रहता है, थक जाता है पर उसे पानी नहीं मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सबसे पहले इस विभाग के एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था को ठीक करने का प्रयत्न करें।

छोटी-सी दो बातें और कहूंगा। सिरोही में एक खन्दरा गांव है, उसको पानी देने के लिये योजना बनाई है। 15 गांव आदिवासी लोगों के हैं। 15 के 15 गांव बह गये, लाखों रुपया खर्च हो गया। सार्वजनिक रूप से चन्दा कर-कर खा गये। उसी गांव में जो खन्दरा की योजना शुरू कर रहे हैं

Page No. 103

(104)

(श्री रघुनन्दन व्यास)

इसमें कहीं ऐसा न हो कि 'प्रथम ग्रासे मक्षिका पात': कहीं पहले ही ग्रास में मक्खी न आ जाय। यदि उस गांव के लोगों को विश्वास दिलाया है तो उस योजना को क्रियान्वित करने के लिये प्रयत्न करें। आदिवासी गांव हैं इसलिये वहां से जन सहयोग नहीं मिलने वाला है। वह पहाड़ी क्षेत्र है। उस क्षेत्र में मई के बाद तीन महीने तक पानी उपलब्ध नहीं होता। 3-3, 4-4, और 5-5 मील तक पानी के लिये जाना पड़ता है। आबू की ही यह हालत नहीं है राजस्थान की हालत विचित्र है। कहीं 5, 7 व 8 मील तक पानी के दर्शन नहीं हैं तो कहीं थोड़ी-थोड़ी दूर पर पानी मिल जाता है। कहीं खारा पानी मिलता है तो कहीं मीठा मिलता है और कहीं अपने आप पानी उफनता हुआ मिलता है। राजस्थान को ऐसी प्राकृतिक देन है। इसके लिये कुछ नहीं कहा जा सकता है। मेरा निवेदन है कि खन्दरा गांव की योजना को शुरू करें।

एक दूसरी स्कीम जालौर के अन्दर नेगलवा से शुरू हुई और सिराणा में पूरी हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के मुख्य मंत्रीजी उस स्कीम का उद्घाटन करने गये थे। उनके साथ इतना बड़ा काफिला था कि रामसिया ग्राम में एक युवक मिट्टी में दब गया, जिसकी खबर बाद में पड़ी। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, सिराने ग्राम में पानी नहीं पहुंचता है। माननीय मंत्रीजी, पानी के सम्बन्ध में जो इतने घपले हुए हैं, उनकी जांच करें। कम से कम नेगलवा स्कीम पर जो रुपया लगा है उसकी जांच करें। लाखों रुपया खर्च कर दिया लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। पानी देना है, नल पहुंचाना है, कुये खुदवाने हैं, टंकी बनाई जायगी, रहने को क्वार्टर बनाये जायेंगे, पाइप लाइन बन जायेगी लेकिन जल स्रोत नहीं है। मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, पहले जल स्रोत का पता लगायें, पानी किस जगह है, किस जगह नहीं है। जालौर में नलकूप खुद गये। उनके आधार पर मकान बन गये, लेकिन पानी नहीं निकलने की वजह से, उपाध्यक्ष महोदय, वे मकान 10-10 साल से सूने पड़े हैं। मेरा निवेदन है इस प्लानिंग में परिवर्तन लाइये। जहां पानी पहुंचाना है, वहां पहले नलकूप ढूंढें तभी पैसों का सदुपयोग होगा, वरना जैसी आलोचना हम करते हैं, दूसरे लोग भी करेंगे। इस विभाग द्वारा लाखों रुपया खर्च करके बनाई गई योजनाओं की कहीं गटर जैसी स्थिति न हो जाय, जो शहरों के जल प्रदूषण की समस्या बन जाय और चारों ओर घूमने वाला विभाग ही रह जाय। जैतारण व पाली से आने वाले माननीय सदस्य शंकरलालजी और मूलचन्द जी चिल्लाते रहे, लेकिन गावों में गन्दगी रहती है उसकी ओर ध्यान नहीं गया। उपाध्यक्ष महोदय, एक आंख से कौन देखता है, जिसकी एक आंख होती है। हमें दोनों आंखों से पूरा देखना चाहिये। ऐसी प्रार्थना करता हुआ शुभकामनायें देता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल की व्यवस्था के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने भी यह कहा था कि हम गांवों में 10 साल में पीने के पानी की व्यवस्था कर देंगे। राजस्थान की सरकार, जो जनता पार्टी की सरकार है, ने भी अपने मैनीफेस्टो में सबसे पहले यह

(श्री अब्दुल अजीज)

कहा था कि पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। इस प्रलोभन के द्वारा सत्ता हासिल की और अब जनता पार्टी सत्ता में है। सत्ता को 8 महीने भोगने के बाद ही, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूं कि आप कहां तक पहुंचे? पिछली बार करोड़ों रुपयों की, राशि खर्च की, कहां की, वह आपको खुद को मालूम है। गांवों में कहीं पानी नहीं पहुंचा, फिर किसके यहां योजना गई। अखबारों में घोषणायें नहीं छपी होतीं और गांवों के विकास की बात की होती तो कभी आपके सदस्य नहीं बोलते। हम तो इस लिये बोलते हैं कि विरोध में हैं। आप माफ करना मेरे हाथ में चिट्ठी है जो मेरे कटौती प्रस्ताव सं० 108 के जवाब में है। मैं कहता हूं, मेरे इलाके में जहां बढ़ती हुई इन्डस्ट्रीज हैं, बढ़ती हुई माइन्स हैं और लोगों की बड़ी तादाद है, तकरीबन 50 हजार लोग वहां आते हैं फिर भी वहां पर पाखाना जाने तक की व्यवस्था नहीं है, शहर में गन्दगी है। जो मजदूर आपके यहां से जाते हैं उनके प्रति आप अपना कुछ तो उत्तरदायित्व निभायें। श्री महबूब अली साहब भी एक सोशल आइडियोलोजी के आदमी हैं। वे इस बात के हामी हैं कि जिनका जो हक है वह उन्हें मिले। मेरे क्षेत्र में आज 50 हजार की आबादी है। आपकी घोषणा 30 हजार की आबादी के लिये खर्च करने की है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 9 महीने में एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। बोरावड़ में जहां हरिजन लोग रहते हैं उनको अलग-अलग रहने की जगह मिलती है। अगर आपकी योजना उनके घरों तक नहीं जा सके तो हम यह समझेंगे कि आपकी जितनी योजना हैं वह शहरों के लिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बोरावड़ में हरिजनों के मोहल्लों में पानी पहुंचे, उनकी टंकी में पानी हो इसके लिये मैं बार-बार लिखता रहा हूं। इसी तरह आप रामसरा ग्राम में पानी योजना के अन्तर्गत टंक बनायें। लेकिन पानी रैगरों के यहां पहुंचाने में आप असमर्थ हैं। वे गरीब किसको कहें? आप गरीब लोगों के प्रति रहम दिली से काम नहीं करते हैं। आपके ऑफिसर्स हैं उनके कारण वह आप तक आवाज नहीं पहुंचा सकते हैं। खुदा के लिये आप तैयार रहें गरीबों को राहत पहुंचाने के लिये।

जो मालदार है, जिनका दबाव है और जो अपने प्रभाव से काम करा लेते है उनके लिये तो आप करोड़ों रुपया खर्च करेंगे। जो बीकर सेक्शन है, जो आप तक अपनी आवाज उठा नहीं सकता है, कह नहीं सकता है उसके लिये, मेरा निवेदन है, ज्यादा धन दें। जो गरीब छोटे-छोटे कुटम्बों में रहते हैं उनको आप अपनी योजनाओं से लाभ पहुंचायें।

मकराना में 2.80 लाख की योजना है। मुझे मालूम नहीं, स्वीकृत होगी या नहीं होगी लेकिन मैं कहता हूं 8 महीने में अभी तक कुछ नहीं किया, नगरपालिका में पाइप लाइन नहीं दी। 50 हजार की आबादी के लिये, सफाई के लिये पानी की जरूरत है। पीने के पानी की जरूरत है। तो ऐसे माहोल में, उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम जहां दो करोड़ सालाना मेरे यहां से राजस्व आता है चाहे खानों के माध्यम से, चाहे सेल्स टैक्स के माध्यम से, चाहे विद्युत के माध्यम से आये-दो करोड़ राजस्व मिलता है, मेरे क्षेत्र से आपको अच्छा पैसा मिलता है, इसलिये इस क्षेत्र की योजना के लिये कुछ

(श्री अब्दुल अजीज)
कीजिये और योजना का आबादी के हिसाब से बंटवारा कीजिये ।

गांवों के सिलसिले में मैं अर्ज कर रहा हूं कि मेरे गांव में एक बस्ती है जो कि वैसे तो मकराना के वार्ड में ही है पर वहां पर शिडयूल्ड कास्ट्स के लोग रहते हैं और कुछ जागीरदार लोग भी रहते हैं। मैं चाहता हूं कि वहां पर भी पेयजल की व्यवस्था करें। इसी तरह से गच्छीपुर से पालड़ी वगैरह-वगैरह गावों में पेयजल की असुविधा है। मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, अनुरोध करूंगा कि इन तमाम बस्तियों की ओर ध्यान दें और. .

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं तो वैसे ही विशेष समय नहीं लेना चाहता हूं, आपको घन्टी बजाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मूलचन्द सामरिया !

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह नदेरा !

(अनुपस्थित)

श्री रामसिंह विश्नोई !

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल के सम्बन्ध में मैंने भी कटौती प्रस्ताव दिया है । उपाध्यक्षजी, पानी मानव मात्र के लिए भोजन और हवा की तरह एक बहुत ही आवश्यक वस्तु है जिसके बगैर मानव जीवित रह नहीं सकता । जहां पर खोजने से ढूंढने से आसानी से पानी प्राप्त हो सकता है वहां पर जनता अपने आप पानी की व्यवस्था कर लेती है, लेकिन जिन क्षेत्रों के अन्दर पानी की व्यवस्था नहीं हो, जिन स्थानों पर पानी खारा हो खोदने से भी पानी प्राप्त न हो और जिस पानी को पीने से आदमी को बीमारी या रोग हो जाता हो, राज्य सरकार का कर्तव्य है कि उन स्थानों पर जनता और मवेशियों के लिए पानी की व्यवस्था करे । मान्यवर, राजस्थान सरकार ने बारह महीने पहले जिन स्थानों पर म्यूनिसिपलिटीज थीं उन तमाम जगहों पर पानी की व्यवस्था की। होना तो यह चाहिए था कि जहां पर पानी खारा है जहां लोगों को दस-दस मील तक पानी के लिए जाना पड़ता है, जहां गांव के गरीब किसानों को, उनकी औरतों को अपनी बैलगाड़ियों में मवेशियों को पानी पिलाने के लिए पूरे दिन पानी लाने की व्यवस्था करनी पड़ती है वहां पर राजस्थान सरकार को प्राथमिकता से पानी की व्यवस्था करनी चाहिए । लेकिन बड़े दुःख की बात है कि आज तक वह व्यवस्था, जो कि वर्षों पहले से हो जानी थी, नहीं हो पाई है । मान्यवर, पेयजल के सम्बन्ध में जो कुछ खामियां विभाग की हैं उनकी ओर आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

मान्यवर, जहां पानी की वास्तव में स्कीम बन गई है, वहां पर आप मानेंगे कि एक महीने के अन्दर पांच दिन भी पानी नहीं पहुंचता है। प्रथम तो लाइनमैन नहीं रहता, कुआं चलाने वाला वहां नहीं रहता । अगर कभी कुआं चलाने वाला मिल भी जाय तो बिजली उपलब्ध नहीं होती है । बिजली आती है तो वोल्टेज की कमी के कारण कुए चलते नहीं और कुए चलाते हैं तो बहुत कम वोल्टेज होने से मोटरें जल

(श्री रामसिंह बिश्नोई)

जाती हैं। मोटर का कम से कम 15-20 दिन तक रिप्लेसमेंट नहीं होता है। इसलिये 15-15 दिन तक गांव के लोगों को पानी का इन्तजार करना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि जहां पर पानी की व्यवस्था है, पानी की जल योजना चालू है वहां पर बिजली विभाग को देखना चाहिए कि सचमुच बिजली मिलती रहे। जहां पर लोग योजना के भरोसे हैं वहां पर हमेशा पानी समय पर पहुंचना चाहिए। कम से कम सात-सात, आठ-आठ दिन तक लोगों को पानी मुहैया नहीं होता है और गांव के लोगों को पानी के लिए मुंह देखना पड़ता है। दस-दस दिन तक बाट देखते हैं पानी को, तरसते रहते हैं। जो पुराने साधन थे वे साधन भी बन्द हो गए। केवल मात्र पानी की जल योजना पर आधारित हैं। इसलिए सरकार इस ओर ध्यान दे कि वहां का लाइनमैन, वहां के अधिकारी बराबर दो-चार दिन देखते रहें। वहां के ओवरसियर, एक्स.ई.एन. एक महीने में रिपोर्ट भेजते रहें। लाइनमैन की रिपोर्ट बराबर आती रहे ताकि सही स्थिति का जायजा मिलता रहे।

इसी तरह से मैं निवेदन करूंगा कि जो स्कीम राज्य सरकार ने बनाई हुई है उनके किनारे-किनारे कुछ गांव हैं, किन्तु स्कीम के आस-पास के छोटे-मोटे गांव पानी से वंचित रह गये हैं। मैं चाहूंगा कि जो गांव किसी गलती से, अनजाने में या कैसे भी वंचित रह गए हैं, उन गांवों को मिला कर उनके लिए अलग से स्कीम बनानी चाहिए। जो गांव पानी से वंचित रह गए हैं, उनके लिए नई योजना नहीं बने या उन गांवों को योजना से जोड़ा नहीं जायगा, तो वे गांव पानी से रह जायेंगे इसलिए उन गांवों को योजना से जोड़ने के लिए बजट में प्रावधान करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र का खेजडली गांव है जहां पर करीब चालीस-पचास हजार की टंकी बनाई गई थी। वहां पर जिस प्रकार की टंकी बनाई गई थी राज्य सरकार ने कम से कम दस ऐसी टंकियां और भी बनाई थीं। एक ही ठेकेदार ने एक ही टाइप की टंकियां बनाई थीं। लेकिन वह सारी टंकियां डिफेक्टिव हो गईं, लीक हो गईं। उनका रिप्लेसमेंट करने के लिए कार्यवाही होनी चाहिए व जिस अधिकारी ने टेंडर खोला, टंकी बनवाई या जिस अधिकारी ने टेंडर खोला, ठेका दिया उसके खिलाफ जांच हो और जो भी आवश्यक हो वह कार्यवाही की जाय।

माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे क्षेत्र के अन्दर लूणी नदी के आस-पास पचासों ऐसे गांव हैं जिनका पानी खारा है, पानी पीने के योग्य नहीं है। उस पानी को पीते ही मवेशी बीमार हो जाता है, मर जाता है। ऐसी स्थिति के अन्दर गांवों का सर्वे किया जाय। खेजडली में टंकी बनी हुई है, उसके आस-पास के गांवों का सर्वे करवायें और उसके बाद स्कीम मंजूर की जाय। चालीस-पचास गांव लूणी नदी के किनारे आए हुए हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए निवेदन करते हुए, मान्यवर, अब मैं एक बात यह भी कहूंगा कि गांवों के अन्दर जो पुराने हौज हैं, गांव में पुराने बने हुए कुए के हौज हैं उनको भी काम में लेना चाहिए। गांवों में छोटी-छोटी, तीन-तीन, चार-चार हजार लीटर पानी के हौज और टंकियां बनी हुई हैं, उनको काम में ले सकते

(श्री रामसिंह बिश्नोई)

हैं। जल योजनाएं बनने के बाद जो गांवों में पांच-पांच हजार मवेशी होते हैं उनके लिए पानी का कोई प्रावधान नहीं है। जहां बिजली नहीं है वहां बिजली की व्यवस्था की जाय और एक बार योजना बनने के बाद कम से कम चार-पांच घंटे तक पानी चलाना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि गांवों के अन्दर जो टांके हैं, कुओं पर बड़े-बड़े हौज बने हुए हैं उनकी मरम्मत कराई जाय। यदि उनका जल योजनाओं के तहत कनेक्शन किया जाता है तो गांवों में समस्त लोगों को और उनके मवेशियों को काफी राहत मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामरघुनाथ चौधरी।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मानव जीवन के लिए पानी एक अति आवश्यक वस्तु है। हमारा जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है शायद वही इस बात को महसूस नहीं करता बाकी हम सब इस बात को महसूस कर रहे हैं। यह एक ऐसा विभाग है जिसके अधिकांश अधिकारी या तो शहरों में या कस्बों में रहते हैं और जो छोटे मोटे अधिकारी हैं वे भी ऐसी जगह रहते है जहां पर हर वक्त पानी उपलब्ध होता है। इसलिए उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र में पानी उपलब्ध होता है अथवा नहीं। खारा पानी होने से, नांहरू रोग का पानी होने से, जहरीला पानी होने से दूर-दूर से उनको पानी लाना पड़ता है। वे अधिकारी उनकी तकलीफ या कष्ट को महसूस नहीं करते। यही वजह है कि उनकी योजनाएं जो बनती हैं, दिखावे में तो कुछ और हैं और वास्तव में कुछ और हैं। एक योजना बने और उसमें पानी उपलब्ध नहीं हो जब बार-बार उसकी शिकायत करने के बाद भी सरकार के कान में जूं नहीं रेंगे तो ग्रामीण क्या करें? हाथ चलाना तो दूर की बात, मुंह भी नहीं खुलता। सरकारी अधिकारियों को आदेश दे दिया उसकी पालना होती है या नहीं उसका तो भगवान ही मालिक है। न तो इन अफसरों को आदेश अनुपालना का पता न कोई आदेश मानता है।

• इन योजनाओं के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि यह जो पुस्तिका, प्रतिवेदन दिया गया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि सरकारी योजनायें कितनी हैं, कितने गांव ऐसे हैं जिनमें पानी खारा है, कितने गांव ऐसे हैं जिनमें पानी नहीं है, दूषित पानी है। सब तरह की रिपोर्ट है लेकिन गांवों के नाम सहित डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं कि जितनी भी योजनाएं बनीं, जितनी योजनाएं क्रियान्वित की गई या जितनी योजनाएं चल रही हैं उनमें से कई योजनाएं ऐसी हैं जहां पर पानी ऑलरेडी उपलब्ध था। इन योजनाओं की सर्वे रिपोर्ट को देखा जाय तो पता लगेगा कि वहां पर पहले से पानी उपलब्ध था लेकिन जिनको आवश्यकता थी उनको पानी उपलब्ध नहीं कराया गया। ठीक है, शहरों की स्थिति और हो सकती थी लेकिन जहां तक देहातों का सवाल है पहले उन इलाकों को लेना चाहिए, जहां पानी कड़वा है, खारा है, या पहले से पानी नहीं है। मैंने राज्य सरकार को इन गांवों के खारे पानी के संबंध में ऐसी शिकायत की और राज्य सरकार ने भी महसूस किया। जब बार-बार कार्यवाही की तो अधिकारी

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

लोगों ने मान लिया, दिनांक 5-10-76 को मुझे सूचना दी कि नागौर जिले में 13 गांव ऐसे हैं जिनका पानी जहरीला हो गया है। उन गांव वालों से यह कह दिया जाय कि इन कुओं को पाट दो और कुओं का पानी काम में मत लाओ, वरना पानी उनका पीया और अगर कोई मर गया तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। उसके बाद किसी ने जिम्मेदारी महसूस नहीं की, कि सर्व प्रथम प्राथमिकता देकर जहां पर पानी उपलब्ध हो वहां से इन गांवों को पानी उपलब्ध कराया जाय। यह 1976 की बात है लेकिन आज तक कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। वास्तविकता यह है कि उनको पीने का पानी आज भी उपलब्ध नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में एक पत्र बताना चाहूंगा। इन्होंने जवाब दे दिया। जिलाधीश और एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, मेड़ता ने चीफ इन्जीनियर को 18-1-75 को चिट्ठी लिखी कि इन 13 गांवों का पानी जहरीला हो गया है और पीने के योग्य नहीं है। साथ ही योजना भेज कर पानी उपलब्ध कराने की स्वीकृति का भी लिखा था। उसके जवाब में मुख्य अभियन्ता पत्र लिखते हैं मुझे :

"आपके चार पत्र विभिन्न तारीखों के दिनांक 4-5-76 ग्राम भदवासी, खुड़ी कलां, खुड़ी खुर्द एवं चूडियावास को क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना मोगास-जासलू से जोड़ने एवं ग्राम चरणवास, गोरेडी करना, वाजियों की ढाणी तथा रालियावास की क्षेत्रीय जल योजना देगाना-कितलसर से जोड़ने के बाबत जन स्वास्थ्य मंत्री महोदय द्वारा प्राप्त हुए। जैसा कि आपको विदित है कि नई ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं जिला आयोजना समिति से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ही स्वीकृत की जाती हैं। उपरोक्त ग्राम इस वर्ष जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्तावित नहीं हैं। अतः फिलहाल उपरोक्त ग्रामों की जल योजनाओं के लिए कोई भी कार्यवाही संभव नहीं है।"

यह पत्र 9-6-78 का है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिलाधीश ने 7-12-75, sorry, 12-5-73 को लिखा और एक्स.ई-एन. ने 18-1-75 को लिखा। जिसमें जिला परिषद् कि स्वीकृति हुई उसका ब्यौरा है। कमेटी की स्वीकृति के बाद ही जिलाधीश व एक्स.ई-एन. ने आगे और लिखा। उसके बाद भी योजना नहीं बनी। पीने का पानी नहीं है पर आयोजना समिति का बहाना बनाकर इस तरह का पत्र लिखकर भेज देते हैं कि हम स्वीकृति नहीं दे सकते हैं। इससे तो स्पष्ट लिख देना चाहिएं कि इन गांवों को पानी नहीं देना चाहते हैं।

मैं इसके बाद निवेदन करना चाहूंगा कि एक पत्र मैंने ग्राम गोरेडी करणा के बारे में लिखा तो मेरे पत्र के उत्तर में उन्होंने बताया है कि वहां के अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 20 हजार रुपये की स्वीकृति आई है। वहां पर अनुसूचित जाति के घर अधिक हैं इसलिए उनको पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। आप लिखें कि आपकी इच्छा क्या है? मैंने तुरन्त लिखा कि ग्राम गोरडी करणा के लिए आपने लिखा है कि 45,000 की आवश्यकता होगी मगर 20 हजार रुपये ही उपलब्ध हुए हैं तो भी उनको इस धन-राशि से तुरन्त ही पानी उपलब्ध करायें।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

उस ग्राम में आधी जनसंख्या अनुसूचित जाति की है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी था, मुझे ज्यादा समय मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को मैं उतना ही समय दे रहा हूं, जितना दूसरे माननीय सदस्यों को दे रहा हूं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मेरा ध्यानकर्षण प्रस्ताव था तो आपने व्यवस्था दी थी कि कटमोशन पर कह दें। मुझे थोड़ा समय ज्यादा लगेगा।

मैं निवेदन कर रहा था कि 20,000 रु. उनको मिले, तो उन 20 हजार रुपयों का क्या किया? कहां भेज दिये? कहां ले गये? क्या विभाग को वापस भेज दिया? यह किसी को पता नहीं। पर यह मैं बता सकता हूं कि उस गांव को आज तक पानी नहीं मिला। यह पत्र 18-1-75 का है जिससे स्पष्ट होता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सारांश में ही पढ़ दें, कृपया।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : किस गांव के लिए स्वीकृति हुई थी लेकिन इस संबंध में कुछ नहीं किया गया।

इसके बाद मैं और निवेदन करूंगा कि डेगाना ग्राम की जलप्रदाय योजना के लिए 1970 में 2.15 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे। उस योजना को पूरी हुए कई वर्ष हो गए किन्तु ग्रामवासियों को पानी अभी तक नहीं मिला, योजना बन्द पड़ी है। यहां से वित्त मंत्रीजी ने मुझे पत्र लिखा था कि क्योंकि विद्युत नहीं आई है इसलिए इस गांव को पानी नहीं मिल रहा है। बिजली आते ही पानी दे दिया जायेगा। मैं मानता हूं कि कार्य तो पूरा हो गया, पैसा भी खर्च हो चुका है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। योजना जहां है वहीं बन्द कर दी है। उस गांव में विद्युत आए 5,6 वर्ष हो गए हैं, पर कुए पर विद्युत कनेक्शन विभाग ने नहीं दिया है। तो सवा दो लाख रुपये जो खर्च किये उसका मतलब क्या हुआ? यदि वह रुपया 1970 में ही किसी बैंक में जमा करा दिया होता तो आज 7-8 साल में वह 6-7 लाख वैसे ही हो जाता। यह अधूरा कार्य इस विभाग ने क्यों छोड़ दिया? यह महसूस नहीं करते हैं। पीने के पानी जसी महत्वपूर्ण वस्तु पर इतना पैसा खर्च करके, पानी न देना साबित करता है राज्य सरकार की धनराशि खर्च करके बरबाद कर रहे हैं।

इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं मोगास जल योजना के बारे में। यह जल योजना प्रारम्भ में काफी अच्छी चल रही थी। अब न जाने कहां कमी हो गई कि महीनों से पानी नहीं मिल रहा है। हमने जिलाधीश से कई बार सम्पर्क स्थापित किया कि इस योजना के गांवों को पिछले सात महीनों से पानी नहीं मिल रहा है। उन गांवों में पीने के पानी का और कोई साधन नहीं है अतः उनकी व्यवस्था तुरन्त होनी चाहिए। जहां जल योजना चलने लगती है वहां गांव वालों के जो अच्छे बुरे कुए होते हैं वे भी बन्द

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

हो जाते हैं तथा न चलने से पानी दूषित हो जाता है। पता नहीं विभाग के अधिकारियों की मन्शा क्या है? इन लोगों को दूसरी जगह से पानी लाना पड़ता है। जलप्रदाय योजनाओं द्वारा पानी का लालच देकर ग्रामों के लोगों को प्यासा मारना चाहते हैं। तो ऐसी जल योजना बनाने का कोई मतलब नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ ही मैं यह चाहूंगा कि यह जो 13 गांवों की जहरीले पानी की घोषणा की गई थी, उनके कुओं का पानी जहरीला हो गया है भादवासी, चारणावास, दागरा, बामना, दुगोर कोई न कोई जल योजना इन गांवों के पास में है। मुझे विश्वास यह दिलाया गया था सदन में कि इनको अविलम्ब प्राथमिकता के आधार पर योजना से जोड़ दिया जायगा। इसके साथ में अन्य गांव थे—भादवासी, खुड़ी कलां, खुड़ी खुर्द, दुगोर पुचला, दुगोर दासा, गुन्दीसर, इनको मोगास योजना से जोड़ दिया जायेगा। बताएं क्या कारण हैं कि इन गांवों को आज तक इन जलप्रदाय योजना से जोड़ने की स्वीकृति क्यों नहीं हुई है? क्या मैं यह समझूं कि धनराशि उपलब्ध नहीं हुई या योजना ही स्वीकृत नहीं करना चाहते? क्यों इन गांवों को नहीं जोड़ा गया है? कृपया बतावें। मुझको यह बताया गया है कि एक अन्य योजना नागौर जिले में 45 लाख की स्वीकृत हुई है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कारण है कि 13 गांवों में कुओं का पानी जहरीला होते हुए भी प्राथमिकता उन गांवों को नहीं दी गई है जिन गांव वालों को यह सूचना दे दी कि पानी पीने के योग्य नहीं है, कुए पाट दो। वहां के लिए कोई योजना नहीं है। सदन में मुझे आगे विश्वास दिलाया गया था तथा पास के गांवों में दूसरी योजनाएं बनी हुई हैं तो प्राथमिकता के आधार पर उन गांवों को उन जल योजना से क्यों नहीं जोड़ते हैं? यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसको गम्भीरता से लें।

मैं पुनास योजना के संबंध में भी निवेदन करना चाहूंगा। मैंने राज्य सरकार से भी सम्पर्क किया एवं इस सदन में भी निवेदन किया था, उसके मुताबिक और मानव की प्रथम आवश्यकता को देखते हुए झोपड़ियों को भी पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। अभी कुछ गांवों को पानी दिया जा रहा है। मैं कहूंगा कि गांवों के आस-पास, बड़ी बड़ी ढाणियां हैं। देहातों में अधिकतर लोग इन ढाणियों में होते हैं। जितने लोग गांवों में रहते हैं उतने ही लोग ढाणियों में रहते हैं। ढाणियों में भी जनसंख्या 200-250 के लगभग होती है। कई-कई गांवों की भी जनसंख्या 200-250 होती है अतः पानी की सप्लाई करके उन ढाणियों को पानी से महरूम न करें। मैं यहां कुछ बड़ी ढाणियों के नाम बता देना उचित समझता हूं, खारिया की ढाणी, खारिया खुर्द में है, डूडियों की ढाणी ग्राम करासोढा में है। हरदास ढाणी नेणास गांव में है, भाटियों की ढाणी खीयास में है, भाटियों की ढाणी आकेली बी में है, और वाड़की की ढाणी राजोद में है। तो, मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि इन योजनाओं को पूरा करते समय, इन ढाणियों को पीछे नहीं छोड़ दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं।

मैं आपको थोड़ा नीति के सम्बन्ध में कहूंगा। मैं यह बताना चाहूंगा कि हम विधायकों के साथ विभाग क्या-क्या हरकतें करता है। हमारे यहां 50-50, 60-60 रुपये के बिल पानी के आते हैं। मैंने बार-बार इस बारे में यहां बिल शाखा को कहा लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता कि पानी के बिल कितने गलत बनाए जाते हैं। हम लोगों को पानी के बिल विधान सभा से प्राप्त होते हैं। मैंने उनको सूचना दी कि मीटर गलत रीडिंग बताता आ रहा है आप मीटर चैक करायें। संयोग की बात है कि एक दिन मीटर रीडर आया तो मैं वहीं था। मैंने कहा कि मीटर ठीक काम नहीं कर रहा है, या मीटर नहीं चल रहा है, आप ध्यान नहीं देते। तो उसने कहा कि मीटर खराब है मीटर बदलायेंगे। आज दो माह हो गये मीटर बदलने का प्रश्न ही नहीं है। कितना अन्याय यह विभाग शहर और ग्रामों में कर रहा है। यह तो विधायकों की गाथा है, साधारण लोगों का क्या हाल है, भगवान ही जानता है। वे उनसे क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं जबकि विधायक का मामला इस प्रकार का है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक सैकण्ड तो सुन लें।

मैं निवेदन करूंगा कि अभी पिछले विधान सभा चुनावों के समय मे मकान पर कोई नहीं था, माली बगीचे में पानी देता हो वह बात अलग है। फिर भी पानी का बिल 40 रुपये से शायद ही कम हो। हम एम. एल. एज. से 40-40 रुपया ले लेते हैं जबकि मेरे घर का एक सदस्य एक बूंद पानी लेने के लिए यहां नहीं था, यह बड़े खेद की बात है। जयपुर में आम लोगों की शिकायत है, माननीय सदस्यों की शिकायत है। आज इस शहर के रहने वाले हजारों, लाखों लोगों की यह समस्या है। यह किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, यह किसी एक माननीय सदस्य की समस्या नहीं है, यह आम शिकायत है। इसलिए इनको कहा जाय और सख्ती के साथ इनको पाबन्द किया जाय कि जो मीटर ठीक हों वे ही लगाएं और जनता के साथ न्याय करें।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में यह कहता हुआ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए।

श्री रामरघुनाथ : चौधरी अन्त में यह कहता हुआ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि डेगाना में बारिश में जो पानी आता है, वह पानी गांव के बीच में से निकलता है। वहां पर ड्रेनेज व्यवस्था ठीक नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है। बड़ा कस्बा है, महत्वपूर्ण है, रेल्वे स्टेशन है। वहां से सैकड़ों बसें निकलती हैं। सलिए वहां पर बरसात के पानी के निकालने के लिये ड्रेनेज सिस्टम को व्यवस्थित रूप से बनाया जाये ताकि बरसात में जो पानी निकलता है, वह नियमित तरीके से निकल जाए और. कोई बरबादी न हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामदेव चौधरी !

श्री रामदेव चौधरी (मूंडवा): उपाध्यक्ष महोदय, जलदाय विभाग के सम्बन्ध में मैंने कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं,

(श्री रामदेव चौधरी)

मान्यवर, मैंने पिछले सेशन में भी कटौती प्रस्ताव पेश कर दो-चार बातें कही थीं। दूसरे दिन मन्त्री महोदय की चिट्ठी आई कि ये जो योजनाएं हैं, इन्हें चालू कर दिया जायेगा। खेद के साथ कहना पड़ता है कि 6 महीने के बाद एक भी योजना मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में चालू नहीं की गयी है। ट्यूब-वैल्स खुदे हुए हैं। जिला समिति ने प्रस्ताव पास करके भेज दिये हैं। मन्त्रीजी यह कहते हैं कि जो प्रस्ताव जिला आयोजना समिति से पास होकर आएंगे उनको प्राथमिकता दी जायगी।

मान्यवर; दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नागौर के अन्दर पानी पीने योग्य नहीं है। दो साल बरसात ज्यादा होने से वहां पर पानी खारा हो गया है। इसकी योजना बनी हुई है। ट्यूब-वैल इसके लिए गाजू में खुदे हुए हैं। पता नहीं दो साल हो गये, यह शुरू क्यों नहीं हो रहे हैं? साल भर पहले कहा गया, ट्यूब-वैल्स खुद रहे हैं। पानी की स्कीम्स बन जायेंगी। शुद्ध पानी मिलेगा। परन्तु आज तक पीने का पानी नागौर कस्बे को नहीं मिल रहा है। मान्यवर; मेरे क्षेत्र में पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। एक कस्बा है बासनी; 10-15 हजार की आबादी है। मई-जून में मंत्री महोदय वहां का दौरा करेंगे तो उन्हें मालूम हो जायगा कि एक-एक औरत; पांच-पांच मील की दूरी से पानी का घड़ा सिर पर रख कर आती है। इससे ज्यादा तकलीफ और क्या हो सकती है?

मान्यवर, मैं मंत्री महोदय को आपकी मार्फत और इन कटौती प्रस्तावों के जरिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में तीन-चार योजनाएं ट्यूब-वैल्स खुदवाने की है। इसके लिए जिला आयोजना समिति ने प्रस्ताव भी भेज दिए हैं। परन्तु सर्वे नहीं हुआ है। मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां का सर्वे करवाया जाए और योजना बना कर उन गांवों को पीने का पानी देने की व्यवस्था करें। कुछ गांव ऐसे हैं, जिनके बारे में पहले भी मैंने अर्ज किया था, जहां पर पानी बहुत है और काश्त होती है परन्तु अण्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने यह रिपोर्ट कर दी कि वहां पर पानी उपलब्ध नहीं है। वहां पर चार-चार इंच की पाइप लाइन है और सौ बीघा से ज्यादा काश्त होती है परन्तु आपका अण्डरग्राउण्ड वाटर बोर्ड यह कहता है कि पानी नहीं है। यह बेइमानी की गई है। यह गलत रिपोर्ट नागौर में बैठ कर, बीकानेर में बैठ कर बनायी गई है। आपका डिपार्टमेंट कहता है कि पानी नहीं है। वहां पर पानी बहुत है। पहले भी निवेदन किया था और अब फिर निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के गरीब काश्तकारों के साथ अन्याय न हो। रिपोर्ट में लिखा है, वह सही नहीं है। पानी नहीं है तो लोन भी नहीं मिलता है। इसलिए इस ओर भी ध्यान दें।

मेड़ता रोड की पुरानी स्कीम है। इसमें नदी आती है। पानी पीने लायक नहीं है। पहले स्कीम पास हो गई थी परन्तु उस पर अमल नहीं हुआ है। तीसरी बात यह है कि कुछ छोटे-से गांव हैं। मीठूस स्कीम बनाई हुई थी। तीन सौ, चार सौ की आबादी है परन्तु लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। उसके आस-पास पानी नहीं है।

(श्री रामदेव चौधरी)

इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में एक खजवाना रूण और दूसरी 5-6 स्कीम्स हैं। जिला आयोजना समिति ने उनके प्रस्ताव भिजवा दिए हैं। उनको तुरन्त सर्वे करवा कर उन गांवों को पानी मुहैया कराने का कष्ट करें। मेरे गांव में ट्यूब-वैल्स सैंक्शन हुए हैं। गये साल मार्च, 77 में जलदाय विभाग ने भू-जल विभाग को पूर्ण राशि चैक द्वारा जमा करा दी है। साल भर हो गया है किन्तु अभी तक ट्यूब-वैल नहीं खुदा है। मुझे बड़ा दुःख होता है कि गवर्नमेंट का रुपया पड़ा है परन्तु ट्यूब-वैल नहीं खुदा है। माननीय मंत्री महोदय, जब जवाब दें तो इस सम्बन्ध में कहने का कष्ट करेंगे तो मेहरबानी होगी।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता!

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय जब मेरे क्षेत्र के भाइयों को बिजोलिया, बीगोद, माण्डलगढ उच्च जलासय से जल मिलने लगा तो सारे कस्बे में आनंद की लहर दौड़ गई। अब वह नरक बन गया है। नाली नहीं है इस बजह से सारे गांव में कीचड़ हो गया है। मेहतरों ने उत्साह से ग्राम सूअरों के लिए एप्लीकेशन देने का विचार किया है। एक हजार ग्राम सूअर खरीद कर कहीं उसका आनन्द न ले लें। गांव के लोग रात को निकलते नहीं हैं। निकलते हैं तो कीचड़ में गिरते हैं। इसलिए जहां कहीं भी, आप उच्च जलाशय बनावें तो पहले काम जो करें वह नाली बनाने का करें वरना गांव नरक हो जाएंगे।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करता हूं कि मेरे मांडलगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में सवाई-पुर, खटवाड़ा गांव है। सवाईपुर बाढ़ के बाद टेकरी पर बसा है। कृपया उन्हें भी उच्च जलाशय योजना के अन्तर्गत ले लीजिए। बाकी जोजवा, सींगोली, मानपुरा महुआ, छोटी बिजोलिया, धामनिणया आदि कई ऐसे गांव है जो बड़े गांवों में आते हैं। अगर आप यहां भी ऊंचा जलाशय योजना शुरू न कर सके तो जो ढाणी गांव 200 की आबादी का है, वहाँ कम से कम एक हैण्ड पंप लगा सकते हैं। बिजोलिया की स्थिति अर्ज करूं, वहां पर सात हजार की आबादी है। कभी जिला हैडक्वार्टर रहा है। वहां पर एक छोटी-सी पानी की टंकी है, वह दुसरी ओर बनाएं। मैं 14 तारीख को वहां पर गया था। सैंकड़ों आदमी वहां पर आ गये। वहां पर हालत यह है कि पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इस विभाग में काफी अव्यवस्था है किन्तु इसलिए अर्ज नहीं करूंगा कि यह आबकारी मन्त्री महोदय का कमाऊ पूत है उतना ही जितना कि शराब का विभाग। इसका भगवान ही मालिक है। मीटर नहीं चलता है। अब वे लोग मीटर रीडिंग के लिए आते हैं तो मैं उनसे मेवाड़ी में पूछता हूं तो वे कहते है यूं ही देखने आये हैं। हालत खराब है।

आप कृपा करके जहां पर हैण्ड पंप स्वीकृत हुए हैं वहां पर उनको बनाने का प्रयत्न करें। जो गाँव बचे हैं वहाँ पर अब स्वीकार करें। मैं यह निवेदन करता

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को कि इस विभाग को कसिये। मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा कि मैंने उन्हें बिजोलियां ट्यूब-वेल के बारे में निवेदन किया था तो उन्होंने तत्काल भीलवाड़ा टेलीफोन किया। एक्स. ई-एन. वहां पर पहुंचे या नहीं पहुंचे, यह तो नहीं मालूम, वह चले गये होंगे। वहां पर काम शुरू कर दिया गया है। वहां पर भारी संकट है। कृपा करके इसको दूर करिये। नालियां बनाइये। नाली नहीं बनेगी तो गांव नरक हो जाएगा। मलेरिया जोर से फैलेगा। भयंकर अशान्ति फैलेगी। इस क्षेत्र में, जो सबसे पिछड़ा हुआ है, मोहल्ले-मोहल्ले में पेयजल के हैण्ड पम्प लगाएं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार ध्यान दे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : श्रीमन् बहुत कम समय मिला है। मुझे तो प्रशंसा करनी चाहिए, किन्तु प्रशंसा करने के लिए ज्यादा समय नहीं। सन् 1975 में मुकदमे चले हैं उनका क्या फल निकला है यह भगवान ही जानता है। कई क्षेत्र पानी से इतने घिर गए हैं कि काश्तकारों की खेती बरबाद हो गई है। उनको राहत देने को आपकी कोई योजना नहीं है।

पाली में एक बहुत बड़ी समस्या जनता सरकार आने के बाद जल प्रदूषण की पैदा हो गई है। यह जो रिपोर्ट है इसमें आप लिखते हैं, "मण्डल ने राजस्थान खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम द्वारा पाली में स्थित कपड़ा उद्योगों के संयुक्त उपचार संयन्त्र लगाने को अंतिम रूप देने में सहयोग किया है। इस उपचार संयन्त्र के स्थापित होने के बाद लगभग 400 औद्योगिक इकाइयों के जल प्रदूषण की समस्या सुलझ जायेगी"। और अब क्या होगा? सारा पानी फैक्ट्रियों का तालाब में जाता है। तालाब के किनारे-किनारे फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। 1975 में ऐसी व्यवस्था की गई कि सी-आर. पी.सी. में चालान किया गया। सारे लोग गन्दा पानी पीते हैं। गटर का उसमें पानी जाता है। मन्त्री महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। मेहरबानी करके आप सदन के बाद समय निकालें और पाली का दौरा करें।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय की मार्फत कहें।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय की साक्षी में आप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जिनसे पाली की जनता बहुत प्रभावित है। कुए बरबाद हो चुके हैं। खेती होती नहीं है। तालाब में फैक्ट्रियों का पानी जाता है। क्या कर रहे हैं आप? 400 फैक्ट्रियां लगाने के बाद पूरा पाली शहर सड़ गया है। लोग बीमार हैं। गन्दा पानी पीते हैं। कोई इलाज करने वाला नहीं है। लिखते हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। विचाराधीन है। हमारे मुख्य मंत्रीजी घोषणा करते हैं। उन्होंने अपने पास पेयजल का विभाग रखा है। बड़ी दुहाई देते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति मोहल्ले में नल लगवा देंगे। पहला कटौती प्रस्ताव पहले साल में दिया। उसके जवाब में लिखा है, "वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर व्यवस्था की जाएगी" यह आपका जवाब है। पहले कटौती प्रस्ताव का जवाब है।

(श्री मूलचन्द डागा)

मैं निवेदन करूंगा, जनता पार्टी के विधायक मुख्य मंत्री को घेरे नहीं रहें ताकि वे थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दें।

आपने लिखा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के मोहल्लों में पानी देंगे। विश्वास दिला दिया। जवाब रात को घर पर दो बजे भेज दिया। 550 मीटर की लाइन लगानी थी। खुडानी, चपदरिया गांव है उनके अन्दर खारा पानी है। आप घोषणा करते हैं और कटौती प्रस्ताव के जवाब में लिखते हैं कि हम उनके लिए पेयजल की व्यवस्था करेंगे। वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर व्यवस्था करेंगे। पानी उपलब्ध कराने पर 50 हजार रुपया ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है। फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन पर पैसा खर्च नहीं करके जवाई नहर जाती है उससे पानी दो। बहाना नहीं करो। उसी जगह खारे पानी के कुए हैं। उस पानी का उपयोग करायें और पानी उपलब्ध कराने की योजना बनायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपका कोई सिद्धान्त नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि कैसे पीने के पानी की व्यवस्था की जाय। समाजवादी विचार-धारा की बात करते हैं। कहते हैं समग्र क्रान्ति लायेंगे। गरीब लोगों को देने के लिए पानी नहीं है, बगीचे सींचने के लिए पानी है। मेहरबानी करके बगीचों को पानी देना बन्द कर दीजिए। खारे कुओं का पानी भी काम में लें। वहां एक इन्जिनियर हैं। बड़ा मकान बनाकर रहते हैं। बड़ी शान से रहते हैं। अपने चारों तरफ हरा भरा बगीचा बना लिया है। सिविल लाइन में नहीं जाते हैं। बन्द कर दो कलेक्टर का पानी। छोटी-छोटी बस्तियों में पानी नहीं है, रात को टैंकर से पानी पहुंचाते है। दुहाई देते हैं, हमने पानी की व्यवस्था कर दी है।

एक माननीय सदस्य : सब गलत कह रहे हो।

श्री मूलचन्द डागा : हमने गलत कहा है? बड़े आये बोलने वाले। हंसते हो। हमारी गलतियों का पाप तो हम भुगत रहे हैं। आप अपने को तो देखो।

मैं कहता हूं राजस्थान में पानी की समस्या है। जयपुर शहर में जाते हैं तो देखते हैं कि पानी नहीं चढ़ता है। श्रीमान्, मेहरबानी करके इसे कह दो। पानी की समस्या को दूर करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फतहसिंह।

मेजर श्री फतह सिंह (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, जनता सरकार ने वायदा किया था कि जनता को जल उपलब्ध कराना उसका प्रथम कर्तव्य होगा। पिछले 8 महीने में जो कुछ हुआ है, श्रीमान, इसकी जानकारी नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूं, श्रीमान, मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में जलप्रदाय योजना के सम्बन्ध में, समस्याओं के बारे में कुछ कहूं। किन्तु इससे पहले मैं, श्रीमान, माननीय मन्त्री महोदय को एक निवेदन करूंगा, वह यह है कि जहां भी नल योजना लागू करने से पहले गन्दे पानी की नालियों को बनायें। देवगढ़ तहसील के लसाणिया गांव और भीम गांव के बीच में सड़क है उसमें गांव वालों ने नालियां बनाई हैं। खड्डे खोदकर नालियां बनवाई हैं जिनमें सुअर लोटते हैं। आम सड़क पर भी पानी बहता है और गंदगी होती है, बदबू आती है। सरकार इस ओर पहले ध्यान दें।

Page No. 116

1177

(मेजर श्री फतहसिंह)

मैंने, मेरे कटौती प्रस्ताव के मार्फत सरकार का ध्यान कस्बा देवगढ़, दिवेर, और कुवाथल की जनता जो पानी के सम्बन्ध में कठिनाइयों का सामना कर रही है, की ओर आकर्षित करने की चेष्टा की है।

श्रीमन् देवगढ़, भीम क्षेत्र का सबसे बड़ा कस्बा है। करीब 15 हजार की आबादी है, उसको जो पानी मिल रहा है वह बहुत अपर्याप्त है। इसलिए जनता की मांग है कि वहां जो ओवरहैड टैंक है पानी का, उसकी क्षमता बढ़ायी जायगी तो देवगढ़ की जनता की पानी की समस्या हल हो सकेगी। इस ओर सरकार ध्यान दे।

श्रीमन्, देवगढ़ पंचायत समिति में देवगढ़ के बाद कुवाथल दूसरा आबादी के लिहाज से बड़ा गांव है। उस गांव के निवासियों ने सन् 1973 में जन सहयोग की राशि जमा करा दी थी। अभी तक उसका कुछ भी उपयोग नहीं हुआ है। न तो सर्वे हुआ है और न ही पाइपलाइन डाली गयी है। पिछले 6-7 महीनों में पांच-सात बार वहां जाने का मौका मिला तो बार-बार जनता तंग करती है इस ओर, श्रीमन्, ध्यान दें।

दिवेर की जनता ने छः वर्ष पहले जन सहयोग से 21 हजार रुपये जमा कर दिये। ग्राम पंचायत से सूचना मिली दो महीने पहले कि जिस कुए से पानी लाया जायगा उसका भी सर्वे हो गया है, जहां लाइन डाली जावेगी उन स्थानों का भी सर्वे हो गया था। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा और जानना चाहूंगा कि दिवेर और कुवाथल को कब पानी मिलने लगेगा ? देवगढ़ के पानी के टैंक की क्षमता बढ़ाने के लिए कब व्यवस्था करेंगे ? इन्हीं शब्दों के साथ कि यह सरकार मेरे सुझावों पर ध्यान देगी मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक का समय विचाराधीन मांग के पारित होने तक बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रश्न यह है कि क्या सदन की सम्मति है कि सदन की बैठक का समय विचाराधीन मांग के पारित होने तक बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय विचाराधीन मांग के पारित होने तक के लिए बढ़ाया गया।

मांग संख्या 27 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष: श्री बिरदमल सिंघवी।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पेयजल समस्या पर अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी जब यहां इस आसन पर पदासीन हुए तब उन्होंने दो बातों की घोषणा की थी, एक तो मैं भ्रष्टाचार को समाप्त करूंगा, और दूसरी यह बात विशेष तौर से कही थी कि मैं पानी की समस्या को अच्छी तरह से हल

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

करूंगा। मैं मेरे जिले बाड़मेर के सम्बन्ध में अपने अनुभव बताता हूं। अभी भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र के लिए बताया। मैं अपने जिले और क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा और मैं अपना अनुभव है वह भी बताऊंगा। जबसे जनता पार्टी की सरकार आयी है, बाड़मेर नगर, जो जिले का मुख्यालय है में और ग्रामीण क्षेत्र में जलप्रदाय योजनायें जो चल रही हैं उनकी दुर्दशा जैसी मैंने अभी देखी, वैसी दुर्दशा मैंने कभी नहीं देखी। बाड़मेर नगर के बारे में कहना चाहता हूं, मैं 24 तारीख को बाड़मेर से रवाना हुआ और 25 फरवरी को ही जयपुर आ गया। उसके बाद 25 फरवरी के बाद 8 तारीख को वापस वहां पहुंचा। दस दिन में य स्थिति थी कि कहीं एक जगह भी पानी नहीं पहुंचा। दस दिन में, कोई इसमें एक दफा पानी पहुंचा। बाड़मेर टाउन की आबादी 50 हजार से ऊपर है। एक लाख गैलन से भी कम पानी दिया गया। यह स्थिति आज है, मैं सही रूप बता रहा हूं। अगर कोई इस मामले में चैलेंज करे तो मैं पूरी तरह से चैलेंज स्वीकार करता हूं। कोई बात असत्य नहीं कहता हूं, मैं जांच के बाद बात कहता हूं। मैं 8 मार्च को वहां पहुंचा और 12 तारीख तक मैं वहीं रहा। इस समय जरूर सप्लाई में इम्प्रूवमेन्ट हुआ है। 1½ लाख से 2 लाख गैलन पानी की सप्लाई की गई।

प्रश्न यह उठता है कि 50 हजार से अधिक की आबादी का टाउन है जहां दस लाख गैलन पानी चाहिए वहां 1 लाख और 1½ लाख गैलन पानी पहुंचायें तो इस टाउन की कैसी स्थिति होगी, यह आप जान सकते हैं। इसके लिये कौन जिम्मेदार है? कौन इसके लिये दोषी है? कभी हम अन्डरग्राउन्ड वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट को दोषी कहते हैं, कभी विद्युत विभाग को दोषी कह देते हैं। विद्युत विभाग तो इतना को-ऑपरेशन दे रहा है कि उसके जितना कोई डिपार्टमेन्ट नहीं दे रहा है। अन्डरग्राउन्ड वाटर डिपार्टमेन्ट की कहते हैं उसकी यह स्थिति है कि लगातार एक-दो महीने में यह कह देते हैं कि पाइप खराब हो गया। 25 फरवरी के बाद एकदम नलकूप खराब हो गया तो उसके लिये कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं अन्डरग्राउन्ड वाटर डिपार्टमेन्ट वालों के पहले नोटिस में लायें। यह खराब स्थिति है। कभी कह देते हैं कि मोटर जल गया। कभी कह देते हैं कि पाइप खराब हो गया है, कभी कह देते हैं कि रेत आ गई। ये बातें जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती, सुन नहीं सकती। हम चाहते हैं कि सही व्यवस्था करें। मुख्य मंत्रीजी इस महकमे में फेल हो रहे हैं। यह उनकी असफलता है। उन्होंने एक विभाग तो दे दिया स्टेट मिनिस्टर के जिम्मे, उनको सौंप दिया कार्य अलग से। स्टेट मिनिस्टर्स का कोई कन्ट्रोल नहीं है। यूनियन में आपस में युद्ध चल रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन बिगड़ रहा है। मिनिस्टर का कोई कन्ट्रोल नहीं है। एक दूसरे का फाल्ट निकालते हैं, कभी चीफ इन्जीनियर का निकालते हैं और कभी एडिशनल चीफ इन्जीनियर का निकालते हैं। इस कारण जल समस्या काफी गम्भीर हो गई है। अकाल की स्थिति भी आ गयी है और गर्मी का मौसम भी आने वाला है। यदि टाउन के पानी की व्यवस्था गर्मी में यही रही तो

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

हम इसको बर्दाशत नहीं कर सकते। ट्यूब-वैल के लिए ई.टी.ओ. बनाती थी, पांच साल तक अच्छी तरह चलती थी। अब अन्डर-ग्राउन्ड वाटर डिपार्टमेन्ट के पास होने से महीने दो महीने में खराब हो जाती है। इसलिये इस ओर आपको सोचकर कदम उठाना चाहिये।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था वह है कि ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं के बारे में। उसकी स्थिति यह है कि शिव के अन्दर तीन महीने में एक बार पानी पहुंचाया और कभी नहीं पहुंचाया। भगनी की बाणी में पानी नहीं पहुंचा, रामसर कुआं रावतसर में पानी नहीं पहुंचा, भीमड़ा बायतू की स्कीम के अन्दर ग्राम चवा में पानी नहीं पहुंचा। रावतसर में कभी सप्ताह में एक दिन पानी पहुंचता है, सारी स्कीमें फेल हो रही हैं। ऊंडू-पनावड़ा की योजना है वहां एक जगह पानी नहीं पहुंचा है। इस प्रकार जो आप व्यवस्था कर रहे हैं जो योजना चल रही है उन योजनाओं को इस प्रकार से चलाया तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कानून और व्यवस्था की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में बिगड़ जायगी, लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए जो भी भी उपाय आप करना चाहें, कर लें। कभी कहते हैं जीपों की व्यवस्था नहीं है, कभी कहते हैं टैंकरों की व्यवस्था नहीं है। यह नहीं होना चाहिए। पानी की व्यवस्था ग्राम और नगरों में जल्दी ही की जानी चाहिए।

अब कुछ योजनाएं हैं उनकी स्वीकृति के लिए मैंने सुझाव दिये हैं। जिन योजनाओं के बारे में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने जो रिकमण्डेशन दीं उन योजनाओं को आप प्राथमिकता दें। बाड़मेर और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में खारे पानी की समस्या है। राजस्थान के 33 हजार गांवों में से 24 हजार गांवों में पानी की व्यवस्था है और उनमें से भी 7,199 गांवों में पानी खारा है। पानी की भयंकर समस्या है इसलिए आप जलप्रदाय योजनाओं को प्राथमिकता दें। जहां पर पानी से नारू का रोग होता है वहां भी शुद्ध जल योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जिस प्रकार आपने बताया कि दो सौ करोड़ रुपया खर्च करेंगे, तब इस समस्या को हल कर सकेंगे, लेकिन यह आपने 1975 की कीमतों के आधार पर बताया है, अब आपको 300 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। आप साल में 10 करोड़ खर्च कर रहे हैं, इस प्रकार से तीस वर्ष...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तक जनता इन्तजार नहीं कर सकती। इसलिए पूरी तरह से और गम्भीरता के साथ इस प्रश्न को लेकर मुख्य मंत्रीजी चीफ इन्जीनियर को बुलाकर इस समस्या का हल करें। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन जो बिगड़ा हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको सुधारा जाय और पानी की समस्या को हल करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक।

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल काला बादल।

श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, तीस वर्षों तक हमारे राजस्थान में कांग्रेस का शासन रहा, मगर तीस वर्षों तक गांव के लोगों को पीने का पानी नहीं दे सके। आज इनको प्यास लगी है। जनता ने इनको ठुकरा दिया तब होश आया है।

श्री शंकरलाल : आप भी कांग्रेस में थे।

श्री भैरवलाल कालाबादल : आज उधर बैठते ही इनको पानी याद आ गया। विरोधी पक्ष में जाते ही गांव-गांव की जल समस्या याद आ गई। जब सत्ता पक्ष में बैठते थे तब तो कभी नहीं सोचा कि गांवों में पानी नहीं है। सत्ता पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य यदि पानी-पानी कहते रहें, तो बात समझ में आती है, मगर दुःख इस बात का है कि 30 वर्ष तक कांग्रेस ने राज किया और जनता के कष्टों को नहीं सुना।

श्री शंकरलाल : काले बादल से पानी ही पानी आता है।

श्री सूरजपाल सिंह : पूरे राजस्थान में कल्याण हो रहा है।

श्री किशनसिंह भाटी : मेहरबानी करके पानी में तो पॉलिटिक्स मत लाओ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : तीस सालों में कांग्रेस के शासन में इसके लिए कोई नहीं बोला। मैं भी उस समय कांग्रेस में था। जब इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, तो मैंने कांग्रेस छोड़ दी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जनता ने छोड़ दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन्टरप्ट न करें।

श्री भैरवलाल कालाबादल : आज कोई लम्बे चौड़े भाषणों की आवश्यकता नहीं है। मेरे क्षेत्र में पानी की समस्या है वह इसलिए है कि पानी की बहुत दिक्कत है। जलप्रदाय योजना की आवश्यकता इसलिए है कि मेरे क्षेत्र में लम्बे-लम्बे वाले निकलते हैं, क्योंकि लोगों को गन्दा पानी पीने को मिलता है। अगर वाटर सप्लाई योजना के द्वारा गांवों के लोगों को शुद्ध पानी मिल जाय तो यह बीमारी मिट सकती है। मेरे क्षेत्र में करनवास, ईंचर, बोरदा आदि गांवों में ग्रामीण जलप्रदाय योजना चालू होने को थी, जो कई दिनों से बनी हुई है, मगर इन दोनों योजनाओं के बारे में क्या हो रहा है यह मेरी जानकारी में नहीं है। हरीगढ़ में तो कुछ पैसा भी जमा कर रखा है योजना को चलाने के लिए, मगर योजना खटाई में पड़ गई। गर्मी के दिनों में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि सबसे पहले जलप्रदाय की योजना चलाई जायेगी। मेरे क्षेत्र में कालीसिंध का पानी बोरदा व ईंचर से दिखाई देता है जैसे समुद्र भरा हुआ है, फिर भी मील भर के फासले पर लोग पानी के बगैर प्यासे हैं और मारे-मारे फिरते हैं क्योंकि वहां पर पानी नहीं पहुंचता। ईंचर, बोरदा, करनवास ऐसे गांव हैं जहां पर किसानों की बस्ती है और कृषक रहते हैं, जंगल में बड़ा गांव है, ऐसे स्थान पर भी पानी नहीं मिलता तो समस्या हो जायगी। उस गांव में मैं चुनाव के दिनों में गया था, वहां पर पुरुष ज्यादा और महिलाएं कम हैं और बच्चे भी कम हैं। मैंने पूछा गांव वालों से कि इसका क्या कारण है? दूसरे गांवों में तो बच्चे ज्यादा थे, यहां से बच्चे कहां

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

गये ? तो वे कहने लगे कि चार-चार पांच-पांच भाई एक बाप के है, एक परिवार में चार-चार भाई है मगर शादी एक की ही हुई है तीन तो वैसे ही हैं। मैंने पूछा, कारण क्या है ? तो उन्होंने कारण बताया कि यहां पर एक कुआ है और इतना गहरा है कि ऊपर से झांक लो तो पानी नजर नहीं आयेगा। जिस प्रकार दो-दो मंजिल का मकान बनाते हैं। उसी प्रकार इस कुए में भी मध्य में एक ढाणा है जहां से दो-दो, तीन-तीन आदमी पानी खींचते हैं, एक बाल्टी पकड़ता है और फिर दूसरी मंजिल तक दूसरा पहुंचता है। गर्मियों में पानी सूख जाता है। जिनके पास गाड़ी है, बैल हैं वह तो नदी से पानी लाकर भी पी लेते है मगर जो गरीब है वह गर्मियों में गांव छोड़कर चले जाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में करनवास, बलदेवपुरा, सूखबेरड़ी, बिलासर, जोलपा मोहरा, ईचर, बोरदा, हरीगढ, तारज, वरडा-घदा गांव हैं, जहां तुरंत पेयजल की व्यवस्था हल करनी चाहिए। जब मंत्रिमंडल की कोटा में बैठक हुई थी उस समय कहा गया था करनवास में मशीन गई है वाटर सप्लाई योजना के अंतर्गत। मगर वह मशीन थोड़े दिन वहां रही और वहां से वापस ले गये। न मालूम मशीन टूट गई या क्या हुआ, वह जोधपुर गई हुई बताई। कब मशीन आएगी, कब करनवास में पानी आएगा ? मैंने अपने कटौती प्रस्ताव द्वारा मंत्रीजी का ध्यान दिलाया है कि जल्दी से जल्दी हमारी योजनाओं को पूरा करें। मुख्य मंत्री ने जो विश्वास दिलाया था उसको ध्यान में रखकर योजनाओं को पूरा करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रजीतसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री माधोसिंह (रेवदर)।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र रेवदर में पानी में फ्लोराइड व सेलाइन जैसे पदार्थ मिले हुए हैं। जहां पेयजल उपलब्ध नहीं होता है, वहां तो गांव का आदमी 5-10 मील जाकर पीने का पानी ले आता है। जहां पानी है लेकिन उसमें ऐसे दूषित पदार्थ हैं जिससे पेट की बीमारियां होती हैं, गठिया रोग हो जाते हैं, पोलियो की बीमारी होती है नसें निकल जाती हैं, ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी। उसके अन्दर बताया गया है कि दूर-दूर तक पीने के लिए उपयुक्त पेयजल उपलब्ध नहीं होता एवं भूगर्भ में उपलब्ध पेयजल अत्यधिक खारा अथवा अत्यधिक फ्लोराइड, नाइट्रेट इत्यादि हानिकारक रसायनयुक्त पाया जाता है। जिलों के नाम भी बताए गए हैं जिनमें सिरोही जिला भी है। मैंने पूरी पुस्तिका पढ ली, लेकिन कहीं भी नहीं पाया कि ऐसे क्षेत्रों को शुद्ध जल देने की योजना के तहत अलग से धन रखा है। पेज 12 पर है, अत्यधिक फ्लोराइडग्रस्त ग्रामों की संख्या 5,991 है। आपने नगरीय क्षेत्रों की योजनाओं के लिए इतना पैसा रखा है कि उसकी सीमा नहीं लेकिन ऐसे क्षेत्रों की शुद्ध जल की योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं की है।

सबसे ज्यादा ज्वलंत समस्या है कि वे लोग, जो ऐसे सघन क्षेत्रों में बसते हैं, वहां से आजीविका छोड़कर यहीं आ

Page No. 121

(122)

(श्री माधोसिंह)

सकते। जो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज हैं उनको क्या जलप्रदाय योजना में नहीं लेंगे ? जो लोग सैकड़ों सालों से पानी के दूषित होने से दुःखी होते आए हैं, जो सफरर्स हैं, उनको शुद्ध पानी देने की योजना को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं ऐसे ही विधान सभा क्षेत्र रेवदर के लिए आपसे अनुरोध करूंगा। वह 10 गांवों का ऐसा क्षेत्र है, जिसके अन्दर पानी में फ्लोराइड व सेलाइन बहुतायत से पाया जाता है। धाणा, जोलपुर, मागानी, इदरला, हड़मतीया, भामरा, दादरला, डागराली, रामपुरा, वाड़का—ये ऐसे गांव हैं जहां पानी में फ्लोराइड व सेलाइन की मात्रा बहुतायत से पाई जाती है। वहाँ के लोग ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हैं। मैं निवेदन करता हूं कि जिला स्तर की जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम की कमेटी है, उस कमेटी ने भी यह योजना स्वीकृत की है। मुझे आशा है, आप प्राथमिकता देकर इस साल के बजट में प्रावधान करेंगे। इस साल में कार्य प्रारम्भ कराने की कोशिश भी करेंगे।

दूसरी बात, जो आपकी ग्रामीण पेयजल वितरण योजना है उसके लिए निवेदन करना चाहता हूं। आपने योजना रखी है कि दो हजार से ऊपर वाले जितने भी गांव हैं उनको पानी उपलब्ध कराया जाएगा। मेरे यहां तीन ग्राम ऐसे हैं जिनकी योजना काफी समय पहले जिला स्तर से फारवर्ड की गई है। एक ग्राम है अनादरा, उसकी योजना स्वीकृति विभाग से हुई, लेकिन साल भर से कोई कार्य शुरू नहीं किया गया। मेरा निवेदन है कि स्वीकृत योजना को तो इस वर्ष में शुरू करा दें। इसके अलावा सिरोही, भटाना गांव ऐसे हैं जहां दो हजार से ज्यादा आबादी है, उनकी योजना स्वीकृत नहीं हुई है, आप उनकी तरफ ध्यान दें।

हमारे ग्राम अनादरा, सिरोही के अंदर 6-7 महीने पहले हैण्ड पंम्प यूनिट आई थी। वह आपके विभाग ने भेजी थी, कई हैंड पम्प्स लगाए भी थे। उनसे अच्छी तरह से पानी उपलब्ध होता है। इस तरह से सब गांवों में यह व्यवस्था करायेंगे तो लोग आपके आभारी होंगे और समझेंगे कि हमारे लिए जनता सरकार ने कार्य की शुरुआत की है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूरजपाल सिंह ?

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पेयजल योजना की मांग पर कटौती प्रस्ताव दिए हैं। मुख्य मंत्री ने शपथ ग्रहण करते ही कहा था कि 5 साल के अंदर संपूर्ण राजस्थान में जल समस्या का निवारण करेंगे। जिस जोश से उन्होंने घोषणा की थी, हमने उसके बिल्कुल विपरीत स्थिति देखी। 1975-76 व 1976-77 की जो स्वीकृत योजनायें थीं जिनके फंड्स जिलों में गए थे, वे काम भी नहीं हो रहे हैं। जब स्वीकृत योजनाओं के काम नहीं करवा सके, जालोर जिले में 37 लाख रुपये का जो प्रावधान किया गया था, वह पैसा मेरे ख्याल से 20 प्रतिशत भी यूटीलाइज नहीं हुआ, तो मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे मुख्य मंत्री क्यों जोश से कहते हैं कि 5 साल में हर गांव में पीने के पानी की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। दूसरी तरफ हमारा जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ है वह इस कार्य को तत्परता से करने के लिए तैयार नहीं है। यह कैसी विडम्बना है ?

(श्री सूरजपाल सिंह)

या तो हमारे मंत्री का उन अधिकारियों पर कन्ट्रोल नहीं है या आप योजना को क्रियान्वित नहीं करना चाहते हैं। बजट प्रावधान दिए हुए हैं, योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं, उसके बाद में भी इतनी देरी करना मुख्य मंत्री की घोषणाओं को फेल करना है ? कुछ दिशा निर्देश दीजिये ताकि इनसे काम लिया जाए। युद्धस्तर पर काम करने की आप इनको सलाह दें, नहीं तो सारी घोषणायें कोरी घोषणायें रह जायेंगी। और जैसा माननीय कालाबादल कह रहे थे कि 30 साल वे इधर बैठे रहे थे, पानी नहीं मिला, फिर उधर आ गए। यह दलबदल की प्रवृत्ति चलती रहेगी लेकिन लोगों को पानी नहीं मिलेगा। मैं पुरजोर शब्दों में कहूंगा कि आप अपने एग्जीक्यूटिव स्टाफ को इन्सट्रक्शन्स दें कि वह युद्धस्तर पर काम करें सर्वेक्षण की हुई योजनाओं के काम हाथ में लें। यदि योजना स्वीकृत हो जाती है तो फिर टेन्डर्स मंगाने में देरी हो जाती है। ठेकेदार लोग भी ऐसे ही मिल जाते हैं जो पूरा काम नहीं करते। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अपने रिश्तेदारों को ढूंढते रहते है ताकि उनको टेन्डर दें। मेरे क्षेत्र में बाघोडा-रंगाला स्कीम स्वीकृत योजना है किन्तु एक पाइप लाइन भी नहीं डलवा सके। यह 8-10 गांवों की योजना है, लम्बे समय से स्वीकृत भी है। जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, उसी क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। भयंकर पानी की समस्या है, बजट प्रावधान है — उसके बाद भी योजनाओं को क्रियान्वित करने में इतना विलंब होता है, यह बड़ी निराशाजनक बात है।

इस साल जो हमने मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के तहत योजनायें रिकमंड करके भेजी थीं आठवें महीने में, वें भी अभी तक स्वीकृत होकर नहीं आई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, 37 लाख रुपये की योजना बनायी गयी है जालोर जिले के लिये, उसकी सारी कार्यवाही पूरी हो चुकी है, पर पता नहीं अभी तक वह योजना क्यों नहीं चालू की गयी ? पता नहीं योजना की रिकमन्डेशन होने के बाद आपके यहाँ से योजना स्वीकृत होने में कितने दिन और लगते हैं। आपने जनता पार्टी का राज्य आते ही घोषणा अखबारों में कर दी कि हम पांच साल में सभी गांवों में पेयजल की समस्या को हल करके लोगों को पीने के लिये पानी दे देंगे। एक तरफ तो आप पांच साल में पीने के पानी की समस्या को हल करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ योजनायें बन जाती हैं लेकिन उनकी स्वीकृति नहीं आती है। इस तरह से राज्य सरकार द्वारा उदासीनता बरती जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के शासन काल में हमने तीस सालों में कुछ जगह पर तो पीने के पानी की समस्या को हल कर दिया था पर आप लोग इस रफ्तार से 30 साल तो क्या 300 साल तक अपनी योजनाओं को सफल नहीं कर पायेंगे क्योंकि आपके पास बजट प्रोविजन नहीं है। कई माननीय सदस्य कहते हैं कि कांग्रेस के शासन काल में तीस साल तक कुछ नहीं हुआ। हम तो इतना कह सकते हैं कि कांग्रेस ने तीस साल में कई जगह लोगों की पीने के पानी की समस्या हल की है। उसके साथ-साथ सारे अर्बन व रूरल एरिया की स्कीम्स का सर्वे कराया

(श्री सूरजपाल सिंह)

उसमें यह तय पाया कि राजस्थान के सभी अर्बन व रूरल एरिया में पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिये हमें 440 करोड़ रुपये खर्च करने की आवश्यकता होगी। उपाध्यक्ष महोदय, इस जनता पार्टी की सरकार के पास 440 करोड़ रुपये नहीं थे इसलिये आप कोई योजना चालू नहीं कर सके। जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप क्या योजना चालू करेंगे? आज आप सत्ता पक्ष वाले कहने को यह कह देते हैं कि कांग्रेस ने तो तीस साल तक कुछ भी नहीं किया, पर हम तो यह कह सकते हैं कि कांग्रेस ने तो तीस सालों में पेयजल की समस्या के बारे में निश्चित योजनायें बनायी थीं मगर आपकी काम करने की यह गति रही तो उस तक आप लोग नहीं पहुंच पायेंगे।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेते हुए थोड़े में ही निवेदन करूंगा क्योंकि मेरे बाद में और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। हर दिन रात के दो-तीन बजे जाते हैं इसलिये मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत पेयजल योजनायें स्वीकृत की गयी हैं उन स्कीम्स को जल्दी से जल्दी युद्ध-स्तर पर पूरा करें ताकि जनता को पीने का पानी मिल सके।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा। पहले जहां पर जलप्रदाय योजनायें थीं वहां पर जनरेटर सैट डीजल के लगाये हुए थे। बाद में वहां पर बिजली आ जाने से जनरेटर सैट्स हटा लिये गये हैं। मेरा निवेदन है कि उन जनरेटर्स सैट्स को नहीं हटाया जाना चाहिये। कारण यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कई बार बिजली तीन-चार दिन तक चली जाती है, जिससे मशीनें बन्द हो जाती हैं और पीने के पानी की समस्या हो जाती है। अगर वहां पर जनरेटर्स हों तो उनको चालू करके पीने के पानी की समस्या को हल किया जा सकता है। लेकिन जब वहां पर तीन-चार दिन तक लगातार बिजली बन्द रही और हमने जनरेटर्स की बात कही तो यह कहा गया कि वह तो हटा लिये गये। अगर होते भी तो डीजल तो है नहीं। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन डीजल सैट्स के जनरेटर्स को नहीं हटाया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैंने पिछले सत्र में भी इस सदन में कहा था कि हमारे यहां पर एक दासपा गांव है, बिजली चली जाने से जनरेटर सैट को चालू नहीं किया जा सका। जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि जिन एरियाज को इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया है वहां पर जनरेटर सैट चालू नहीं किये जायेंगे। मेरा ऐसा निवेदन है कि राज्य सरकार ऐसी जगहों पर, जहां पहले डीजल जनरेटर सैट लगे हुए थे, उनको न हटायें। वह विभाग को हिदायत दे दें ताकि बिजली चली जाने पर उन जनरेटर्स को चालू करके, जलप्रदाय योजना से पीने के पानी की व्यवस्था को चालू किया जा सके।

इसके अलावा जो बिल आते हैं पानी के, उसके बारे में भी कई माननीय सदस्यों ने निवेदन किया है। ग्रामीण क्षेत्र में, परिवार के सदस्यों के हिसाब से बिल दिये जाते हैं। मेरा निवेदन है कि मीटर की सही व्यवस्था होनी चाहिये ताकि ज्यादा बिल नहीं आवें। उन मीटर को

(श्री सूरजपाल सिंह)
चेन्ज करें जो खराब हो गये हैं ।

बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायणसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री रतना राम !

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जालोर जिले के अन्दर पीने के पानी की भारी समस्या है। विशेष तौर से यह समस्या रानीवाड़ा और जसवंतपुरा क्षेत्र के आसपास के गांवों में बहुत अधिक है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि इस समस्या की ओर विशेष तौर से ध्यान देकर, इस समस्या को जल्दी से जल्दी हल करा कर लोगों को राहत दिलावें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अनेक गांवों में पीने के पानी की समस्या है, वहां पर अधिक भाखर, मगरा की जमीन है। मैं खास तौर से पंचायत समिति, जसवंतपुरा और उसके आसपास के इलाके के बारे में कहना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति जसवंतपुरा के एरिया में पेयजल योजना का सर्वे हो चुका है लेकित मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि स्कीम पास होने के बावजूद भी आज तक वहां पर कार्य चालू नहीं किया गया है। इसी तरह मेरे क्षेत्र रानीवाड़ा के अन्दर एक पंचायत समिति रानीवाड़ा में सेवाड़ा स्कीम के नाम से भी स्कीम चालू हो गई है परन्तु वहां भी काम धीमी गति से हो रहा है। मेरा एक निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से कि जहां-जहां भी राज्य सरकार पानी के लिये स्कीम बनाये वहां पर से कम से कम पशुओं के पीने के लिये पानी के हौज भी बनवाये ताकि पशुओं को पीने का पानी भी मिल सके। बेचारे गूंगे जीव हैं।

इसके अलावा मेरा निवेदन है कि मेरे यहां कोटड़ा में पानी बहुत ही खारा है, इस कारण लोगों को पीने के लिये चार मील दूर करवाड़ा जाना पड़ता है। वहां पर स्कीम बन गई है। लेकिन अभी तक काम चालू नहीं किया गया है। इधर सेवाड़ा स्कीम में से हरसवाड़ा के गांवों को छोड़ दिया गया है। उन गांवों को स्कीम में लिया जाय और स्कीम जल्दी से जल्दी चालू की जाय। इसके अलावा मंडारदी, मवाड़ी व दीपर गांव हैं जहां पानी की योजना का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है वहां भी सर्वे का काम जल्दी से जल्दी पूरा करा कर पीने के पानी की समस्या को हल किया जाना चाहिये। हांलाकि कई जगहों पर सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है, पर सरकार वहां पर काम चालू नहीं करा पायी है। मेरा निवेदन है, वहां जल्दी से जल्दी चालू किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जालोर जिले में O. P. E. P. प्रोग्राम के अन्तर्गत नई योजनाएं सैंक्शन हुई थीं। पर अभी तक उनका काम चालू नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर भीनमाल, जसवन्तपुरा और रानीवाड़ा में पानी के सोर्सेज बहुत हैं और सर्वे भी हो चुका है। 150 ट्यूब-वैल अकेले रानीवाड़ा के लिये संक्सन किये गये थे। पर अभी तक उन योजनाओं को चालू नहीं किया

(श्री रतनाराम चौधरी)

गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन ट्यूब-वैल्स की स्कीम पंचायत समिति, रानीवाड़ा में जल्दी से जल्दी चालू की जाये। इससे राज्य सरकार को भी फायदा होगा और जनता को फायदा होगा। अधिक अनाज पैदा होगा तो काश्तकार को पैसा मिलेगा। जनता को अनाज मिलेगा और सरकार को फायदा होगा। देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि रानीवाड़ा और जालोर जिलों में जो योजनायें हैं उन्हें युद्धस्तर पर पूरा किया जाय।

बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेशकुमार !

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक तो भरतपुर के ऊपर प्रकृति की नाराजगी यों ही है और अगर जनता मंत्री मेरे महबूब के जलदाय विभाग की नाराजगी हो जाय तो, श्रीमान, भरतपुर के लोगों का बंटाढार हो जायेगा। जमीनों के नीचे अधिकतर जगह खारा पानी है उस पर जलदाय विभाग ठीक से योजना न चलाये तो हम तो प्यासे ही तड़फते रहेंगे। श्रीमान्, वर्षों में जाकर तो बारेठा बान्ध से पानी लाने की योजना टूटे-फूटे आकार में बनी लेकिन फिर भी पानी सप्लाई का यह हाल है कि पानी घरों में पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है। सड़क के किनारे-किनारे लोगों ने चार-चार, पांच-पांच फीट नीचे गड्ढे खोद रखे हैं। हरिजनों को बर्तन डाल कर पानी लेना पड़ता है।

कारण यह बताया जाता है कि किले के अन्दर जो उच्च जलाशय बन रहा है वह पूरा हो जायेगा तो पानी घरों में ऊपर तक पहुंच जायेगा। लेकिन टंकी का हाल यह है कि वह वर्षों से बन रही है। पिछले दो साल से उसका काम रुका पड़ा है। ठेकेदार काम छोड़ कर भाग गया है। मैं जानता हूं, ठेकेदार और अधिकारियों के संबन्ध मधुर होते हैं और होने भी चाहियें। पर इस हद तक मधुर नहीं होने चाहियें कि जनता प्यासी मरती रहे। अगर ठेकेदार काम नहीं करता है तो इतने दिनों तक ठेके की शर्तों के अनुसार कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? दूसरे ठेकेदार अगर नहीं हैं तो सरकारी मशीनरी से इस कार्य को पूरा कराया जाना चाहिये। भरतपुर के अन्दर यह हालत है कि जगह-जगह लाइनें टूटी पड़ी हैं और गन्दा पानी, नालियों का पानी साथ मिलकर घरों में जाता है। पानी में कभी-कभी तो इतनी बदबू आती है कि पानी पिया नहीं जाता है। भरतपुर के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, एक मोहल्ला है नमक का कटरा, वह गरीबों की बस्ती है, वहाँ डेढ़ महीने से लाइन टूटी पड़ी है। उस जगह पानी के बहाव को रोकने के लिए एक कोने से पाइप लाइन को बन्द कर दिया है। आगे गरीब बस्ती के लोग हैं वह बेचारे पानी से महरूम रह गये हैं। मैंने पूछा कि यह क्यों नहीं बनती है, तो कहते हैं कि बजट नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आज मालूम पड़ा है मुख्य अभियन्ता से कि अभी-अभी कुछ प्रबंध उन्होंने कर दिया है। शायद दो-चार दिन में ठीक हो जायेगी। मेरा निवेदन यह है कि यह शिथिलता क्यों है ? सतर्क रहना चाहिए और जहाँ-जहाँ लाइनें टूटी पड़ी हैं उनका बन्दोबस्त करना चाहिए और जनता

(श्री सुरेश कुमार)

तथा उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवा नहीं होना चाहिए . . .

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इसके लिए अपने मंत्री महोदय से त्याग-पत्र की मांग करो।

श्री सुरेश कुमार : हमारे यहां गांवों में भी पीने का पानी नहीं मिलता। मैं मानता हूं कि इसमें विभाग का दोष नहीं है। जमीन के अन्दर अगर पानी नहीं है तो पानी पैदा कर नहीं सकते लेकिन, श्रीमान्, मेरा एक सुझाव है, एक बहुत सही सा सुझाव है कि जिस तरीके से मोबाइल हॉस्पिटल का प्रबंध किया गया है उसी तरह इस विभाग को भी मोबाइल वाटर-वर्क्स का भी इन्तजाम ऐसे क्षेत्रों के लिए कर देना चाहिए जहां जमीन के नीचे या आस-पास पानी नहीं है। यह योजना सस्ती पड़ेगी। टैंकरों से आप पानी उपलब्ध करायें, टैंकरों से पानी गांवों में पहुंचे इसके लिये गांवों में सीमेंट के टैंक बना दें और उनको भर दें ताकि कम से कम गांव वालों को पीने का पानी तो मिल जाये। मैं समझता हूं कि यह योजना कार्यान्वित की जा सकती है और प्रैक्टिकल भी है, इतना मैं समझता हूं . . . .

श्री महबूब अली : खर्चा ज्यादा आयेगा।

श्री सुरेश कुमार : खर्चा कम आयेगा, आप अपने ऑफिसर्स से पूछ लें।

जिन गांवों में पानी नहीं है आप कटिबद्ध हैं उन गांवों को पानी देने के लिए चाहे वह गांव दूर हो या पास हो। तो इस हिसाब से देखिये कि वहां पीने का पानी मुहैया कराने के लिए, [illegible] को ले जाने में, उसकी मेन्टीनेन्स में और तोड़फोड़ के अन्दर कितना खर्च करना पड़ता है और टैंकर्स के जरिये जो पानी ले जायेंगे उसका खर्चा कितना आयेगा। अधिक भी पड़े तो भी आप वचनबद्ध हैं पानी देने के लिए। इसमें कम खर्चे का और अधिक खर्चे का सवाल ही नहीं है। आप एक प्रयोग करके तो देखिये। अधिक खर्चा करके गांव की जनता को पीने का पानी मुहैया करा सकते हैं तो कराना चाहिए। इसका आप बहुत ढोल पीटते हैं तो उसका खर्चा देखलें। आप पीने के पानी का प्रबंध करते हैं तो हमारे ऊपर अहसान नहीं है किसी का।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय हमारी स्टेट का विलीनीकरण हुआ था तो हमने 80 लाख रुपया दिया था। श्रीमान्, उससे कुछ कम खर्च कर दें तो पीने का पानी मुहैया करा सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सिर्फ दो बातें कहूंगा। मेरी हमेशा हुक्म मानने की आदत रही है। अधिक नहीं कहूंगा।

मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भरतपुर में बाबा आदम के जमाने की ऐसी नालियां बनी हुई हैं कि जरा सा भी पानी आता है तो घरों में घुस जाता है। भरतपुर में ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है। सारा शहर इतना गन्दा रहता है कि कुछ

(श्री सुरेश कुमार)

नहीं जा सकता। वहां पर बर्ड सेंचुरी है और देश विदेश के लोग आते हैं। वह शहर की हालत देखते हैं तो सरकार के ऊपर, हमारे ऊपर, सबके ऊपर–मैं वह शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा जो मैं करना चाहता हूं लेकिन यह हमारी बदनामी की बात है। इसकी एक योजना भेजी गई एक करोड़ रुपये की। हम कर्जा मांग कर भी उसको बनाना चाहते हैं लेकिन एल. आई. सी. से लोन दिलाने का प्रबंध आपके एक्ट में नहीं होने से वह लोन नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके अन्दर ऐसा प्रावधान कर दें कि कर्ज मिल जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सिर्फ एक बात और कहूंगा।

इस सारी खूबसूरत पुस्तिका में भरतपुर की किसी भी स्कीम का कोई जिक्र नहीं है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? एक बात जरूर कही है कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी नेहरू मेमोरियल खेलकूद प्रतियोगिताएं राज्य स्तर पर भरतपुर में आयोजित की गई। इतना एहसान हमारे ऊपर जरूर किया है। मैं खेलकूद का हामी हूं और तारीफ भी करता हूं लेकिन किसी योजना का जिक्र कर देते तो आपको धन्यवाद देता।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरचन्द सिंह!

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न मेरी शिकायत, न मेरी शिकवा मंत्री महोदय से है और न विभाग से है। मंत्री महोदय के बस का रोग नहीं है। शिकायत और शिकवा अगर है तो उस जगह से है कि जिस जगह बैठकर यह योजनाएं बनती हैं। योजनाएं ऐसी जगह बैठकर बनाई जाती हैं जहां हरियाली है, अच्छा ठाठ और मौसम है और शायद पीने के पानी की कमी भी महसूस नहीं होती। यह, श्रीमन्, मैं दावे के साथ कहता हूं, मंत्री महोदय अपने सारे के सारे विभाग को लेकर बीकानेर डिविजन के महाजन और लूनकरणसर के उन इलाकों में जून के महीने में ले जायें जहां ऊंचे-ऊंचे टीले हैं। पानी की तो कहने की जरूरत नहीं, उनको टीलों में छोड़ दिया जाये, वहां 15 दिन रहकर वापस आ जायें। फिर वह जिस प्रकार की योजनाएं बनायें तो मुझे कोई शिकवा और शिकायत नहीं होगी।...

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सरकार का टी. ए., डी. ए. का खर्चा और कराओ।

श्री हरचन्द सिंह : सरकार का पैसा तो डूब रहा है। हम लोग लगायेंगे।

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि जनता पार्टी की नीति थी और मुख्य मंत्रीजी ने भी घोषणा की थी कि हम कटिबद्ध हैं और वचनबद्ध हैं, पेयजल मुहैया करायेंगे, गावों में, लेकिन, श्रीमन्, न तो इस बजट के अन्दर और न ही प्रगति पुस्तिका में इसके बारे में कुछ दिया गया है। इसमें कहीं उसका प्रतिपादन नहीं है।

श्रीमन्, 30 साल के कांग्रेस का इतिहास है और 9 महीने का हमारा शासन है इस टोटल अवधि में हमने देखा कि राजस्थान के अन्दर 181 शहर बताये गये

(श्री हरचन्द सिंह)

जिनमें शत प्रतिशत लोगों को पीने के पानी की सेवायें मुहैया करा दी गयी हैं। यह इस पुस्तिका में बताया गया है कि 33 हजार गांवों में 82 प्रतिशत आबादी निवास करती है, उसमें से, श्रीमन, 33 प्रतिशत लोगों को भी पीने के पानी की सेवायें उपलब्ध नहीं कराई गयी हैं । अगर इसी गति से यह योजनाएं बनती रहीं तो 2।। करोड़ लोगों को पानी मुहैया कराने में शायद हमको 90 वर्ष लगेंगे । यह मैंने बजट भाषण पर भी कहा था कि 300 गांवों को हर साल पीने का पानी मुहैया कराते रहें तो 90 वर्ष में हम राजस्थान के तमाम गांवों को पानी दे सकेंगे जबकि केवल परमिट हमारे पास 4 साल का रह गया है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस गति को सुधारें और जिस तरीके से इस बजट भाषण के अन्दर और प्रगति पुस्तिका में बताया गया है कि शहरों में जितनी जल योजनाएं हैं उन पर और रुपया खर्च करेंगे, उनको आप बन्द कर दीजिये, कृपया । आप एक तरफ कहते हैं कि ग्रामोन्मुख बजट है और दूसरी तरफ ज्यादा पैसा शहरों के अन्दर.....

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप समझते हैं शहरों में इन्सान नहीं रहते ?

श्री हरचन्द सिंह : मैं उस इन्सान की बात नहीं करता । आप उस इन्सान की कल्पना कीजिये जिसके पास सुबह उठ कर मूंह धोने के लिये पानी न हो, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : गांव वाले मलिया मण्डिया है जिसके अन्दर अभी कोई दूध हमें देते हैं, पानी आपको देते है ।

श्री हरचन्द सिंह : आपको भी पानी मिलता है । श्रीमान, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप बहुत बढ़िया तरीके से इन शहर वालों को पानी दो किन्तु उस वक्त दो जब हर गांव के अन्दर पानी की व्यवस्था हो जाये । कल्पना कीजिये, ऐसे भी इन्सान हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है । आपने उनके साथ वायदा किया था कि पीने का पानी मिलेगा । आज जब वह प्रगति पुस्तिका देखते हैं तो उनके मन में क्या विचार आयेगा ? इसलिये मंत्री महोदय से बार-बार निवेदन करूंगा कि गांवों के अन्दर कुछ प्रगति की जाये । जहां 300 गांवों को मीठा पानी मुहैया कराने का सवाल है वहां 5,000 गांवों को मीठा पानी मुहैया करवाइये । यह गति रही....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो 5 सालों के अन्दर हम इस प्रदेश के अन्दर पीने का पानी मुहैया करवा सकेंगे ।

इसके अलावा श्रीमान जैसा मैंने निवेदन किया था, मैं आदत से लाचार हूं, मैंने देखा सरकार....

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इधर आ जाइयेगा ।

एक माननीय सदस्य : आपने जाकर क्या कर लिया ?

श्री हरचन्द सिंह: 5 हजार की आबादी वाले गांवों को पीने का पानी मुहैया करवायेंगे । 10 हजार आबादी वाली

(श्री हरचन्द सिंह)
जलप्रदाय योजना नहीं है। सरदारगढ़ में 8 हजार की आबादी है, रामपुरा में 10 हजार की आबादी है तथा पडदावाली में 5 हजार की आबादी है लेकिन कोई नल योजना नहीं है। अनेक गांव हैं उनको नहरों से पानी मिल जाता है। सूरतगढ़ तहसील के दक्षिण के हिस्से में खारा पानी लोगों को मिलता है। उसके अन्दर पानी के सोर्सेस हैं, बहुत थोड़े से खर्च से योजना बनाई जा सकती है। डी. पी. ए. पी. में हमारा नाम नहीं। मरु विकास में हमारा नाम आयेगा। हमें नाम की जरूरत नहीं, हमको पानी की जरूरत है। आप पानी मुहैया करवाइये।

सैनेटरी सिस्टम के बारे में कहा गया। यह पुस्तिका बहुत खूबसूरत है ऐसा ही खूबसूरत यह विभाग है यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती नारंगी देवी !

(अनुपस्थित)

श्री खेतसिंह राठौड़ !

(अनुपस्थित)

श्रीराम नारायण चौधरी !

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : इरादा तो नहीं था, कृपा करके आपने समय दिया, आभारी हूं।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पीने के पानी की समस्या राजस्थान के अन्दर बहुत बड़ी समस्या है। जिस गति से पानी की समस्या हल करने का प्रोग्राम राजस्थान सरकार ने बनाया है उस हिसाब से आने वाले कई वर्षों तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यह खुशी की बात है कि मुख्य मंत्री ने घोषणा की है कि पीने के पानी की समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन जो बजट प्रोविजन रखा है, जो मांग विचारार्थ है, उसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई भी प्रावधान बढ़ाकर, रकम बढ़ाकर नहीं रखी गई है। फिर कैसे समस्या का समाधान कर सकेंगे। जितना काम गत वर्ष किया उतना काम इस वर्ष नहीं कर सकेंगे। जो प्रगति होनी चाहिये थी, जो काम होना चाहिए था, उतना होने वाला नहीं है। फिर यह समस्या किस प्रकार हल हो सकेगी ? मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री की घोषणा सारहीन हो गई है।

उन इलाकों को राज्य सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिये जहां खारा पानी है। जहां सैलाइन वाटर है जहां फ्लोराइड युक्त वाटर है, उन गांवों को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। जिलों के अन्दर कमेटी बनाई उस कमेटी में ले जाकर सारे प्रोविजन्स को रख दिया है। वहां पर सदस्यगण, प्रत्येक माननीय सदस्य इस बात की चेष्टा करता है कि मेरे क्षेत्र में अधिक से अधिक पैसा लगे। मैं चाहूंगा कि आप राजस्थान स्तर के ऊपर इस बात का सर्वे करायें। अगर पंचायत समिति वाइज, पंचायत क्षेत्र वाइज और माननीय सदस्यों के आधार पर करेंगे तो उन गांवों को पानी सप्लाई नहीं कर सकते जहां खारा पानी है, जहां पानी पीने लायक नहीं है। क्योंकि यह प्रजातंत्र है इसलिये जहां एम. एल. एज. बैठे हैं, प्रत्येक एम. एल. ए. वहां पर

(श्री रामनारायण चौधरी)

अपने यहां की चर्चा करेगा और अपने यहां वाटर सप्लाई स्कीम लाने की कोशिश करेगा। आप जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर को लीजिये, बीकानेर, झुंझुनूं को लीजिये। भरतपुर में भी कुछ गांव हैं जहां पानी खारा है। अगर मैं भरतपुर नहीं जाता तो मुझे पता ही नहीं लगता। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान को बेस मानकर एक्सपर्ट कमेटी बैठाई जाये और उसकी रिपोर्ट के आधार पर स्कीम लें। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप हर साल 10 लाख रुपया देंगे तो किस प्रकार योजना कामयाब होगी, कसे इम्पलीमेंट कर सकेंगे। किसी गांव में वाटर सप्लाई स्कीम सैंक्शन करके पानी की एक टूंटी खड़ी कर दी वहां समस्या का हल हो गया?

श्री महबूब अली : माननीय सदस्य, क्या कहना चाहते हैं? क्या जिला समितियां समाप्त कर दी जायें?

श्री राम नारायण चौधरी : मैं नहीं कहता, समाप्त कर दीजिये, पानी की जो अहम समस्या है...

श्री महबूब अली : विकल्प बताइये।

श्री रामनारायण चौधरी : विकल्प आप सोचिये।

राजस्थान स्तर की योजना बनाइये। जहां आंखों में पानी आ जाये किन्तु पीने को पानी नहीं मिल सकता वहां के लिये स्कीम बनाइये। जिलों में रुपया बिखेर दिया जाय, कुछ झुंझुनूं को दे दिया जाय, कुछ दूसरे को दे दिया जाय तो गांवों की पीने के पानी की समस्या हल नहीं हो सकती। एक गांव को वाटर सप्लाई स्कीम में ले लिया तो इस तरह दस साल लग जायेंगे। 1971 में जो स्कीम थी आज वह 90 लाख की हो गई। 25 गांवों को वाटर सप्लाई स्कीम में लिया गया किन्तु, 1-2 बाल्टी पानी घरों में नहीं पहुंचता। 12 महीने से उन गांवों में एक बूंद भी पानी नहीं देते हैं। मैं, मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं आप इस बात पर ध्यान मत दीजिये कि आपकी कितनी पब्लिसिटी होगी, मैं कहता हूं समस्या का समाधान कीजिये, रिजल्ट्स आने चाहियें। लोगों को अधिक से अधिक सन्तुष्ट करने की कोशिश मत कीजिये। जिन गांवों में पानी की भयंकर समस्या हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप उनको पहले प्रायोरिटी दीजिये और वहां पानी की व्यवस्था कीजिये। मैं चाहूंगा आप एक नीति के आधार पर चलें, माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट करने के आधार पर न चलें। जो इसमें हमारा सहयोग अपेक्षित होगा वह हम देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया!

(अनुपस्थित)

श्री उममराज!

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ब्यावर एक इन्डस्ट्रियल सिटी है। ब्यावर शहर की जनसंख्या सन् 1971 की गणना के अनुसार 66,114 थी परन्तु इस समय वहां की जनसंख्या करीब 80-85 हजार है। आज ब्यावर की जनता को सिर्फ 7-8 लाख गैलन पानी मिलता

(श्री उगमराज मेहता)

है और केवल आधे घंटे पानी मिलता है। ब्यावर में पानी के लिये त्राहि त्राहि मची रहती हैं। यह समस्या कई सालों से है लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं ढूंढा गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, इस सम्बन्ध में युद्ध स्तर पर काम करिये। मैं माननीय मंत्रीजी को जरूर धन्यवाद दूंगा, अभी जो घोषणा हुई कि 2 लाख गैलन मई में सिंदड़ा में पानी दिया जायगा। उसके लिये धन्यवाद दूंगा। आप सोचिये, 7-8 लाख गैलन पानी और 2 लाख गैलन पानी, कुल मिलाकर 10 लाख गैलन पानी हुआ, लेकिन अभी भी 10 लाख गैलन पानी की और आवश्यकता है..

(5.53.म.प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

अभी केन्द्रीय सरकार ने सीमेंट फैक्ट्री के लिये आशय पत्र दिया और रेल्वे का क्लियरेन्स सर्टिफिकेट भी मिल गया है, उसको 6 लाख गैलन पानी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा मैंने एक स्कीम भेजी थी, वह स्कीम चीफ इंजीनियर साहब को भी भेजी थी। जब ये एस. ई. जोधपुर थे उस वक्त मथानिया से बड़ी लाइन द्वारा पानी ले गये। मैं निवेदन करूंगा, सेंधड़ा, लूनी और रायपुर में अन्डरग्राउण्ड कुए खोदकर पानी सप्लाई किया जाय तो हमारी मांग पूरी हो सकती है। यह काम 4-6 महीने में हो सकता है। मैं निवेदन करूंगा, 20-25 लाख गैलन पानी की जरूरत है। सीमेन्ट फैक्ट्री लगाने के बाद चार करोड़ की फर्स्ट फेज में सरकार को इन्कम होगी और सैकिन्ड फेज में 9 करोड़ की आमदनी होगी, कम से कम दो हजार मजदूरों को काम मिलेगा। 500 पढ़े-लिखे को रोजगार मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा, मन्त्री महोदय, यह नोट करें और हमें आज यह आश्वासन दें कि 4-6 महीने में यह स्कीम हाथ में ले ली जायगी, जिससे बड़ा प्लान्ट सीमेन्ट फैक्ट्री का लग सके।

मैंने एक पत्र लिखा था कि पाली जिले में वेनपुरा एक गांव है जहां पानी पीने से 30-40 वर्ष में लोग कुबड़े हो जाते हैं। मैंने गत सत्र में भी यह प्रश्न उठाया था। आप यह काम 78-79 में ले लेंगे। इसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं समझता हूं वहां की जनता को कम से कम इससे राहत मिलेगी। मैं एक और धन्यवाद भी देना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय को, मेरे ग्रामीण क्षेत्र में चाहे आपके द्वारा न सही, लेकिन आपके सोशियल वेलफेयर विभाग द्वारा 20 बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्ड पम्प लग रहे हैं और करीब-करीब 40 लग भी चुके हैं, मैं स्वयं देख कर आया हूं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के एरिया में पम्प लगाने का सोशियल वेलफेयर रिसर्च इन्स्टीट्यूट काम कर रहा है। मैं एक निवेदन करूंगा, सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने पीने के पानी के लिये सोशियल वेलफेयर रिसर्च इन्स्टीट्यूट को 30 पुराने कुए खोदने और 30 नये कुए खोदने के लिये स्वीकृति दी है और कम से कम 10 लाख रुपये सैंक्शन किये हैं। यह काम राज्य सरकार की स्वीकृति के लिये रुका हुआ है। मैं चाहूंगा राज्य सरकार प्राथमिकता दे और मेरे क्षेत्र में काम शुरू करा दे, ताकि ग्रामीण जनता को लाभ मिल सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि सेंधड़ा, लूनी और रायपुर, जो 10 मील का टुकड़ा है, में पाइप लाइन

Page No. 132

(133)

(श्री उगमराज मेहता)
डालने के काम को जरूर हाथ में लें जिससे ब्यावर की पीने के पानी की समस्या हल हो। इसके लिये वहां की जनता भी धन्यवाद देगी।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): सभापतिजी, मैं राज्य सरकार का ध्यान पानी की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान बना तब मास्टर प्लान बना उसमें 200 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी, उस समय 200 करोड़ लगते तब जाकर कुछ वाटर की समस्या हल होती। इसके लिए एक कमेटी भी बनी थी और पूरे राजस्थान का सर्वे हुआ था। उसमें यह था कि इतने रुपये चाहिये। मैं यह चाहूंगा, दुबारा एक कमेटी बनाकर राजस्थान के समस्त इलाकों का सर्वे होना चाहिये और यह प्रायोरिटी फिक्स करनी चाहिये कि पहले पानी कहां जाय। नहीं तो जिलों में जो आयोजना कमेटियां हैं वे अपने-अपने क्षेत्र के हिसाब से लिस्ट बनाकर राज्य सरकार के पास भेज देती हैं। इस कारण प्रायोरिटी नम्बर का कोई ध्यान नहीं रहता है। अगर प्लान एक क्षेत्र का है और एक बार क्षेत्र प्लान में आ चुका है तो फिर प्रायोरिटी उसी हिसाब से फिक्स हो जायेगी। नहीं तो क्या होता है एक-एक निर्वाचन क्षेत्र में एक-एक, दो-दो एम0 एल0 ए0 अपने-अपने हिसाब से अपनी-अपनी प्रायोरिटी बना कर दे देते हैं। उसके बाद राज्य सरकार की एक लिस्ट आती है जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी लिखी होती है और सैकिन्ड प्रायोरिटी लिखी होती है उसमें भी रीजनल स्कीम द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में पानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। रीजनल स्कीम बन जाती है लेकिन आस-पास में पानी खारा मिलता है तो वह स्कीम बेकार हो जाती है। राजस्थान सरकार को रीजनल स्कीम में करोड़ों रुपया लगाना पड़ता है। पानी का सोर्स सिर्फ सांचोर में है जहां से 35 गांवों में नल-कूपों के द्वारा पानी आता है। उसके बाद बहुत से गांव ऐसे रह जाते हैं कि एक गांव में पानी है और पास के दूसरे गांव में पानी नहीं है। ऐसा करते-करते जिन 35 गांवों में पानी पहुंच गया उसके पास के कुछ गांवों में पानी जाता है और कुछ में नहीं जाता है। जिन इलाकों में पानी की भयंकर समस्या है उनको प्राथमिकता दीजिये। सांचोर तहसील में 63 गांव हैं जिनमें अधिकतर गांवों में ऊपर तो मीठा पानी है लेकिन नीचे खारा पानी आ जाता है। खारे पानी से मलेरिया फैलता है। 63 गांवों में से 13 गांवों में पानी आया है और 13 में भी पूरा नहीं आता है। कभी आता है और कभी नहीं आता है। एक पाइप लाइन है वह बीच में से टूट जाती है, क्योंकि आजकल पाइप लाइन प्लास्टिक की डालते हैं। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार कोई व्यवस्था करे और पाइप लाइन का कोई विकल्प ढूंढे। पानी जाते-जाते बीच में पाइप फूट जाता है तो सारा का सारा पानी बीच में बह जाता है। यह हालत हो जाती है कि एक होज भरा और दो होज खाली रह गये।

सभापतिजी, मैं एक और भी निवेदन करना चाहता हूं जो सेलाइन वाटर है उसको किसी प्लान के जरिये शुद्ध करके सप्लाई किया जा सकता है या

(134)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

नहीं किया जा सकता है, यह राज्य सरकार को सोचना चाहिये। अगर नहीं किया जा सकता है तो कुछ दूर से पानी का पहले सोर्स ढूंढें और देखें कि कितना पानी मिल सकेगा। इसका भी पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये। मेरा निवेदन है इस ओर भी राज्य सरकार कोई न कोई कदम उठाये।

सांकड़ में ट्यूब-वैल थे उनसे 15 गांवों में पानी नहीं जा रहा है। अब नये ट्यूब-वैल की सैंक्शन की है लेकिन 15 गांव जो ट्यूब-वैल के पानी पर निर्भर थे वे वहां अपने पुराने कुए चला कर पानी की पूर्ति की कोशिश कर रहे हैं। तो यह जो समस्या है इस बारे में यह निवेदन है कि पहले यह पता लगाया जाय कि पानी प्राप्त होगा या नहीं, ट्यूब-वैल कैसे सफल होंगे।

ट्यूब-वैल खोद कर रख दिए लेकिन उनके प्रोटेक्शन की कोई व्यवस्था नहीं की है। ट्यूब-वैल जो खोदे वह खराब करके रख दिए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस तरह से जितने भी ट्यूब-वैल्स है उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। जो ट्यूब-वैल बन्द पड़े हुए है उनकी सुरक्षा के लिए रेस्पान्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। अचानक ट्यूब-वैल कैसे खतम हो गए, कैसे बन्द हो गए, इसकी जांच होनी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि ऐसे इलाकों में, जहां पर वाटर स्कीम नहीं है, पीने के पानी की गंभीर समस्या है। इसको पूरा करने के लिए सारे देश में जितने भी धनी लोग हैं, और भी जो संस्थायें हैं उन लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त करें। पहले मैंने राजस्थान में वाटर बोर्ड बनाने का गैर सरकारी प्रस्ताव रखा और जिसको राजस्थान सरकार ने स्वीकार भी किया था और कहा था कि राजस्थान में वाटर कोर्पोरेशन बनेगा वह कोर्पोरेशन बना कर हर सीगं से लोन वगैरह लेकर जो धनी लोग हैं, उनसे पैसा मांग कर पानी की समस्या हल करने की कोशिश करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 63 गांव ऐसे हैं जिनके अन्दर पानी नहीं है या बिल्कुल सेलाइन वाटर है। इन गावों में रीजनल स्कीम के जरिये से वाटर सप्लाई की जानी चाहिए।

इसके बाद में मैं निवेदन करूंगा कि जो सांचौर नगरीय योजना है, इसे नदी नगरीय योजना घोषित नहीं किया गया है। इस योजना को म्युनिसिपल योजना घोषित करने की मैं आपसे मांग करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि जो प्रायोरिटीज हैं वह राज्य सरकार के स्तर पर फिक्स होनी चाहिए। जो गंभीर समस्या डूंगरी, सेसाबा वगैरह गांवों की है, इनको पानी की नई योजना में प्रायोरिटी देनी चाहिए। पता नहीं इनकी स्कीमें राज्य सरकार के पास क्यों नहीं आईं। वहां पानी हमेशा टैंकरों के जरिये पहुंचता है। इस बारे में निश्चित रूप से विचार करें और बाकी दूसरी स्कीमें हैं उनको भी जल्दी पूरा करें। महीने भर में गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है, अगर सांकड़ वगैरह गांवों में पानी नहीं पहुंचा तो गर्मी में लोगों को पानी की

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

तकलीफ होगी । इतना रुपया लगाने के बावजूद भी पानी नहीं मिलता है, इस ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री सभापति : श्री करतारसिंह !

श्री करतारसिंह (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज की मांग के ऊपर मैंने भी कटौती प्रस्ताव दिए हैं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों की आज तक राज्य सरकार की ओर से उपेक्षा होती रही है और राज्य सरकार की इस उपेक्षा वृत्ति की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा । मुझे इस टाइम पर यह कहते हुए भी कोई अफसोस नहीं है कि पुरानी सरकार ने तीस साल तक गांवों की पेय-जल के सम्बन्ध में घोर उपेक्षा की । इसको मैं आंकड़ों के द्वारा सिद्ध करने की कोशिश करूंगा ।....

श्री मूलचन्द डागा: पहला सेंटेंस यही कहते रहो । यह क्या रटा हुआ शब्द बोलते रहते हो । बन्द करो इसको । पहला वाक्य यही बोलते हो अभी तक।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तीस साल के अलावा कोई शब्द है ही नहीं ।

श्री करतारसिंह : यह सच्ची बात है इसलिये सुनने की शक्ति नहीं है क्या ?

जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों से मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान की जन-संख्या 18.44 पर्सेंट है शहरी और ग्रामीण जनसंख्या 81.56 पर्सेंट है। इस 81.56 प्रतिशत जनसंख्या की अब तक उपेक्षा की गई है और केवल मात्र 18.44 प्रतिशत शहरी जनसंख्या के लिये ही सब योजनाएं लागू की गईं, सारा धन खर्च किया गया है । इस साल जो ग्रामीण जल विकास योजनाओं के लिए पांच करोड़ का अधिक प्रावधान किया जा रहा है उसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, सरकार बधाई की पात्र है । इसके साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं गत तीस सालों में गांवों के ऊपर जितनी धनराशि खर्च हुई और उससे जितनी योजनायें पूरी हो सकीं उनको देखते हुए और जो आपका बजट है उसको देखते हुए गांवों में काफी वर्षों में जाकर यह काम पूरा होगा। इसलिए निश्चित रूप से आपको गांवों के अन्दर अधिक धन लगाना चाहिये ।

इसके साथ ही मुझे बड़ा दुःख है कि 185 करोड़ का जो प्रावधान शहरी योजनाओं को पूरा करने के लिए है, जिसमें अनेक शहर शामिल किए गए हैं जहां पर पहले से ही काफी पानी है, काफी योजनाएं हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि यह धन-राशि भी गांवों में खर्च की जाय और ग्रामीण योजनाओं में लगाई जाय ।

अब जो अजमेर जिले की पानी की समस्या है, अजमेर प्रोपर की, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।...

श्री सभापति : अभी तो आप शहरी योजनाओं का विरोध कर रहे थे और अब शहर के लिए मांग कर रहे हैं।

श्री करतारसिंह : मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं ।

मेरा निवेदन यह है कि जो आपने 181 स्थानों के लिए प्रावधान

(श्री करतारसिंह)

किया है उसमें अजमेर के साथ भेद-भाव किया गया है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। अजमेर की पोपुलेशन को देखते हुए और वहां की जल समस्या को देखते हुए अजमेर की पूर्ण उपेक्षा की गई है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सन् 1975-76 में अजमेर की डिमाण्ड को मीट करने के लिए राजमहल नाम की योजना बनाई थी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अजमेर पर 3.65 करोड़ रुपया खर्च किया है।

(व्यवधान)

श्री करतारसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा और आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप माननीय सदस्यों को आगाह करिये कि वे मुझे शांति-पूर्वक सुनें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप गलत कहेंगे तो बोलेंगे। अगर आप गलत बात कहेंगे तो बीच में टोकेंगे।

(व्यवधान)

अजमेर की डेढ़ लाख की पोपूलेशन है और उस पर 3 करोड़ 65 लाख रुपया खर्च करने की योजना बनाई है, जिससे अजमेर को पानी दि जायाएगा।

श्री कल्याण सिंह सांखला : माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि अजमेर की संख्या 4 लाख है।

श्री मूलचन्द डागा : यह जनता पार्टी रही तो यही जनसंख्या 7 लाख हो जाएगी। पूरा यही काम करेंगे।

श्री करतारसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो राजमहल की योजना है उसके लिये 8.73 करोड़ का प्रावधान था जिसमें से बजट के अन्दर 1.56 करोड़ की स्वीकृति ही मिली है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, सभापति महोदय, आप शीघ्रातिशीघ्र यह जो योजना स्वीकृत है इस पर पैसा लगाने की व्यवस्था करें ताकि अजमेर की पेयजल समस्या का समाधान हो सके। इसी के साथ ही अजमेर के साथ किशनगढ़, नसीराबाद, ब्यावर भी शामिल हैं। इसलिए अगर यह पेयजल योजना पूरी हो जाय तो इन स्थानों को भी पानी मिलने लग जाएगा और वहां की पेयजल की समस्या भी हल हो सकेगी।

दूसरा मेरा निवेदन है कि मेरे किशनगढ़ क्षेत्र के पास में सांभर झील के निकटवर्ती जो गांव हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसकी तो मुझे खुशी है और मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने 15-16 गांवों में पेयजल योजना उपलब्ध की है, और जो बजट रखा है उसमें चार लाख रुपया स्वीकृत किया है।....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन चार लाख रुपयों से कुछ क्षेत्र में तो काम हो जायेगा। कुछ क्षेत्र की जो समस्या है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। वहां पर इतनी भयंकर समस्या है पानी की कि जब मैं इन गांवों की तरफ गया तो सांभर झील

(श्री करतारसिंह)

के पास जो ग्राहू ग्राम है वहां के पांच-सात लोग मुझे देखकर घरों में छुप गए। जब मैंने पूछा कि यह क्या बात है? लोग मुझे देखकर घर में क्यों छुप गए तो उन्होंने बताया कि यहां की स्थिति यह है कि हम आपके लिए पीने के लिए मीठा पानी नहीं ला सके। इतना खारा पानी है। यह ग्राहू गांव की हालत है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन गांवों को प्राथमिकता देकर जल्दी से जल्दी इन योजनाओं को पूरा करावें।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय नल योजनाओं के लिए जो दो हजार की आबादी वाली सीमा लगा रखी है इसको आप हटाइये। जिस स्थान की जैसी आवश्यकता है उस अवश्यकता को देखते हुए, जो छोटे-छोटे गांव हैं उनकी आवश्यकता को देखते हुए प्रायोरिटी बेसिस पर योजना पूरी करवायें।

इसके साथ ही जिन गांवों में आपकी योजना चल रही है वहां पर समान रेट लागू नहीं है। किसी गांव में ज्यादा है तो किसी गांव में कम है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक समान रेट वसूल की जानी चाहिए।

दूसरा निवेदन है कि मीटर में गड़बड़ बहुत होती है। इसलिए मीटर सिस्टम को खतम करके फ्लेट रेट पर एवरेज निकाल कर फेमिली मेम्बर के हिसाब से पैसा वसूल करिये। इसके अलावा गांवों में जो घरों में कनेक्शन दिये हैं, उन गांवों के लोग छः-छः महीने में बिल जमा करायें, ऐसी व्यवस्था करें, क्योंकि ग्रामवासी मन्थली बिल जमा कराने में असमर्थ हैं। जिन गांवों में पेयजल योजनायें अधूरी पड़ी हुई हैं उनकी अलग प्रायोरिटी तय करके पूरी करावें ताकि जो पैसा लगा है उसका भी पूरा उपयोग हो सके और उसका लोग पूरा लाभ उठा सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ ही एक निवेदन यह है कि यह योजनाएं जो गांवों में लागू कर रहे हैं और हैंड पम्प लगा रहे हैं उनका कोई उपयोग नहीं है। हैंड पम्प खराब व अधूरे पड़े हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से, सभापति महोदय, निवेदन है कि आप ने जिस किसी गांव में हैंड पम्प की योजना लागू की उसकी जगह नल योजना लागू करें। ये हैंड पम्प बेकार ही पड़े हुए हैं। जो हैंड पम्प गांवों में लगे हुए हैं, उनसे जो पानी का रिसाव होता है उससे गन्दगी होती है। मैं आपके माध्यम से कहूं कि इस योजना के साथ गन्दे पानी के निकास के लिए प्रबन्ध करें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा और मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि मेरे किशनगढ़ क्षेत्र की विकट जल समस्या का शीघ्रातिशीघ्र समाधान करने का कष्ट करें।

श्री सभापति : श्री हरलालसिंह खर्रा !

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रीमाधोपुर की पेयजल समस्या के बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो श्रीमाधोपुर में पेयजल योजना की जो टंकी बनी हुई

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

है, वह बहुत छोटी है । पहले भी छोटी थी आबादी के हिसाब से और आज भी छोटी है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमाधोपुर नगरपालिका में करीब 6 हजार की आबादी का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले भी छोटी टंकी थी । अब एक टंकी का और प्रावधान कर दिया जाए ताकि पूरी आबादी को समय पर पूरा पानी मिल सके ।

दूसरी जो योजना मेरे क्षेत्र में है । झाडली ग्राम में वहां से थोड़ी दूर पर पाइप लाइन बनी हुई है । यह एक दस हजार की आबादी का गांव है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर लोगों ने कनेक्शन के लिए मांग कर रखी है, इसलिए वहां तक लाइन डाल कर लोगों को कनेक्शन दिए जाएं । तीसरी योजना रींगस की है । वहां पर भी टंकी छोटी है । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर नगरपालिका बन गई है । वहां पर भी पानी मिलना चाहिए । एक टाइम पानी मिलता है और वह भी ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनिट । जनता इससे परेशान है । वहां भी पूरी पेयजल की व्यवस्था करें ।

इसके साथ दूसरी नई योजनाएं चालू करने के बारे में मेरे क्षेत्र के गांवों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा । इनके प्रस्ताव जिला आयोजना कमेटी से पास करके भिजवा दिए गए हैं । इन प्रस्तावों को पास किए 5-6 महीने हो गये हैं । मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अभी तक इन गांवों का सर्वे तक नहीं किया गया है । जनता को परेशानी हो रही है । सरकार ने यह घोषणा की है कि पांच हजार की आबादी वाले गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा । मेरे क्षेत्र में दो गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी पांच हजार से ज्यादा है । इन गांवों के लिए अभी तक कोई स्कीम नहीं बनी है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की योजना तथा नीति के अनुसार इन दो ग्रामों में इसी साल इन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लिया जावे ।

• दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं, मान्यवर, दो हजार की आबादी पर जो रोक है, उसको हटाया जाए । जिस गांव में पानी नहीं है, पानी गहरा है, जिस गांव में पानी खराब है वहां पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए । चाहे ऐसे गांव छोटे हों । इसलिये निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में तीन गांव ऐसे हैं जहां पर कि 180 फीट गहरे कुएं चले गये हैं, उसके नीचे पत्थर हैं । आपका यह विभाग कहता है कि दो हजार की आबादी नहीं है इसलिए इन गांवों की योजना को हाथ में नहीं लिया जा सकता है । यह जो पाबन्दी है, इस पाबन्दी को हटाकर, वहां की आवश्यकता को देखकर, जहां पानी की कमी है वहां योजना हाथ में ली जाय । इन तीन गांवों में, मान्यवर, ऐसी स्थिति है कि तीन चार महीने तक पानी उपलब्ध नहीं होता है । कुओं में पानी नहीं है ज्यादातर पानी के कुए गांव से दो-दो मील की दूरी पर हैं । इससे लोगों को परेशानी होती है । विशेष रूप से इन गांवों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि इन गांवों का सर्वे करवाया जाए और वहां पर इस तरह की

(श्री हरलालसिंह खर्रा)
दिक्कत है, इसलिये इनको प्राथमिकता दी जाय।

अन्त में यही निवेदन करते हुए और कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि मेरे क्षेत्र की जो समस्या है, उसकी ओर सरकार ध्यान दे।

श्री सभापति : श्री समरथ लाल !

(अनुपस्थित)

श्री भंवर लाल ऐरन !

(अनुपस्थित)

श्री नवलराय बच्चाणी !

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री गंगाराम चौधरी !

(अनुपस्थित)

श्री परसराम मदेरणा !

(अनुपस्थित)

श्री रामेश्वर प्रसाद !

(अनुपस्थित)

श्री हरीश शर्मा !

(अनुपस्थित)

श्री एच. एन. शर्मा !

श्री एच. एन. शर्मा (बेगू) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ बातों की ओर जनता सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं यह कहना उचित समझूंगा, मेरे हाथ में विभाग के ये दो प्रगति विवरण हैं। इनको, मान्यवर, आप ध्यान से देखें, पहले पृष्ठ पर दृष्टि डालें। श्रीमन्, इसको मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ना उचित समझूंगा। यह कहा है, "नगरीय क्षेत्रों में 181 शहरों में से 179 शहरों में जल-प्रदाय योजनाएं चालू कर दी गई जिनसे 47.33 लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं"। महोदय, यही की यही भाषा वर्ष 1976-77 और वर्ष 1977-78 के प्रगति विवरण में लिखी गई है। इससे यह मालूम हो जाता है कि सरकार ने एक वर्ष में कितना काम किया है। मंत्री महोदय कृपया नोट कर लें, यह आपके प्रगति विवरण से ही कह रहा हूं। इसी प्रकार, मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में भी इसमें कहा गया है। ग्रमीण क्षेत्रों में 1976-77 में 2,094 ग्रामों को पाइप्ड जल उपलब्ध करा दिया गया था और 1977-78 में यह संख्या बढ़कर 2,368 हो गई याने कुल 274 ग्रामों को पाइप्ड जल सुविधा दी गई है इसी प्रकार हैण्ड पम्प के बारे में देख लें। पहले 787 हैण्ड पम्प थे और अब 1977-78 में इनकी संख्या 963 है। याने कुल एक वर्ष में 176 हैण्ड पम्प गांवों में लगाये गये। मान्यवर, इस प्रकार से यह विभाग चल रहा है। मेरा दावा है कि यदि इसी गति से यह विभाग चलता है तो हमारी सरकार कई वर्षों तक गांवों में पीने के पानी का बन्दोबस्त नहीं कर सकेगी। किस स्पीड से हमारी सरकार चल रही है, इसका एक उदाहरण मैंने आपके सम्मुख दिया है।

श्री शंकरलाल : जनता सरकार की प्रगति धीमी है।

श्री एच. एन. शर्मा : हम सरकार को उसकी क्षमता बता रहे हैं.....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहिए।

श्री एच. एन. शर्मा : मान्यवर, अब मैं आपके माध्यम से जो पानी के चार्जेज की वसूली की जाती है, उसमें किस प्रकार की विषमता है, उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान रावतभाटा नगर की ओर ले जाना चाहता हूं। वहां पर तीन कॉलोनियां है राणा प्रतापसागर; राजस्थान विद्युत मण्डल की कॉलोनी, राजस्थान अणुशक्ति परियोजना की कॉलोनी। इन तीनों कॉलोनियों में विभाग द्वारा जो पानी चार्जेज लिए जा रहे हैं, उनमें, मान्यवर, काफी विषमता है। राणा प्रतापसागर की कॉलोनी वालों से ढाई रुपया लिया जा रहा है, राजस्थान विद्युत मण्डल की कालोनी के निवासियों से 7.65 पैसे प्रति माह वसूल किए जा रहे हैं और अणु शक्ति परियोजना की कॉलोनी से दो रुपये लिए जाते हैं। इस प्रकार की विषमता एक ही नगर में कायम है। यह इस बात का द्योतक है कि हमारे अधिकारी और मंत्री जागरुक नहीं हैं। जागरुक होते तो एक ही गांव में, एक ही नगर में पानी की दरों में इस प्रकार की विषमता नहीं होती। पिछली बार यह प्रश्न मैंने उठाया था। मंत्री महोदय से विचार-विमर्श किया था। मंत्री महोदय ने बताया कि इन विभागों को पानी के बिल भुगतान की इजाजत नहीं दे रखी है। मैं मांग करता हूं कि जब जलदाय विभाग ने इन विभागों को किसी प्रकार की इजाजत नहीं दे रखी है तो किस कानून के तहत ये अपने कर्मचारियों से वसूल करते हैं? अगर कर रहे हैं तो गलत है। कानून की अवहेलना है। इसको तुरन्त रोकने की कार्यवाही की जाए। यह जो वसूली में विषमता है, इसमें समानता होनी चाहिए।

श्रीमान, अब मैं आगे चलना चाहता हूं अपने क्षेत्र की ओर पारसोली और बीचोर गांवों की ओर जो बेगूं क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। सन् 1972 में अपने गांव का अंशदान ढाई हजार रुपया जमा करा दिया। सदन में जब मैंने प्रश्न उठाया तो माननीय मन्त्री महोदय की ओर से कहा गया, "टेक्निकल रिपोर्ट मंगाई जा रही है"। आज 5 साल हो गये हैं। 5 साल से टेक्निकल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इस प्रकार तो पानी 50 साल तक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। गांव वालों ने अंशदान की राशि जमा करादी है। अपने बच्चों को भूखा-नंगा करके अंशदान की राशि जमा कराई है, इसलिए कि गांव में पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। हमारी हुकूमत के काम इस प्रकार के हैं, अधिकारी इस प्रकार से काम करते हैं!

श्री सभापति : आप, माननीय सदस्य, अधिकारियों से सम्बन्धित बात नहीं कहें। अपने आप में सीमित विचार रख सकते हैं।

श्री एच. एन. शर्मा : हैण्ड पम्प गांव में लगाये जाते हैं लेकिन वह खराब पड़े हैं। विभाग के अधिकारियों को कहा जाता है तो कहते हैं कि ठीक करने क

(श्री एच. एन. शर्मा)
काम हमारा नहीं है। यह काम अण्डरग्राउण्ड वाटर बोर्ड का है, लगाने का काम तुम्हारा। खराब हो जाए तो दूसरे ठीक करें। इस प्रकार की स्थिति को रोका जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करूंगा कि यह काम पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के अधिकार में दे दिया जाए। आज उनको भी अधिकार नहीं है। यह तो, सभापति महोदय, अहमद की टोपी मुहम्मद के सिर पर और मुहम्मद की टोपी अहमद के सिर पर रखने वाली बात हुई। बड़े-बड़े बांधों के कारण गांव वालों को उनके गांवों से हटाया जाता है। जब उनको हटाया जाता है तो यह कहा जाता है कि तुमको जहां बसाएंगे वहां सारी सुविधाएं पेयजल आदि की होंगी। लेकिन राणा प्रतापसागर और जवाहरसागर डैम के कारण जिन गांव वालों को हटा कर दूसरी जगह जहां बसाया गया है, वहां न सड़क है और न कोई सुविधा है। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि गांव वाले हमारे देश की प्रगति में सहयोग देते हैं। अपने गांवों को छोड़कर वे दूसरी जगह बसे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनको हर प्रकार की सुविधा दी जानी चाहिए। मुझे पता है। हमारे विधायकगण ध्यान आकर्षित करते हैं फिर भी सरकार गंभीरता से ध्यान नहीं देती है। मन्त्री महोदय ध्यान देकर इस समस्या को सुलझाने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री गुलाबचन्द कटारिया !

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदय, उदयपुर जिला, राजस्थान के अन्य जिलों से पिछड़ा हुआ जिला है, गरीब आदिवासी लोगों का इलाका है। वहां अधिकांशतया दो बीमारियां होती हैं, पहली नारू और दूसरी पोलिया। नारू की बीमारी से हजारों की संख्या में लोग महीनों खाटों पर पड़े रहते हैं। उदयपुर में 3,060 गांव हैं उन गांवों में 18 लाख 68 हजार लोग इस रोग से बीमार रहते हैं। उदयपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र भी इसमें आता है। वहां पानी जरूर उपलब्ध है लेकिन नदियों के बहने के कारण जो पानी इकट्ठा हो जाता है, सड़ने लगता है, वह पीने के लिए लाते हैं। उसके कारण यह बीमारी होती है। दूसरा रोग जो पोलिया है इसके कारण एक आदमी साल-साल भर खाट पर पड़ा रहता है। मैं चाहता हूं गांव में एक टंकी बनाई जाये। हैन्ड पम्प कब लगेगा, यह तो पता नहीं है, लगता भी है तो 10 दिन में ही हिल हिलाकर खतम हो जाता है। टंकी होने से लोगों को स्वच्छ जल पीने के लिए मिल सकता है। नहीं तो इतने दिनों तक खाट पर पड़े रहने से घर वालों की हालत खराब हो जाती है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। वहां तालाब अवश्य हैं लेकिन उस तालाब के पानी में आसपास के गटर का पानी डाला जाता है। पिछली सरकार ने 8 लाख 50 हजार के गटर डाले हैं। लेक पैलेस के बारे में आपने पढ़ा होगा!

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उदयपुर की जनता का पाखाना उस तालाब में गिरता है। यह वहां आने वाले पर्यटकों के साथ में खिलवाड़ है। उस झील के किनारे ही होटल है। उस होटल में रह कर बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है? इस तरह से उदयपुर में बीमारी बढ़ेगी। इस व्यवस्था के कारण से आने वाले दस साल में उदयपुर पानी के लिए मोहताज हो जाएगा। वहां जो पानी की गहराई है, वह 25 फीट थी वह 12 फीट हो रह गई है। आप और सिंचाई मन्त्री मिल कर उदयपुर को पानी देना चाहते हैं, उदयपुर नगर का विकास देखना चाहते हैं तो इसका विकास करना पड़ेगा।

श्रीमान्, सरकार ने पाइप लाइन डाली है किन्तु यह नहीं सोचा कि 50 साल के बाद क्या स्थिति होगी। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। योजना बनाते हैं तब हमें 30 साल पहले की योजना दिमाग में रखनी चाहिए। श्रीमान, उदयपुर शहर के बोर्डर पर जो गांव हैं वह पानी के नल की एक टूंटी के लिये तरसते हैं। टंकी के नीचे ही एक गांव है उसको छोड़ दिया गया। मैं मांग करता हूं कि उस गांव के लोगों ने क्या पाप किया है, तीन फर्लांग से ज्यादा दूर वह टंकी नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ग्रामीण लोगों से यह कहकर पैसा जमा कराया गया कि नल लगायेंगे। श्रीमान्, मन्त्री महोदय ने एक बार जवाब दिया कि अगर जल योजना की व्यवस्था नहीं हो सकी तो हम पैसे लौटा देंगे। लोगों ने इस मंशा से पैसे दिये थे कि हमको फायदा मिलेगा। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिनका पैसा जमा है, उनको प्राथमिकता देकर पानी की सुविधा देनी चाहिए।

उदयपुर शहर में एक और बड़ी समस्या है। पानी के नल सुबह चलते हैं, शाम को चलते हैं। मजदूर भाई जब अपने घर लौटते हैं तो नल बन्द हो जाते हैं। वह मजदूरी करके लौटते हैं तो उनको शरीर की सफाई के लिए पानी नहीं मिलता है। मैं निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसे सार्वजनिक नल लगा दिये जायं जिससे कि वह अपने शरीर की सफाई कर सकें। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो गरीब लोग हैं, उनको पानी की विशेष सुविधा दें।

श्री सभापति : माननीय श्री कल्याण-सिंह सांखला !

श्री सुरेश कुमार : माननीय सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव है कि आज जयपुर में मूर्खों का सम्मेलन है, कई माननीय सदस्यों की इसमें दिलचस्पी है इसलिए अगर जल्दी समापन हो जाय तो बड़ी कृपा होगी।

श्री ओंकारलाल चौहान : आप उसकी अध्यक्षता करने जा रहे हैं?

श्री किशनसिंह भाटी : सभापति महोदय, ये माननीय सदस्य बोल चुके हैं, इसलिए अब इनको दूसरों को मूर्ख बनाने की योजना है। इसमें आप नहीं आयें।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर, पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, अजमेर शहर

(श्री कल्याणसिंह सांखला)
राजस्थान के प्रमुख शहरों में से एक शहर है। अजमेर की आबादी चार लाख है...

एक माननीय सदस्य : हो ही नहीं सकती।

श्री कल्याणसिंह सांखला : और यही नहीं प्रति वर्ष लगभग दस लाख यात्री अजमेर शहर से होकर गुजरते हैं, अजमेर शहर में आते हैं, पुष्कर, दरगाह शरीफ और दूसरे धार्मिक ऐतिहासिक स्थानों की वजह से। अजमेर शहर की पानी की समस्या बहुत पुरानी है। वहां पर आजादी से पूर्व पानी की योजना बनी, उसका सर्वे कराया गया, उस पर विचार भी हुआ मगर दुर्भाग्य की बात है कि आज तक उस समस्या का कोई हल नहीं निकाला गया। अनेक दफा इस सम्बन्ध में चर्चाएं भी हुई, आन्दोलन भी हुए और सरकार ने आश्वासन भी दिये, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने भी इस सम्बन्ध में आश्वासन दिये परन्तु उस समस्या का हल निकालने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। जो बनास योजना पर बांध बांधकर अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ और नसीराबाद को पानी उपलब्ध कराने की योजना बनी थी उसका अगर आज भी कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय तो चार-पांच साल लग सकते हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा इस जल समस्या के निवारण के लिए युद्धस्तर पर काम आरम्भ किया जाय, इसको प्राथमिकता दी जाय और तत्काल इस काम को हाथ में लिया जाय।

आज अजमेर शहर में जो पानी मिल रहा है उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। जहां एक ओर अजमेर मन्दिरों और मस्जिदों का शहर है वहां दूसरी ओर मजदूरों का भी शहर है। पांच बजे मजदूर अपने काम को निपटा कर घर आते हैं और रूखी-सूखी रोटी खाकर सो जाते हैं। आपके मन में दया नहीं आती कि काम करने के बाद उनको कुछ घंटे आराम करना चाहिए। रात में पांच बजे, कभी तीन बजे और कभी चार बजे उनके एरिया में पानी की सप्लाई होती है, और पानी किसी एरिया में आधा घंटा और किसी में एक घंटा आता है। मेरा निवेदन है कि जब नगर परिषद् के हाथ में पानी की योजना थी उस वक्त दो दफा एक-एक घंटे पानी आराम से आता था। अब वाटर वर्क्स के हाथ में योजना है तो यह स्थिति है। यह सारी स्थिति क्यों कर हुई, इस सम्बन्ध में विभाग गम्भीरता से विचार करे और ऐसी व्यवस्था करे कि पानी की सप्लाई हो और पानी वक्त पर मिले।

दूसरा मेरा निवेदन है कि आज मीटरों के नाम पर जल उपभोक्ताओं को परेशान किया जाता है। सामूहिक रूप से वाटर वर्क्स की तरफ से अजमेर शहर के लोगों को नोटिस दिये गये कि आपके मीटर खराब हैं, उनको इतने दिनों के अन्दर ठीक नहीं कराया तो कनेक्शन काट दिया जायेगा। मैं स्वयं विभाग में जाकर मिला तब जाकर वह नोटिसेज रोके गये। मेरा दावा है, माननीय मन्त्री महोदय, आपका कोई अधिकारी या इन्जीनियर इस बात के लिए कह दे कि फलां कम्पनी से मीटर खरीद लो वह दो साल तक खराब नहीं होगा तो भी उपभोक्ता लोग खरीदने को तैयार हैं। परन्तु जिस

(श्री कल्याणसिंह सांखला)
तरह के आज शहर में मीटर चल रहे हैं उससे आप पूर्ण रूप से परिचित हैं। दूसरी ओर मीटर के नाम पर आपके विभाग में जितना भ्रष्टाचार है उसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। मैं आपको दिखाऊं कि जहां पर तीस-तीस परिवार रहते हैं वहां मामूली पैसे के बिल आपके विभाग से आते हैं और जहां एक या दो परिवार रहते हैं वहां बहुत अधिक बिल आता है। कर्मचारियों को कहते हैं तो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। उपभोक्ताओं के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जाता है, इस बात की आप जानकारी करेंगे तो आपको पता लगेगा। मेरा निवेदन है कि...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पानी की समस्या प्रत्येक नगर, कस्बे और गांव के अन्दर है। आपका इतना बड़ा विभाग है लेकिन कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि क्या स्थिति है। कोई अधिकारी किसी की टांग खींचता है कोई किसी की। सब राजस्थान की राजनीति को खोखला बना रहे हैं, चाहे आप इसको काकस कहो, सब एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं और जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनको काम नहीं करने देते। यह खतरनाक स्थिति है विभाग की।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस पर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए वरना राजस्थान के लोगों की पानी की समस्या जल्दी दूर हो जाय, ऐसी संभावना नहीं है।

श्री सभापति : माननीय श्री माणक लाल ठाकोर !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गोपाल पचेरवाल !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री माधोसिंह कछवाह !

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : सभापति महोदय जी, बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जनता राज ग्रामीण क्षेत्र की पानी की योजना तीव्र गति से बनाकर उनको क्रियान्वित करने के अन्दर अपनी सारी शक्ति लगा रही है। मैं यह मानकर चलता हूं कि जब हम गांवों की ओर जाने लगे तो ऐसा मान लेना चाहिए कि शहरों के अन्दर पानी की जो मांग है उसकी पूर्ति हम कर चुके हैं। जैसे कि आज सदन में माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये और आपको भी अनुभव होगा, हालत यह है कि हम शहरों के अन्दर भी पानी की पूर्ण व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। अगर थोड़ी बहुत भी व्यवस्था काबू में होती तो पानी की समस्या बरदाश्त भी की जा सकती थी लेकिन जोधपुर जैसे शहर में तो मैं कह सकता हूं कि पानी की व्यवस्था ऐसी है जैसे किसी के यहां ब्याह-शादी हो, उसके यहां पर अव्यवस्था हो और खाने वाले चिल्लाते रहें कि पानी दीजिये, पानी दीजिये। जोधपुर के नागरिक पानी के लिए रोज जल विभाग के अधिकारियों को कहते हैं कि आज यहां पानी की कमी है, आज वहां पानी नहीं आया, आज वहां देर से आया और उधर पानी आया ही नहीं। एक पूर्ण रूप से अव्यवस्था

(श्री माधोसिंह कछवाह)

जैसी स्थिति जोधपुर में मैंने पिछले 6-8 महीनों में देखी है, वैसी स्थिति पहले कभी नहीं थी। इस अव्यवस्था का कारण सभी जानते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसका मूल कारण वे भी जानते हैं, विभाग में जिस प्रकार की स्थिति है वह भी उनके सामने रख दी है। पिछले सत्र में भी मैंने सारी स्थिति रखी थी। जो अव्यवस्था रही है उसके लिये आपका वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट अकेला ही जिम्मेदार नहीं है। उसके साथ आर० एस० ई० बी० की भी जिम्मेदारी है। पानी की कमी का मूल कारण अव्यवस्था है। पी०एच० ई०डी० भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। सारी कमियों के बावजूद यह बात मैं बताऊंगा और मैं चाहूंगा कि हमारे राज्य मंत्री इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि एक तरफ पाइप लाइन की योजनायें हैं वे तो विचाराधीन हैं ही, इसके अतिरिक्त पानी की कमी का सबसे बड़ा कारण यह है कि कई वर्ष पहले जो लाइन लगी हुई है, वह अपर्याप्त है। कहीं पर छः इंच की लाइन चाहिए तो दो इंची लाइन ही वहां मिलेगी। बहुत सी जगह पर मैंने स्थानीय अधिकारियों को अपने साथ ले जाकर बताया है। लक्ष्मी नगर है उसके आसपास कुछ इलाका है, शिड्यूल्ड कास्ट्स की कॉलोनीज हैं पावटा की तरफ, वहां पर पानी के लिये लोगों ने जमीन के समतल से 3,4,5 व 6 फीट गहरे खड्डे किए हुए हैं। वह खड्डे मैंने स्थानीय अधिकारियों को बताए हैं। वर्तमान में जो अधिकारी हैं यह उनकी गलती मैं नहीं मानता।

सभापतिजी, मैं मानता हूं कि पुराने नल बदलने के लिए या ज्यादा कैपेसिटी के नल लगाने के लिए जितना पर्याप्त धन देना चाहिए, वह हमारे मंत्री शहरों को नहीं दे रहे हैं। जोधपुर में पिछले साल, मैं समझता हूं, 8–10 लाख रुपये दिए। यह राशि बहुत कम है। कम से कम इस साल 15 लाख रुपये और दें। जो नल बदले जा सकते हैं, बदलने चाहिए, वे यदि नहीं बदले गए तो ओवरहैड्स से कितने ही प्रेशर से पानी दें, जहां 200-400 मकान हैं, वहां 2 इंची नल से काम नहीं चल सकता। मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी वर्ष, जो 1 अप्रेल से शुरू हो रहा है, कम से कम यह समस्या तो न रहने दें दूसरी समस्यायें तो चलेंगी हीं। इतना जरूर मैं कहूंगा कि पानी की इतनी तकलीफ है कि जोधपुर के लोग दुखी हैं। एक बात अच्छी है, वह यह कि पिछले 6 महीने से वहां के अधिकारी मेरे सामने सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक इस समस्या को सुलझाने और हल करने में तत्पर हैं। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं अगर मैं मंत्री महोदय को बधाई दूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

समय तो थोड़ा ही है, एक दो बातें ही कहूंगा, ज्यादा कहने के मूड में नहीं हूं।

जोधपुर में आगामी तीन महीने के जो गर्मी के दिन आ रहे हैं, इन गर्मी के दिनों के लिये जोधपुर में एक महीने का पानी का स्टोक मौजूद है, बाकी पानी सुमेरपुर जवाई बांध से आता है उस पानी की पूरी सप्लाई के लिये मैं चाहूंगा, समय निश्चित किया जाय। पानी किस समय, कितने घंटे, किस लोकेलिटी में दिया जायगा,

(श्री माधोसिंह कछवाह)

यह निश्चित किया जाए। कई लोगों ने आम बात कह दी है जैसे बरसात के लिए कई दिनों तक इन्तजार करते हैं, वैसे इन्तजार करना पड़ता है। कब पानी आयेगा, यह निश्चित होना चाहिए। मैं अलग मन्त्री महोदय से मिलकर निवेदन कर चुका हूं। मैं चाहता हूं कि आगामी गर्मी के मौसम में आवर्स निश्चित नहीं किए तो लोग यह समझेंगे कि पानी देने को विभाग की मन्शा ठोस नहीं है। अगर आवर्स निश्चित किये गये, अखबारों द्वारा सबको सूचित किया और फिर पानी बराबर दे दिया गया तो पिछले 6 महीने में जो तकलीफ हुई है वह लोग भूल जायेंगे। पिछले समय आश्वासन दिया गया कि पानी बचाकर स्टॉक कर रहे हैं और गर्मी में सप्लाई करेंगे। यदि आगामी गर्मी में पानी नहीं दिया तो भयंकर स्थिति को जोधपुर के लोग बरदाश्त नहीं करेंगे। साथ ही जनता पार्टी का विधायक होते हुए मैं भी बरदाश्त नहीं कर सकूंगा।

आपने जो मुझे समय दिया, सभापति महोदय, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बहादुरसिंह !

श्री **बहादुरसिंह** (नोहर) : सभापतिजी, मैं अपने कटौती प्रस्तावों के द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पेयजल योजनाओं को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। विधि की विडंबना कहा जाए या सरकार की विडंबना कहा जाए, जो किसान अपने खून व पसीने से जमीन को सींचकर धान पैदा करता है, लोगों को जीवन देता है, वह किसान खुद प्यासा रहता है। आज हमारे गांवों की आर्थिक व्यवस्था इस तरह की हो गई है कि ग्रामीणों की कमाई बड़े शहरों में आ जाती है। उनकी हालत इस तरह हो जाती है कि वह प्यासे मरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैं कांग्रेस के 30 साल के इतिहास के काले पृष्ठों को नहीं दोहराना चाहता लेकिन जनता पार्टी की सरकार के 8 महीने के इतिहास में भी काश्तकार की प्यास बुझाने का कोई प्रयास विशेष तौर से नजर नहीं आता। आज पानी की एक-एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं। एक तरफ बाढ़ दूसरी तरफ सूखा। इससे स्थिति की भयंकरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब अधिक से अधिक पेयजल की बात चलती है तो सरकार धनाभाव का बहाना ढूंढती है। स्विमिंग पूल के लिए लाखों रुपये सरकार सकती है, लेकिन देहात में ड्रिंकिंगपूल के लिए कुछ नहीं दे सकती। लाखों रुपये का खर्चा हर साल किया जाता है। दफ्तरों में, कारों पर व दूसरी बातों पर लाखों रुपये बरबाद किये जा सकते है। जयपुर में अढ़ाई शताब्दी मनाने के लिए, रंगरेलियों के लिए लाखों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन जब पानी की बात चलती है तो बजट याद आता है। काश्तकार आखिर इसको कैसे बरदाश्त करेगा ? एक तरफ राजस्थान के सारे शहरों व कस्बों में पीने का पानी मुहैया कर दिया गया है और दूसरी तरफ 11-11 किलोमीटर तक पानी नसीब नहीं होता, उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया है। इतना ही नहीं शहरों के लिए पेयजल योजनायें भी बनी हैं, उनकी देहातों के बीच में से होकर पाइप लाइन्स डाली गई हैं, गांवों की छाती से पाइप लाइन निकाली गई है किन्तु उन

(श्री बहादुर सिंह)

गांवों को पानी नहीं दिया गया।

सभापति महोदय, यह किसान के साथ भेदभाव की जीती-जागती तस्वीर है। आज अगर बजट का सर्वे किया जाय, बजट में जो प्रावधान किये गये हैं उनको देखा जाय तो हमको पता लगेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या को देखते हुए काफी अवहेलना की गई है। आपने जो भी बजट प्रोविजन्स किये हैं उनको देखते हुए हम इतना ही कह सकते हैं कि आपने गांवों के पेयजल की समस्या के बारे में अभी तक कुछ नहीं किया, न तो कांग्रेस सरकार के जमाने में ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिये कुछ हुआ है, न आपने ही इस बजट में कुछ किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि लम्बी-लम्बी घोषणाएं जनता पार्टी के मंत्री लोग करते हैं, आप सिर्फ घोषणायें ही नहीं करें, बल्कि जनता के पीने के पानी की समस्या का हल करें। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल के लिए बजट बढ़ाइये। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले तीस सालों में कांग्रेस के राज्य में सुविधाएं उपलब्ध हुईं तो सिर्फ शहरी क्षेत्र के लोगों को हुईं। ग्रामीण क्षेत्र पहले भी पिछड़ा हुआ था और आज भी पिछड़ा का पिछड़ा रह गया। आज आप गांवों के बजट को चाहे एक प्रतिशत बढ़ायें चाहे दो प्रतिशत या दस प्रतिशत बढ़ायें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि शहरों और गांवों में बहुत फर्क हो गया है। इसलिए आप शहरों की ओर कम ध्यान दें और उस ओर अधिक ध्यान दें, जहां हमारे देश की जनता अधिक से अधिक रहती है यानी गांवों के लिए बजट बनायें।

सभापति महोदय, अब थोड़ा मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र का क्या हाल है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, सभापति महोदय, सिवाय एक कस्बे के बाकी करीब 150 गांव ऐसे होंगे जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। अपने गांव से पांच-पांच मील, दस-दस मील, बारह किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ज्यादातर किसान ही हैं। उन किसानों को दिन में तो खेत में काम करना पड़ता है और रात में पीने का पानी दूसरी जगह जाकर लाना पड़ता है। किसान के साथ यह बहुत भारी अन्याय आज हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अब ज्यादा दिन तक किसान की अवहेलना नहीं की जाय। मेरा यह भी निवेदन है कि आप अर्थाभाव का बहाना मत कीजिए। गांवों की जनता के लिए पेयजल का ज्यादा से ज्यादा प्रबन्ध करने की व्यवस्था कीजिए।

सभापति महोदय, इस बजट के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बजट ऐसा है जैसे कि किसी व्यक्ति को प्यास लगती है, खुश्की होती है उसे थोड़ा पानी मिलता है तो उसे और ज्यादा प्यास की खुश्की हो जाती है। जो व्यवस्था बजट में की गई है यह उसी तरह की है कि इससे प्यास भड़कती है और इससे काश्तकारों में भयंकर असन्तोष है। यह असन्तोष इस हद तक बढ़ गया है कि अगर राज्य सरकार ने इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया तो यह जो आपने सीटें प्राप्त की हैं जनता पार्टी की चुनावों में जीत कर वह सीटें फिर बदल जायेंगी। जब काश्तकार नाराज हो जाता है तो फिर वह विद्रोह करता है। एक तरफ आप समाजवाद और ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात करते हैं दूसरी तरफ

(श्री बहादुर सिंह)

काश्तकार पर अत्याचार कर रहे हैं, यह प्रजातंत्र का मखौल है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस भेदभावपूर्ण नीति को आप मिटाइये और किसान की समस्याओं की तरफ और गांवों के विकास की ओर ध्यान दीजिये। आपको उन क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या को हल पहले करना चाहिये जहां पर बहुत ही एक्यूट प्रॉब्लम पानी की है। एक तरफ तो, सभापति महोदय, शहरों में फव्वारे हैं, दूसरी ओर गांव के लोग प्यास से तड़पते हुए मर रहे हैं। जब फव्वारों की बात आ गई है तो मैं फव्वारों के बारे में एक शेर कहना चाहूंगा।

"इन फव्वारों में बहता है पसीना मेरा"
मेरे खून से लिपस्टिक मेरी
हड्डियों से पाउडर

तेरे मुख ने कर दिया है दुखी जीना मेरा'

अब थोड़ा मैं जन स्वास्थ्य के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। लोगों की गांव में खारा पानी पीते-पीते सेहत खराब हो गई है। कहते हैं "हालए सेहत क्या कहिये, जहां पड़े हों जान के लाले।"

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार पेयजल की गांवों में ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करे।

श्री सभापति : श्री ईश्वर चन्द्र !

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जब शेर कहा है तो मुझे भी एक शेर याद आ गया है। कहा है—

कहां तो तय था चिराग
हर एक घरके लिये,
कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिय,
नहीं कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे,
ये लोग कितने मुनासिब हैं
इस सफर के लिये।

एक माननीय सदस्य : सभापति, आज मुर्खों का सम्मेलन है।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : यह मुर्खों का सम्मेलन नहीं है।

श्री ईश्वर चन्द्र : सभापति महोदय, मुर्खों का सम्मेलन देखना जरूरी नहीं है। वैसे सभी जगह मूर्ख मौजूद हैं। मूर्ख कहां नहीं मिलते हैं ?

सभापति महोदय, मैंने चार लाइनें पेश कीं। सभापति महोदय, मैं तो एक गम्भीर बात अर्ज कर रहा था, पर एक वरिष्ठ सदस्य की प्रतिक्रिया पर मुझे दुःख हुआ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप उनकी प्रतिक्रिया पर मत जाइये। आप अपनी बात कहिये।

श्री ईश्वर चन्द्र : सभापति महोदय, पेयजल की समस्या हमारे प्रदेश में बहुत अधिक है। सरकार को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि समस्या तो कई हो सकती हैं, पर कुछ समस्यायें ऐसी होती हैं जिनका कोई विकल्प नहीं है, प्रजातांत्रिक सरकार में अर्थाभाव का सहारा लेकर आप यह नहीं कह सकते हैं कि इस समस्या का अर्थाभाव के कारण हल नहीं हो सकता। सभापति महोदय, मैं मन्त्री

(श्री ईश्वर चन्द्र)
महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ भी मैं निवेदन करूं उसमें कहीं भी गलती हो तो आप मुझे रोकिये। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं।

आपके यहां एक चीफ इंजीनियर है, तथा दो एडीशनल चीफ इन्जीनियर हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि यह एडीशनल क्या बला है? आप तीन चीफ इंजीनियर ही क्यों नहीं बना देते हैं? आप उन्हें एडीशनल चीफ इंजीनियर क्यों कहते हैं? इसके अलावा आपके यहां 9 सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर हैं। यह पोस्ट्स जो हैं यह सुपरफ्लूअस हैं, 44 एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, 125 असिस्टेन्ट इंजीनियर हैं और 400 से लेकर 450 जूनियर इंजीनियर हैं। इतना बड़ा लवाजमा है, इतनी बड़ी फौज है आपकी और जो सैंक्शण्ड स्कीम्स हैं वह 181 हैं, जो कि शहरों में हैं। करीब 200-300 गांवों में आपकी स्कीम्स चलती हैं। इन सभी का खर्चा आपका गांवों के किसानों पर पड़ता है। फिर भी, सभापति महोदय, पिड़ावा, टिकटिकिया, और हरयारी के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की बहुत कमी है। पिड़ावा और पिड़ावा के आसपास के गांवों में, सभापति महोदय, पानी की एक्यूट प्रोब्लम है। मैंने इन गांवों को समस्या के लिये जलदाय मन्त्रीजी, श्री महबूब अलीजी को निवेदन किया, महबूब अलीजी, हमारे क्षेत्र में लोग प्यासे मर रहे हैं। अगर आप योजना सेंक्शन भी करदें तो क्या होगा, आपकी अफसरशाही जी फौज जो है इसमें रेड टैपिज्म की वजह से यह जल गंगा की धारा इधर घूम करके आपके सचिवालय से चल कर पता नहीं कब तक पिड़ावा तक पहुंचेगी। मुझे तो यह शक है कि इस साल भी यह जल गंगा हमारे यहां तक पहुंच सकेगी?

श्री महबूब अली: हम किसको प्रायोरिटी दें, सिंचाई या ...

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह: सभापति महोदय, इस सदन की यह परम्परा रही है कि माननीय सदस्य बोलें, वह मन्त्रीजी का नाम लेकर नहीं बोलें, चेयर को सम्बोधित करके बोलें, दूसरे माननीय सदस्य को मन्त्री महोदय को अगर कुछ भी कहना हो तो उनके निर्वाचन क्षेत्र का नाम लेकर पुकारें, उनको नाम से सम्बोधित नहीं करें। यह इस सदन की परम्परा रही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या ने जो कहा है वह सही कहा है। इस सदन की परम्परा रही है कि किसी भी सदस्य को नाम लेकर नहीं पुकारें। उनके निर्वाचन क्षेत्र का नाम पुकारें।

श्री ईश्वर चन्द्र: सभापति महोदय, आपने फर्मा दिया, आइन्दा परम्परा के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र का नाम लेकर सम्बोधित करूंगा। अगर आपको आब्जेक्शन हो तो मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा।

सभापति महोदय, हमारे राजस्थान की ढाई करोड़ की आबादी है, उसमें से 47 लाख आदमी हैं। राजस्थान में 191 शहर हैं जिनमें से 179 शहरों में आपने स्कीम्स जलदाय की चालू कर रखी हैं। इसके अलावा हमारे राजस्थान में 33 हजार गांव हैं जिसमें से 16 हजार गांव ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी की एक्यूट प्रॉब्लम है।

(श्री ईश्वर चन्द्र)

है। उनमें से भी 6 हजार गांव तो ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी की समस्या बहुत ही खराब है। सभापति महोदय, 24037 गांव ऐसे है जिनमें पानी की कमी है, 16 हजार गांवों में एक्यूट प्राब्लम है। 16 हजार गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये, सभापति महोदय, हमको 222.50 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। अगर हम 222.50 करोड़ रुपया उपलब्ध करावें तो 16 हजार गांवों के पीने के पानी की एक्यूट समस्या सोल्व हो सकती है। सभापति महोदय, दिनांक 9-77 को हमारे मुख्य मंत्रीजी ने यह भाषण में कहा था कि राजस्थान में 33 हजार गांव हैं जिनमें से 7 हजार गांव तो ऐसे हैं जहां पीने के पानी का कोई साधन ही नहीं है,। 9 हजार गांव ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी है वह भी खारा है। और 3 हजार गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी रोगग्रस्त है। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत सरकार से इस बारे में बातचीत की जा रही है और हमारी सरकार इस बारे में विशेष रूप से चिन्तित है। केन्द्रीय सरकार से पेयजल समस्या के लिये करीब 9.12 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी हुई। इसमें भी, सभापति महोदय, 12 लाख रुपये कम प्राप्त हुए। सभापति महोदय, एक बार पीने के पानी के बारे में बोलते हुए डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने लोकसभा में कहा था कि पानी की समस्या को सुलझाने के लिये मैं तो यह कहूंगा पानी के मंत्री जी को अगर उनके पास साधन नहीं हों तो उन्हें नाखून से कुआ खोद कर जनता को पीने का पानी देना चाहिये। तो मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज पिड़ावा और उसके आसपास के गांवों में पीने के पानी की बहुत ही दिक्कत है। वहां की जनता बहुत ही परेशान हो चुकी है। अगर जनता पार्टी की सरकार ने इसके लिये कोई कारगर कदम नहीं उठाये और इस समस्या को नहीं सुलझाया तो अब जनता इसको और अधिक बर्दाश्त नहीं करेगी।

सभापति महोदय, मैं इसके बारे में आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगा कि शहरों में बड़े बड़े 25 सेठ मिलकर 25 अलग अलग जगह प्याऊ खोल देते हैं। हमारे टाटा और बिड़ला और कई कांग्रेसी नेताओं ने करोड़ों रुपये दो नम्बर के कमा-कमा कर रखे है, पता नहीं कहां उस दो नम्बर के पैसे को खर्च करेंगे? इन योजनाओं को इन बड़े-बड़े सेठों पर टैक्स लगा कर पूरा कर सकते हैं। अगर इन पर आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं तो क्या आप बड़े-बड़े सेठों से पैसा नहीं ले सकते? क्या इसके लिये लक्जरीज पर टैक्स नहीं लगा सकते? उनका पैसा किस काम में आवेगा? पानी के लिये घर घर मांगना भी पड़े तो मंत्री परिषद के लोगों को निकल जाना चाहिये, राजस्थान में भिक्षा के लिये। उनसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक-एक थैला ले लें, चाहे गुप्त दान से ही, चाहे और तरीके से ही सही कुछ गांवों को अडोप्ट करके ऐसी कोई व्यवस्था की जाय जिससे इस सरकार का पैसा और कुछ दूसरा पैसा मिलाकर गांवों में जल्दी से जल्दी पानी पहुंच सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में ही समाप्त करता हूं, श्रीमन्।

(श्री ईश्वर चन्द्र)

मंत्री महोदय ने बड़ी कृपा की। मेरे क्षेत्र में दो गांव हैं, श्रीमन्, हिम्मतगढ़ श्रौर लोहिया।

श्री महबूब अली : प्रायोरिटीज के बारे में आपका क्या खयाल है ?

श्री ईश्वर चन्द्र : जो भी प्रायोरिटी आप फिक्स करना चाहें करें, लेकिन पानी गांवों में पहुंचना चाहिये।

श्री महबूब अली : ईरिगेशन के लिए कौनसी प्रायोरिटी देना चाहते हैं ?

श्री ईश्वर चन्द्र : सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था का आप कोआर्डिनेशन बिठाइये। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हिम्मतगढ़ श्रौर लोहिया गांवों में श्रापने मशीनें भेज दीं। मेरा प्रपोजल श्रौर प्रयास तो नहीं था लेकिन पुराने कांग्रेसी जो थे उनका कोई प्रपोजल था। उनका मूड आ गया हो श्रौर टिक कर दिया हो, इसलिये मेरे क्षेत्र में 213 गांवों में से 2 गांव हिम्मतगढ़ श्रौर लोहिया में मशीनें पहुंचीं. . .,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में ही पूरा करूंगा।

ये मशीनें दो दिन के बाद खराब हो गयीं। 2 महीने तक उनके लोग चाय पानी करते रहे। उसके बाद कहा, जोधपुर से कोई श्राये तो ठीक हो। दो महीने तक ये मशीनें खराब पड़ी रहीं श्रौर श्राज तक कोई हैंड पंप नहीं लग सका। यह एक उदाहरण मैंने श्रापको दिया जो हमारी उदासीनता का द्योतक है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि श्राप श्रपने श्रधिकारियों की श्रकाउन्टेबीलिटी लीजिये। जिस किसी इंजीनियर के क्षेत्र में यदि पानी समय पर उपलब्ध नहीं होता है श्रौर छः महीनों में भी पानी नहीं पहुंचता है तो श्राप उसकी तनख्वाह रोक दीजिये श्रौर कोई एक्शन लीजिये। जो स्थिति बनी हुई है उसको आप दूर कीजिय। एसा नहीं करेंगे तो पानी नहीं पहुंचेगा। इसलिये मेहरबानी करके श्राप सर्वोच्च प्राथमिकता देकर पीने के पानी की व्यवस्था करें।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा !

(श्रनुपस्थित)

श्री टीकमचन्द कान्त !

श्री टीकमचन्द कान्त (जालोर): सभापति महोदय, मैं यह मानता हूं कि वर्षों की प्यास 8 महीनों में नहीं बुझ सकती लेकिन मेड़ा ऊपरले के नागरिक को कुबड़ा हुश्रा जब देखता हूं, नागणी की जवान बहुश्रों श्रौर बच्चों को जब खाट में पड़े देखता हूं, कवरोसण के उस किसान को देखता हूं जिस किसान की चमड़ी काली हो गई है उस पानी के कारण तो ऐसा लगता है कि बजट के सारे खर्चों को रोक कर इसी मद में ही लगाया जाय। ऐसी मुश्किल है, ऐसी हालत है पानी की। मेरे क्षेत्र में कम से कम 80 प्रतिशत गांव पानी के लिए तरसते हैं। कुछ लोग तालाबों का गन्दा पानी पीते हैं। कुछ लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीते हैं जिसके कारण 25 वर्ष का जवान 50 वर्ष का बूढ़ा लगता है।

(श्री टीकमचन्द कांत)

मान्यवर, मुसीबतों के अन्दर और मुसीबत यह हो गयी है कि जहां पानी नहीं था वहां खाली हौद खड़े कर दिये, और हौद में पानी नहीं पहुंचा। पहले तो गांव वालों का नियम यह था कि सवेरे जल्दी उठकर दूर दराज के बेरों से पानी लाया करते थे। परन्तु गांव में हौद लग गये तो नित्य का जो कार्यक्रम था वह भी खतम हो गया, अब हौद में समय पर पानी भी नहीं मिलता। खेड़ा सवणा में पानी पहुंचता ही नहीं है। खेड़ा सवणा को आकोली से पानी मिलता है जो कि 25-30 फीट नीचे ढलान में है। मेरा सुझाव है कि रायपुरिया से खेड़ा और सवणा को जोड़ दिया जाय। खेड़ा सवणा के लिये अलग लाइन बिछाने की आवश्यकता नहीं, मात्र इनको शिफ्ट कर दिया जाय। इससे काम भी हो जायगा, कोई खर्चा भी नहीं होगा। बैरठ, भागली, धानपुर में सप्ताह में मात्र दो दिन पानी पहुंचता है और ये ऐसे गांव हैं कि मात्र आधा घंटे के लिये पानी मिलता है। बीजोपुरा, तड़वा, सांफड़ा इन गांवों के अन्दर भी बड़ी मुसीबत है। ये तो जैसलमेर के गांवों की याद दिलाते हैं।

बागरा का पानी खराब हो चुका है एकदम। इसके लिये आपको कोई योजना बनानी चाहिये। तवाव गांव है तो रानीवाड़ा क्षेत्र में वह पानी हेतु तरस रहा है। बावतरा और मांकड़ी की जनता को रेत के टीलों में वर्षों बीत गये, अब तक पानी उपलब्ध नहीं है। रेवतरा का जो पानी का टैंक है, अब वह छोटा पड़ता है। पानी पीने वालों की संख्या बढ़ गई है अतः रेवतरा के टैंक को बड़ा करवाना चाहिये। इसके लिये वर्षों से निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए माननीय मंत्री जी, मेरी इस बात की ओर गौर करें। वर्षों से तरसते हुए जालोर के इन गांवों को पानी दिया जाय। 5 लाख रुपया हरिजन कॉलोनी में पाइप लगाने के लिये आया था। वह 5 लाख रुपये खर्च हुए या नहीं? मूड़ी गांव की हरिजन कॉलोनी में नल लगाया या नहीं? यदि पांच लाख खर्च नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? वह पैसा लगाने के लिये दिया गया था वह खर्च क्यों नहीं किया गया? जालोर के अन्दर पानी के बिना मानवता कुरूप हो रही है, विकलांग हो रही है और मर रही है। जिस तरीके से भी हो पानी की व्यवस्था कीजिए।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री ओंकारलाल।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : माननीय सभापतिजी, पानी की समस्या के लिए मैंने बजट को देखा और उसके अन्दर कुछ आंकड़े देखे। कुल मिलाकर 13·45 करोड़ रुपये का प्रावधान है 1978-79 में इसमें 1 करोड़ रुपया ग्रामीण जनता के लिए है, और 4 करोड़ रुपया बाकी बचता है अर्बन एरिया के लिए। आप ताज्जुब करेंगे कि 12 करोड़ रुपया मेन्टीनेन्स के लिए रखा गया है। इस प्रकार से कुल 25 करोड़ का प्रावधान है। अभी माननीय मंत्रीजी पूछ रहे थे प्रायोरिटीज के बारे में। मैं बहुत नम्रता से निवेदन करूंगा कि वास्तव में प्रत्येक गांव और शहर में अधिक मात्रा में पानी प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कराना है तो आप इकानामी ड्राइव करें। यह इकानामी आप मेन्टीनेन्स के अन्दर कर सकते हैं और जो

(श्री ओंकारलाल चौहान)

बेकार के खर्चे हैं उनमें कर सकते हैं। कुछ बेकार के खर्चे हैं जिन्हें आप बन्द कीजिए तब जाकर इसमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

माननीय सभापति जी, टॉप प्रायोरिटी पानी को मिलनी चाहिये। 35 हजार गांव हैं, कहीं खारा पानी है, कहीं फ्लोराइड से युक्त पानी है। वेस्टर्न जोन सारा का सारा रेगिस्तानी और हिली ट्रेक भी है जहाँ पानी की बहुत दुविधा है। मैं बहुत नम्रता से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कि इसमें भी प्रॉयोरिटी फिक्स करें। किसी माननीय सदस्य की कोई कान्सटीट्यूएन्सी आती हो उसका ध्यान नहीं रखें, किसी व्यक्ति विशेष का दबाव पड़े तो उसका भी ध्यान नहीं रखे, किसी बड़े आदमी के संबंध में हो तो उसका ध्यान नहीं रखें क्योंकि पानी की समस्या प्रमुख है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि इसमें प्रायोरिटी तय करें, किस जगह पानी की कमी है, सबसे पहले यह मालूम करना चाहिए। चाहे आप कुओं को गहरा करायें, ड्रिलिंग करायें या फिर अण्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड से बोरिंग करायें, हैण्ड पम्प लगायें। मैं, सभापति महोदय, ज्यादा विगत में नहीं जाऊंगा। जहां हैन्ड पम्प लगे हैं वहां वह बेकार पड़े हैं। एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि वह पंचायतों को दे दिये जायें। आप बतायें पंचायतों के पास क्या आमदनी का जरिया है? क्या उनकी इन्कम है जिससे आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वह हैन्ड पम्प को दुरुस्त करा देगी? मैं समझता हूँ कि यह विभाग के पास ही रहने चाहिएं। मैं समझता हूं और मेरा ऐसा मानना है कि डिपार्टमेन्ट के हैड का पूरा सुपरविजन उनके अपने सबोर्डिनेट पर नहीं रहता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि हम इस काम को प्रॉयोरिटी देंगे। स्वागत है उसका। अटरु की योजना ग्राम पंचायत से सरकार ने अपने हाथ में ले ली। पहले कहते थे कि ग्राम पंचायत के पास पैसे नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से राज्य सरकार ने उसको लिया। जनवरी में चार्ज लिया। उसके बाद फरवरी और मार्च दो महीने पूरे होने वाले हैं किन्तु आज तक न तो इस संबंध में कोई प्रगति है और न कुछ हुआ। मैंने चीफ इन्जिनीयर, मुख्य मंत्री राज्य मंत्री और ए. ई. एन. को इस संबंध में पत्र लिखा है कि 81 हजार रुपये की जो सब्सिडी दी गयी है मुझे शक है कि वह कहीं लैप्स नहीं हो जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अटरू में दो पंचायते हैं दोनों के अन्दर आप मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी 31 मार्च समाप्त होने से पहले, इससे पहले कि वह सब्सिडी लैप्स हो, पानी देने की व्यवस्था समुचित रूप से कराने की कृपा करें।

माननीय सभापतिजी, अभी परसों एक प्रश्न आया कि राजस्थान में कई जगह ढाई पर्सेन्ट धन लिया जाता है जनता से। यह सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ और आश्चर्य हुआ। मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि हम उस रुपये को वापस कर देंगे, क्यों? आखिर पीने के पानी

(154)

(श्री ओंकारलाल चौहान)

की व्यवस्था होनी चाहिए। जब आपकी तरफ से इनीशियेटिव लिया गया कि जो गांव ढाई पर्सेन्ट धन जमा करा देंगे, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव वेरीफिकेशन हो जायेगा, टेक्नीकल ग्रान्ट हो जायेगी। कई गांव ऐसे हैं जैसे गंगधार है, गंगधार जिला झालावाड़ तहसील का हैडक्वार्टर है। उसके नीचे कालीसिंध नदी है और 1 मील ऊपर चढ़ने का फासला है। औरतों को पानी भरने के लिए बहुत दिक्कत होती है। वहां का 6 साल से रुपया जमा है और आज जवाब देते हैं कि उनका पैसा वापस कर दिया गया। मैं समझता हूं कि इससे अधिक कठोरता आपके दिल में नहीं होगी। मुझे यह आशा नहीं थी आपसे, मंत्री महोदय. . . .

श्री महबूब अली : माननीय सभापति, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1972-73 के अन्दर या इससे पहले इस प्रकार की कार्यवाही होती थी, एक प्रॉसिजर बना हुआ था कि गांव वालों से पैसा जमा कराते थे। लेकिन उसके बाद योजना समिति के द्वारा पास होनी चाहिए, टेक्नीकल फिजेबिलिटी होनी चाहिए। और फाइनेन्स अवेलेबल होना चाहिए, यह जब तक नहीं हो जाता तब तक उस पैसे का उपयोग नहीं किया जा सकता। अब पैसा लेना बन्द कर दिया गया है। जब तक एप्रूवल नहीं हो जाये तब तक जन सहयोग नहीं लेते हैं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, मैं आपको रोकना नहीं चाहता, लेकिन यह सब बातें आप अपने रिप्लाई में कहें। बीच में आप कहेंगे तो डिबेट बढ़ जायेगी और उसका कोई ंत नहीं होगा।

श्री ओंकारलाल चौहान : डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में पास होना चाहिए। मैं उस योजना के बारे में बताता हूं जो 1972-73 में पास हुई, ढाई पर्सेन्ट धन जमा हुआ, 1974-75 में टॉप प्रॉयोरिटी झालावाड़ जिले में दी गयी, फिर भी उपेक्षा की गयी। फिर कहते हैं कि टेक्निकल फिजेबिलिटी नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि उस स्कीम के ऊपर आप पुनर्विचार करें। मैं कहता हूं वह सेंक्शन हो चुकी है, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी से टॉप प्रॉयोरिटी दी गयी है। आप इसके ऊपर पुनर्विचार करें।

मैं, माननीय सभापतिजी, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने प्रगति रिपोर्ट दी है उसमें 1974-75, 1975-76 1976-77 और 1977-78 के आंकड़ों को देखने से मालूम होता है 1974-75 से 1977-78 तक 309, 532, 260, 274 ग्रामों को पाइप लाइन योजना से लाभान्वित किया है व 1978-79 में 351 ग्रामों को पाइप लाइन योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। जब मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि टॉप प्रॉयोरिटी देंगे तो 239 करोड़ की योजना में से 13 करोड़ 25 लाख रुपया दिया है। अब मेन्टीनेन्स के लिए दे दिया। जैसा कि पिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था लम्बी लाइन लगी हुई है कर्मचारियों की। वास्तव में इसमें इकानामी ड्राइव कीजिए उनके ऊपर रेस्पान्सिबिलिटी फिक्स कीजिए और टाइम बाउन्ड जो प्रोग्राम है उसके अनुसार योजना निश्चित अवधि के अन्दर चालू हो जानी चाहिए। उसकी गारन्टी दी जानी चाहिए।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

मैं मंत्री महोदय से इस संबंध में कहना चाहता हूं कि मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में 130 गांव हैं एक तहसील के। अटरू के अन्दर पचासों गांव ऐसे हैं कि जिन गांवों में पानी नहीं है। यह गांव हैं रतनपुरा, गोविन्दपुरा, खेड़लीवासला, छजावा, छलाबल, अरडान्द, लक्ष्मीपुरा की झोपड़ियां, मोठपुर, में चोर तलाई, बंजारों की बस्ती। इनके बारे में मन्त्री महोदय को सोचना चाहिए और कोई योजना बनानी चाहिए।

वेस्टर्न जोन में पेयजल व सिंचाई के लिए पानी की कमी है लेकिन ईस्टर्न राजस्थान में पानी की अधिकता है। जैसा अभी भरतपुर के माननीय सदस्य कह रहे थे कि वहां बाढ़ आती है लेकिन फिर भी पानी नहीं है। फिर जो इलाके डेजर्ट के हैं, राकी है वहां भी पानी नहीं देना चाहते हैं। तो आखिर आप इस राजस्थान को किस तरह से पानी देना चाहते हैं? कुछ आपका कोर्डिनेशन तो हो, कोई योजना तो हो, राजस्थान के लेवल पर बनी हुई कि कहां पानी की कमी है, कहां अधिक गुंजाइश हो सकती है खर्च में कटौती के लिए जिससे कि बाकी रुपया भी खर्च कर सकें। मैं समझता हूं साधारण सी एक रिपोर्ट आ जाती है 7-8 पेज की और उसको डिस्कस करते रहते हैं। हर साल यही होता है। पानी की समस्या को आप हवा में न उड़ायें। इसको आप मानवता की मूलभूत समस्या समझकर इसका हल निकालने की कोशिश करें। आप इन्जीनियर्स को बैठायें, दूसरे एक्सपर्ट्स को बैठायें। इससे भी काम नहीं चलेगा जब तक कि आप धनराशि अधिक अलाट नहीं करेंगे। आपने कहा कि 154 करोड़ की राशि वर्ल्ड बैंक से ले लेंगे। मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि हम भारत सरकार से भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। ढ़ाई करोड़ रुपया दिया केन्द्र सरकार ने, उससे क्या होता है? न तो आप वित्तीय सहायता ला सके और न कोई प्रबंध कर सके। फिर आप चाहते हैं कि हम आपकी तारीफ करें। आखिर तारीफ करने का कोई आधार तो होना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप हमको यह तो बतायें कि यहां हमने बढ़ोतरी की है या इसको अधिक बढ़ाने की कोशिश की है।

कोटा की 35 हजार आबादी थी। आज से 15-16 साल पहले पाइप लाइन डाली गई थी किन्तु आज $2\frac{1}{2}$, 3 लाख की आबादी है फिर भी आप उसी पाइप से काम चलाना चाहते हैं। मैं जानता हूं, आप कोशिश कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि योजना ऐसी बनायें, कम से कम ऐसी योजना हो कि 30 साल तक पानी की कमी न रहे। योजना बने तो लम्बी बने जिससे हम उसको समय में समाप्त कर सकें और जनता को पीने के पानी की सुविधा दे सकें।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री रावत राम।

एक माननीय सदस्य : आप तो बोलने के मूड में नहीं थे।

श्री रावतराम (सुजानगढ़) : यहां कुछ लोगों ने शेर सुनाये हैं, मैं भी दोहे सुना दूं।

श्री सभापति : आप अपने क्षेत्र की बात कहिये, दोहे छोड़ दें।

एक माननीय सदस्य : यह भी साहित्य का अंग है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य इस सदन में आपस में विचार व्यक्त कर रहे हैं।

श्री सभापति : खुलासा कीजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अभी आपसे कहा, हमने आपको खुश कर दिया, यह उचित है ?

श्री शंकरलाल : किसी ने शेर कहे हैं तो दोहे भी कहने दीजिये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रावतराम : सभापति महोदय, मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। पीने के पानी के बारे में। कई माननीय सदस्यों ने इस समस्या को बड़ी गम्भीरता से लिया है। सारे राजस्थान में यह समस्या बड़ी गम्भीर है। राजस्थान में ऐसा इलाका है जहां पानी खारा है, गहरा है। इस हाउस में बराबर हम यह बात कहते आये हैं। पानी के लिये आपके जैसे मंत्रीजी ने कहा कि आप किसे प्रायोरिटी देना चाहते हैं? मैं आपकी मार्फत यह कहना चाहता हूं कि पीने के पानी को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। यदि आपकी सरकार इसे प्रायोरिटी दे सकती है तो देनी चाहिये। आप सड़कें कम बनायें, स्कूल कम खोलें और कोई सुविधा देना चाहते हैं वह कम कर सकते हैं, यह आपके सोचने का प्रश्न है। क्या आप इसकी गम्भीरता को कम समझते हैं ? हजारों पशु मरते हैं। 10-10 मील से ऊंटों पर पानी लाकर पीते हैं, इस बात को आप महसूस कीजिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि पानी की समस्या रोकी नहीं गई तो राजस्थान में जनता का भयंकर विद्रोह होगा। वह इसलिये होगा कि हमने जनता के साथ वायदे किये हैं, जनता पार्टी ने वायदे किये हैं कि जनता सरकार गांवों में मीठा पानी सप्लाई करेगी। इसलिये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। चीफ इन्जीनियर और एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर पर जिम्मेदारी डालने से समस्या हल नहीं होगी। काम में तेजी आनी चाहिये, यह आप खुद देखें, यह आपकी जिम्मेदारी है। आप सारी योजनाओं में कमी कर सकते हैं। बिजली इरिगेशन की योजना में मैं कमी नहीं करना चाहता। आप सब में कमी करना चाहें तो कर सकते हैं।

माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की बात कही, कहनी चाहिये, मैं नहीं कहता, न कहें लेकिन शहरों में पानी उपलब्ध है, शहरों में पानी मिल रहा है, शहरों में मीठा पानी है। अगर पानी दूसरी मन्जिल पर नहीं चढ़ता है तो उसको दूसरी मंजिल तक चढ़ाने के लिये आप सोचिये। पानी दूसरी तीसरी मन्जिल पर पहुंचना चाहिये। हम तो कहते हैं कि हमें पानी उपलब्ध हो। प्रायोरिटी आपको इस आधार पर फिक्स करनी चाहिये। आज राजस्थान में कोई नहीं कहता कि हमारे यहां पाइप लाइन न हो, सब कहेंगे पानी हमारे यहां आना चाहिये। जयपुर के माननीय सदस्य बोल रहे थे, जहां पानी है, दो घंटे सुबह और दो घंटे शाम को मिलता है। हम तो कहते हैं जहां पानी उपलब्ध ही नहीं होता, उसको

(श्री रामरतन)
प्रायोरिटी दें। जिन गांवों में हजारों पशु मरते हैं, उन गांवों में रहने वाले नागरिकों को आप क्या मानते हैं ? जनता सरकार पर विशेष जिम्मेदारी आई है इसलिये प्रायोरिटी हमें लेनी चाहिये इस मामले में, और दूसरी प्रायोरिटी आपको फिक्स करनी चाहिये उन गांवों की जहां पानी खारा है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि पानी की समस्या कितनी गम्भीर है इसको आपको सुनना चाहिये। इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। हमें उम्मीद थी कि आप ज्यादा बजट रखेंगे, किन्तु आपने केवल 9-9।। करोड़ का बजट रखा है। बहुत सीमित बजट है। सीमित बजट में भी प्रायोरिटी के आधार पर जहां पानी की कमी है वहीं पानी दीजिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापतिजी, मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता।

श्री सभापति : आप बोलिये।

श्री रावतराम : एक मिनट, दोहा जरूर बोलना चाहूंगा। जिन गांवों का पानी खारा है, वहां यह स्थिति है :

न्हावणां पाणी और हैं,
पीवण पाणी और।
धामण धनन दूसरो,
मरुधर लूआं जोर।।

पीने का अलग, नहाने का अलग और धन, पशुधन को पिलाने का अलग। हमारा जो पशुधन है उसको खारा पानी और बरसात में इकट्ठा किया हुआ पानी, दोनों को मिला करके पिलाते हैं तो पशु जिन्दा रहते हैं। मेरे इलाके सुजानगढ़ कान्स्टीट्यूएन्सी को मैं आपको रिपोर्ट दे सकता हूं, हजारों पशु, जिनकी दो-दो हजार कीमत है, पानी के बिना मर गये। किसान के पास क्या रहता है ? उसके पास कोई व्यापार नहीं। एक पशुधन का साधन होता है, वह भी पानी की वजह से मर जाते हैं। इस तरह से अलग-अलग तरीके का पानी रहता है :

गाजवास गड़ांणसी —
पाणीं पीयां जांणसी।
बैठसो अंचाणसी,
तो रहसी मल माणसी।।

मेरे क्षेत्र में एक गांव है दूदावास, उसका पानी भी खारा है :

ऊंचो टीबो सिर घड़ो,
पेटज पूर मांस।
नारी सींचे नर,
पिव-बालू बूचावास।।

ऐसे गांव में ससुराल नहीं होना चाहिये :

बाहेलो पूछै ए चा-देड़ी भुआ,
अठ दो वटाऊड़ा बुआ।
कोट में पिया और खेला में मुआ।।

चानेड़ी और मानेड़ी बीकानेर जिले के गांव हैं। मानेड़ी जा रही थी, काढ़ भरा हुआ था। उन्होंने दो राहगीर से कहा, पानी पी लें। वह पानी पीकर गये ही होंगे कि दोनों खतम हो गये। मानेड़ी ने पूछा, वे दोनों राहगीर कहां गये..

Page No. 157

(157)

(श्री रावतराम)

(व्यवधान)

तो, सभापति महोदय, आज भी वे गांव मौजूद हैं। सभापति महोदय, जहां दूध मिल सकता है, घी मिल सकता है वहां पानी नहीं मिल सकता है। इस तरह की धरती है। इसी तरह एक जगह देखा, हिरण-हिरणी मरे हुए पड़े हैं। एक सखी ने कहा :

खड्यो न दीखै पारधी,
लग्यो न दीखे बांण।
मैं थनें पूछूं हे सखी,
आं किण विध तज्यां प्राण ।।

तो दूसरी सखी ने कहा मैं देखती हूं क्या कारण है वह उत्तर देती है :

जल थोड़ा, नेह घणों,
लग्यो प्रीत रो बांण।
तूं-पी-तूं-पी करतां,
हे सखी दोनूं तज्या प्राण ।।

तो क्या इसलिये प्राण तजे कि वह खारा पानी था। गर्मी के मौसम में असामयिक बरसात से जो पानी इकट्ठा हो जाता है, उन्होंने कहा, यह बहुत मीठा पानी है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : यह तो अनादि काल की बात कह रहे हैं। आप तो इस समय की बात कीजिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह : ये तो बातें कहकर इन्ट्रेस्ट पैदा कर रहे हैं। इनके इलाके में काम करवाया जाय।

श्री रावतराम : मैं सदन को पानी की कितनी कीमत है, वह बताना चाहता हूं।

तो सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं.......

श्री सभापति : आपकी बात से मंत्री महोदय बड़े प्रभावित हैं।

श्री रावतराम : हमारे चूरू जिले में जो खारे पानी के गांव हैं मैंने उनके लिये बार-बार कहा है। सुजानगढ़ के कई गांवों की लिस्ट उतार कर दी है, सारी जगह खारा पानी है। उनके लिये योजनायें बनाइये और जहां मीठा पानी मिलता है, वहां से लाइये।

मैं ज्यादा समय नहीं लेकर यहीं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री श्योपत सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री श्रवण लाल!

(अनुपस्थित)

श्री नतपतराम बरवड़!

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : माननीय सभापतिजी, बदनसीबी मेरी भी, आपकी भी और माननीय मंत्रीजी की भी और बदनसीबी है इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को और सारे राजस्थान की, कि हम एक ऐसे प्रदेश में पैदा हुये हैं जहां आजादी के 30 साल के बाद भी हमें पीने के पानी की समस्या का

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस समस्या के समाधान के लिये जी तोड़ कर कोशिश की है ...

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर।

ग्राप ग्रपने लिये कहें तो ठीक ग्रौर दूसरों के लिये कहें तो ठीक लेकिन कम से कम ग्रासन के लिये.....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने बदनसीबी इसलिये बताई, कई लोग जो नदियों के किनारे या जहां पानी ऊंचा है, ग्रौर जहां सहज ही पानी मिलता है वहां रहते हैं लेकिन हमारी बदनसीबी इसलिये है कि लाखों करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी पानी का माकूल इन्तजाम नहीं हो सकता। सभापति महोदय, विभाग की प्रगति रिपोर्ट के बारे में यह कहना चाहूंगी कि यह विभाग की रिपोर्ट नहीं है, यह जनता पार्टी का राजनैतिक घोषणा-पत्र है। मैं ग्रापका ध्यान इसकी ग्रोर आकर्षित करना चाहूंगी। इस विभाग की रिपोर्ट में यह लिखा है:

"राज्य में जब से नई सरकार ने बाग-डोर सम्भाली है तब से श्रमिकों में भी नई चेतना की एक नई लहर ग्राई है। पुराने बन्धन तोड़ कर नई लहर के साथ चल पड़े हैं।"

माननीय सभापतिजी, यह किसी सरकारी विभाग की रिपोर्ट नहीं हो सकती है। ऐसी भाषा का प्रयोग ..

श्री सभापति : जहां तक लहर का सम्बन्ध है, वहां तक तो है ही।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लेकिन विभाग द्वारा यह सब लिखने का क्या मतलब ? इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह विभाग की रिपोर्ट है या जनता पार्टी की, या फिर शासन दल का राजनैतिक घोषणा-पत्र है ?

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आपके समय की ग्रादत पड़ी हुई है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमारे समय में, कांग्रेस शासन के 30 साल के ग्रन्दर इस तरह की विभागों की रिपोर्ट नहीं ग्राती थी। पहली बार, 21वें साल में, रिपोर्ट में कुछ राजनैतिक घोषणायें देखी हैं वरना विभाग का काम होता है ग्रपनी प्रगति का विवरण देना, क्या करना है, ग्रौर क्या किया है ? मुझे दुःख है, सभापति महोदय, विभाग की रिपोर्ट होती है तो कमेन्ट्स करती है लेकिन जो राजनीतिक घोषणा है, मेरी समझ में नहीं ग्राता है कि क्या कहा जाय ग्रौर क्या नहीं कहा जाय। वैसे सभी माननीय सदस्य का, चाहे वे सत्तारूढ़ दल के सदस्य हों ग्रौर चाहे विपक्षी दल के हों, यह केवल इस बार की बात नहीं है। जब-जब पेयजल योजनाग्रों के बारे में विचार होता है ग्रौर जब-जब पेयजल की डिमान्ड ग्राती है तब-तब गहरी चिन्ता प्रकट करते हैं, ग्रौर इसलिये करते हैं कि कुछ को शिकायत होती है इस बात की कि नगरीय योजनाग्रों में जितना पैसा खर्च किया गया है उतना पैसा ग्राम जल योजनाग्रों पर नहीं किया गया है। कुछ को शिकायत रहती है इस बात की कि नगरों के ग्रन्दर जहां पापूलेशन का कन्सेन्ट्रेशन

(160)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

आबादी है वहां पर पानी की समस्या का समाधान जैसी वे अपेक्षा रखते थे, उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगी, मुझे भी एक दोहा याद आ रहा है। सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बार-बार मारवाड़ी दोहों के माध्यम से जल समस्या को दर्शाया है बड़े संवेदनशील हैं उन लोगों की जिनकी प्राथमिक आवश्यकता भी पेय-जल के बारे में अभी तक हल नहीं हो-पाई है। उनके लिये संवेदनशील होना आवश्यक है। इसी तरह एक लड़की अपने पिता से कहती है :

बाबा, ना देही मोहि मारुवां
बरी कुंवारी रहेस।
हाथ कचोली सिर छड़ो,
जीवत ही मरेस ॥

हे मेरे पिता मुझे उस प्रदेश में मत देना जहां पर मेरी सारी जिन्दगी एक हाथ में रस्सी और दूसरे हाथ में घड़ा लिये बीते। बाबा ऐसे प्रदेश में जाने के बजाय, जहां मेरी सारी जिन्दगी पानी लाने में ही गुजर जाये मैं कुंवारी ही मर जाना पसन्द करूंगी। ऐसे प्रदेश में जहां समस्या विकराल हो पानी की वहां एक नारी की कितनी वेदनाभरी कहानी है। तो, समापतिजी, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगी हमें उनके लिये बहुत कुछ करना है। नगरीय जलप्रदाय योजनाओं का जहां तक ताल्लुक है जैसे-जैसे आबादी बढ़ती है वैसे-वैसे रि-आर्गनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। जयपुर की पापूलेशन जिस गति से आगे बढ़ रही है, अजमेर की पापूलेशन जिस गति से आगे बढ़ रही है उसके लिए आवश्यक है रि-आर्गनाइजेशन इसलिये रि-आर्गनाइजेशन की बात उठती है और उनके लिए भी कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं। फिर भी पिछली सरकार ने नगरीय जलप्रदाय योजनाओं में जितना कार्य किया था वह अत्यन्त प्रशंसनीय है।

श्री उगमराज मेहता : ब्यावर के लिए क्या किया था 10 साल में ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमने आपके काम को बहुत आसान किया है। मास्टर प्लान बनाकर सम्पूर्ण प्रदेश के जल स्रोत एवं जल योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा हमने तैयार करके दिया है।

श्री शंकरलाल : ब्यावर को अब सेंदड़ा से पानी दिया जा रहा है।

श्री उगमराज मेहता : अब दिया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, 1966 में कांग्रेस सरकार ने सारे राजस्थान का एक मास्टर प्लान बनाया था, उस मास्टर प्लान का सम्पूर्ण खर्चा उस समय 70 करोड़ आया था। आज बढ़ते-बढ़ते उस मास्टर प्लान में लगने वाला खर्च 70 करोड़ से बढ़ कर 225 करोड़ हो गया। मैं निवेदन करना चाहती हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके जरिये सदन को कि विभाग ने अपनी रिपोर्ट में खुद स्वीकार किया है कि 73-74 में हमने सारे राजस्थान का मास्टर प्लान के जरिये सारा सर्वे कराने के बाद में पाया कि राजस्थान की 1 करोड़ 67 लाख की आबादी है वह समस्याग्रस्त गांवों में है। 33281

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

आबाद गांवों में से 24037 गांव ऐसे हैं जिनमें कोई न कोई, किसी न किसी तरह की तकलीफ है, यह इस रिपोर्ट के अनुसार है। 24057 गांवों में 7189 गांव ऐसे जो बगैर जल स्रोत के हैं, 5991 ग्रामों में अत्यधिक फ्लोराइड युक्त पानी है। नारु की बीमारी के जो गांव हैं वह 3888 हैं, खारे पानी के 3739 ग्राम हैं। असंतोषजनक जल व्यवस्था वाले ग्रामों की संख्या 3220 है। इस प्रकार 24037 गांवों की 1 करोड़ 67 लाख की जो आबादी है वह कोई न कोई किसी न किसी तरह के पानी की समस्या से ग्रसित है। इसका मतलब यह है कि समस्या बहुत विराट है और सीमित साधन हैं और सीमित साधन के अन्दर भी मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपको याद दिलाना चाहूंगी, समग्र क्रांति के उद्घोष का दम्भ भरा गया है। क्रांति करनी है तो और समस्याओं को तो रहने दीजिए पहले पानी की समस्या का ही समाधान करिये। लेकिन मैं, माननीय मंत्री महोदय, आप से यह पूछूं कि आप इस राजस्थान में कब तक पेय-जल की व्यवस्था करेंगे, तो मेरा प्रश्न अनुत्तरित ही रह जायगा। इस बात को स्वयं मैं भी जानती हूं कि आप इसका जवाब नहीं दे पायेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि यह समस्या बहुत ही गम्भीर है। मैं इसलिए आपको याद दिलाना चाहती हूं कि मुझे छबड़ा के चुनाव में गांवों में जाने का मौका मिला तो वहां मैंने देखा कि लोग पोखर का पानी पीते हैं। एक छोटा सा पोखर था पानी का वहां हमने तीस साल तक पानी की व्यवस्था नहीं की इसलिए इस प्रकार की स्थिति आई कि उन लोगों ने कहा आपको वोट क्यों दें? मैं आपसे कहती हूं कि आपको जनता के सामने वापस जाना है, जनता ने केवल पांच साल के लिए आपको चुना है। आठ महीने बीत चुके हैं आपको जनता के सामने वापस जाना है। अगर आप वापस यहां पर आना चाहते हैं, इन ट्रेजरी बैंचेज पर, यदि आपको बैठे रहना है तो, माननीय मंत्री महोदय, इस गंभीर समस्या की तरफ ध्यान दीजिए। केवल बहस मुबाहिसा करने से और कितना क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पिछली सरकार को कोस भर देने से, केवल हमें उत्तर-दायित्व थमा देने से कि तीस साल में कांग्रेस शासन ने कुछ नहीं किया, आप अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकेंगे। अपने कार्यों को जस्टीफाई नहीं कर सकेंगे तो यह जनता माफ नहीं करेगी। समय और जनता किसी को माफ नहीं करती।

तो, माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन कर रही थी कि समय कम है इसलिए अब बहुत थोड़े में अपने कुछ सुझाव देना चाहूंगी।

अभी तक ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं से जो आमदनी हो रही है वह आमदनी है 89.58 लैक्स। यह तो राजस्व आय है ग्रामीण जलप्रदाय योजना की लेकिन इनके मेंटीनेंस पर, इनके संधारण पर खर्चा हो रहा है वह है 274.09 लाख। इस सदन में पहले भी मैं यह बात उठा चुकी हूं कि ग्रामीण जलप्रदाय योजना की आपकी दरें शहरों के मुकाबले ऊंची हैं। मैं फिर, माननीय मंत्री महोदय, आपको चेतावनी देना चाहती हूं कि यह डिस्क्रिमिनेशन राजस्थान की जनता बरदाश्त नहीं करेगी। चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, समान दरें लगायें। यह नहीं हो सकता कि डीजल से चलने वाले सैट पर आप लगभग 15) रुपया लगायें, बाकी जो बिजली से चलगी उस पर 10) रु. लें और शहरों में

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

लें छः रुपया । यह अन्याय लोग बरदाश्त नहीं करेंगे । आपको सुझाव मैं इसलिये देती हूं कि इस सम्पूर्ण प्रांत में कितनी ही योजनायें ऐसी हैं जो केवल पम्प एण्ड टैंक्स की हैं । इन स्कीम के ऊपर जो आपका मेंटीनेंस का खर्चा होता है वह तो होता ही है, आमदनी बिल्कुल नहीं होती है । आपने घरों में पानी के कनेक्शन देने की पाबन्दी लगा रखी है । जहां पम्प एण्ड टैंक्स हैं वहां पर घरों में कनेक्शन नहीं देते हैं । घरों में कनेक्शन देंगे तो आपकी आमदनी होगी जिससे इनका मेन्टीनेन्स ठीक से कर पायेंगे । एक तो कृपया इस बात की ओर ध्यान दीजिए और मेरे सुझाव पर गौर फर्माइये ।

मैं, माननीय सभापतिजी, इसके साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगी कि एक मेरा कटौती का प्रस्ताव जो रीजनल योजनायें आपने चालू कर रखी हैं उन पर है । इन रीजनल योजनाओं के रास्ते में, बीच के गांव छूट गये हैं । पिछली बार भी मैंने ध्यान-आकर्षित कराया था गांवों की रीजनल योजनाओं के लिये आपके जो नोर्म्स हैं, और पिछली सरकार के जो नोर्म्स एण्ड क्राईटेरिया थे उनकी ओर । पिछले जन-स्वास्थ्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि जिन क्षेत्रों या गांवों में डिफेक्टिव पानी है, जहां खारा पानी है, जहां फ्लोराइड तत्वों से युक्त पानी है, जहां हानिकारक पानी है, उन गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी । उस आधार पर मैंने निवेदन किया था कि तीन गांव योजना में आ गये और बीच में दो गांव नहीं आये, यदि उनको भी जोड़ दिया जाय तो उस पर खर्चा नहीं होता है क्योंकि बीच के पांच सौ, हजार गज की दूरी से पाइप लाइन गुजरती है । मेरी समझ से अगर इन बीच के गांवों को जोड़ दें तो आपकी आमदनी में इजाफा होगा । इसको जोड़ने में बहुत कम खर्चा आयेगा और जो बीच की पापूलेशन है, आबादी है वह भी लाभान्वित हो जाएगी । तो मैं यह निवेदन कर रही थी कि झुंझुनूं जिले के लालपुर और कासिमपुरा दो इस प्रकार के गांव हैं । पानी का सर्वे होने के बाद इस बात को राजस्थान सरकार ने स्वीकार किया था, पिछले जन स्वास्थ्य मंत्रीजी ने भी स्वीकार किया था कि इन गांवों के पानी में बहुत अधिक मात्रा में फ्लोराइड है । वहां पर चालीस साल का आदमी जब सुबह बिस्तर से उठता है तो ठीक तरह में उठ नहीं पाता । बहुत देर तक खड़ा होने के लिये प्रयत्न एवं सहारा लेना पड़ता है । बहुत हिम्मत के साथ प्रयत्न करके उठ पाता है । फ्लोराइड तत्व जहां होते हैं वहां आदमी के दांतों के ऊपर एक प्रकार की पीली परत जम जाती है । जब स्वास्थ्य विभाग ने भी यह माना है कि वास्तव में इन गांवों के अन्दर बहुत अधिक फ्लोराइड है । आपने अभी एक नया कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्थान से दो हजार की आबादी से ऊपर वाले गांवों में, जहां पेयजल की सुविधा दी जा सके, हाथ में लिया है । इसके साथ ही लालपुर एवं कासिमपुरा का पानी स्वास्थ्य के लिये बहुत ही हानिकारक है तो कृपया इस बुडाना की योजना के अन्दर इन गांवों को भी सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे ऐसी मैं आशा करती हूं ।

इसी प्रकार से मैं आपका इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि तीन गांवों की एक योजना है, बीबासर, बाकरा एवं फतेहसरा । बीच में ग्राम हनुमानपुरा आता है ।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मैंने इस सम्बन्ध में आपका ध्यान दिलवाया है। बिना किसी खर्चे के केवल पांच सौ फीट की दूरी पर पाइप लाइन गुजरती है उससे यदि इस हनुमानपुरा ग्राम को जोड़ दिया जाये तो सात सौ-आठ सौ को जनसंख्या के ग्राम की पेयजल की समस्या का समाधान हो सकेगा और गांव इस योजना से लाभान्वित हो सकेगा।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

श्री सभापति : माननीया श्रीमती मदन कौर !

(अनुपस्थित)

श्री नवरंगसिंह !

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : सभापति महोदय, राजस्थान के बजट पर चर्चा करते हैं तो बजट के आंकड़े देखने से ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मात्र नौ करोड़ रखे गए हैं जबकि प्रशासनिक खर्चे पर 12 करोड़ की धनराशि रखी गई है। मैं, मान्यवर, आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस राजस्थान में 33 हजार के करीब गांव हैं और 33 हजार गांवों में आज भी 78.98 प्रतिशत गांव पानी की सुविधा से वंचित हैं। हमारी सरकार ने जैसी घोषणा की थी उसके अनुसार इस बजट में राशि और बढ़ाकर रखनी चाहिए थी ताकि जो हमारा घोषणा-पत्र था और हमारे मुख्य-मन्त्रीजी का जो पहला वक्तव्य था कि हम राजस्थान के हर गांव तक पानी की सुविधा पहुंचाएंगे, उसका पालन हो।

मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में 2 हजार तक की आबादी वाले गांव को पानी देने की बात इस कार्यक्रम में शामिल की गई थी। मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय, राजस्थान ढाणियों और छोटे-छोटे गांव वाला प्रदेश है, अगर 2 हजार की आबादी की सीमा रखेंगे तो छोटे गांव और ढाणियों में 100 साल तक भी पानी पहुंचना बड़ा मश्किल है। इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो फार्मूला है 2 हजार की आबादी का उसके स्थान पर 500 की आबादी वाले गांवों तक पानी पहुंचाने का कार्य इस कार्यक्रम के अन्दर शामिल किया जाय।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह कहनी है कि सामूहिक नल की व्यवस्था सारे राजस्थान में हो। आज जो वाटर वर्क्स बन रहे हैं उन पर बड़ा खर्चा लगता है, इसलिये छोटे गांवों में अगर कुए के चारों तरफ 10—5 नल लगा दें तो सारे गांव वाले सुबह या शाम, जब कभी नल चले, आकर पानी ले जायं तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में इतनी बड़ी राशि जो बड़ी-बड़ी योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं वह बचेगी और राजस्थान के आम आदमी तक पानी पहुंचेगा।

इसके साथ-साथ मुझे यह भी निवेदन करना है कि गांवों में और शहरों में पानी की दरों में असमानता है। इससे राजस्थान के तमाम 33 हजार गांवों में असन्तोष है। मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि आज आप इस बात की घोषणा करें कि गांवों और शहरों में पानी की दरें जो होंगी वह एक होंगी। यह बात

(श्री नवरंगसिंह)

राजस्थान की ग्रामीण जनता ज्यादा दिन तक बरदाश्त करने वाली नहीं है कि शहर में 7 रुपया और गांव में 15 रुपया हो। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारे मसले पर विचार करें।

इसी तरह से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं है। जहां पर जल योजना बनती है वहां पर पशुओं को पानी पिलाने की समुचित व्यवस्था नहीं होती है। पशुओं की हालत बड़ी दयनीय है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बात की व्यवस्था की जाय ताकि पशु भी निश्चित रूप से पानी पी सकें।

इसके साथ ही मैं नवलगढ़ के कुछ गांवों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, आपको मार्फत मैं यह कहना चाहूंगा कि नवलगढ़ पंचायत समिति में कुल 7 गावों में पानी की व्यवस्था उपलब्ध है। बुगमला और छऊ ऐसे गांव हैं जहां कूबड़ निकलती है। कूबड़ वाले इन्सान की उम्र कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपको मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन गांवों को योजना अपने कार्यक्रम में शामिल की जाय। पता नहीं कूबड़ किस वजह से निकलती है। मैं आपकी मार्फत, सभापति महोदय, निवेदन करूंगा मन्त्री महोदय से कि इनकी योजना में शामिल किया जाय।

इस तरह मुझे राजस्थान में हरिजनों के मोहल्लों में पेयजल की समस्या है उसके बारे में अर्ज करना है, श्रीमन्, मैं यह बताना चाहूंगा कि आज भी हरिजन मोहल्लों के लिये पैसा दिया जाता है वह हरिजन मोहल्लों में खर्च नहीं होता है और दूसरी सवर्ण बस्तियों में खर्च कर दिया जाता है। इसलिए मन्त्री महोदय इस पर विशेष ध्यान दें कि जहां के लिए पैसा दिया जाता है, जिस काम के लिए पैसा दिया जाता है उसी काम पर खर्च करें। यदि हरिजन मोहल्लों के लिए पैसा दिया जाता है तो वह उसी में खर्च हो।

नवलगढ़ में मूण्डवा ऐसी बस्ती है जहां आज भी पानी नहीं पहुंच सका है। वह इसलिए नहीं पहुंचा कि जब वाटर वर्क्स की स्कीम बनी तो जो पैसा हरिजनों के नाम से लिया वह दूसरी कॉलोनी और दूसरी बस्तियों में चला गया। इसलिए, सभापति महोदय, आपकी मार्फत मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस ओर भी ध्यान रखें।

इसी प्रकार से मैं मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां मुकन्दगढ़ में 3,54,000 की योजना आई, लेकिन वह कागज न जाने कहां गये ? जब एस. ई. से मिला तो कहा कि 30 तारीख की मीटिंग में कागज चीफ इन्जीनियर को दिये और चीफ इन्जीनियर से मिला तो बताया कि वह झूठ बोलते हैं। इस तरह के कोई कागज नहीं हैं। मंत्री महोदय से, मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि आपके इस विभाग में इस तरह की जो धांधली और आपाधापी है मन्त्री महोदय उस पर कन्ट्रोल करें और जनता की योजनाओं को सही रूप में पास करें।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन

(श्री नवरंगसिंह)
करना चाहूंगा कि यह विभाग भी भ्रष्टाचार से वचा हुआ नहीं है। आम तौर से इस विभाग के अधिकारी जूनियर इन्जीनियर से चीफ इन्जीनियर तक पैसा खाते हैं और पैसा खाकर भी सही चीज सही रूप में लागू नहीं करते हैं। हरिजन मोहल्लों में पानी देने के लिए पैसा जाता है वह दूसरी जगहों पर चला जाता है।

इसी तरह से मैं मन्त्री महोदय का ध्यान, सभापति महोदय, आपके मार्फत आकर्षित करना चाहूंगा कि यहां एस. ई. महेन्द्र सिंहजी हैं उनके विभाग में काफी भ्रष्टाचार है। नवलगढ़ में किसी कर्मचारी का मुकद्दमा था। उसको सजा हो चुकी थी इसलिए उसको सस्पेण्ड किया गया, लेकिन, सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि माननीय एस. ई. साहब ने रिश्वत लेकर उस कर्मचारी को पुनः बहाल कर दिया। इस तरह की नजीरें आपके इस दफ्तर में हैं, यह सोचने और विचारने की बात है।

मेरा तो यही निवेदन है कि राजस्थान में अधिकांश रेगिस्तानी और अर्द्ध रेगिस्तानी इलाका है। हमें इस रेगिस्तानी इलाके की दिक्कत को, मैं समझता हूं मिटाना है, तो इस रेगिस्तानी इलाके की ओर प्राथमिकता के रूप में ध्यान दें, तभी हमारी घोषणाएं, जो हमने की हैं, फलीभूत होंगी और जनता को सन्तोष होगा। जहां पानी मुहैया नहीं होता है वहां की दिक्कत सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य अपनी कविता के द्वारा साबित कर रहे थे। आज भी पुरानी किंवदन्तियां चली आ रही हैं। इसलिए, सभापति महोदय, आपके मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान ऐसे रेगिस्तान इलाके की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि इस पुरानी समस्या को राजस्थान में मिटायें जैसी कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है।

श्री सभापति : माननीय श्री नरेन्द्रपाल सिंह !

एक माननीय सदस्य : एक साल के पहले ही बोल रहे हैं !

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने मेरे बोलने पर एतराज किया है कि एक साल पहले ही बोल रहा हूं। मैं एक साल पहले नहीं बोल रहा हूं बल्कि मेरे क्षेत्र की बातें हैं वह मैं रख रहा हूं। सरकार के सामने भी समस्याएं हैं, सरकार जनता पार्टी की बनी है उसकी जिम्मेदारी भी मैं महसूस करता हूं। मैं सुमित्रा जी की तरह बात नहीं करता हूं...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए, सदन की परम्परा यह है कि किसी भी माननीय सदस्य का नाम नहीं लें। मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस तरह बोलें कि वह सदन में बोल रहे हैं। आपके पुराने हिसाब से यह रेफरेन्स दे दिया है।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : आज सरकार में हम लोग बैठे हैं और बोलते हैं। मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे कि हम विरोधी बेन्च पर बैठे हों। कई बार नाम वगैरह आये मैं चुप रहा हम कुछ

(श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी)

करना चाहते हैं और करने को तैयार हैं, मंत्री महोदय भी इसके लिये तैयार हैं। हम लोग आये हैं हमारी कुछ बातें हैं जिनको हम व्यक्त करते हैं। विरोधी बैंच के तौर-तरीके से मुझे तौर-तरीके को समझना ही है नहीं तो यह जो बैठे हैं विरोधी बैन्चेज पर, यह कहेंगे कि हम लोग जनता पार्टी वाले, जनता के काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारा मखौल उड़ाया करते हैं। परन्तु हम जवाब देने को मजबूत है। मैं अधिक बातें न कह कर, मेरे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उनकी ओर ही अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं।

एक योजना बनी है दो हजार की आबादी वाले गांवों के लिये। मेरे क्षेत्र के अन्दर 6 गांव ऐसे हैं जो दो हजार की आबादी के ऊपर के हैं और 11 गांव ऐसे हैं जो दो हजार की आबादी के आस-पास हैं। पांच गांवों में तो जलदाय योजना बनी है, किन्तु वह योजना कैसी बनी है वहां जाकर के कभी देखें। पानी पूरा नहीं आ रहा है। वोट बटोरने के खातिर पिछली सरकार ने वह योजनाएं बना दीं और वोट बटोरे। मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की जो योजनाएं बनी हैं, उन योजनाओं को दुरुस्त करवाना पड़ेगा। दुरुस्त करवाना ही है। वह गांव है फतहनगर, सनवाड़, घासा, थामला और जावड़। इनकी तीन हजार के आस-पास की आबादी है।

मंत्री महोदय यहां सदन में नहीं हैं। उनके सामने एक बात रखी है। वह है डबोक की समस्या। डबोक में 17 जून, 1977 को पैसा जमा हुआ और वहां पर योजना कार्यान्वित कर दी गई, जबकि सन् 1973 के मार्च में पलाना खुर्द एवं कलां में पैसा जमा हुआ है, लेकिन वहां पर योजनाएं चालू नहीं हुई हैं। यह कहा गया कि यह कमेटी में पास नहीं हुई। कमेटी में पास होंगी तब योजनाएं सामने आयेंगी। कब यह पास होंगी? कौन कमेटी में पेश करेगा? इसका पता नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप विभाग में जाकर इन तमाम बातों का अध्ययन कीजिए और विभाग को आगाह कीजिए। मेहरबानी करके जहां का पैसा जमा हुआ है, वहां की योजना कमेटी में रख कर, उन्हें मन्जूरी के लिये भेजिए ताकि पेयजल योजनाएं पूरी हो सकें। पलाना कलां एवं खुर्द के लिए पैसा जमा है।

आगे के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। खेमली की योजना नहीं है, गुडली की योजना नहीं है, बडगांव में योजना नही है। जावड-धनेरिया आदि गाँवों में योजना नहीं है। चंगेडी में योजना नहीं है। इन गाँवों की योजना नहीं है। ये बड़े गाँव हैं। यहां की योजनाएं बननी ही चाहिए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह उपेक्षित क्षेत्र है और मावली जो राजनैतिक अखाड़ा रहा है अब वह दो का और अखाड़ा हो गया है। एक 'आई' और एक 'गई' का। मावली इन दो अखाड़ों में फंस गया है। जनता परेशान है। मैं चाहता हूं कि यह 'आई' और 'गई' की जो योजनाएं वहाँ पर हैं, उन पर पूरी निगरानी रखें और मेहरबानी करके जो योजनाएं बनी हैं उनको आप क्रियान्वित करें। जल संकट है उसको दूर करने में मेरे क्षेत्र की जनता को मदद करें। इस उपेक्षित

(श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी)

क्षेत्र के अखाड़े में 'आई' और 'गई' के लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं खुश किस्मत हूं कि ये सब धराशायी लोग वहां पर दौड़ रहे हैं। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जलदाय योजनाओं की प्रगति करने में हमारी जनता की इमदाद कीजिए। 'आई' और 'गई' की मुझे तो चिन्ता नहीं है पर जनता को गुमराह कर अशान्ति फैला देंगे, यह खतरा है।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री बत्तीलाल !

(अनुपस्थित)

श्री हीरालाल आर्य !

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): सभापति महोदय, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, वह सुरक्षित क्षेत्र है। मेरे अधिकांश क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोग रहते हैं। पिछली सरकार अनुसूचित जाति और जन-जाति के उत्थान की बात करती रही, लेकिन उसने उनके विकास के लिए नहीं के बराबर काम किया है। सभापति महोदय, मैं आपको बताऊं कि मेरे पूरे क्षेत्र में केवल एक स्थान पर नल योजना लागू है। मेरे यहां कितने ही गांव ऐसे हैं जिनमें नल योजना लागू की जा सकती है। जिन गांवों की आबादी करीब चार, पांच हजार से अधिक हैं ये गांव इस प्रकार हैं इटावा, पीपल्दा, खातोली, गैंता, सुमेरगन्ज मंडी और बमबोरी कलां। इन गांवों में नल योजना आसानी से लागू की जा सकती है। इन गांवों का सर्वे हुआ है लेकिन वह सर्वे कागजों में है। वहां पर नल योजना लागू करने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, इन गांवों में पीपल्दा सुमेरगंज मंडी, गैंता ऐसे गांव हैं जिन्होंने अपने अंशदान की राशि जमा करा दी है लेकिन योजना अभी कार्यान्वित नहीं की गई है। मेरे क्षेत्र का बलवन्त तो ऐसा गांव है जहां पर पानी काफी गहरा और दूर है। इस गांव में लोग अपनी बेटियां देना पसन्द नहीं करते हैं। जिन गांवों का पैसा जमा है उन गांवों को जिला आयोजना समिति से भी रिकमण्ड किया हुआ है। लेकिन अभी भी उन गांवों में योजना का कार्य शुरू नहीं हुआ हैं। पीपल्दा गांव में पिछले साल नल योजना लागू करने के लिए सर्वे हुआ था। उसका एस्टीमेट तैयार हो गया है। सारा काम करके सरकार को भेज दिया गया है। गांव वालों ने सोचा कि अब नल जल्दी लग जायेंगे परन्तु पता नहीं वह योजना कहां गायब हो गई ?

मेरे क्षेत्र में सुमेरगंज मंडी और खातौली ये दो ऐसे गांव हैं जहां पर पानी खारा है। खारे पानी से सब्जियां खराब हो जाती हैं, चाय खराब हो जाती है, दूध फट जाता है। हमारी नई सरकार ने घोषणा की है कि वह गांव वालों को पेयजल उपलब्ध कराएगी। हमें आशा है कि इन गांवों में पेयजल योजना के लिए बहुत जल्दी स्वीकृति दी जाएगी।

मेरे पूरे क्षेत्र में 35 ऐसे गांव हैं जिनमें पीने के पानी का अत्यन्त अभाव है। गांव वाले काफी दूरी से पानी लाकर पीते हैं। नदी का पानी पीते हैं बरसात में नदी का पानी गन्दा हो जाता है।

(68)

(श्री हीरालाल आर्य)
नदी का पानी गहरा भी होता है। पानी लाते वक्त एक तरफ चढ़ाई पड़ती है। नीचे की ओर कीचड़ होता है। सिर पर मटकी होती है और कई बार मां-बहिनें फिसल जाती हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि इन गांवों में कुओं की योजना चालू हो जाती है तो मेरा जो यह क्षेत्र उपेक्षित है इसको पीने का पानी उपलब्ध हो सकता है। महोदय, मैं इतना ही कह कर समाप्त करता हूं कि पानी का त्रास है। पशुओं को भी पानी नहीं दिया जा सकता है, फिर मेरे क्षेत्र ने क्या बिगाड़ा है? वहां पर पेयजल का नितान्त अभाव है। मेरे क्षेत्र के पेयजल हेतु कुओं के लिए 35 गांवों की सूची मैं सदन की मेज पर रखता हूं, शायद उससे योजना जल्दी कार्यान्वित हो सके।

श्री सभापति : श्री कौशल किशोर-जैन !

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम !

(अनुपस्थित)

श्री मदनसिंह दांता !

(अनुपस्थित)

श्री जगदीश सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री माधवसिंह (सोजत)!

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : सभापति महोदय, जनता यह सोचती थी कि जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जनता को सुविधा मिलेगी। परन्तु आपका जल-प्रदाय योजना का बजट देखकर सारी आशाएं धूमिल हो गईं।

(व्यवधान)

इस प्रकार के हमारे पास पत्र आते रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा मन्त्री महोदय से कि इस विभाग के अफसरों में दो गुट बने हुए हैं। एक गुट एडीशनल चीफ इंजीनियर का और दूसरा चीफ इंजीनियर का। एक कहता है कि उन्होंने यह गड़बड़ियां की हैं और दूसरा कहता है कि उन्होंने यह गड़बड़ियां की हैं। कौन जिम्मेदार है उनके लिये, यह आप जाने। योजनाओं को कौन ठीक करे, पूरा का पूरा डिपार्टमेन्ट ही दो खेमों में बंटा हुआ है, जिसका मंत्री महोदय आपको ध्यान ही होगा। आप इस डिपार्टमेन्ट से गुटबाजी को मिटाइये जिससे कि योजनाएं समयानुसार पूरी हो सकें।

दूसरी बात है कि चीफ इंजीनियर कहते हैं कि स्कीम डी. पी. सी. की मीटिंग से रिमकन्ड होकर आना जरूरी होता है लेकिन चूंकि हर एम. एल. ए. चाहता है कि मेरे क्षेत्र में स्कीम लगे, आपसी खींचातानी होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बारे में मन्त्री महोदय ध्यान दें। इस बाबत सारे राजस्थान का मास्टर प्लान बने और सारे राजस्थान की प्रॉयोरिटी यहीं तय हो क्योंकि कहीं पर खारा पानी इतना ज्यादा है कि उससे कई बीमारियां हो सकती हैं। इस काम को बिना किसी पोलिटिकल प्रेशर के करना जरूरी है। हॉस्पिटल बनाने का इरादा ठन्डा हो गया है।

(श्री माधवसिंह दीवान)

डी. पी. सी. द्वारा कुछ योजनाएं प्रॉयोरिटी के हिसाब से भेजी गई हैं। परन्तु यहां सरकार की लापरवाही से बजट लैप्स हो गया। पता नहीं सरकार इसके लिए तैयार क्यों नहीं है? अभी भी वैसा ही ढीला डिपार्टमेन्ट बना हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए डिवीजनल हैडक्वार्टर्स पर एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है जिसके एम. पी. व एम. एल. ए. भी मेम्बर हैं ताकि वह अपनी परेशानियां वहीं रख सकें। इस प्रकार की कमेटी और डिपार्टमेन्ट भी बना दें जो साल में एक बार डिवीजनल हैडक्वार्टर पर मिलती रहे तो उसमें डिटेल में डिस्कस करके उचित समाधान निकाला जा सकता है। रीजनल स्कीम का तरीका है, वह गलत है।

हमारे यहां 37 किलोमीटर पाइप लाइन जाती है। उनमें जो गांव आखिर में आये हुए हैं उनमें 10-10 दिन और 15-15 दिन पानी नहीं आता है। लोग शिकायत लिख लिख कर भेजते हैं उसकी कोई परवाह नहीं होती है। या तो कहीं पाइप लाइन टूट जाती है या बीच के गांव वाले इतने समझदार नहीं होते हैं, वह टोंटी खुली छोड़ देते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि टेल एन्ड पर पानी नहीं पहुंचता है। इसलिए इसका समाधान निकालना चाहिए। अभी फलौदी के उप-चुनाव में तालाब जाने का मौका मिला। 10-15 गांवों के लोग उस तालाब का ही पानी पीते हैं। मैंने पूछा कि पहले यह पानी कितने साल चलता था। तो कहा कि पहले एक बार तालाब भरने से 15 साल तक पानी चल जाता था। उसका कारण यह था कि सारे ही गांव के लोग एकादशी और अमावस्या को तालाब खोदने में लगते थे। वह सैल्फ-हैल्प की पुरानी भावना आज खतम हो गई है। मैं निवेदन करूंगा जो भावना पहले थी, उसको जगाने की कोशिश करें। अभी मैं एक गांव में गया था। वहां पर अनुसूचित जाति के लोगों ने पीने के पानी की शिकायत की। मैंने पूछा क्या बात है? बताया गया कि पहले सवर्ण जाति के लोग पानी लेते हैं और उसी नाली में बाद में जो पानी बचता है, वह वह लेते हैं। वह बहुत गन्दा हो जाता है। मैंने उनसे कहा यह बात नहीं चलेगी। अभी पिछले हफ्ते पत्र आया कि गांव वालों ने नया कुआ खोद कर वह पुराना कुआ शिड्यूल्ड कास्ट्स वालों को दे दिया है। शिड्यूल्ड कास्ट्स वालों की आज भी पानी की समस्या है। आज काम की स्थिति यह है कि कोई भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। गांव वाले कहते हैं कि हमको मतलब नहीं है। ग्राम पंचायतें कहती हैं कि हमारा कोई मतलब नहीं है। इसके बाद बड़े शहरों में भी पीने के पानी की समस्या है, उसका एक कारण यह है कि बड़े-बड़े बंगलों में बगीचे लगाये जाते हैं। वह एक-एक बीघे में पानी पिलाते हैं। उनको फ्लेट रेट से पानी दिया जाता है। टोंटी जमीन के लेवल में होने के कारण दूसरे लोगों को पानी नहीं मिलता है। मेरे क्षेत्र में दो हजार की आबादी वाले गांव हैं जैसे सुरायता। पास में पाइप लाइन है सिर्फ एक-दो किलोमीटर पाइप डालने से उसे जोड़ा जा सकता है। जहां भी आपका विभाग पहुंचा वहां उसने काश्तकारों को परेशानी में डाल दिया। गहरे ट्यूब-वैल खोद दिये इस बात की फिक्र किये बिना कि दूसरे कुओं में पानी का क्या होगा? मेरे एरिया में ऐसा गांव बिलवास है कृपया वहां नदी पर एनीकट बनवायें या सिंचाई विभाग को लिखें ताकि कुओं का पानी सूखे नहीं।

श्री सभापति : डा० गंगासहाय !

श्री गंगासहाय (कठूमर) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा . . .

श्री सभापति : आप जल्दी से कहें ।

श्री गंगासहाय : जहां योजनाएं चली हैं वहां पाइप खराब हो जाते हैं । इस कारण लोगों को पानी नहीं मिलता है । दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि पानी की राजाखेड़ा में भी समस्या है । चार-पांच साल से शिकायत कर रहे हैं कि टंकी बनी हुई है, लाइन डाली हुई है, लेकिन पानी नहीं पहुंचता और जनता परेशान होती है ।

इसके साथ ही साथ मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है उसके बारे में निवेदन करूंगा । चार-पांच महीने पहले माननीय मुख्य मन्त्री-जी को एक ज्ञापन दिया था कि विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार है और करोड़ों रुपयों के घोटाले हैं । भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष और हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य के एक प्रश्न के उत्तर में भी बताया गया कि आपका ज्ञापन मिल चुका है उसकी जांच की जा रही है । उसकी जांच कमिश्नर से करवा दी जायेगी । किन्तु अभी तक उसकी कोई जांच नहीं की गयी है । अगर की गई है है तो मैं निवेदन करूंगा कि उस जांच से सदन को अवगत कराया जाय ।. विभाग के अधिकारी जांच नहीं कर सके तो सदन की एक समिति बना दी जाय । यही मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

धन्यवाद !

श्री सभापति : धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं ।

कई माननीय सदस्यों की यह मांग आ रही है कि हम बाहर जाना चाहते हैं । हमको बोलने के लिए पहले अवसर दिया जाय । मेरे लिए यह बहुत कठिनाई की बात है । मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य आपस में एडजस्ट कर लें ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : I withdraw my application, Sir.

श्री सभापति : माननीय रंगजी !

(अनुपस्थित)

माननीय उमरावजी गूजर !

(अनुपस्थित)

माननीय परसराम मोरदिया !

(अनुपस्थित)

माननीय शिवराजसिंह !

(अनुपस्थित)

माननीय कुंजीलाल !

(अनुपस्थित)

माननीय शीशराम ओला !

(अनुपस्थित)

माननीय बंशीलाल सारस्वत !

(अनुपस्थित)

माननीय निर्मल कुमार सकलेचा !

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

माननीय मोहनलाल शर्मा !

श्री मोहनलाल शर्मा (डूंगरगढ़) : सभापतिजी महोदय, मेरा एक कटौती प्रस्ताव है उस पर मैं निवेदन कर रहा हूं। हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने यहां पर भी ग्रौर बाहर भी यह घोषणा की थी कि राजस्थान के ग्रन्दर पेयजल की समस्या को मिटाया जावेगा। इसका बहुत बड़ा भारी स्वागत किया गया ग्रौर हमने भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में जिलों में जाकर सब लोगों को ग्राश्वासन दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार हम ग्रापको जलदाय योजना की मार्फत पानी देंगे। लेकिन इस बजट को देखा तो कुछ निराशा हुई। चालू बजट में जो जलदाय के बजट में प्रावधान किया गया है वह बहुत कम है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से हम पांच वर्षों में तो क्या पचास वर्षों में भी अपने गांवों में पानी दे सकने में ग्रसमर्थ होंगे। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि चाहे दूसरे जो विभाग हैं उनके बजट में कटौती करके इस बजट में ज्यादा प्रावधान किया जाय, पहले ग्राप लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करें। यह एक ज्वलन्त ग्रौर मानवीय समस्या है इसलिए इसका समाधान करना जरूरी है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि सारे मन्त्रि-मण्डल के सदस्य बैठकर इस पर विचार करें ग्रौर इस विभाग में ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करने की व्यवस्था करें ताकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जायं तो यह कह सकें कि ग्रापकी एक समस्या, जो मेन; मुख्य समस्या है, का समाधान कर दिया है। इस वक्त जो भी स्कीम राजस्थान में चल रही हैं उनके बारे में तो मैं पूरी तरह से जानकारी नहीं दे सकता लेकिन जिले की जानकारी दूंगा कि जो स्कीमें बनी हुई हैं, वे बहुत लम्बी बना दी गई हैं जिससे सारे गांवों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंचता है। कई गांव तो ऐसे हैं कि नल लगे हुए हैं हौद बने हुए हैं लेकिन पानी नहीं पहुंच सकता। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि पहले इसकी व्यवस्था की जाय कि जो ग्रॉलरेडी स्कीम्स चल रही हैं उनको पूर्णरूप से सक्षम बनाया जाय, उसके बाद में दूसरी स्कीमें तैयार की जायं अन्यथा ग्राप नई स्कीमों को हाथ में लेते जायेंगे ग्रौर पुरानी स्कीमें यों ही रह जायेंगी। इससे कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। जो गांवों में कुएं चलते हैं उनको भी बन्द कर दिया जाता है इससे उनकी कठिनाई ग्रौर बढ़ जाती है। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की योजनाएं जिन गांवों में ग्रॉलरेडी चालू हैं, जिनमें हौद बने हुए हैं पाइप लाइन डाली हुई है पहले वह पूरी की जाय, उनको सक्षम बनाया जाय।

इसके बाद में विभाग में जो कमियां हैं उनको ग्रोर भी मैं ग्रापका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे ग्रधिकारी-गण ग्रौर स्टॉफ इस प्रकार का है कि कहीं टैक्निशियन नहीं हैं कहीं ग्रगर हैं तो उनको कुएं की मशीनें चलाने का ज्ञान नहीं है। इस कारण ग्राये दिन मशीनें जलती रहती हैं। जहां पर स्कीमें चल रही हैं वहां पर सारी स्कीमें फेल हो जाती हैं ग्रौर कई दिनों तक चालू नहीं होती हैं। दूसरी कमजोरी यह है कि हमारे ग्रधिकारीगण ग्रौर खास तौर से सामान खरीदने के लिए जो स्टाफ है, यह बात नहीं है कि सारे ग्रधिकारी भ्रष्ट हैं, बहुत से ईमानदार भी हैं, किन्तु इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि

Page No. 171

(172)

(श्री मोहनलाल शर्मा)
या तो स्टाफ रखा जाय या उनको सामान खरीदने का अधिकार दिया जाय। आज वे दस रुपये की चीज भी खरीदने में सक्षम नहीं है, उसके लिए भी जयपुर या दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो इस तरह से स्कीम चलने वाली नहीं है।

मैं निवेदन कर रहा था कि जो नई-नई लाइनें डालने के लिए इस बजट में जो राशि रखी गई है वह हमारे जिले में तो नहीं के बराबर है। इस बजट से गुजारा होने वाला नहीं है।

अब मैं प्रायोरिटी के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा,...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जैसा कि चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, ऐसी-ऐसी जगह है जहां पर लोग पानी पीते ही मर जाते हैं। आप ऐसे गांवों की टोप प्रायोरिटी दीजिए। ऐसे गांवों की लिस्ट आपके पास है, उनकी स्कीम पहले बनाइये और बाद में दूसरे गांवों के लिए सप्लाई की व्यवस्था कीजिये।

एक बात मैं और निवेदन करूंगा। यह जो योजना लागू करने में देर हो रही है, इसका भी आपको कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। हमारी पुरानी सरकार की रीति-नीति से हटकर दूसरा रास्ता निकालना होगा। टेक्निकल मंजूरी नहीं है तो उसकी मंजूरी करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से चीफ इन्जीनियर से बात की जावे कि पहले ए. ई-एन. की, उसके बाद टैक्निशियन की और फिर चीफ इन्जीनियर की मंजूरी होती है। उसके बाद राज्य सरकार से मन्जूरी होती है। मेरा निवेदन है कि जिलेवाइज मीटिंग बुलाई जाय। प्रायोरिटी के हिसाब से सारी स्कीम आप मंगा लीजिए और उनको मन्जूर कीजिए,...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट।

जिससे देर न हो और सुचारु रूप से व्यवस्था हो जाय। इस तरह से आप व्यवस्था करने की कृपा करें।

श्री महबूब अली (राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य) : आप जिला-स्तर पर योजनाएं बनाने के पक्ष में हैं क्या ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : आपको भी बोलने का मौका मिलेगा।

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा : उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है :

श्री मोहनलाल शर्मा : एक बात और निवेदन कर दूं कि स्व. हावरियाजी और बजरंगलालजी ने मुख्य अभियन्ता पर 18 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाये थे। मुख्य मंत्रीजी ने सी.बी.आई. से इन्क्वायरी कराने के लिये कहा था, उसकी क्या प्रगति हुई ? कृपया बतायें। मैं समझता हूं कि डिपार्टमेन्ट में काफी भ्रष्टाचार है उसको दूर करने का प्रयत्न करें, नहीं तो आपसे जनता का विश्वास उठ जायगा।

धन्यवाद !

श्री सभापति : श्री अचलाराम !

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा !

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़) : सभापति महोदय, इस देश में एक ऐसा वर्ग भी है जो संगठित नहीं है। उस वर्ग के संगठित नहीं होने का परिणाम यह है कि आज पानी की समस्या की उपेक्षा की गई है। सभापति महोदय, महिला वर्ग ऐसा है जो कि हमारे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों से भी कमजोर वर्ग है। चूंकि औरत वर्ग संगठित नहीं है इस कारण यह बात कही जा रही है कि किसको प्रायोरिटी दी जाय? क्या सिंचाई के पानी को प्रायोरिटी दी जाय या पीने के पानी को प्रायोरिटी दी जाय? अगर हमारे देश का महिला वर्ग संगठित होता तो आज यह पीने के पानी की समस्या निश्चित रूप से तय हो जाती, यह भी तय हो जाता कि किस स्कीम को पहले लिया जाय, पहले विकास के लिये सिंचाई स्कीम को प्रायोरिटी दी जाय या पीने के पानी की स्कीम को? आज हमारे देश में और खास तौर से राजस्थान में 80 प्रतिशत हिस्सा ऐसा है कि जहां पर औरतों को सिर पर घड़े लेकर 6-7 मील से पानी लाना पड़ता है। इतना होने पर भी मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज यहां पर यह कहा जाता है कि प्रायोरिटी किस कार्यक्रम को दी जाय। आज इसका कारण यही है कि महिला वर्ग संगठित नहीं है। अगर वह वर्ग संगठित हो जाये तो यह समस्या एकदम हल हो सकती हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को चूरू जिले के बारे में बताना चाहता हूं। इस जिले की पेयजल के सम्बन्ध में हमेशा से ही उपेक्षा होती रही है। यही कारण है कि इस चुनाव में चूरू जिले में सातों सीटें कांग्रेस को खोनी पड़ीं। आज दूसरे जिले में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, विभिन्न योजनायें चालू की जा रही हैं लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि चूरू जिले को हर कार्यक्रम में, हर योजना में पीछे धकेला जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से कि चूरू जिले में जबकि पानी की बहुत भारी समस्या है, जमीन के नीचे भी पानी नहीं है फिर भी क्या कारण है कि इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि जनता पार्टी को सातों सीटें चूरू जिले के लोगों ने जिता कर दी, फिर भी चूरू जिले के गांवों में पेयजल की समस्या ज्यों की त्यों है, इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहां पर एक चतुष्कोण, षटकोण भूमि की एक लम्बी पट्टी है जिसमें बिल्कुल खारा पानी है। वह पानी बिल्कुल पीने योग्य ही नहीं है। कई जगह ऐसी हैं कि जहां पर पानी बिल्कुल ही जहरीला है। आप एक गिलास पानी नहीं पी सकते। सभापति महोदय, जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त एक गांव में मैं वोट के लिये गया तो मैंने लगातार 19 गांव ऐसे देखे जहां पर पानी बिल्कुल ही जहरीला है। मुझे लोगों ने कहा कि वोट तो हम आपको दे देंगे लेकिन आप हमारे यहां पर एक गिलास पानी का पी लो। सभापति महोदय, मैंने एक गिलास पानी पिया, लेकिन मैं पी नहीं सका, इतना खारा पानी था। तो मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि तीस साल तक कांग्रेस शासन प्रायोरिटी तय नहीं कर सका, अब जब जनता पार्टी का राज आ गया है तो भी प्रायोरिटी की बात ही की जा रही है। मैं एक बात, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना

(श्री जगदीशचन्द्र शर्मा)
चाहूंगा कि वैसे तो प्रायोरिटी उसी दिन तय हो गयी थी जिस दिन जनता पार्टी सत्ता में आयी, हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने शपथ ग्रहण करते हो यह कहा था अपने प्रथम भाषण में कि मैं सबसे पहले राजस्थान के उन क्षेत्रों की पेयजल की समस्या को हल करूंगा जहां पानी की समस्या है। प्रायोरिटी उसी दिन तय हो चुकी थी। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां-जहां पर पेयजल की समस्या है वहां पहले लोगों को पीने का पानी दिया जाय।

मैं आपको बताऊंगा, रतनगढ़ तहसील के बारे में, जहां से मुझे अभी पत्र मिले हैं कि वहां पानी की कमी के कारण खारे पानी को पीने से पशु मर गये हैं, तो अब आप कुछ करिये। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हालांकि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया और उसमें यह तय किया कि जहां 350 फीट गहरा पानी है वहां पानी निकालने की व्यवस्था की जाय। सभापति महोदय, मैंने अपने क्षेत्र की पेयजल समस्या के बारे में पत्र मन्त्री महोदय को लिखा और मुख्य अभियन्ता महोदय को लिखा, लेकिन किसी भी महानुभाव का कोई पत्र मेरे पास नहीं आया। राज्य सरकार की तरफ से कोई रेस्पोन्स नहीं आया। सभापति महोदय, कितने खेद की बात है कि जन प्रतिनिधियों द्वारा जनता की समस्याओं के बारे में लिखे गये पत्रों का कोई जवाब नहीं आता है।

सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र रतनगढ़ के ग्राम लाछड़सर में बिजली व मशीन खराब हो जाने से कुए से पानी निकाला नहीं जा रहा है। उस कुए से आसपास के गांव के करीब दस हजार लोग पानी पीते हैं। वह कुआं पिछले 15 दिन से बन्द पड़ा है। मैंने इसके लिये मुख्य मन्त्रीजी को पत्र लिखा और जिलाधीश से सम्पर्क स्थापित किया। उनको कह कर जयपुर को तार दिया, मुख्य अभियन्ता व मन्त्री महोदय को लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सभापति महोदय, लाछड़सर की आबादी पांच हजार की है। उसके आस-पास के गांव वाले भी उसी कुएं से पानी पीते हैं। करीब दस हजार लोगों की बस्ती को आज 15 दिन हो गये पानी नहीं मिल रहा है। लोग प्यासे मर रहे हैं, पर कोई भी रेस्पोन्स किसी भी जगह से, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे पेयजल विभाग के अधिकारी हों, मुझे नहीं मिला। आखिर यह क्या व्यवस्था है ? यह क्या तरीका है आपके जलदाय विभाग के अधिकारियों के काम करने का ? आज सरकार प्रशासन पर इतना खर्चा कर रही है और प्रशासन जनता के ऊपर कर का भार लाद कर भी जनता का ध्यान नहीं रख रहा है। आज प्रशासन पर खर्चा हो रहा है फिर भी प्रशासन ने धनाभाव की बात कह कर उन जलदाय स्कीम्स को चालू नहीं किया है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन प्रशासनिक अधिकारियों में सुधार करिये।

दूसरी जो प्रायोरिटी की बात है, मुख्यमन्त्रीजी ने, जैसा कि सभी माननीय सदस्यों को पता है, जब शपथ ली थी तब यह घोषणा करदी थी कि राजस्थान में जनता पार्टी का मन्त्रि मण्डल पेयजल की समस्या को हल करने के लिये प्रायोरिटी देगा। जब यह बात सदन में आई और जनता

(श्री जगदीशचन्द्र शर्मा)
को पता चला कि इसके लिये राज्य सरकार एक बोर्ड का गठन भी कर रही है तो लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि अब हमारे यहां भी पीने को मीठा पानी मिलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं।

मेरा निवेदन है कि जिस बोर्ड के गठन की राज्य सरकार घोषणा कर चुकी है उसको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करके पेय-जल की समस्या को दूर करने के लिए योजना शुरू करें। हमारे यहां बड़े-बड़े करोड़पति सेठ हैं जो कि आपको चन्दा करके सहयोग भी देने को तैयार हैं। आप इस प्रकार से इस समस्या को हल भी कर सकते हैं।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। रतनगढ़ के लिये सरकार को हमारे यहां के सेठ लोगों ने योजना बनाकर 20-25 लाख रुपये की प्रॉपर्टी दी। राज्य सरकार ने उस प्रापर्टी को ले लिया, पर अभी तक आप उस योजना से पूरे शहर को पानी नहीं पहुंचा सके हैं। कम से कम इस ओर तो राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये।

बस इतना ही निवेदन करते हुए एक बार और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चूरू जिले में पेयजल की समस्या और खास तौर रतनगढ़ की पेयजल की समस्या का जल्दी से जल्दी कोई हल निकाल कर वहां की जनता को राहत दें।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री दाऊ दयाल जोशी!

(अनुपस्थित)

श्री चुन्नीलाल

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह यादव

(अनुपस्थित)

श्री गोपालसिंह!

(अनुपस्थित)

श्री अयूब खां!

(अनुपस्थित)

श्री हजारीमल सारण!

श्री हजारीमल सारण (सरदार-शहर) : माननीय सभापति महोदय, काफी प्रतीक्षा के बाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : फिर भी आप शुक्र मानिये कि आपको ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी।

श्री हजारीमल सारण : सभापति महोदय, पिछले सत्र में बजट भाषण के समय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि राजस्थान में किसी भी व्यक्ति को प्यासा नहीं मरने दिया जायेगा। इसके साथ-साथ यह भी कहा था कि पांच वर्षों के अन्दर-अन्दर जहां भी राजस्थान में खारा पानी है वहां लोगों को पीने के लिये मीठा पानी उपलब्ध हो सकेगा। मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जल देवता आकाश से उतर कर धरती पर आ गये हों।

(श्री हजारीमल सारण)
पहले तो, सभापति महोदय, मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि हमारे यहां पर पानी जमीन के नीचे है ही नहीं, पानी ही नहीं तो फिर कैसे पानी आयेगा, फिर सोचा, अगर राज्य सरकार मीठा पानी हमें पिला देगी तो वह एक चमत्कार ही होगा।

श्री शंकरलाल : अब तो आप देवताओं के पुजारियों के परिणाम देख चुके।

श्री नवनीत पालीवाल : इतनी जल्दी देवता खुश नहीं होते हैं।

श्री हजारीमल सारण : लेकिन, सभापति महोदय, मैंने इस बजट में देखा कि जिस चूरू जिले की सातों सीटें ही जनता पार्टी को प्राप्त हुई थीं उसके लिए राज्य सरकार ने सिर्फ 26 लाख रुपये का ही प्रावधान पेयजल योजना की क्रियान्विति के लिए किया है तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। पहले हमें विश्वास दिलाया कि भारत सरकार से पैसा पेयजल समस्या को हल करने के लिए लिया जायेगा। उस वक्त चूरू जिले की पानी की समस्या को हल करने के लिए कुछ किया जायेगा। उस वक्त हमें कहा, आप इन्तजार करिये। बाद में सुना गया कि भारत सरकार ने पैसा दिया भी है, लेकिन जब हमने बजट भाषण को सुना वित्त मंत्रीजी के मुंह से तो मालूम हुआ कि सिर्फ 13 करोड़ 45 लाख रुपये की राशि पीने के पानी के लिए राज्य सरकार ने आवंटित की है, उसमें भी, सभापति महोदय, 4.50 करोड़ सिर्फ शहरों के लिए काट ली है। इसका मतलब हुआ कि 9 करोड़ रुपये गांवों के लिए बचेंगे। यह भी आश्वासन दिया कि भारत सरकार से राशि प्राप्त हुई तो इसमें और अधिक पैसा मिल सकेगा।

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार और सदन का ध्यान उत्तर-पश्चिम राजस्थान के उस भू-भाग की ओर दिलाना चाहता हूं जो दूर दराज गांवों से घिरा हुआ है। 8-8, 10-10 मील की गांवों में दूरी है. वहां 300-300 फीट गहरा पानी है, वह भी खारा है, बराया है। हजारों पशु खारे व बराये पानी से मर जाते हैं, हजारों मवेशियों का दूध सूख जाता है, फलस्वरूप लाखों रुपये का किसानों को उससे नुकसान होता है। यह हालत है हमारे गांवों की, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर पाई।

अब मैं आपका ध्यान उन योजनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो वर्तमान में काम कर रही हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जतसा योजनाएं हैं, जिनसे कुछ गांव पानी पीते हैं। मेरे पास में एक पत्र आया है रजिस्टर्ड डाक से। उसमें कहा है कि पत्र एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, वाटर वर्क्स को भेज दिया गया है। कापी मुझे प्राप्त हुई है। इस बसंत के मौसम में ही गांव के लोगों को पानी नहीं मिलता तो गर्मी में क्या हालत होगी? इसलिए वे कुछ घबराये हुए हैं। यही नहीं, मैं गांव का दौरा करके आया हूं, जलदाय योजना के क्षेत्र का मुझे मालूम हुआ कि एक भी योजना ऐसी नहीं जिसने 365 दिन साल में पानी दिया हो। किसी भी योजना से एक दिन से ज्यादा पानी नहीं मिला। गांव के लोगों ने बार-बार आवेदन किया है। मेरा जी कांप रहा है, होली पर गांव जाना है, तब मेरा क्या होगा। लोग गांव में घुसने कैसे देंगे? चला जाऊंगा तो तो वापस कैसे आने देंगे?

श्रीमती उजला अरोड़ा : पिछले 30 साल का परिणाम है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है चूरू जिले में जनता सरकार 20 साल में भी नहीं कर पाएगी।

श्री हजारीमल सारण : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक जलदाय योजना है बाबूवाड़ा की उसमें तीन गांव शामिल हैं। इस योजना के उद्घाटन के समय पानी दिखा दिया गया, टैंक लगे हुए हैं। एक दिन पानी दिखा गये उसके बाद आज तक पानी नही आया। जब विभाग से पूछा जाता है तो वे कहते है कि कुआं खराब हो गया है। कब तक कुआं ठीक होगा? इन तीन गांवों में कब तक पानी मिल जायगा? इस प्रकार की हालत हमारे वर्तमान जनता युग की है। मैं खास तौर से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बजट नहीं है, और अधिक धनराशि चूरू जिले के लिए नहीं दे सकते तो कम से कम जो जनता योजनाएं बनी हैं, उनकी तो आप गारंटी दें कि उनसे पानी मिलता रहेगा। अब गर्मी का मौसम आ रहा है। जो पुराने साधन थे पानी के वे समाप्त हो गए, कुएं सूख गए और जानवर की आदत बदल गई है। वे अगर खारा पानी पीयें तो मर जाते हैं। इसलिए मैं इस बात का आश्वासन मंत्री महोदय से चाहूंगा कि जनता योजनाओं से पानी मिलता रहेगा। मुझे खेद है कि पिछले सत्र में भी मैंने यही बात कही थी जिसको मैं दोहरा रहा हूं। जलदाय विभाग के अधिकारियों के लिए खरी-खोटी बातें कही थीं, मेरी समझ में नहीं आता, जो जल योजनाओं से संबन्धित दो विभाग हैं-जलदाय विभाग व भू-जल विभाग, इन दो बड़े देवताओं की पूजा कैसे हो, कैसे वे राजी होंगे? पिछली बार मैंने उनको कोसा था, उनको जिम्मेदार ठहराया था अनियमितताओं के लिए, मैंने पाया, उससे और नुकसान हुआ, गड़बड़ियां बढ़ीं, अनियमितताएं और बढ़ीं। इसलिए मैं डर रहा हूं कि वस्तु स्थिति इस सदन में रखूंगा और बताऊंगा तो आगे चलकर ये देवता कहीं और नाराज न हो जायें, अगली गर्मी में प्यासा मरने के लिए विवश न करें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : तभी तो हम कहते हैं कि जनता सरकार . . .

श्री हजारीमल सारण : माननीय सदस्या, इन्ट्रप्ट न करें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी तहसील में एक गांव है जिसका कुआं 4 महीने पहले धंस गया। पानी का स्रोत समाप्त हो गया। क्लेक्टर ने लिखा, तहसीलदार ने लिखा, विकास अधिकारी ने लिखा, मैंने लिखा कि लोग मर जायेंगे, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी और आज तक कोई प्रबंध नहीं हुआ। अब गर्मी आ रही है यदि 10-20 दिन के अन्दर पानी दिलाने की व्यवस्था नहीं की गई तो इस गांव की हालत खराब हो जायगी या सारा गांव उजड़ जाएगा। इसलिए इस समस्या का निराकरण शीघ्र किया जाए।

चूरू जिले की जल समस्या का निराकरण करना चाहिए और जल संकट को समाप्त करना चाहिए। जो घनेरी से सावा राजस्थान कैनाल से योजना बनाई थी उसका विस्तार किया जाना चाहिए।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आपका कटौती प्रस्ताव कुछ और है आप बोल कुछ और रहे हैं। आपने काफी समय ले लिया।

श्री हजारीमल सारण : मैं चूरू जिले

(180)

(श्री हजारीलाल सारण)
की जल समस्या पर बोल रहा हूं। मैं अंतिम बात कह दूं।

श्री सभापति : आप जनरल बातें कह रहे हैं, कोई कान्क्रीट बात नहीं कह रहे हैं। इस तरीके से बहस थोड़े ही होगी।

श्री बालकृष्ण थानवी !

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) : सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान फलौदी क्षेत्र की जल समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बजट में सूखा संभावित क्षेत्र के लिए जो राशि रखी गई है उसमें जैसलमेर और जोधपुर जिले को नहीं लिया गया है। हालांकि सूखा संभावित क्षेत्र में जैसलमेर और जोधपुर जिले को रखा जाना जरूरी है क्योंकि वहां अकाल पड़ते ही रहते हैं। पानी समस्या वहां काफी गंभीर है। अभी भी कई गांवों में पानी नहीं है। कुएं हैं नहीं, इसलिए लोगों को बहुत दूरी से पानी लाना पड़ता है। जैसे फलौदी तहसील में ढेलाना गांव है; वहां न तो तलैया है न कुआं अतः उस गांव के लोग लोहावट जाकर पानी लाते हैं। इसलिए सूखा संभावित क्षेत्र में जोधपुर व जैसलमेर जिले को प्राथमिकता दी जाए ताकि ढेलाना में भी जल्द से जल्द नलकूप लग सकें।

फलौदी तहसील का कुछ क्षेत्र बीकानेर व नागौर जिले की सीमा से मिलता है, जैसे राणेरी। यह स्थान कोलायत तहसील का क्षेत्र है। यहां पर नलकूप है। इस नलकूप से फलौदी तहसील के जो नजदीकी गांव हैं वे हैं खिदरत, कानसिंह की सिड्ड, मीठडिया, लूणां, मयाकोरिया आदि। अतः इन गांवों को राणेरी नलकूप से पानी देकर इनको लाभान्वित बनाया जा सकता है।

(8.50 रात्रि)

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

मैंने फलौदी तहसील स्थित कोलूग्राम में खोदे गये ट्यूब-वैल के लिये कहा था जिससे कि क्षेत्रीय ग्रामीणों को अकाल के समय पानी दिया गया था लेकिन राजनैतिक कारणों से उस पर लगी मशीन को बाद में वहां से हटा लिया गया था। मंत्री महोदय के यहां उसकी जरूरत थी अतः उसको वहां पर भेज दिया गया था। इस ट्यूब-वैल को पुनः चलाया जाना चाहिये। इस ट्यूब-वैल को वापस शुरू करने पर सावरिज, मडला, पंछी का मडला, डेडिया, उगरास ढढ्ढ आदि नजदीकी गावों की पानी की प्यास बुझाई जा सकती है।

जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया था, नागौर जिले के सीमावर्ती गांवों के ट्यूब-वैलों से फलौदी तहसील के नजदीक गांवों को पानी दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। बारू गांव के लिये डाली जाने वाली पाइप लाइन वर्षों से बेकार पड़ी है, बिछायी नहीं गयी है और वह टूट रही है इस वास्ते वह जल्दी बिछाई जाये और चालू कराई जाये जिससे कि आस-पास के क्षेत्र के गांवों को पानी दिया जा सके। वैसे बारू व अमरे के बेरे में बहुत मीठा पानी है। इसलिये निवेदन करूंगा कि इन कुओं पर पानी निकालने की मशीनें लगा कर उन्हें चालू कराया जाये ताकि आप-पास के गांवों को पानी दिया जा सके। इसी तरह नया ट्यूब-वैल लोर्डियां में खोदा जाकर गजां, जुगेंचों व मंगलियों की ढाणी के

(श्री बालकृष्ण थानवी)

जरिये जालोड़ा, छीला व छीले की हरिजन बस्ती को पानी पहुंचाने की जल्दी व्यवस्था की जानी चाहिये।

फलोदी तहसील में बावड़ी गांव है उसमें भी बहुत वर्षों पूर्व एक ट्यूब-वैल खोदा गया था। उसमें पानी मीठा निकला था। गांव वालों को वह पानी चखाया गया। उनसे पांच सौ रुपये नगद तथा ऊनी पट्टू ओढावणी में मांगे गये थे। गांव वाले उनकी मांग को पूरी नहीं कर सके इसलिये यह कुआ असफल रहा ऐसा कह कर उसे बन्द कर दिया गया। उसकी मशीनें भी उन्हीं मंत्रीजी के गांव में चली गईं जिनका कि मैंने पहले जिक्र किया था अतः उस ट्यूब-वैल की वापस जांच करवाई जाये कि वास्तव में उसमें मीठा पानी है या नहीं? अगर मीठा पानी नहीं है, तो फिर दूसरी बात है लेकिन मेरी यह मान्यता है कि यदि उसमें मीठा पानी नहीं होता तो उक्त नलकूप खोदने वाले कर्मचारी ग्रामीणों से पांच सौ रुपये और ऊनी पट्टू क्यों मांगते? इसका साफ मतलब यही है कि उस नलकूप में बहुतायत से मीठा पानी है।

फलोदी की सेउसेर घाटी पर टंकी बनाकर आस-पास के कई गांवों में जैसे मोहरा, भाखरियां, गोपां, सदावता, कुण्डल, एकां आदि को पानी पहुंचाया जा सकता है। इसी तरह बीटड़ी के ट्यूब-वैल से कालरां और कुण्डल गांव को, तत्काल पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा सकती है। बारे के ट्यूब-वैल से दोनों बैंगटियों व आस-पास के गांवों को पानी मुहैया किया जा सकता है। फलोदी तहसील में डीजल चोरी के कारण कई नलकूप पूरे चलते नहीं हैं। ज्यादा समय चलाने का फर्जी इन्द्राज करके ऊपर का ऊपर डीजल चोर बाजार में बेच देते हैं। नलकूपों पर जो डीजल की चोरी होती है उसकी पुख्ता जांच करके इस चोरी को बन्द कराये जाने पर स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। इस चोरी के कारण कई गांवों ने पानी के दर्शन ही नहीं किये हैं; जिसमें शैतानसिंह नगर नलकूप से सम्बन्धित गांव जाम्भा भी एक है। इसी रूट के ननेऊ गांव में कुछ दिनों तक पानी पहुंचाया गया था, अर्थात् थोड़ा पानी पहुंचाया गया था, लेकिन उसके बाद से वहां पानी नहीं पहुंचता है। कारण यह है कि ट्यूब-वैल चलाने की दृष्टि से रखा गया डीजल यहां भी बेच दिया जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमन्, दो-तीन बातें मैं आपके ध्यान में और लाना चाहूंगा। मलार व आप नमकरिण फलोदी तहसील में है। वहां करीब दस हजार मजदूर काम करते हैं। इस नमकरिण के लिये पाइप लाइन बनी हुई है, लेकिन कई वर्षों से वहां के मजदूरों को पानी नहीं मिलता है क्योंकि फलोदी से जो पानी भेजा जाता है वह बापरिण ऊंचाई में होने से वहां पहुंचता तक नहीं है, अतः वहां पानी पहुंचाने के लिये मलार में टंकी बनानी पड़ेगी। इस पानी को टंकी के लिये केन्द्रीय लवण महकमे के सरकारी अधिकारी यह कहते हैं कि हम शेष टैक्स राशि में से मदद देने के लिये तैयार हैं बशर्ते कि राजस्थान सरकार का उद्योग विभाग अपना हिस्सा लगाने के साथ-साथ हमें इसका एस्टीमेट बना कर दे ताकि हम उसके आधार पर अपना हिस्सा दे सकें।

(श्री बालकृष्ण थानवी)

श्रीमन्, जलप्रदाय विभाग की जीपों का जो भारी दुरुपयोग हुआ पिछले लोकसभा के चुनाव में उस ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जलप्रदाय विभाग की एकदम नई जीपें, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, चुनाव में भेजी गई। उनका कांग्रेसी उम्मीदवारों ने केवल भारी दुरुपयोग ही नहीं किया बल्कि वे जीपें नष्ट-भ्रष्ट करके वापस सम्बन्धित महकमे को सौंपी गई।

एक माननीय सदस्य : जो आरोप लगाया जा रहा है वह बिल्कुल झूठा है और राजनैतिक कारणों से लगाया जा रहा है।

श्री बालकृष्ण थानवी : कांग्रेस द्वारा, चुनाव में सरकारी जीपें काम में ली गईं, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको सबूत के साथ बताऊंगा। आइन्दा इस प्रकार सरकारी जीपों का दुरुपयोग न हो इसकी ओर जनता पार्टी की सरकार को ध्यान देना चाहिये।

अब सदन का और अधिक समय नहीं लेकर इतना ही कहूंगा कि फलौदी का ग्रामीण क्षेत्र बहुत लम्बा-चौड़ा है। चाखू, मीठड़िया, लूणा, मयाकोरिया, लूम्बानी, चिमाणा, घंटियाली, मोजासर, भींयासर, आऊ, ईशरु, सुआप आदि ऐसे गांव हैं जहां मीठा पानी नहीं होकर या तो खारा है या फिर पानी ही नहीं है। घंटियाली जैसे कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां का पानी पीने से आदमी मर जाते हैं। इसलिये मीठा पानी और खारा पानी दोनों को मिलाकर उसे ठंडा करके थोड़ा-थोड़ा पीया जाता है।

अन्त में राज्य सरकार से मैं यह खास मांग करते हुए अपना आसन ग्रहण करूंगा कि फलौदी तहसील के जिन-जिन गांवों में पीने के पानी की कतई व्यवस्था नहीं है वहां-वहां टंकियों के जरिये पानी पहुंचाने का तत्काल इन्तजाम किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती श्यामा कुमारी!

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं मंत्री महोदय का ध्यान मेरे क्षेत्र की आवश्यकताओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव को जीवित रहने के लिये जो उसकी मूलभूत आवश्यकतायें हैं उनमें वायु के बाद दूसरा स्थान जल का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वायु तो परमात्मा की ऐसी देन है कि निर्बाध गति से वह सब तरफ प्रवाहित होता है लेकिन जल के लिये मानव को प्रारम्भ से लेकर अन्त तक सरकार का मुंह ताकना पड़ता है। मेरा नम्र निवेदन है कि कांग्रेस की सरकार ने तो जनता की प्यास नहीं बुझाई। मेरी यह आकांक्षा है कि जनता को यह लोकतान्त्रिक सरकार जनता की प्यास को बुझाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने पिछले शासन की उपलब्धियों का वर्णन किया। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जो 181 शहर इस समय प्रदेश में हैं उनमें से 179 शहरों में हमारी पिछली सरकार ने जल का पूर्णतया प्रबंध करा दिया है, जिसके लिए वह धन्यवाद की पात्र है और मैं उसको धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूं। लेकिन साथ ही मेरा आरोप भी है कि हमारी पिछली सरकार ने गांवों की कीमत पर शहरों को पेयजल उपलब्ध

(श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर)

कराया है। मेरे अपने क्षेत्र में केवल 5-7 गावों में ही जलप्रदाय योजना के नाम से पैसे जमा किये। उनका लाखों रुपया पिछले 7-8 वर्ष से जमा पड़ा है लेकिन जलप्रदाय नाम की कोई योजना नहीं है।

इसके साथ ही, श्रीमान्, सदन के माननीय सदस्यों ने जलप्रदाय योजनाओं की कमी के विषय में ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कुछ आरोप लगाये और उनके सम्बन्ध में हमारे अनेक सदस्यों ने अपनी बातें भी कहीं। मैं पूर्णतया उनसे सहमत नहीं हूं। जहां तक मेरा ख्याल है पानी कभी भी नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित नहीं होता। हमारे यहां एक कहावत रही है "यथा राजा तथा प्रजा" जिस प्रकार की सरकार होगी उसी प्रकार के उसके नीचे के काम करने वाले होंगे।

श्रीमन्, साथ ही मैं अधिक समय न लेकर हमारी सरकार की योजना, जिसमें यह बताया गया है कि दो हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को प्राथमिकता देकर उनमें जलप्रदाय योजना की व्यवस्था की जायेगी, के आधार पर मैं ऐसे गांवों के नाम बोल रही हूं, मण्डपिया, हथियाना, काकरणा, ताणा, बामणिया, सुरपुर, पाण्डोली, जाशमा, धमाणा, भोपालसागर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगी कि ये सभी गांव ऐसे हैं जिनमें एक-एक गांव में 50-50 और 60-60 हजार रुपया पांच-सात वर्ष पहले जमा हो चुका है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उन गावों में पहले जलप्रदाय योजना स्वीकार करें। अगर अपने हिसाब से लें और कहें कि हमारा यह क्राइटेरिया है इसके हिसाब से लेंगे तो जो रुपया जमा है वह ब्याज सहित लौटाने की कृपा की जाये।

इसके साथ ही प्रदेश में 33281 गांव हैं, पेयजल योजना की किताब में लिखा हुआ है कि इनमें से केवल 9244 गांव ही ऐसे हैं कि जिनमें पीने योग्य पानी उपलब्ध है बाकी किसी में कहीं जलस्त्रोत का अभाव है, कहीं खारा पानी है, कहीं फ्लोराइड और नाइट्रेटयुक्त पानी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रकार का जो पानी है जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है उसे वैज्ञानिक तरीके से शोधित करके जलप्रदाय योजना की व्यवस्था की जानी चाहिए।

पिछली बार मैं अपने क्षेत्र के दौरे पर गयी थी, तो मैंने देखा कि दो-चार ऐसे गांव हैं जहां नल की व्यवस्था पिछले दो-चार वर्षों से है। वहां नल की योजना बनाई गई, लेकिन नालियां नहीं बनीं। इस कारण से उन गांवों का जलवायु बहुत खराब हो गया है, मच्छर हो गए हैं। उन गावों में आए दिन मलेरिया फैलता है। इसलिए जहां आप पेयजल की योजना बनायें वहां पहले नालियां बनाने की कोशिश कीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार प्रकट करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द आर्य !

(अनुपस्थित)

श्री रघुबीरसिंह कौशल !

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

श्री अमृतलाल परमार !

(अनुपस्थित)

श्री भैरूलाल बैरवा !

(अनुपस्थित)

श्री ताराचन्द !

(अनुपस्थित)

श्री शिवनारायण !

(अनुपस्थित)

श्री चिरंजीलाल गर्ग !

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पेयजल योजना की मांग के ऊपर चर्चा का दिवस है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक जो अजमेर जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, मैं समझता हूं, उसका एक इतिहास निर्माण होगा। आज तक कभी भी अजमेर जिले की जल समस्या के बारे में गम्भीरता से विचार नहीं किया गया। छोटी-छोटी योजनायें लेकर, जबकि उस जिले में बड़े-बड़े नगर हैं, उन पर पैसा बरबाद करके और पांच-दस साल की योजना बनाकर क्या अजमेर जिले को कभी राहत दी जा सकती है ? सन् 1950 में गनेड़ा स्कीम बनाई गई। उसके बाद 1966 के अन्त में अजमेर में एक आन्दोलन चला उसने जिस प्रकार का स्वरूप धारण किया था मैं समझता हूं कि वह शासन के पन्नों में होगा। उन दिनों को नहीं भुलाना चाहिए जबकि आन्दोलन चला था। उस समय जो राजमहल योजना अजमेर में आने वाली थी उसको खटाई में डाल दिया गया। बनास नदी के अन्दर 38 या 40 कुएं बनाये गये और आन्दोलन के द्वारा जब जोर पड़ा, तो सन् 1967 में पानी लाया गया। आज 1978 में बैठे हैं, वह सारी की सारी योजना, मैं समझता हूं, आज व्यर्थ है। अजमेर के लोगों को उससे विशेष लाभ नहीं मिला। इस प्रकार की स्थिति आज अजमेर के अन्दर है। भविष्य में जो योजना बनास से पानी लाने की बनाई जा रही है, मैं समझता हूं कि दो-चार साल तक उसका लाभ मिल सके इस प्रकार की वह योजना बनाई गई है। मैं चाहूंगा कि अजमेर के लिये इस प्रकार की योजना नहीं बनाएं। अगर योजना बनानी है तो विस्तृत योजना बनाई जानी चाहिए जो कि वास्तविक रूप में अजमेर को लाभ दे सके। राजमहल योजना को अगर 1965-66 में लागू किया जाता और अगर उसमें पैसा लगाया जाता तो जो छोटी-छोटी योजना पर पैसा लगाया जा रहा है उस सारे पैसे से राजमहल योजना बन गई होती। पर मैं समझता हूं कि यह अजमेर का दुर्भाग्य रहा। चाहे किसी का भी प्रशासन हमारे यहां रहा हो सारे प्रशासन के अन्दर अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार रहा। मेरा निवेदन है कि अजमेर की जल योजना के लिए जो भी योजना बनाई जाये वह एक प्रकार से स्थाई योजना बनाई जानी चाहिए। मेरा निवेदन है कि जो राजमहल योजना अजमेर के लिए निर्धारित हुई थी उसमें आज जयपुर भी अधिकार मांगने लगा है। मैं चाहूंगा कि अजमेर के लिए चाहे किसी और स्थान

(श्री चिरंजीलाल गर्ग)

ो ढूंढा जाये लेकिन राजमहल योजना के ऊपर जयपुर का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। राजमहल की योजना केवल अजमेर जिले के लिए रखी गयी थी। उसका सम्पूर्ण अजमेर जिले को लाभ मिलना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि अब तक इस प्रकार की योजनायें बनाई गई हैं उनसे जिस अजमेर शहर के अन्दर शिक्षित लोग रहते हैं, मजदूर रहते हैं उसे कभी भी एक घंटे से ज्यादा पानी नहीं मिला। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जाकर देखें कि किस प्रकार की हालत होती है। अजमेर जो इतना प्रगतिशील रहा आज उस शहर में एक घंटा भी पानी नहीं मिलता और केवल आधा घंटा पानी मिलता है। वहां मीटर प्रणाली है उसके कारण वहां का जन-जन आज परेशान है। लोगों को तंग किया जाता है अनाप-शनाप बिल बनाये जाते हैं। जब आप एक सीमित दायरे में पानी सप्लाई करते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि आप मीटर प्रणाली क्यों नहीं समाप्त करते? क्यों नहीं एक निश्चित राशि लेते? चार-पांच महीने के बाद नोटिस आता है कि आपका मीटर रा। है। उस पर लोग 100-150 रुपया लगाते हैं। अगर वह समय पर ठीक नहीं होता तो उसके कारण से अनेक कठिनाइयां अजमेर के लोगों के समक्ष उपस्थित होती हैं इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मीटर प्रणाली को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाना चाहिये।

मेरे क्षेत्र के 25-26 गांव अजमेर नगरपरिषद् की सीमा में हैं। आज उन गांवों की स्थिति त्रिशंकु के समान है। जो जमीन पर नहीं, आसमान में नहीं, बीच में लटके हुए हैं। पंचायत समितियों से उनको भी लाभ मिलता था उससे उन्हें वंचित कर दिया गया है। नगर परिषद् कहती है, नया क्षेत्र शामिल किया गया है, हमारे पास पैसा नहीं है। क्या यह 25 गांव इसी प्रकार से समाप्त हो जायेंगे? न पंचायत समिति का लाभ मिल सकता है, न नगर परिषद् लाभ देना चाहती है।

अजमेर के अन्दर पेयजल की तीन योजनायें आती हैं, फाई सागर से अजमेर क्षेत्र को सप्लाई होता है उस मार्ग पर खरेकड़ी, अजयसर, कडन्प्रिय, हाथी-खेड़ा, बोण्डा आदि गांव आते हैं। क्या नगर परिषद् उन गावों के लिये व्यवस्था नहीं कर सकती? दूसरी गनेडा की ओर से आती है क्या सरकार उसके जरिये नोसर, पतीड़ांग, चोरसियावास, कोटडा की पानी की समस्या का हल नहीं कर सकती? तीसरी योजना हमारी बनास योजना है जो नसीराबाद रोड से आती है उसके अन्दर जो नगर परिषद् के गांव हैं वह है माखूपुरा, हटुन्डी, तबीजी, परबतसर, बडगांव, खाजपुरा, रंगई, खानपुरा, तथा सोपतपुर। इन गांवों के अंदर जलप्रदाय योजना चालू की जा सकती है। आज इन गांवों को उपेक्षा की दृष्टि से नगर परिषद् देख रही है। ये सड़कों पर पड़ने वाले गांव हैं। इनको योजना में शामिल करने में क्या खर्चा होगा? इसलिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो गांव आज नगर परिषद् में शामिल हो गये हैं उनकी त्रिशंकु जैसी स्थिति नहीं बनाये रखें।

ढानी गांव है उसके चारों तरफ खारा पानी है, अधिकतर वहां शिड्यूल्ड-कास्ट्स के लोग रहते है। उस गांव में

(श्री चिरंजीलाल शर्मा)

सभी कुओं में खारा पानी होने के कारण वह गांव बहुत पीछे रह गया है।

इसी तरह से कहना चाहता हूं कि जिन गांवों के अन्दर जो जल योजना चलो; उसे शासन अपने हाथ में क्यों नहीं लेता? सराधना के अंदर जो योजना है उसके नल बदलने की जरूरत है। इसके साथ-साथ गगवाना के अंदर पानी की योजना बनी हुई है, टंकी है, नल पड़े हैं, शासन को इस स्कीम को अपने हाथ में लेना चाहिये। इसी प्रकार हैण्ड पम्पों से भी जल समस्या हल की जा सकती है। किशनपुरा, लेसिया, चांदियाबास आदि अनेक गांव हैं जहां के लोग पानी के लिये तरसते हैं। मेरा निवेदन है कि आज मैंने सारी बातें रखीं उस पर अवश्य ध्यान दें।

अजमेर गटर प्रणाली के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। राजस्थान में इस योजना की दृष्टि से अजमेर नगर, जिसका सारा का सारा गंदा पानी शहर के एक ओर बहता है, में गटर योजना सफल रह सकती है। वहां की नगर परिषद् अपना हिस्सा 40 लाख रुपया देने को तैयार है। यह 1.20 करोड़ की स्कीम है। जब तक राजस्थान सरकार अपना हिस्सा निकाल कर उसमें दे नहीं सकती, तब तक अजमेर की गन्दगी को दूर नहीं कर सकती। इस स्थिति को जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहिये। जहां नगर परिषद् पैसा देने को तैयार है, वहां पर शासन सोता रहता है। जहां नगर परिषद् की तैयारी नहीं है वहां शासन डींग मार-कर तैयारी करता है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि अजमेर को गन्दगी से बचाने के लिये गटर योजना को शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाये।

मैंने मेरे क्षेत्र की, अजमेर की परेशानियां आपके सामने रखी हैं, अध्यक्ष महोदय, आप अपने माध्यम से मंत्री महोदय को कह कर अजमेर की कठिनाई को दूर करायें। मैं समझता हूं अजमेर में आप काफी समय रहे हैं, आप हर बात को ध्यान में रखते हुए इन कठिनाइयों को दूर करायेंगे। इतना ही कहकर स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रामेश्वरदयाल यादव!

(अनुपस्थित)

श्री मथुरादास माथुर!

(अनुपस्थित)

श्री मेघराज पंवार!

(अनुपस्थित)

श्री मंजूरअली!

(अनुपस्थित)

श्री हनवन्त सिंह!

(अनुपस्थित)

श्री लाल शंकर!

(अनुपस्थित)

श्री नत्थी सिंह!

(अनुपस्थित)

श्रीमती गुणवंत कुमारी!

(अनुपस्थित)

श्री रतनलाल वर्मा!

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, गांव और शहर का फर्क हर योजना में सरकार रखती आई है। 30 साल पहले भी यही फर्क था और आज भी है। मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करूंगा कि गांवों के अन्दर किसान खेती का काम करता है और काश्तकार की औरत भी खेती का काम करती है। अगर गांव के अन्दर नल योजना की व्यवस्था सरकार करती है तो मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जो उत्पादन हो रहा है उससे दुगुना नहीं तो ड्योढ़ा अवश्य होगा। शहरों की औरत, अध्यक्ष महोदय, कोई काम नहीं करतीं, सिवाय शृंगार करने के। इस बात से अगर कोई नाराज हो तो दस दफा हो। गांव में काश्तकार की औरत सुबह चार बजे उठती है, चारा डालती है, पानी भरती है, बुहारी करती है और उसके बाद खाना बनाकर अपने पति के लिये खेत पर लेकर जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से बिल्कुल नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो गांव के अन्दर आपको अधिक पैसा खर्च करके हर गांव को नल योजना से लिंक करना होगा।

दूसरी बात यह है, अब बिना पैसे के काम नहीं हो सकता। सरकार को किसने कहा कि पैसे वालों पर टैक्स न लगायें, कार वालों पर टैक्स न लगाये? जिनके पास 2-3 किलो सोना है उसे राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करके उनसे लेकर योजना में लगाए। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं यह बहुत बड़ा फर्क है, एक आदमी 8वीं मंजिल के ऊपर बैठा हुआ है उसको सारी योजना से पानी दिया जा रहा है। काश्तकार जो झोंपड़ी में रहता है, उसके पास रस्सी बाल्टी भी पूरी नहीं है उसको पानी देने का प्रबन्ध सरकार नहीं कर सकती। हमारे मुख्य मंत्री ने असेम्बली में घोषणा की। खाली घोषणा कर देने से या अखबारों के फर्स्ट पेज पर छपा देने से गांवों का विकास नहीं हो सकता और गांवों का उत्पादन नहीं बढ़ सकता। यह सीधी बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो गत सरकार ने फर्क रखा था शहरों के अन्दर 5 रुपये और 6 रुपये महीना पानी का बिल और गांवों के अन्दर 20 रुपये महीना पानी का बिल, 10 रुपये महीना पानी का बिल, यह कहां तक जायज है? यह बहुत ओछापन है, संकीर्णता है। दिमाग से इस को बाहर निकालना होगा। गांवों में 5 और 6 रुपया महीने का लीजिये तब हम यह समझेंगे कि जनता सरकार आई है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय मंत्री महोदय को, जिनका नाम भी बहुत सुन्दर है, मैं इसकी व्याख्या नहीं करना चाहता, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके संकीर्णता नहीं रखें, छोटा मन नहीं रखें। ठीक है, आपका कद अवश्य छोटा है लेकिन आपका दिल बड़ा है इसलिये गांवों की ओर लम्बा ध्यान दीजिये और गांवों में पानी पहुंचाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अगर गांवों में आपने पानी नहीं दिया, गांवों के किसानों को पानी नहीं दिया, गांवों की योजनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया तो आप इस बात का भी ध्यान रखिये, कि काश्तकार बोलता नहीं है,

(श्री रतनलाल वर्मा)

काश्तकार भिखमंगा नहीं है, काश्तकार दाता है, जब वह हुंकार करेगा तो यह असेम्बली हिल जायगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं वह अपना हक लेना जानता है। अब उसमें जागृति आ गई है कि शहरों में पानी दिलाया जा रहा है और हमको नहीं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, यह आपकी मीटर प्रणाली है, जब आप मीटर का किराया लेते हैं तो क्यों नही मीटर लगाते हैं? आप मीटर लगायें हम महीने का किराया देने को तैयार हैं। बार-बार कहना ठीक नहीं कि यह मीटर खराब हो गया, यह खर्चा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। दुनियां भर के धन्धे ये करते हैं। इनके पास कारें हैं। अभी माननीय भटनागर साहब ने बताया जितने पैसे तनख्वाह पर खर्च करते हैं उतने पैसे नल योजनाओं पर खर्च नहीं करते, यह क्या तमाशा है। सरकार जो योजनाएं चला रही है, हर योजना में घाटा है। मैं कहता हूं, किसान को देखिये, उससे दिल को देखिये, उसकी मंशा को देखिये, उसके दिमाग को देखिये। आपने अभी तक कोई फेमिन रिलीफ के काम नहीं खोले। अनाज से तो वे भूखे रहते है सो तो रहते ही हैं लेकिन वे अब पानी के प्यासे रहने वाले नहीं हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में चुनौती के रूप में कह देना चाहता हूं कि किसान अब बर्दाश्त नहीं करेगा और आपका पानी तीन मिनट में उतार देगा। अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं....

(व्यवधान)

आप सुन लीजिये। श्रीमन, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं अभी हमारे चिरंजी लालजी, जो पुष्कर से जीत कर आये हैं, कह रहे थे नल योजना आ जाय बनास से, नल योजना आ जाय पुष्कर से। तमाम गांवों का पानी लाकर गांवों को सुखा दिया। आज गांवों में पानी दो हजार बीघा की सिंचाई लायक नहीं रहा है। गांवों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अजमेर को पानी पिला रहे है इसका कोई गम नहीं, कोई चिन्ता नहीं लेकिन भिनाय, सुलाना और कोयला, सौंखला आदि बहुत सारे गांव रास्ते में पड़ते हैं उनको पानी नहीं पिलाया तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। हमने मांग की थी, सोंखला वाले एक धर्मशाला बनाना चाहते हैं और धर्मशाला बनाकर प्याऊ लगाना चाहते हैं। वहां, अध्यक्ष महोदय, 20 गांव पड़ते हैं। 20 गांवों की मोटरें वहां आकर रुकती हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूं कि जहां 20 गांवों के लोग आकर बैठते हैं वहां आप एक आधा इन्च की टूंटी नहीं लगा सकते हैं? जो दूर-दूर से आते हैं उनके लिये ठहरने का कोई स्थान नहीं है भयंकर गर्मियों में भी पेड़ की छाया में बैठते हैं। किसी को घंटा रुकना पड़ता है, किसी को आध घंटा रुकना पड़ता है, किसी को दो घंटे रुकना पड़ता है। जब बस आती है तो हाथ देते हैं। ड्राइवर कन्डक्टर बस को नहीं रोकते हैं और वे बेचारे धूप में तपते हुए दिन भर बस का इन्तजार करते रहते हैं। जहां आपका ड्राइवर और कन्डक्टर बस को भी नहीं रोकता है वहां क्या आप उस किसान को पानी नहीं पिलायेंगे? अध्यक्ष महोदय, आप ध्यान देकर सुन लीजिये अब आगे....

श्री अध्यक्ष : सुन रहा हूं।

श्री रतनलाल वर्मा : वह बर्दाश्त

(श्री रतनलाल वर्मा)
करने वाला नहीं है । मैं निवेदन करूं कि आपने उनके लिये अनाज की व्यवस्था नहीं की और पानी की भी व्यवस्था नहीं करेंगे तो क्या होगा...

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष-जी, माननीय सदस्य को कहें कि हमारे कानों पर रहम करें।

श्री रतनलाल वर्मा : मेरी आवाज ही ऐसी है। इसको दवा नहीं सकती हूं। अब यह जमाना कांग्रेस का नहीं है ।

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं आज यहां हम विधायक बन कर आ गये, बंगले अलॉट हो गये । उन बंगलों में 24 घन्टे पानी आता है। लेकिन जब मैं वहां जाता हूं तो मेरे दिल में दुःख होता है और एकदम घृणा होती है । लेकिन जायें तो जायें भी कहां ।

मैं भिनाय के लिये निवेदन करूं, वहां एक समय पानी मिलता है उसके दस रुपये लेते हैं । दो समय पानी नहीं मिलता। एक समय के पानी के 10) रुपये लेते हैं। अब तो 20-20 रुपये के नोटिस दे दिये गये हैं । 8 बच्चे हों तो 20) रुपया महीना देना पड़ता है । यह कौनसा कानून है । अगर कानून कांग्रेस के राज्य में बना है तो इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं और, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को स्पष्ट कह देना चाहता हूं उस कानून को रद्द कर दीजिये, रद्दी की टोकरी में डाल दीजिये......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही समाप्त करता हूं ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जो सोता शेर है उसको मत जगाओ। जिस दिन पीड़ित होकर उठ खड़ा हुआ, उस दिन वह मांग नहीं करेगा, मंगता नहीं है हमारा किसान दाता है । अपने हक और अधिकारों के लिये हाथ में लाठी लिये, कन्धे पर पछेवड़ा लेकर यहां विधान सभा में आ जायेगा । यह आपकी पुलिस उस पर गोली नहीं चला सकेगी । आपके अधिकारी उसको निकाल नहीं सकेंगे। आपकी मिलिटरी का उसको डर नहीं है। वह किसी की गोलियों और धमकियों से नहीं डरने वाला है । एक दिन वह लाठी लेकर आयेगा, यह इरादा लेकर आयेगा कि मुझे मेरे हक और अधिकार लेने हैं, यह मेरी चुनौती है...

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सर, ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर ।

श्री रतनलाल वर्मा : इस बात को सुनिये, मेरे दिल के दर्द को सुनिये, जो मेरे दिल की आग है, उसको सुनिये और जो कुछ मैंने किंचित मात्र शब्दों में इस सदन में कहा है उस पर ध्यान दीजिये । बस यही मेरा निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष : श्री सुभाष चन्द !

श्री सुभाष चन्द (सूरजगढ़) : श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, नल योजना के बारे में मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र सूरजगढ़ में दो पंचायत समिति हैं उसमें 30 साल की सरकार ने तीन गांवों में नल योजना बनाई थी । उन तीनों गांवों के नाम है—सिंघाना, मुहारा और जाता । उन तीनों

(श्री सुभाष चन्द)

गांवों को नल योजनाओं से पानी मिलेगा, हमें यह उम्मीद थी कि पानी पीयेंगे। उसके बाद ऐसा मामला चला कि जो पंचायत क्षेत्र है उस पंचायत क्षेत्र में पानी है लेकिन आज तक वहां ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि हर मजदूर को पानी नहीं मिल पाता है, पानी न मिलने का कारण यह है कि कभी नल टूट जाते हैं, कभी मशीन टूट जाती है, तो कभी और कुछ खराबी हो जाती है। इसलिये हमारे यहां के किसानों और मजदूरों को काफी परेशानी हैं। मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी व्यवस्था अच्छी तरह बन जाय और ठीक ढंग से बन जाय तो काफी लाभ हो सकता है। किसानों को उससे जितना फायदा होना चाहिये, उससे ज्यादा नुकसान हो गया है। किसान और मजदूरों की माताएं-बहिनें सारे-सारे दिन कुओं पर पानी के लिये खड़ी रहती हैं। उनको पानी नहीं मिल पाता है, उनको बिजली नहीं मिल पाती है। जो वहां पर वर्कर हैं, जो कर्मचारी हैं वे रिश्वत लेते हैं और उनका कोई काम धन्धा नहीं है। शाम को आते हैं और शराब पीकर रंगरेलियां करते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं हैं, गांव को पानी मिला या नहीं मिला।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जो दरें थीं पानी की, वह गांव में हर परिवार के पीछे सात रुपये थी, अब पानी की दर बढ़ा कर दस रुपये कर दी गई है। मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी करना चाहता हूं कि क्या वहां पर ज्यादा पानी खर्च होने लग गया या गांव में पानी की जो पहले व्यवस्था थी वह कम हो गई है। वास्तव में व्यवस्था तो बहुत ही कम हुई है। इसलिये दरें न बढ़ा कर कम कर दी जाय, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं यह बता देना चाहता हूं कि शहरों में पानी की दर है वह बहुत कम है और गावों में पानी की दर ज्यादा बढ़ा दी है। मैं निवेदन करूंगा कि शहरों में पानी क्या कम खर्च होता है और गांवों में ज्यादा खर्च होता है ? मैं इसकी थोड़ी सी आपसे जानकारी करना चाहता हूं। शहरों में पानी की ज्यादा खपत है, कपड़े धोने में, नहाने में और सब कुछ करने में सारे दिन पानी जाता है। गांवों में किसान और मजदूर रहते हैं, वे सुबह आठ बजे घर से चले जाते हैं और रात को आठ बजे वापस आते हैं, फिर भी इस तरह की व्यवस्था है। हमारी जनता सरकार ने घोषणा की थी नगरों के मुकाबले में गांवों को ज्यादा लाभ देंगे लेकिन जनता सरकार के आने के बाद मौजूदा परिस्थितियों में उल्टा हो रहा है। मेरे और बन्धुओं ने कहा, शर्मा साहब ने कहा कि गांव में लोग खेतों पर जाते हैं, उनके कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। खाने की तो बात ही दूसरी है। खाना तो मिलता ही नहीं है समय पर। नहाना तो दस पन्द्रह दिन में हो पाता है क्योंकि उनका धन्धा खेती बाड़ी करना है। फिर भी गांवों में पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, दो-चार गांवों में तो बहुत ही खराब व्यवस्था है। पानी समय पर नहीं आ रहा है, इसलिए इस व्यवस्था को ठीक करवाया जावे।

(श्री सुभाष चन्द)

मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाहता हूं जैसी कि दूसरी जगह शहरों में व्यवस्था है बिल जमा कराने के लिए कि दस पन्द्रह दिन में रुपया जमा कराते हैं किन्तु गांवों में लोगों को हर महीने की कोई भी तारीख बता दी जाती है। उस तारीख को कर्मचारी आते हैं और जोर देते हैं कि दस मिनट में रुपया लाओ। पैसा नहीं लाये तो तुम्हारे पर जुर्माना ठोक दिया जाएगा। कनेक्शन लिया था वह भी बगैर जुर्माने के नहीं मिला था। सारा का सारा जुर्माना और सजा गांवों के लिये तय हो चुकी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि न उनको नोटिस दिया जाता है, न समय दिया जाता है। उनको समय दिया जाय, दो दिन की मोहलत दी जाय जिससे पैसा अदा कर दिया जाय।

दूसरी बात यह है, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सिंघाना की टंकी है उसके आस-पास दो-तीन गांव हैं, वहां पर कुआ खोदने में लाखों रुपया खर्च कर दें तो भी पानी नहीं आ सकता। मेरा निवेदन है कि उन गांवों को सिंघाना की योजना में शामिल कर लिया जावे तो उन गांवों को लाभ होगा। मेरी इस सरकार से प्रार्थना है कि उनको तत्काल शामिल कर लिया जावे और उस क्षेत्र में एक दो-नल योजनाएं बना दी जायं। आज की व्यवस्था में मेरे क्षेत्र के अन्दर पचास-साठ गांव हैं उनको आप जाकर देख लीजिए, कहीं बिजली का नामो-निशान नहीं दिखाई पड़ेगा, पानी का निशान नहीं दिखाई देगा। काश्तकार बहुत परेशान हैं। इसलिए मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के अन्दर बहुत दुःखी किसान है, बहुत दुःखी मजदूर हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जावे। कुछ योजनायें बनी थीं लेकिन आज दिन तक उनके किये एक भी पैसा नहीं मिला है। इस तरफ भी ध्यान दें।

मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, आपने जो इतना समय दिया उसके लिए आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिकृष्ण !

श्री हरिकृष्ण (नदबई) : आदरणीय अध्यक्षजी, आज दोपहर बाद से जलप्रदाय की मांग के ऊपर चर्चा चल रही है। सदस्यों की करुण कहानी सुनकर रोमांच हो जाता है। जब यह बात सुनी कि दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह मील से पानी लाना पड़ता है, पानी पीने से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, पानी पीकर मनुष्य और पशु मर जाते हैं तो हालांकि मैंने ऐसा इलाका देखा नहीं, लेकिन सुनकरके लगा कि कितनी दुखदायी स्थिति है। इस बात के होते हुए भी गांवों की तरफ सरकार ने, पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया और अब भी सरकार मंद गति से सोच रही है। पुरानी सरकार को इस बात का तो धन्यवाद है शहरों का अधिकांश हिस्सा कवर कर लिया। नगरों के मुकाबले जो गांवों में पसा लगना चाहिए वह इस सरकार में नहीं लगाया। इस बजट में भी करीब पांच सौ गांव अगले वर्ष में लिए गए हैं जबकि प्रदेश के अन्दर 33281 गांव हैं जिनमें से 24037 गांव अभी तक ऐसे बाकी हैं जहां पानी की व्यवस्था होना बाकी है। यदि यही गति सरकार

(श्री हरिकृष्ण)

की रही तो ऐसा प्रतीत होता है कि पचास वर्षों में भी पूरे गांवों में पानी नहीं पहुंच पायेगा। मैं, मान्यवर, आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूं कि वह अपनी नीति-रीति को बदल कर जिन गांवों में हम पानी नहीं दे पाये हैं और जिनमें पानी देना आवश्यक है, चाहे किसी मामले में कटौती करनी पड़े, पहले वहां पानी का प्रबन्ध होना चाहिए। भगवान की दी हुई दो चीजें हैं—वायु और पानी। यह सभी के लिए सुलभ कर रखी हैं। हवा सबके लिए मिल रही है किन्तु पानी नहीं मिलता है। ईश्वर ने तो दिया है लेकिन दूसरा भगवान सरकार है। सरकार पानी देने का प्रबन्ध करें। सरकारी महकमा जलप्रदाय का है जो सरकार भगवान का दिया हुआ है। मैंने देखा है, मान्यवर, मैं अपनी तरफ की बात कहूं कि भरतपुर में नल योजना है, वहां की नालियों में सड़ांध फैल रही है। कोई भी आदमी बिना नाक बन्द किए निकल नहीं सकता। मच्छरों के ठाठ हो रहे हैं। गर्मी में रात में बगैर मच्छरदानी के सो नहीं सकते। ऐसी हालत इस जलप्रदाय विभाग की है।

जिस क्षेत्र से मैं जीत कर आया हूं, मेरे क्षेत्र में एक जलप्रदाय योजना नदबई में है, वहां नल लगा दिए गए हैं लेकिन नाली नहीं बनी है। गलियों में और सड़कों पर पानी बहता रहता है, आदमी निकल नहीं सकता। मच्छर पैदा हो गए हैं, मलेरिया फैलता है। ऐसी हालत हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की हालत और इस तरह की जब कमजोरी हो तो किस तरह से इस प्रदेश का भला होगा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिन गांवों में खारा पानी है, जिन गांवों में जहरीला पानी है, जिन गांवों में दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह मील से पानी लाते हैं, सबसे पहले उन गांवों को पानी देने की सोचें। उसके बाद उन गांवों को लें जिनकी आबादी दो हजार की है। अगर सरकार अपनी रीति-नीति पर अडिग है कि दो हजार की आबादी के गांवों को पानी देना है तो, अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में ऐसे भी दस-पांच गांव है जो दो हजार की आबादी के हैं। मैं सूक्ष्म में बताऊं नदबई क्षेत्र में गांव कबई, भदीरा, बरोली छार, पींघोरा, वरखेड़ा, गादोली, वछामदी, खड़ली, गेंडासिया, मिलकपुर, ये ऐसे गांव हैं जो दो हजार की आबादी से ऊपर के हैं। अगर आप अपनी रीति-नीति पर अडिग रह कर चलना चाहते हैं तो इन ग्रामों को इस लिस्ट में लिया जाय। मैंने जहां तक सुना है कबई, भदीरा के लिए पुरानी सरकार ने निर्णय लिया था लेकिन वह योजना न मालूम कहां गई? अभी तक वहां पर कार्य नहीं हुआ है।

मैं ज्यादा नहीं कह कर, मान्यवर, यही निवेदन करूंगा कि सबसे पहले वहां प्रबन्ध होना चाहिए जहां समस्या भारी हो रही है। विभाग से इतना अवश्य कहूं कि जहां पानी के द्वारा हवा खराब की जा रही है, गन्दगी है तो गन्दगी से बचाने की कृपा करें।

जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरु शरण छाबड़ा।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित)

श्री आलम अली खां !

(अनुपस्थित)

श्री किशनसिंह भाटी !

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, बोला जाए, उससे अच्छा है कि इस विषय पर नहीं बोला जाए क्योंकि ध्यान तो दिया नहीं जाता है। फिर भी इस विषय पर मैं थोड़ी जनरल बात कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा विषय है जिस पर सारा संसार, राष्ट्र, प्रदेश, राजनेता और विभिन्न राजनैतिक दल कभी भी विभिन्न मतों के एकमत नहीं हो सकते। यह एक ऐसा प्रश्न है जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता से जुड़ा हुआ है। इस पर सब में कोई मतभेद नहीं है। इस पर मतभेद न हो, इस पर एक साधारण बात कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जबकि हमारे देश में एक नई मूक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, रक्त विहीन क्रान्ति का श्रीगणेश हुआ, उसी क्रम में राजस्थान में भी 21 जून, 1977 को गवर्नमेंट होस्टल में हमने अपने नेता का चुनाव किया, तो पहला कदम धरते ही इस विषय पर उन्होंने घोषणा की थी कि सर्वप्रथम पेयजल की समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। राजस्थान में किसी व्यक्ति को पानी के अभाव में प्यास से मरने नहीं दिया जाएगा। सारे राजनैतिक दल, सारे प्रदेश के लोगों ने एक स्वर से, करतल ध्वनि से हमारे मुख्य मन्त्री की इस घोषणा का हृदय से स्वागत किया था। 21 जून, 1977 का वह स्वर्णिम सन्ध्याकाल प्रभात में परिणित हो गया। रेगिस्तानी इलाका, मरु प्रदेश का इलाका, जिसको कई वेदनाओं का मुकाबला करना पड़ा, कई अपराध सहन करने पड़े, तीस साल तक जिसने कष्टों को झेला इस एक ही घोषणा से पुलकित हो उठा, पुलकित एवं हर्षित हो उठा।

(3.42 रात्रि)

(श्री रामचन्द्र उपाध्यक्ष, पदासीन)

हमारे मुख्य मन्त्री की यह घोषणा केसर को क्यारी की सुगन्ध के समान उस वायुमण्डल को सुवासित करती हुई हमारे नासिका प्रदेश में एक आशा के रूप में सुरभि के रूप में प्रविष्ट हो गई। परन्तु मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुख्य मन्त्री की उस घोषणा को उनके जितने नीचे के अधिकारी हैं यहां तक कि मेरे सामने बैठे राज्य मन्त्री हैं, उन्होंने भी कोई गहराई से नहीं समझा, उसे हाथ में न लिया, गंभीरता से नहीं लिया। एक तरह से उस घोषणा का जिस तरह परिपालन होना चाहिए था उस तरह हमारे संबंधित मन्त्री महोदय ने अधिकारियों ने, अन्य संबंधित व्यक्तियों ने उसको निभाया नहीं। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि मुख्य मन्त्री इन आठ महीनों में जिस ढंग से व्यस्त रहे, जिस तरीके की चीजें लेकर वे चल रहे हैं मुझे पक्का विश्वास है कि अन्य किसी बात का उनको ध्यान न हो, जल की समस्या को ओर उनका ध्यान है परन्तु इस तरह की व्यवस्था

(श्री किशनसिंह भाटी)

के अन्दर वे समय नहीं दे सके और यही कारण है कि इस समस्या की ओर वे ध्यान नहीं दे पाये, और जिनके भरोसे यह कार्य है, उन्होंने इसे गहराई से नहीं लिया। मरुप्रदेश में यह समस्या कितनी जटिल है, इसको नहीं समझा। इसी संदर्भ में गत असेम्बली सत्र में मैंने जो बातें माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर मेरी प्रथम मेंडन स्पीच में रखी थी, उनमें पानी की बात सबसे ज्यादा जोरदार तरीके से रखी थी। बजट अधिवेशन में भी यदा-कदा बोलता रहा हूं। किसी मौके पर भी बोला हूं तो मैंने यह सबसे ज्यादा माननीय मांग रखी थी और यह ध्यान सदन का दिलाया था कि मरुप्रदेश में यह गंभीर समस्या है। इसके उपरान्त भी इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। असेम्बली में कोई प्रोसिडिंग्स होती हैं, कोई वाद-विवाद होता है, मांगों पर होता है, बजट पर होता है, तो वह डिस्कशन एक अकेडेमिक डिस्कशन बन कर रह जाता है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसका उत्तर दें। सबका उत्तर देते हैं तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि कौनसी प्राथमिकता के आधार पर व मामले तय करते हैं ? मंत्री महोदय जब उत्तर दें तो वे कृपया इसको स्पष्ट करने का कष्ट करें। मुझे आप इस बुकलेट के अनुसार यह बताइये कि वह कौनसा जिला है जो राजस्थान में सबसे ज्यादा प्यासा है ? चाहे इन्दिरा कांग्रेस के माननीय सदस्य हों, चाहे रेड्डी कांग्रेस के माननीय सदस्य हों, चाहे दूसरे माननीय सदस्य हों, चाहे कोई अधिकारी हो, कोई नागरिक हो, वे कोई बात कहेंगे तो वे निर्विवाद रूप से यह कहेंगे कि राजस्थान में सबसे प्यासे इलाके को प्राथमिकता दी जाए, और सबसे ज्यादा प्यासा वह इलाका जैसलमेर बताएंगे। आपने स्वयं ने इस बुकलेट में बताया है। हमारा मरुस्थल क्षेत्र प्यासा है और उसमें सर्वप्रथम जैसलमेर है। इस बुकलेट के प्रिंटिंग में तो प्रायोरिटी आपने उसको दी है। परन्तु बजट बनाते समय आपने उसको वास्तविक प्रायोरिटी नहीं दी। फिर यह प्रायोरिटी कैसे निर्धारित होती है ? इसलिए मेरा कहना है, प्रायोरिटीज का झगड़ा, इन्फ्रा स्ट्रक्चर का झगड़ा, बिजली का झगड़ा, इरिगेशन का झगड़ा हो सकता है, दूसरे हर किस्म के मसले हो सकते है, किसी देश के एग्रो इन्डस्ट्रीज सोसाइटीज में, इन्डस्ट्रियल सोसाइटी में विवाद हो सकते हैं परन्तु बेसिक नेसिसिटी को पूरा करने में, प्रायोरिटी देने में कोई विवाद नहीं हो सकता। आपके अधिकारी या आपका कोई विधान सभा सदस्य यह सिद्ध कर दे कि प्रायोरिटी में यह जिला नहीं आता है इसलिए इसे नहीं लिया गया है तो मैं भी उनके इस आदेश को मानने के लिए तैयार हूं। अपनी बात को वापस लेने को तैयार हूं। मेरा यह चार्ज है। मेरा यह आरोप है। आक्रोशपूर्वक मैंने मुख्य मंत्रीजी से कहा, पानी की समस्या का हल निकालें। जो मेरे प्रश्न का उत्तर दिया उत्तर आता है, जहां पर फ्लोराइड युक्त, चूना युक्त, नाइट्रेड युक्त जहरीला पानी है, मनुष्य के लिए वह पानी पीना हानिकारक है, तो उस क्षेत्र को प्रायोरिटी देकर उस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था करेंगे। आपने यह वचन असेम्बली के फ्लोर पर दिया है परन्तु इसको पालना आपने कहां तक की है ? यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर मुख्य

(श्री किशनसिंह भाटी)

मंत्री से कहा जाए। यों माननीय मंत्री महोदय से मैं तीन-चार बार मिला हूं। अधिकारियों से मिला हूं। मेरे जिले में सन् 1967 से, 1965 से संघर्ष करता आ रहा हूं। पानी की वहां पर सबसे बड़ी समस्या है। किसी ने गवर्नमेंट को परेशान किया है तो सबसे ज्यादा पानी के मसले ने उसको परेशान किया है। मुझे गर्व है कि जब भी कोई कांग्रेस के मंत्री इस क्षेत्र में आए, उनसे पचास-पचास बार यही सवाल किया गया, इस क्षेत्र की पानी की समस्या कब हल होगी? वे कोई जवाब नहीं दे सके कि कब इसका सोल्यूशन होगा, समाधान होगा। जिस समय हमारे क्षेत्र में मुख्य मंत्री, रक्षा मंत्री का आगमन हुआ, एयर फोर्स के लोंगेवाला कार्यक्रम में आये, वहां पर हमारे गृह मंत्री भी उपस्थित थे, हमारे राज्य मंत्री भी वहां पर उपस्थित थे, उन सबके सामने जैसलमेर के लोगों ने कोई अपनी समस्या नहीं रखी, कोई पीड़ा नहीं रखी, उनकी एक ही आवाज थी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल एक ही अपेक्षा रखकर आये हैं कि हमारी पानी की समस्या हल की जाए। इसको सुलझाने की वहां पर घोषणा की गई थी। लोगों ने उसका स्वागत किया और आशा की कि पानी आएगा। इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही गयी। किन्तु कलेक्टर ने और हमने जो रिपोर्ट बनायी, उसका पालन नहीं किया गया। सर्वप्रथम मेरे जिले की करीब 9 करोड़ रुपये की योजना बना कर प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट आपके सामने है। यह प्यासे गावों की लिस्ट है। खारे पानी के गांवों की लिस्ट है यह सारी रिपोर्ट है और यह सर्वे रिपोर्ट वी. सी. पाण्डे के वक्त भी बनाई है जो जैसलमेर जिले के दो-तीन वर्ष तक कलेक्टर रहे हैं। मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि उनके मुकाबले का कोई हमारे यहां पर प्लानर नहीं है। जितने भी लोग आए, उन्होंने यह जो स्पेशल स्कीम बनी, इसको एप्रीशिएट किया। सबने इसकी प्राथमिकता को माना है। मैंने कई बार यह प्रश्न उठाया असेम्बली में और उसके बाहर भी और आपने इस समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया था, फिर भी मैंने प्रश्न किया था, इसकी अनुपालना क्यों नहीं हुई? मेरी आशंका का निवारण करते हुए मुझे यह उत्तर दिया गया कि गत बजट में भूल हो गई। यह पहला 6 महीने का बजट है। मैं उस वक्त डेलीब्रेटली चुप रहा। साथ ही मुझे यह आश्वासन दिया गया था कि अगले बजट में ध्यान रखा जाएगा। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह अगला बजट उससे भी वर्स्ट आया, मैं यह नहीं कहता कि यह सारे राजस्थान के लिए वर्स्ट है, परन्तु मेरे जिले के लिए तो यह वर्स्ट है। आपने बजट में इस मद में बढ़ोतरी की है, 4 करोड़ से 9 करोड़ का बजट ग्रामीण क्षेत्र के लिये बनाया है। परन्तु जो जिला आपके हिसाब से, न्याय के हिसाब से, अर्थशास्त्री के हिसाब से, मानवता के हिसाब से, सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है, उसको आपके बजट में सबसे पीछे रखा गया है। आप इसका जवाब दें, किन कारणों से आपने इस जिले को पीछे रखा है? उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह चार्ज है।

(श्री किशनसिंह भाटी)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

असेम्बली में आश्वासन दें कि फ्लोराइड वाला पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उस पानी का आप सर्वे करेंगे, पता लगाएंगे और लिस्ट बना कर उसको प्राथमिकता देंगे। उदारतापूर्वक मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। आप उत्तर देंगे परन्तु उसका पालन नहीं करेंगे। मैंने इतना डेलिब्रेटली कहा था, ध्यान रखें। उन्होंने परवाह नहीं की। जो उत्तर है, उसमें यह लिखा है। आपने असेम्बली प्रोसिडिंग्स में कहा है कि जैसलमेर के पिछड़ेपन की जो समस्या है उसको पूर्ति करेंगे, पानी की पूर्ति करेंगे। तो वह इस बजट में क्यों नहीं की गई ?

उपाध्यक्ष महोदय, इस महकमें में जो भ्रष्टाचार है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। वाटर वर्क्स का कोई भी आदमी, एक भी अधिकारी जैसलमेर के बारे में यह कहे कि वहां पर डीजल की चोरी नहीं हुई थी तो मैं विधान सभा से त्याग-पत्र देने को तैयार हूं।

मेरे किसी भी चार्ज को डिनाई करना मुश्किल है। जो ऑफिसर जिम्मेदार है, आप चेम्बर में कह दो, आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। मैंने मुख्य मंत्री महोदय के सामने वाटर वर्क्स पर गम्भीर चार्ज लगाये थे। वह कहते हैं कि ट्यूब-वैल 13 घण्टे चलाते हैं जबकि कई बार कई जगह तीन-तीन घंटे ही चलते हैं। गांव वाले इतना तो जानते हैं, मशीन जब चलती है तो खट-खट की आवाज करती है। कई गांवों में महीनों तक पानी नहीं पिलाया। हमारी रिपोर्ट गई, मुख्य मंत्री ने कहा, इन्क्वायरी होगी। किन्तु आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भाटी जी !

श्री किशन सिंह भाटी : मैं दूसरी दुनिया से बोल रहा हूं। हमारी समस्या है इसलिए विशेष आदरपूर्वक कहूंगा कि दो-चार मिनट और दे दें। जनरल चीज कह रहा हूं। इसमें कहने की बात तो है आपर उत्तर आवेगा या नहीं आवेगा। आयेगा तो सही शायद ही आयेगा। मैंने 8 महीने से इस सम्बन्ध में कोरसपोंडेंस की है। सही उत्तर आयेगा तो इन सज्जन को सबसे ज्यादा काबिल मानूंगा। मैं मानता हूं उत्तर नहीं आएगा। जो उन्होंने कोरसपोन्डेन्स की है उसमें भी पूरा उत्तर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया दोहरायें नहीं !

श्री किशनसिंह भाटी : मुझे दोहराना नहीं है। वास्तविकता को कह रहा हूं। मैं पहली बार इस जमीन पर अपनी सरकार के सामने यह बात बोल रहा हूं। नहीं तो मैं अपने इलाके में जाऊंगा तो लोग मुझे पहुंचने नहीं देंगे। पहुंच जाऊंगा तो आने नहीं देंगे। अन्त्योदय योजना में कहा था। सीमा पर बी. एस. एफ. के प्रहरी हैं। वे 100-100 मील से ड्राइवरों से पानी मंगाकर पीते हैं। मैं गया तो सामने पाकिस्तान दिखाई दे रहा था। तीन-तीन आक्रमण हो चुके हैं। वहां गया तो और किसी समस्या के लिए ग्रामीणों द्वारा नहीं पूछा गया। हमें पानी कब पिलाओगे ? पानी का इन्तजाम कब करोगे ? सिर्फ यही प्रश्न बार-बार पूछा गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भाटीजी !

श्री किशनसिंह भाटी : वह विचार में

(श्री किशन सिंह भाटी)

अपना चेंज करूं । मेरी फाइनेन्स कमिश्नर से बात हुई । वह चेंजेज करने को तैयार हैं । मैं राज्य मंत्री जी से कहूंगा वह तैयार रहें । मेरी आदत नहीं है । मैलाइस मन में नहीं है । इतना ही कह रहा हूं कि जैसलमेर सदियों से प्यासा है । उसकी प्यास युद्ध स्तर पर बुझाएं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री किशन सिंह भाटी: Only one minute.

हमारे यहां के पेयजल के इंजिन बहुत पुराने हैं । पुराने तरीके के हैं । खराब हो जाते हैं तो 40-40 मील तक उनको लेकर जाते हैं । यह कौनसा तरीका है । हमारे पास मशीन नहीं है । आपने सर्वे किया या नहीं ? आपके उत्तर की लास्ट में रिपोर्ट आयेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें । ज्यादा समय नहीं दे सकूंगा ।

श्री किशन सिंह भाटी : मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कन्क्लूड करने दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : कन्क्लूड कर लें । संक्षेप में कहें ।

श्री किशन सिंह भाटी : बिजली का स्ट्रक्चर पड़ा है । वह कहते हैं कि जब तक आपका सर्वे का मामला तय नहीं होता, तब तक हम बिजली नहीं लगायेंगे । मैं निवेदन करूंगा कि 400 ट्यूब वैल का जाल बना कर, इसको दूसरा इजरायल बना कर युद्ध स्तर पर इसको किया जाये और पानी की समस्या हल की जाये । भ्रष्टाचार जब तक नहीं मिटायेंगे, उनका रवैया नहीं बदलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें । 15 मिनट से ज्यादा हो गये ।

श्री किशन सिंह भाटी : छः-छः वर्ष से लाइन पड़ी है एवं आफिस इंजिन घर बने हुए हैं उनको देख कर उधर के लोग कहते हैं कि वह वाटर बोर्ड का कब्रिस्तान है । जो कूप बनाये गये हैं, उनको लोग कब्रिस्तान कहते हैं क्योंकि वे बिना उपयोग के बन्द ही पड़े हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भाटीजी ।

एक माननीय सदस्य : आपको भाटी जी कह कर सम्बोधित किया गया है । रिकार्ड में भी आ गया होगा । हमारे यहां भाटीजी महिलाओं को कहते हैं ।

श्री किशन सिंह भाटी : उनको तो भटियानी जी कहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम किशोर मीणा ।

(अनुपस्थित)

श्री खंगार सिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री लालू

श्री लालू (फलासिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान फलासिया क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मैं

(श्री लालू)
समझता हूं कि राजस्थान में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जैसा कि फलासिया है । बाहर से आने वाला यह पूछता है कि फलासिया कहां है ? मेरे क्षेत्र में न तो सड़कें हैं, न बिजली है । उस क्षेत्र में कुछ नहीं है । वह भगवान के हाथ में है । तीस वर्षों के अन्दर कांग्रेस की सरकार ने हमारे साथ में सौतेला व्यवहार किया है । इसलिए लोग पूछते हैं कि कोटड़ा फलासिया कहां है ? सरकारी अफसर उसको काला पानी कहते है । कांग्रेस के नेताओं ने कई बार कहा है कि हम विकास करेंगे । लेकिन कोई नाम मात्र का भी विकास भी नहीं हुआ । 30 साल की आजादी के बाद यह नई आजादी आई है, जबकि यह जनता सरकार आई है । मैं जनता सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारी शिकायतों के मामलों को आगे बढ़ायें । हमारे क्षेत्र के विकास कार्यों को आगे बढ़ायें ।

हमारे यहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है । तीस साल से पानी नहीं, बिजली नहीं । मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे क्षेत्र में 90 पर्सेन्ट लोग गरीब हैं, उस क्षेत्र का कुछ भी विकास नहीं हुआ है, इसलिए उसका विकास किया जाय ताकि लोगों का भला हो सके । मुझे आशा है कि वर्तमान सरकार आई है तो कुछ न कुछ जरूर होगा ।

अभी मैं एक बात कहना चाहता हूं । मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार ने अभी हमारे यहां कोटडा फलासिया में बिजली की सैंक्शन की है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं । 60 गांव जो फलासिया के हैं उनको सैंक्शन हुई है और बाकी गांव कोटड़ा के हैं ।

इसी प्रकार से पानी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पानी की बहुत समस्या है । पिछले तीस सालों में कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया था । अब हमको इस सरकार से कुछ आशा है । हमारे क्षेत्र में खड्डों में जहां पानी भरा है उसका पानी पीते हैं, जिससे लोगों के नारू निकल जाते हैं । इसलिए मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हैण्ड पाइप की व्यवस्था करें । राणा प्रताप ने जहां बिना पानी और अनाज के युद्ध लड़ा था, ऐसे स्थानों पर हमारे आदिवासी जनता रहती है, उनको गन्दा पानी पीना पड़ता है वहां पर लोगों के नारू निकल आते हैं । हमारे क्षेत्र से कई बार अधिकारी महोदय को लिख चुके हैं लेकिन इस बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई है । तीन साल के अन्दर जो डवलपमेन्ट हुआ है वह सब कागजों के अन्दर ही है, मौके पर कुछ नहीं हुआ है । इसलिए बाहर से आने वाले कोटड़ा—फलासिया को कालापानी कहते हैं । सारे गांवों को देख लीजिये, कोई डवलपमेण्ट नहीं हुआ है । इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे कोटड़ा-फलासिया क्षेत्र में हैण्ड पम्प लगाने की कृपा करें तो हम वहां की जनता को फायदा दे सकते हैं । इतना ही मैं कहना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गोविन्दसिंह शक्तावत !

(अनुपस्थित)

माननीय सुखलाल सेणचा !

(श्री उपाध्यक्ष)

(अनुपस्थित)

माननीय रामनारायण !

श्री रामनारायण (बिलाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, आज मैंने भी पेयजल योजना की मांग पर कटौती प्रस्ताव दिया है। सरकार अपनी योजनाओं के अनुरूप पेयजल आंशिक रूप में भी उपलब्ध नही करा पाई है। आज 9 महीने हो गये जनता सरकार को बने हुए, मगर एक फुट पाइप लाइन भी मेरे क्षेत्र में बिछाई जाती तो मैं समझता कि लम्बे-चौड़े वायदे व घोषणाएं जो की गई हैं उनके अनुसार प्रत्येक आदमी को पानी मुहय्या कराया जायेगा। मगर मुझको अफसोस है कि यह सरकार घोषणाएं तो मोटी-चौड़ी कर देती है मगर काम की ओर कोई ध्यान नहीं देती। पानी का दोहरा अर्थ बताते हुए रहीमदासजी ने कहा है :

"रहीमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून,
पानी गये न ऊबरे मोती मानस चून।"

मन्त्रीजी, आप अब ज्यादा घोषणायें करेंगे तो जनता में आपके प्रति जो इज्जत है वह भी चली जायेगी।

आदरणीय महोदय, आज जोधपुर क्षेत्र में जो जल समस्या है अगर उसकी ओर देखा जाय तो मालूम होगा कि बहुत ही गम्भीर समस्या है। जोधपुर में पानी जवाई-बांध से आता है जो 150 किलो मीटर है। मथानिया से रामपुरा ट्यूब वैल स्कीम से भी आता हैं लेकिन यह पानी जोधपुर के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर आज मंत्री जी जोधपुर के सर्किट हाउस में नहीं ठहर कर किसी होटल में ठहरें तो उनको पता चल जायेगा कि पानी की क्या हालत है। उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर की पानी की योजना को अगर क्रियान्वित करना है तो एक लिफ्ट योजना बनायी जाय और स्थायी रूप से हल के लिए उसको काम में लाया जाय, न कि जवाई पर ही निर्भर रहा जाय। जवाई का मौसमी पानी है तथा खुली नहर से आता है। यदि नहर को पक्की की जाय व पाइप लाइन बिछाई जाय तो करोड़ों की लागत आती है। समस्या का समाधान फिर भी नही होगा।

मेरे क्षेत्र की ओर, उपाध्यक्ष महोदय माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में बहुत कम इलाका ऐसा है जहां पानी है, जैसे बिलाड़ा, रणसिगा, बोसिंदा, मगर ऐसे इलाके भी हैं जो सी लेवल से नौ सौ फोट की ऊंचाई पर है। जहां पानी नहीं है, ऐसे कुए हैं जिनमें डेढ़ सौ हाथ नीचे पानी है और वह भी खारा पानी है। उस क्षेत्र में न विजली है और न पानी की कोई स्कीम, इरिगेशन नहीं होता, वहां पर कुए नहीं हैं, इसलिए सिंचाई नहीं होती। बिजली आने की समस्या नहीं है तो ऐसे क्षेत्र की पानी की समस्या का निवारण पहले किया जाय। मैं आशा करता हूं कि बासनी को जो स्कीम है उसमें 30 गांव आते हैं, उसमें पानी की मात्रा बहुत कम है, उसको बढ़ाने के लिये पालड़ो में दो ट्यूब वैल खोदे गये लेकिन वे भी अधूरे रहे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उस स्कीम को और 30 गांवों को जल समस्या को निवटाना है तो घोड़ावत जहां पानी ज्यादा है से इस स्कीम को ट्यूब वैल खोद कर जोड़ा जाय। तब तो

(श्री रामनारायण)

समस्या हल हो सकती है। जिला आयोजना समिति द्वारा हरियाणा स्कीम 40 लाख की भेजी गई, मगर अभी तक हमें सूचित नहीं किया गया कि इस स्कीम की प्रगति कहां तक हुई है। यह योजना शुरू हो जाय तो मैं समझता हूं कि जोधपुर के बिलाड़ा सर्किल में पानी की समस्या वाले जितने गांव इसमें आते हैं, उन सब में पानी की समस्या हल हो जायगी और मंत्री जी के प्रति कोई शिकायत नहीं रहेगी। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगतारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दुलाराम !

(अनुपस्थित)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : माननीय उपाध्यक्षजी, घोषणाएं की मुख्य मन्त्रीजी ने और संकट आ गया हमारे छोटे मन्त्रीजी पर····

श्री शंकरलाल (जैतारण) : आपका मतलब है इनको बड़ा बना दिया जाय।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मुख्य मंत्री जी ने, बड़े मन्त्री ने जोश खरोश से घोषणाएं की और उनकी पालना करने की जिम्मेवारी हमारे छोटे मन्त्रीजी पर आई, खैर यह इनका कर्तव्य है। प्रायः सभी साथियों ने शिकायत की कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में जल संकट है। मैं अपने क्षेत्र की समस्या रख रहा हूं। वहां अधिक पानी नहीं है। मेरी मांग यह है कि अगर बीकानेर में आप कुओं को बिजली का वोल्टेज पूरा न दे पायें, अगर वहां फिल्टर्ड पानी नहीं बढ़ा सकें तो कम से कम नेचुरल फिल्टर्ड वाटर को खराब न करें। मालूम पड़ा है कि लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल के बीछवाल पाइन्ट से पाइप द्वारा 20 लाख गैलन पानी अगले 3 महीने में बीकानेर में लाने की योजना है। भूल कांग्रेस सरकार ने की और नतीजा भोग रही है बीकानेर की जनता। योजना 9 करोड़ रुपये की थी, उससे पानी बीकानेर लाया जायगा, फिल्टर किया जाएगा और शहर को दिया जाएगा। केन्द्र ने कान खींचे हमारी सरकार के तो इन अधिकारियों ने अपनी सफलता दिखाने के लिए, राजस्थान कैनाल के चेयरमैन साहब ने अपनी होशियारी दिखाने के लिये तुरन्त मीटिंग काल करके दो लाख जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का षड्यन्त्र किया है। किसी भी मेडिकल साइंस के अनुसार नहर का पानी, जो 400 मील तक एक्सपोज होकर आएगा, बिना फिल्टर किए क्लोरिन बेक्टेरिया किल नहीं करेगा चाहे कितनी ही क्लोरिन डालें। मैं चेतावनी देना चाहूंगा कि बीकानेर के कुओं में पानी की कमी नहीं है, वोल्टेज की कमी है, उसकी पूर्ति न करके अगर 20 लाख गैलन अनफिल्टर्ड पानी मिलेगा तो निश्चय ही जैसे जयपुर शहर में 95 प्रतिशत पेट के कीड़ों की बीमारी है इस तरह की बीमारी फैल जायगी It will be a national loss. बीकानेर के लोगों का स्वास्थ्य खराब करने पर क्यों उतरे हुए हैं? आपके ये आंकड़े झूठे हैं, केन्द्रीय सरकार को मूर्ख बनाने के लिए हैं। आप बीकानेर की जनता को दुःख दे रहे हैं। मैं चेतावनी दूंगा कि अगर आपने बीकानेर की जनता को अनफिल्टर्ड

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

वाटर दिया तो सड़कों पर विरोध किया जाएगा, आपका विरोध किया जाएगा, सरकार का विरोध किया जाएगा । 3 लाख लोगों के जीवन के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा सकता । किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट की यह राय नहीं हो सकती कि क्लोरिन से तमाम बेक्टेरियां मर जाते हैं । यह सही है कि हजारों गांवों में अनफिल्टर्ड वाटर पीया जाता है । हमेशा मांग रही है कि फिल्टर्ड वाटर दिया जावे । जिस शहर में फिल्टर्ड वाटर मिल रहा है, आपको क्या हक है कि वहां अनफिल्टर्ड वाटर दें ? आप इस योजना पर पुनर्विचार करें ।

बीकानेर समस्या से राज्य मंत्री खुद ही पीड़ित हैं । सूरसागर की योजना पर पिछली सरकार ने 40 लाख रुपये खर्च किए हैं । शहर के गन्दे पानी की बाहर निकासी के लिए सूरसागर की योजना है, उस पर 40 लाख रुपये राज्य सरकार का खर्चा हुआ है । वर्षा के दौरान पानी उल्टा सूरसागर से 50 हजार लोगों के मोहल्लों में भरता है । पिछले वर्ष राज्य मंत्री मेरे साथ थे । खुद 4–5 फीट में से गुजरे हैं परन्तु 8 महीने बाद में भी राज्य मंत्री ने कितनी दिलचस्पी ली है ? मुझे सूचना दी गई है कि 60 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की गई है । मैं मांग करता हूं कि तत्काल उस योजना को चालू किया जाय । 40 लाख रुपया बचाने के लिए 60 लाख रुपये पानी में मत डालो । 133 लाख रुपये की योजना है उसमें 60 लाख रुपये को और खराब मत करो । यह योजना फेल हो गई है । नई योजना बनाई जावे । मैं इस सदन से मांग करता हूं कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स से इन्क्वायरी करायें जिन्होंने इस योजना को पास किया । इसके एक्जीक्यूशन में भ्रष्टाचार हुआ । वह तो प्रत्यक्ष है । सदन की पिटीशन कमेटी ने रिपोर्ट दी है जिसके लोढ़ाजी चैयरमेन थे । उसमें स्पष्ट लिखा है कि सूरसागर योजना भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है । मेरा चीफ इंजीनियर व एडिशनल चीफ इंजीनियर पर आरोप है कि जितना गंदा पानी सूरसागर में है, उससे अधिक गंदगी आपके विभाग में है । आज जो योजनाएं हैं उनमें ढंग से काम नहीं हो रहा है । उसका कारण यह है कि चीफ इंजीनियर एडिशनल चीफ इंजीनियर और दूसरे अधिकारी पोलटिक्स में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है । पहले वाले सत्र में सदन में 18 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप लगाए थे, मुख्य मन्त्री ने कहा था कि मैं जांच कराऊंगा, लेकिन कोई जांच रिपोर्ट सदन में पेश नहीं हुई । आप कहिए कि आरोप गलत थे या आरोप सही थे । अफसोस है, भैरोंसिंहजी ने भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए कहा था, और कहा था कि मैं लोगों का खाया-पीया उल्टा करवा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ । एक एक मंत्री ने भ्रष्टाचार के सामने घुटने टेके हैं, आज मंत्रीगण चीफ इंजीनियर व आई. ए. एस. अधिकारियों की रबड़ मोहर बने हुए हैं । जहां वे चाहते हैं हमारे मंत्रीगण से साइन करवा लेते हैं । उनको मालूम नहीं, समस्या क्या है और क्या करना है ? कम से कम इस सदन में कहा जाए कि हम इनकाम्पीटेंट हैं, इनअफिसियेन्ट हैं, जहां करोड़ों रुपयों की योजनायें हैं उनके साथ में इस प्रकार का खिलवाड़ ? मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आपके विभाग का चीफ इंजीनियर..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, टाइम हो चुका है ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आपके चीफ इंजीनियर का दिमाग कितना उलझा हुआ है, कितना वह आपके बजट का नुकसान करता है । कोलायत की एक स्कीम पिछले साल से विभाग में पड़ी रही, 75 हजार की स्कीम है वह पास नहीं की, अब टेन्डर मांगें तो एक लाख से ऊपर आएंगे । एक साल रिकार्ड में पड़ी रही । बात करने की कोशिश की तो चीफ इंजीनियर उठ कर चले गए, अगर कोई चीफ इंजीनियर मंत्री के सामने किसी विधायक के साथ इस ढंग से पेश आता है तो क्या रास्ता है ? चीफ इंजीनियर का गला बाद में पकड़ेंगे, पहले गला आपका पकड़ेंगे । आपके मंत्रियों को कमरों से बाहर निकाल देंगे । आप हंस रहे हैं लेकिन आप पर सारे राज्य के लोग हंसेंगे कि हमारे मंत्रीगण पोलिटिकल नपुंसक हैं । आप शासन नहीं कर रहे हैं, आप पर यह अधिकारी शासन कर रहे हैं, जिन पर 18 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप लगे हुए हैं । कहां गया वह खून ? क्यों खून ठंडा हो गया, पानी हो गया ?

श्री कैलाश मेघवाल (पंचायत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, वह आपत्तिजनक है . . .

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मंत्री महोदय से मैं कहूं और वह हंसें ?

श्री उपाध्यक्ष : बिना आवेश में आए आप अपनी बात कहें ।

श्री लालचन्द (राज्य मंत्री, वन) : माननीय सदस्य नाटक कर रहे हैं ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं चाहूंगा कि जो नपुंसक शब्द का प्रयोग किया है, उसको कार्यवाही में से निकाला जाए ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : ये मंत्री इतने नपुंसक हैं कि इंजीनियर इन पर हावी हैं, यह एक बार नहीं 100 बार कहूंगा । जनता सरकार के मंत्री नपुंसक है, वे कन्ट्रोल नहीं कर सकते ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना भाषण जारी रखें । मंत्रियों के लिए माननीय सदस्य ने जिस शब्द का प्रयोग किया है उसको कार्यवाही में से निकालने के लिए कहा गया है, मैं देखूंगा किस कान्टेक्स्ट में यह प्रयोग किया है । अगर अनपार्लियामेन्ट्री है तो उसको एक्सपंज करने के आदेश दिए जायेंगे ।

(व्यवधान)

बिना व्यक्तिगत चर्चा किए हुए आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं सदन के जरिए वाटर वर्क्स विभाग के मंत्री को और मुख्य मन्त्री की गैरहाजिरी में उनकी कुर्सी से कह देता हूं कि यदि इन योजनाओं के बारे में इस प्रकार की आपने उदासीनता रखी, पक्षपात रखा और बीकानेर की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया तो इसके नतीजे ठीक नहीं आयेंगे । अगर जनता के विश्वास को कायम रखना है तो जनता की आकांक्षाओं, आशाओं और शिकायतों पर ध्यान देना होगा ।

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

आज आप क्यों डर रहे हैं ? कांग्रेस के मन्त्रियों ने लाखों रुपये कमाये और उनके पीछे इन अधिकारियों ने करोड़ों रुपये कमाये। लेकिन आप उनकी तरह तो हैं नहीं, आप लोग अभी तक ईमानदार हैं। आप क्यों डर रहे हैं, आप तो भूखों और नंगों के मददगार हैं, आप हिम्मत करें। आज आप पर कोई विधायक आरोप नहीं लगाये तो क्या करें, आज हम अपने इलाके में जाते हैं तो जनता हमें पूछती है, हमें पकड़ती है। वहां पर हमारी बेइज्जती होती है। अगर आप विधायकों की नहीं सुनेंगे तो विधायक भी आपका साथ क्यों देंगे ? आप सोच लें कि यह चारदीवारी आपकी रक्षा नहीं करेगी। आपको जनता में जाना पड़ेगा। आपको जनबल का सम्मान करना चाहिये। आप जनबल को अपने साथ रखें। आप जनता का काम करें, हम आपके पीछे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपालसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मणिराम।

श्री मनोराम (तारानगर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र की जलदाय योजना के विषय में माननीय मन्त्री महोदय के समक्ष मांगें प्रस्तुत करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सारे विधायकों ने अपने-अपने गांवों की समस्याओं को आपके सामने रखा। सभापति महोदय, मेरा गांवों से सम्बन्ध नहीं है। सभापति महोदय, मैं चूरू जिले का हूं और जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वह ऐसा क्षेत्र है जिस पूरे जिले में जमीन के नीचे भी पानी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, एक दफा पहले भी मैंने इस विषय में सदन में कुछ कहा था। उपाध्यक्ष महोदय, चूरू जिले का क्षेत्र ऐसा है जिसमें भादरा का दक्षिणी भाग, नौहर का दक्षिणी भाग, राजगढ़ का उत्तरी भाग तथा चूरू का पश्चिमी भाग और उत्तरी भाग है। यह पट्टी एक बहुत ही लम्बी चौड़ी ऐसी पट्टी है, उपाध्यक्ष महोदय, जो कि इस सारे इलाके से बढ़ती हुई ठेठ जैसलमेर तक चली गई है। उस पट्टी में, उपाध्यक्ष महोदय, पीने का पानी जमीन के नीचे बिल्कुल नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र को तारानगर कहते हैं। यह वह क्षेत्र है, उपाध्यक्ष महोदय, जहां से पहले चन्दनमल जी जीत कर आते थे। मेरे क्षेत्र में भी, उपाध्यक्ष महोदय, जमीन के नीचे पानी नहीं है। वहां पर लोग वर्षा में पानी को टांकों में इकट्ठा करते हैं और फिर उसे पीने के काम में लेते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम ने आज की गवर्नमेंट का शासन ही नहीं, अंग्रेजों के शासन काल को भी देखा, इसके बाद राजाओं का राज भी देखा, उसके बाद हमने तीस सालों तक कांग्रेस का शासन भी देखा, पर, उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी राज ने वहां पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं किया। इस सरकार को भी हम देख रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार को आज एक साल होने को है पर अभी तक कुछ भी नहीं किया। और आज हमारे वहां का किसान प्यासा का प्यासा हो है। जब जनता पार्टी की सरकार बनी उसवक्त हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि मैं गांवों की पेयजल की

(श्री मनीराम)

समस्या को मिटा दूंगा। उस घोषणा को सुनकर, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सारे क्षेत्र की जनता फूली नहीं समाई। उन्होंने समझा कि अब हमारे पीने के पानी की समस्या तो हल हो ही जायेगी। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जब हमने बजट को देखा तो हमें बजट को देखने से ऐसा लगा कि अब होना जाना कुछ भी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां की जो हालत पहले थी वहीं आज है। मुझे भय है, उपाध्यक्ष महोदय, आज जो लोग किसानों के नाम की दुहाई देते हैं, जो लोग किसानों की बातें करते हैं, जो मेरे साथी सदन में और सदन के बाहर हैं, जो किसानों के बलबूते पर जीत कर जनता पार्टी की सरकार की कुर्सियों पर बैठे हैं, मुझे दुःख है, वह किसान के नाम पर किसान को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सभी लोग किसानों का गुणगान कर रहे थे। मैं यहां बैठा था, बैठा-बैठा सुन रहा था मूक दर्शक की तरह चुपचाप। मैं कुछ नहीं बोला। इतना ही नहीं अभी थोड़े दिनों के पहले राजस्थान भर के किसान लोग यहां पर अपनी समस्याओं को लेकर पहली बार विधान सभा के सामने आये थे। वहां पर किसानों के साथ किस तरह का बर्ताव किया गया, मैंने अपनी आंखों से देखा था। यहां पर किसानों को बहुत भारी बेइज्जती की गई। उस वक्त भी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं नीचे गया था और मैं मूक प्राणी की तरह चुपचाप खड़ा देखता रहा। मैंने देखा कि कहीं किसानों के पास पत्थर और लाठियां तो नहीं हैं। उनकी ट्रोलीज में कोई ऐसी वस्तु नहीं थी पर पता नहीं क्यों घोटाला हुआ कि उनके साथ इस तरह की बेइज्जती की गई उन्हें पीटा गया। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता और अंत में यह हुआ कि सारी गलती किसान के मत्थे मढ़ दी गई और यह कहा कि किसानों ने आकर जबरदस्ती विधान सभा में घुसने की कोशिश की। यह सारी बात झूठी थी। उन्हें क्या पता था कि विधान सभा के सामने वह अपनी मांगें लेकर जायेंगे तो इस तरह जूते पड़ेंगे। आज किसान को अपना कहने वाले, उपाध्यक्ष महोदय, किसान के नाम का नारा देने वाले ही किसान को ही धोखा देते हैं। किसान को ही तकलीफ देते है। आज किसानों के नाम की जो दुहाई देते हैं वह सारा महज एक धोखा है और कुछ नहीं है। आज कोई भी किसान के पक्ष में नहीं है। किसान आज बोलता है नहीं, वह कभी बोला नहीं, वह तो हमेशा चुप रहता है, वह मूक दर्शक की तरह देखता रहता है। वह उस वक्त भी नहीं बोला जब पहली सरकार ने जीपें उसके पीछे लगा दीं। उसको मजबूर किया, तकलीफ दी। लेकिन जब वक्त आया तो उसने क्या किया, उसने, उपाध्यक्ष महोदय, इधर बैठने वालों को उधर बैठा दिया और उधर बैठने वालों को इधर बैठा दिया। इसलिये हुआ यह कि किसान उनसे नाराज हो गया। अगर किसान को एक बार नाराज कर दिया तो फिर आप इस किसान को मना नहीं सकेंगे। किसान जब नाराज होता है तो इधर वालों को उधर और उधर वालों को इधर कर देता है। उपाध्यक्ष महोदय, किसान का

(श्री मनीराम)

भला चाहने वाला हमारे देश का प्रधान मंत्री एक आया था, श्री लालबहादुरजो शास्त्री, जिसने नारा दिया था कि जय-किसान और जय जवान। उसने किसान को अपना समझा था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप किसान को नाराज मत करो। अगर वह नाराज हो जायेगा तो आपको दिक्कत होगी। वैसे आपस में जब दो भाई लड़ते हैं तो उनको लोग समझा नहीं सकते। आप उन्हें मना नहीं सकते। आप उन्हें मना सकते हैं यदि आप उनकी समस्याओं का समाधान कर दें। अगर आपने उनकी समस्याओं का हल नहीं निकाला तो कहीं ऐसा न हो कि बाद में आपको पश्चाताप करना पड़े। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया, नारे तो हमारे देश के नेताओं ने किसानों के लिये खूब लगाये, लेकिन किसानों का भला करने वाला एक ही था, श्री लालबहादुर शास्त्री। उसने कहा जय जवान जय किसान। जवान तो वह है जो जब देश पर विपदा आती है तो अपने देश की रक्षा के लिए प्रहरी बन कर खड़ा होता है और अपने देश की रक्षा करता है। उसके ही जैसा हमारा किसान है जो कि हमें खाने को अन्न देता है। हमारा भरण-पोषण करता है। वह हमारे लिये खाद्य पदार्थ पैदा करता है। वह सारे दिन उघाड़ा रहता है और शाम को खेत से अपने घर जाता है। जिस तरह से सूर्य हमेशा सुबह उगता है और शाम को अस्त होता है उसी तरह से किसान अपने खेत रोजाना सुबह जाता है और शाम को आता है। वह अपने कार्य में तल्लीन रहता है। वह अपने देश के लोगों के खाने के लिये अन्न पैदा करता है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसान आज भी प्यासा का प्यासा ही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक तरफ तो शहर में फव्वारे छूटते हैं। दूसरी तरफ गांवों में पीने का पानी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जब मैं रामनिवास बाग से आ रहा था तब मैंने बाग के अन्दर देखा फव्वारे चल रहे थे, उस फव्वारे को देखते ही मुझे वह क्षेत्र याद आया जहां कि किसान एक बून्द पानी के लिये तरस रहा है। और बारिश न हो तो गांव-गांव पानी के लिये भटकता फिरता है, बारिश हुई, कुण्ड में पानी आ गया तो वह पानी पी लेता है। कुछ आप पीयेगा, कुछ खारा पानी मिला कर अपने मवेशियों को पिलायेगा। लोकतन्त्रीय सरकार जैसा कि कहते हैं यदि पानी की प्यास नहीं बुझा सकती है तो इसका परिणाम क्या होगा, यह आगे भविष्य ही बतायेगा। जैसी कहावत है

बोवों तो कूहास गढा दं। मियाँ मोकुह नाज

और चीज तो गयी दूर, लेकिन एक चूरू जिले के लोगों को पानी तो मिलना चाहिये। वह भी सरकार न दे सकी तो फिर भगवान ही मालिक है। अंग्रेजों का समय भी निकाला, राजा को भी देखा, कांग्रेस राज के 30 वर्ष निकाले और जनता सरकार को भी देख रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री मनीराम : आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत आभारी हूं। मेरे हृदय की जो कुछ बातें थीं, वह मैंने व्यक्त कीं।

अच्छा, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सब ही माननीय सदस्यों ने माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा को थोथी और भुलावे में डालने वाली बताया है। बाड़मेर, जालोर, बीकानेर, जोधपुर, पाली के लगभग सब ही माननीय सदस्यों ने कहा कि उनके क्षेत्र की अवहेलना की गयी। उससे इनडाइरेक्टली मेरी बात का सबूत मिलता है और इस बात का संकेत मिलता है कि जो मरु प्रदेश की मांग की गई थी वह वाजिब मांग है। उसका विकास राजस्थान में मौजूदा सरकार के द्वारा होने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इतनी घोषणाओं के बाद यदि आप बजट को देखें तो कान्ट्रेडिक्ट्री बात मिलती है। मैं उदाहरण के लिये निवेदन कर दूं, आपने यह कहा है कि-

"जोधपुर नगर के लिये आवश्यक जल उपलब्ध करवाये जाने हेतु जवाई से आने वाली नहर में रिसाव एवं वाष्पिकरण से होने वाले अपव्यय को बचाने हेतु पाइप लगाना आवश्यक है जिसके लिये लगभग 20.00 करोड़ रुपये की आवश्यकता है"।

आगे अजमेर नगर के लिये कहा गया है।

जोधपुर और पाली जिले के बीच में जवाई नहर है। जोधपुर को इससे पानी जाता है। इस नहर को बीच में रोक कर पाली जिले को पानी क्या नहीं पहुंचाया जा सकता है? हम कहते हैं आप जोधपुर को पानी दें। लेकिन आपने यह नहीं बताया कि कितना प्रावधान किया है? इसके अगेंस्ट में आपने कितना रुपया रखा है, यह कुछ नहीं बताया। हमने भी कहा था।

अब पेज नं. 10 पर देखिये। आपने कहा है—

"अन्य बहुत से छोटे नगर जैसे कि चूरू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, देवली, राजगढ़, रतनगढ, चौहटन, सिवाना, मेड़ता सिटी, डीडवाना, जैसलमेर इत्यादि में भयंकर पेयजल की समस्या है एवं उनके समाधान के लिये व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।"

आप एक तरफ कहते हैं कि भयंकर समस्या है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि योजना नहीं बनायी। आगे आप कहते हैं 'मोटे तौर पर यह अनुमान है कि पुनर्गठन योजनाओं के लिये हमें कुल लगभग 185 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी"।

उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या है? एक तरफ तो योजना नहीं बनायी और दूसरी तरफ कहते हैं कि 185 करोड़ रु. की आवश्यकता होगी। योजना नहीं बनायी तो किस तरह से मांगना चाहते हैं पैसा? यह दोनों बातें कान्ट्रेडिक्ट्री हैं। क्या गलत रिपोर्ट छापी है? फिर आगे आप कहते हैं—

"इन योजनाओं पर यदि तत्काल कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया तो निकट भविष्य में इन नगरों में असहनीय पीने के पानी की समस्या गम्भीर हो जावेगी तथा बाद में व्यय भी अधिक करना पड़ेगा"।

एक तरफ तो 185 करोड़ रुपया मांग रहे हैं और दूसरी तरफ यह कह रहे हैं। 185 करोड़ रुपये की योजना है नहीं। 185 करोड़ रु. भी ले लेंगे और दूसरा रुपया भी ले लेंगे। आपके विभाग द्वारा यह बात की जाती है, चाहे राजस्थान सरकार के पास पैसा कम हो, जो पैसा आता है उसका

(श्री शंकरलाल)
दुरुपयोग होता है, भ्रष्टाचार होता है और समय पर नहीं लगता है ।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाली जिले के अन्दर डी.पी.ए.पी. की 67 लाख की योजना हमने कोशिश करके केन्द्रीय सरकार से मंजूर करायी, लेकिन जो मंडोर का टैंक बना था 3 लाख रुपये का वह धराशायी हो गया । उसका क्या हुआ ? 3 लाख रुपये की आपकी टंकी चली गयी उसकी कोई बात नहीं ।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद हुआ क्या ?

श्री शंकरलाल : जनता पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं कहता । इस विभाग से भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कहता हूं । पार्टी बदली है लेकिन सरकार के कर्मचारी और विभाग के अधिकारी तो वे ही हैं, आप बतायें कि वह टंकी कैसे गिरी चाहे जब ही वह गिरी हो ? 67 लाख की योजना के लिये पाइप लाइन बिछाई गयी । हमें भी खुशी हुई लेकिन आज उस पाइप लाइन को उखाड़ा जा रहा है । यह कहा जा है कि इसमें लीकेज होता है । यह लाइन ठीक नहीं बनी इसलिये दूसरी बनाई जायेगी । पहले जो लाइन बनाई गई तो क्या ए.ई.,-एन एक्स.ई-एन., चीफ इन्जीनियर ने यह नहीं देखा कि 67 लाख की योजना बनाई जा रही है तो क्या पाइप लाइन गलत डाली जा रही है । अब दूसरी लगा रहे हैं । लाखों रुपयों का इस प्रकार से अपव्यय होता है और दूसरी तरफ कहते हैं कि पैसा नहीं है । पैसा तो ठेकेदार खा गये, आप लोगों ने साजिश की होगी । क्या कारण है इस बात का ? यह तो, उपाध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण है ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, कई अधिकारियों के खिलाफ में लोगों ने लिखकर मांग की है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बहुत सूक्ष्म में कह रहा हूं ।

पेज 20 पर, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है :

"पुराने बन्धन तोड़ कर नई लहर के साथ चल पड़े हैं । विभाग में 2 फैडरेशनों का गठन है । फैडरेशन को मान्यता देने के लिए यह तय किया गया है कि गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा मामला तय किया जावे ।"

आगे कहा है आपने :

"विभाग ने श्रमिकों की समस्या के समाधान हेतु राज्य स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र की बैठक आयोजित की । इस बैठक में दोनों संगठनों के साथ जो समझौते हुए उन पर विभाग बड़ी उत्सुकता से क्रियान्वित किये जाने की कार्यवाही कर रहा है ।"

आप उन श्रमिकों की बात करते हैं जिन्होंने अपने विभाग के खिलाफ आरोप लगाये हैं । कुछ उदाहरण सदन के सामने रखना चाहूंगा । अलवर के पास एक टपूकड़ा गांव है । वहां पर एक पानी की टंकी बनवाई और वह टंकी टेढ़ी हो गई । उस

(श्री शंकरलाल)

ठेकेदार को पेमेन्ट भी नहीं हुआ क्योंकि गलती ठेकेदार की बताकर पेमेन्ट रोक दिया गया। इसी प्रकार एक आडमा मशीन खरीदी उसमें भी बहुत बड़ी रकम का घोटाला किया गया। उस पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप उनके पास इसको पहुंचा दें।

श्री शंकरलाल : फैडरेशन के जो अध्यक्ष हैं उनके हाथ का लिखा हुआ है। यह निवेदन करूं कि जब भैरोंसिंहजी मुख्य मन्त्रीजी जिस समय विरोधी पक्ष में बैठे थे, सतीशचन्द्रजी अग्रवाल, जो आज केन्द्र में राज्य मन्त्री हैं, जब पिटीशन कमेटी के चेयरमैन थे, सतीशचन्द्रजी अग्रवाल ने इसकी इन्क्वायरी की उनके सभापतित्व में भैरोंसिंहजी ने यह कहा कि कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार को दबाया। जनता सरकार जांच करेगी। इसमें बहुत सी बातें कही गयी हैं। मांगीलाल शर्मा भ्रष्ट आदमी है कई बातें इसमें कही गयी हैं। भारतीय मजदूर संघ मजदूरों का चोला पहन कर इस यूनियन में आ गया है। चलो इधर भारत मजदूर संघ में चले जाओ। उनका खुद का लिखा हुआ आरोप है। आप पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, इसलिये मैं सदन की मेज पर इन कागजों को पेश करूंगा। माननीय मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंहजी और केन्द्र के राज्य मंत्री श्री सतीशचन्द्रजी अग्रवाल ने स्वयं आरोप लगाया। कम से कम दो चार का तो जवाब दें मंत्री महोदय। इतना ही नहीं आपके सामने यह खुला पत्र है चण्डाल चौकड़ी ने राजनेताओं को खरीदा है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूं। इनके नाम लिखे हुए हैं। क्या कार्य किये। अमरचन्द पारीक महा मंत्री और इधर अध्यक्ष-दोनों के दस्तखत हैं इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, यह है, भ्रष्ट अधिकारी हिम्मत सिंह रिटायर्ड अधिशसी अभियन्ता का स्थानान्तरण किया जाये। यह सारे आक्षेप इसमें हैं। लोगों में यह वितरित किया गया है। कम से कम आप इन्क्वायरी करके यह तो बताइये कि यह सही है या गलत है। मैं नहीं कहता लेकिन जब इस प्रकार के इश्तहार और भ्रष्टाचार के काले कारनामे विधायकों के पास और जनता के पास आते हैं, इस प्रकार के दुरुपयोग के मामले देखते हैं तो हमें इस बात पर विश्वास होता है कि वास्तव में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और हमारी मौजूदा सरकार उसके ऊपर करना कुछ नहीं चाहती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर श्री उमरावसिंहजी ढावरिया ने आरोप लगाया 18 करोड़ रुपये के गोटाले का उसकी इन्क्वायरी तो कराइये। एक फैडरेशन वाले कहते हैं कि चीफ इन्जीनियर अच्छा है और दूसरे फैडरेशन वाले कहते हैं कि खराब नहीं है। कौन ईमानदार है, कौन चण्डाल चौकड़ी है, यह आप इन्क्वायरी करके बतायें। यह सदन जानना चाहेगा अन्यथा हम समझेंगे कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी फैडरेशन के चुनाव भी हुए उसके अन्दर सरकारी जीपों का दुरुपयोग किया गया। नम्बर लिखा है जीप का आर जे टी 969।

(श्री शंकरलाल)

गांवों में सरकारी जीपों का दुरुपयोग हुआ। आप इसके अन्दर राजनीति ला रहे हैं। यह चिट्ठी मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं केवल दो मिनट और निवेदन करना चाहूंगा।

यह वह समस्या है जिसकी ओर माननीय सदस्यों ने कम ध्यान दिया है।

राजस्थान के अन्दर जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड बना हुआ है उसके ऊपर लाखों रुपया खर्च हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर चाहे पाली हो, बालोतरा हो या कोटा हो जहां भी जल प्रदूषण की समस्या हुई है उस समस्या को किसी भी जगह हल नहीं किया गया है। लाखों रुपया फिजूल खर्च हो रहा है। पाली के लिए यह लिखा है: हम कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं? आज दिन तक तो कुछ किया नहीं।

"मण्डल ने राजस्थान खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम द्वारा पानी में संयुक्त उपचार संयंत्र लगाने का अन्तिम रूप देने में सहयोग किया है। इस उपचार संयंत्रण के स्थापित होने के बाद लगभग 400 औद्योगिक इकाइयों की जल प्रदूषण की समस्या सुलझ जायेगी। बालोतरा के नये औद्योगिक क्षेत्र में जहां पर कपड़ा उद्योगों को स्थापित किया जा रहा है वहां के लिए भी राजस्थान खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम से इसी तरह का संयुक्त उपचार संयंत्र बनाने के लिए अनुनय किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप लगभग 100 औद्योगिक इकाइयों की जल प्रदूषण समस्या हल हो सकेगी।"

सभी जगह लिखा है 'किया जा रहा है, किया जा रहा है'। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे यह सरकार हो या पहले की सरकार हो, मैं तो हमारी पहले वाली सरकार पर भी आरोप लगाता हूं और पहले भी लगाया था कि उसने एक भी जगह जल प्रदूषण की तरफ ध्यान नहीं दिया। इससे हजारों आदमियों का जीवन खतरे में पड़ा है। फैक्ट्री के बाहर जो पानी आता है वह पानी के साथ मिल जाता है। हजारों तरह

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

की बीमारियां हो जाती हैं। इसका कोई इलाज पी.एच.ई.डी. वालों के पास नहीं है। ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। फिर इतनी योजनाओं की बात करते हैं। आप बता दें कि आपने ड्रेनेज की समस्या कहां-कहां हाथ में ली है?.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जल्दी समाप्त करें।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया।

मैं केवल एक बात और कहूंगा। आपने अनुसूचित जाति अनुसूचित जन-जाति के मोहल्लों के लिए विशेष प्रबंध करने की बात कही है। हमें बहुत शर्म आती है यह कहते हैं कि 1976-77 में 141 लाख रुपये की राशि थी और अब 1977-78 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-

(श्री शंकरलाल)

जाति के मोहल्लों में पाइप लाइन डालने के लिए 55 लाख रुपया नगरीय क्षेत्रों के लिए और ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं पर 58 लाख रु० की राशि का आवंटन किये जाने की सम्भावना है। अब आप कहते हैं कि हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिए और ज्यादा कर रहे हैं। हम तो, उपाध्यक्ष महोदय, चाहे कुछ भी हो, चाहे खटीकों का बास हो या और कोई बस्ती हो, समाज कल्याण वाले कहते हैं कि हमने पैसा दे दिया। पी. एच. ई. डी. वाले यह कहते हैं कि हमारे पास सैंक्शन नहीं आई और बाद में कहते हैं कि पैसा लैप्स हो गया। आप शिड्यूल्ड कास्ट्स की बस्तियों का नाम लेते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग जहां रहते हैं उनके लिये आपने इस बजट के अन्दर कम प्रावधान किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आरोप लगाता हूं कि आपने उन बस्तियों के लिए बहुत कम पैसा रखा है। जो पैसा रखा है उसका उपयोग नहीं होता है। उसका उपयोग हमें दिखाई भी नहीं देता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझको समय दिया। फिर कभी मौका आयेगा तो मैं और निवेदन करूंगा क्योंकि राजस्थान की ज्वलंत समस्या है पीने के पानी की। यहां के विधायक ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की 2 करोड़ जनता आपकी तरफ देख रही है कि यह समस्या कहां तक हल होती है। इसी प्रकार की शिथिलता रही तो समस्या हल होने वाली नहीं है।

इस प्रकार की बात कह कर मैं सारे कागजात सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको आसन को अवलोकनार्थ दें, माननीय सदस्य ताकि मैं निर्णय लूं कि सदन की मेज पर रखे जायें या नहीं।

सुश्री पुष्पा जैन !

(अनुपस्थित)

वैद्य गोविन्द सहाय !

(अनुपस्थित)

श्री माणकचन्द सुराणा !

श्री माणकचन्द सुराणा (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल समस्या के बारे में माननीय सदस्यों की ओर इस सदन की चिन्ता न सिर्फ वाजिब है बल्कि मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी ज्वलन्त समस्या यदि कोई है तो वह पेयजल की समस्या है। किसी भी सरकार का पहला फर्ज यह है कि वह अपने निवासियों को पीने का मीठा पानी दे और सिर्फ निवासियों के लिए ही नहीं बल्कि राजस्थान जो कि एक पशुपालन का केन्द्र है उसके मवेशियों के लिए भी मीठे पानी का इन्तजाम करे। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री मेरे लायक मित्र जो हैं वह कठिन चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। राज्य सरकार

(श्री माणकचन्द सुराणा)

के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती है। जो रिपोर्ट सदन में पेश हुई है, उपाध्यक्ष महोदय, उस रिपोर्ट के पिछले पृष्ठ पर एक चार्ट है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कांग्रेस के सदस्यों को कि वह रिपोर्ट के आखिरी पेज को देखें। कांग्रेस की सरकार ने सन् 1969 तक 218 गांवों में केवल पानी पहुंचाया। याने पानी का मुख्य काम सिर्फ पिछले 9 सालों में हुआ....

श्री सुमित्रा सिंह : वह हमने ही तो किया।

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय सदस्या बहुत जल्दी में हैं कि उनकी सरकार को कोई काम्पलीमेन्ट्स दिये जायें। उन्होंने सुनने से इन्कार कर दिया कि 69 तक इन्होंने कुछ नहीं किया।

(व्यवधान)

आप बैठिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, No interruption.

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड है कि सन् 1952 से जब से कांग्रेस सरकार आई तब से सन् 1969 तक 218 गांवों में ही पानी पहुंचाया जा सका। जब यह सरकार आई यानी पिछले वर्ष तक 274 गांवों में पानी पहुंचाया गया। अब एक साल में दो हजार गांवों को पानी पहुंचाया जायेगा। कांग्रेस सरकार ने पिछले दस सालों में किया, उससे आज राजस्थान में दस गुणा अधिक करने को है। राजस्थान के अन्दर 33 हजार गांव हैं उनमें से साढ़े तीस हजार गांवों में पानी पहुंचाना बाकी है। इसका मतलब यह है, प्रधान मन्त्री ने जैसा कहा कि हम हिन्दुस्तान के प्रत्येक गांव को अगले 10 सालों के अन्दर पानी पहुंचायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, 10 साल में पानी पहुंचाने का लक्ष्य है तो पानी पहुंचाने की योजना में करीब तीन हजार गांवों को प्रति वर्ष सम्मिलित करना पड़ेगा। उनमें से 351 गांवों में इस वर्ष पानी पहुंचाने का प्रावधान है, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह कोई बहस की बात नहीं है। प्रश्न सीधा है कि राजस्थान के अन्दर पानी की समस्या का मुकाबला करने में साधन नाकाफी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए राज्य सरकार से निवेदन किया था कि विश्व बैंक की सहायता से यहां पर पेयजल का बोर्ड बने। बोर्ड बनाये बिना राजस्थान में पानी का संकट नहीं मिट सकता। उपाध्यक्ष महोदय, यह निर्विवादित है, हमको कम से कम 50 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इस पेयजल की समस्या के समाधान के लिए खर्च करना पड़ेगा। राजस्थान के साधन और भारत सरकार के साधन काफी न हों तो निश्चित रूप से विश्व बैंक से कोई अरेंजमेंट, कोई व्यवस्था ऋण को करनी चाहिए। जिस तरीके से राजस्थान के लिए बिजली और दूसरी चीजों के लिए ऋण ले रहे हैं उसी तरह से विश्व बैंक का ऋण पेयजल के लिए निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो माननीय सदस्य नदबई से आते हैं, उन्होंने नदबई के बारे में कहा है। यह भरतपुर जिले में है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भरतपुर जिले की पानी की समस्या के लिए प्रावधान नहीं भी करें तो चल सकता है लेकिन अगर रेगिस्तानी इलाके

(श्री माणकचन्द सुराणा)

में किया जाता है तो असंगति नहीं होगी। राज्य सरकार ऐसे जिले ढूढे जिनमें यह पानी की समस्या गम्भीर हो। आज कहने को हम यह कहें कि हमको 33 हजार गांवों को पानी पहुंचाना है, पेयजल समस्या का समाधान करना है। बीकानेर जिला, जैसलमेर जिला, नागौर जिला, पाली का आधा हिस्सा, झुन्झुनू का आधा हिस्सा, सीकर का आधा हिस्सा, जोधपुर, जैसलमेर इन सारे जिलों को अन्य जिलों के मुकाबले प्राथमिकता देनी पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट में चूरू जिले के बालेड़ी गांव का जिक्र है। खारे पानी को मीठा पानी बनाया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खारे पानी से मीठा पानी बनाने का जो प्रयोग किया गया है वह एक्सपेरीमेंट बालेड़ी में किया गया है। जहां भी खारे पानी के गांव हैं उन गांवों से मीठे पानी के कुएं इतनी दूर हैं कि 10-10 मील से पानी नहीं आ सकता, इसलिये उन गांवों के खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित निश्चित रूप से करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ योजनाओं को हाथ में लेने की आवश्यकता ही नहीं है, राजस्थान में पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिये राज्य सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलने की भी आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसे-ऐसे तालाब देखे हैं, जो सीमेंट व कंक्रीट के नहीं बने हुये हैं, अपने आप बने हुए हैं। उन तालाबों की मरम्मत 10-10, 20-20 हजार रुपये लगाकर कराने से गावों में 6-6 महीने पानी देने का काम हो सकता है। आज रिजर्वेयर्स बनाने की सोचते हैं, तो पुराने तालाबों को इस लायक बनाया जाना चाहिये ताकि अधिक से अधिक पानी दे सकें। कोई जादू का डण्डा राज्य मंत्री के पास नहीं है कि रातों रात गांवों में पानी पहुंचा दें। यह बात सही है जिन कुओं में 6 महीने पानी टिक सकता है, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिये। जो पुराने कुएं हैं उनकी मरम्मत कराना आवश्यक है। जहां पेयजल की योजना बनाते हैं हम देखते हैं नये सीमेंट के रिजर्वेयर बनाये जाते हैं। हमारे इन्जीनियर्स को देखना चाहिये, पुराने कुएं का क्या उपयोग किया सकता है। उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने से भी काम चल सकता है, तो वर्तमान में जो भी साधन हैं उनको ठीक करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार के सामने जब भी राज्य सरकार कोई पेयजल योजना लेकर जाती है, तो प्रति व्यक्ति 1 हजार रुपया काफी होगा, यह मानकर सारी जलप्रदाय योजनायें बनाई जाती हैं। लेकिन रेगिस्तानी जिलों में जहां गांव 10-10 मील दूर हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 3 हजार रुपया प्रति व्यक्ति राज्य सरकार को उन गावों तक पानी पहुंचाने के लिये खर्च करना पड़ेगा। जलप्रदाय योजना बनाते वक्त, इस सारे दृष्टिकोण को रख कर। ....

एक माननीय सदस्य : मवेशियों का भी ध्यान रखें।

श्री माणकचन्द सुराणा : इस पर अधिक जोर दूंगा।

जलप्रदाय योजना बनाते वक्त उस गांव में कितने मवेशी हैं, इसको नजर अंदाज करते हैं। जब भी राजस्थान में किसी गांव की जलप्रदाय योजना बने, उस गांव में मवेशियों की संख्या कितनी है, खास तौर

(श्री माणकचन्द सुराणा)

से रेगिस्तानी जिले में यह देखना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, रेगिस्तान में खेती के बराबर हमारा जीवन का आधार पशु-पालन है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, रेगिस्तानी जिले में जलप्रदाय योजना बनाते समय मवेशियों की संख्या को आधार बना कर योजना बनाने की आवश्यकता है। खास तौर से, उपाध्यक्ष महोदय,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह निवेदन करना चाहूंगा कि रेगिस्तान में, जैसे लूणकरणसर में लिफ्ट कैनाल आयेगी और लिफ्ट कैनाल के द्वारा भूमि की सिंचाई होगी, उसके बावजूद सैकड़ों गांवों में पाइप लाइन के द्वारा पानी दिया जाये। 33 हजार गांवों में से 8 हजार गांव ऐसे हैं जहां पानी का स्रोत नहीं है या पानी खारा है। ऐसे गांव 7-8 जिलों में हैं। पश्चिमी राजस्थान के नागौर, सीकर, झुंझुनूं के हिस्से हैं वहां लिफ्ट कैनाल के द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। वहां की जलप्रदाय योजना बनाकर राज्य सरकार को खर्चा वहन करना चाहिए।

आखिर में, मैं एक बात और कहूंगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा और न गांवों के नाम लूंगा, क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 232 गांव हैं। उनमें से 25 गांवों में नल योजना होगी, बाकी के अभी इन्तजार कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का कहना है कि इस वर्ष 1978-79 में दो करोड़ रुपये नई योजनाओं के लिए स्वीकार किये जा रहे हैं और 6 करोड़ की नई योजनाओं पर काम चल रहा है, तो यह बजट नाकाफी है। दो करोड़ में से अधिक से अधिक 200 गांवों में योजना शुरू करेंगे, एक योजना ढाई साल चलती है, ढाई साल में एक योजना कम्पलीट होती है। इस गति से पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय राज्य मंत्री महोदय से कि आप 1975-76 के आंकड़ों की तरफ ध्यान दें। 1975-76 में इमरजेंसी लगी थी, हालांकि मैं इमरजेंसी का सख्त विरोधी हूं, इसके बावजूद मैं बताना चाहता हूं 559 गांवों में जलप्रदाय योजनायें लागू की गई। उपाध्यक्ष महोदय राज्य मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा, जनता सरकार के शासन में दो वर्ष का काम पांच वर्ष में नहीं होना चाहिए। कम से कम एक हजार गांवों के लिए प्रावधान रखा होता, एक हजार गांवों में पानी पहुंचाने का टारगेट होता तो यह कहा जा सकता था कि वाकई पानी की समस्या को चलेंज के रूप में स्वीकार किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इजाजत चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रणजीतसिंह !

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह का वातावरण हाउस में दोनों तरफ से बना है पानी की समस्या को लेकर, इससे स्पष्ट है कि पानी की आवश्यकता को दोनों दल एक राय से मानते हैं। इन्सान की मूलभूत आवश्यकता पानी है। आज के इस बजट को देखते हुए जिस तरह का सदस्यों में आक्रोश है, वह स्वाभाविक है। दुर्भाग्यवश कहें या किसी तरह कहें हम हिन्दुस्तान के वासी हैं। हिन्दुस्तान के वासी पहले और उसके बाद राजस्थानी हैं। राजस्थान में भी उस इलाके में जन्म लिया जहां पर एक-एक बूंद पानी के

(श्री रणजीतसिंह)

लिए लोग तरसते हैं । ऐसा इलाका भी है जहां पर नदियां बहती हैं और 12 मास बहती हैं । वह भी राजस्थान का ही इलाका है । राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ है, परन्तु पानी की समस्या के लिये चारों तरफ से मांग आती है । जहां नदियां बहती हैं वे भी कहते हैं कि हमारे गांव में नल आ जाय। हम नल नहीं चाहते हैं हम पीने के लिये पानी चाहते हैं । बहुत से माननीय सदस्यों को जो पश्चिमी भू-भाग है राजस्थान का उसका पता नहीं है क्योंकि उन्होंने उस इलाके को देखा नहीं है । अगर आप हमारे यहां कहीं पर जायें तो देखेंगे कि कहीं दस मील से पानी लाते हैं, कहीं 5 मील से पानी लाते हैं । पश्चिमी इलाके में ऐसी बहुत ही कम जगह है जहां 5 मील से कम पर पानी उपलब्ध होता है । अलग-अलग जगह, अलग-अलग स्थिति है, इसलिये अलग-अलग तरीके से इसको देखें । हमारे जो राज्य मंत्री महोदय हैं वे भी पश्चिमी भू-भाग के ही हैं, इनको ज्यादा ज्ञान होना चाहिये । ये उस धरती में पैदा हुये हैं लेकिन इन्होंने गांवों की स्थिति देखी नहीं है क्योंकि शहरों में अधिक रहे हैं । जो राजस्थान के मंत्रिमण्डल में हैं वे सबके सब, 2-3 को छोड़कर, दूसरी जगह पले हुए हैं । मंत्रिमण्डल पर तो मैं आक्षेप नहीं लगाता, क्योंकि पैसों का अभाव है, उसके अनुसार ही योजना बनेगी, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से योजना नहीं बनी। जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने टंकी का उदाहरण दिया । मैं भी गया था नागेन्द्रपुर, वहां चारों तरफ टंकी देखी तो गुंदोज के अन्दर जो टंकी बनी है वह मैंने देखी । वह विभाग का नमूना है, हालांकि किसका दोष है, किसका नहीं है यह तो पता नहीं लेकिन यह आंखों देखा हाल है । इस विभाग की हालत क्या है ? इस विभाग ने जो योजना बनाई वह अधूरी है । हमारे पश्चिमी राजस्थान में अलग-अलग स्थिति है । हमारे यहां यदि एक कुआं बनाया जावे तो 60-70 हजार रुपया लगता है । एक शहर का आदमी पानी का साधन घर बैठे उपलब्ध कर लेता है तो गांव वाले 10 मील से पानी लाते हैं उन्हें बहुत दुःख होता है । चुनाव में थोथे गुब्बारों के जैसे आश्वासन जनता को दे दिये । जैसे बच्चे साबुन में लगा कर गुब्बारे फुलाते हैं वैसे ही जनता को आश्वासन दे दिये । जहां पर जो-जो समस्यायें थीं उन्हें हल करने की बात कह दी । उसी का यह परिणाम हुआ कि वे धोखे में आ गयें, उन्होंने सोचा जो बात कह रहे हैं उसकी पूर्ति होगी । वैसे हमारे मुख्य मंत्रीजी इसमें बहुत माहिर हैं कि झूठ किस तरह निभा सकते हैं, क्योंकि पहले विरोधी पक्ष में रहे हैं लेकिन आज विरोधी पक्ष में न रह कर उन्हें सरकार चलानी है। तो कहने का मतलब है कि आश्वासनों के गुब्बारों से हविश बढ़ी। हविश बढ़ने से आज पानी की मांग ज्यादा आती है . . . . .

(व्यवधान)

मैं नहीं कहता कि गांवों के आदमियों की हविश बढ़ी है आप उस सबकी पूर्ति कर दें । अभी जो माननीय सदस्य मेरे से पूर्व बोले, उन्होंने कहा कि योजना बनाते समय गांवों में जो मवेशी हैं उनका भी ध्यान रखें । जहां कहीं योजना बनी है तो जनसंख्या के आधार पर योजना बनाई है

(श्री रणजीतसिंह)

जनसंख्या के आधार पर योजना बनेगी, तो मवेशी कहां जायेंगे ? मवेशियों के बारे में योजनाओं में कुछ नहीं सोचा जाता है। ये जो आपके योजना बनाने के पुराने तरीके हैं, इनको आप खतम करें।

आज अभी जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने और फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जगह-जगह नल योजनाएं चल रही हैं, वे प्रायः बन्द सी पड़ी रहती हैं। क्या हालत होती होगी देहात के आदमियों की ? देहात का व्यक्ति किसी जगह जाकर शिकायत नहीं कर सकता है। न तो वह पढ़ा लिखा होता है और न उसे मालूम होता है कि कहां जाकर शिकायत करे। शिकायत की जगह तक वह साधारण तरीके से पहुंच भी नहीं सकता है। उसके लिये टेलीफोन की व्यवस्था भी नहीं है। वह अन्दर ही अन्दर घुट रहा है और वह सोच रहा है कब मेरा समय आये और कब बदला लूं। जो देहातों के लिए बजट में पैसे रखे हैं 9-10 करोड़, उससे कोई भला होने वाला नहीं है। बड़ी टंकी की बात छोड़ें, हमें नल भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा पश्चिमी इलाका ढाणियों में रहता है। ढाणियों में 400-500 आदमी एक साथ रहते नहीं हैं। एक जगह उनकी कोई बस्ती नहीं है। सब जगह बिखरे हुये हैं। हम चाहते हैं कि पानी सभी जगह मिले। आज अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ता ने कहा कि गांवों के अन्दर पुराने जो पानी के साधन हैं, जो कोठे हैं, उनको अगर आप पानी से भरवा दें तो भी काम चल सकता है। आपकी नल योजना तो चालू हो नहीं सकती, जब तक कि बिजली उपलब्ध नहीं हो। डीजल सैटस में अभी भी चोरियां होती हैं। यह स्वाभाविक बात है, क्योंकि डिपार्टमेंट का विस्तार हुआ है। डिपार्टमेंट के विस्तार के साथ चोरियां होने की बड़ी गुंजाइश रहती ही है। अगर आप इस तरह से पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते तो जो राजस्थान कैनाल का पानी है, वैसे भी पूरा पानी आप खपा नहीं सकते हैं, पाकिस्तान में फालतू पानी जाता है, उस पानी को, राजस्थान कैनाल के पानी को लिफ्ट योजना के माध्यम से आप जगह-जगह पर, जहां कहीं पर भी खारा पानी है, डेजर्ट है उन गांवों के अन्दर पहुंचा दें। गांवों के अन्दर जो पुराने कुएं हैं, उनके हौद बने हुए हैं, वहां तक पानी पहुंचा दें। हम नहीं चाहते कि हमें फिल्टर्ड वाटर ही मिले। अगर फिल्टर्ड वाटर शहरों में नहीं मिले बीकानेर में नहीं मिले तो वहां के लोगों को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बुद्धिजीवी आदमी के जरूर कोड़े पड़ेंगे, बीमारियां होंगी, हम तो बीमारियों से जूझे हुए आदमी हैं। आप हमारी बीमारियों की परवाह मत करो, हमें सिर्फ पानी जरूर उपलब्ध करा दो। आज मजदूरों के नाम से, किसानों के नाम से और गरीबों के नाम से, वोट लेकर आए हो और वोट लेकर आने के बाद में हम देखते हैं, और जगह-जगह हम देखते हैं, चाहे गवर्नमेंट होस्टल हो, या एम. एल. ए. क्वार्टर हो, जहां पर भी किसी मकान में रहते हैं वहां सफाई के ऊपर बहुत पानी खर्च होता है। अपने निवटने के बाद में, पेशाब करने के बाद में भी ढेरों पानी खतम कर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री रणजीतसिंह)

पेशाब करने के बाद में जंजीर खींचते हैं। हम तो चाहते हैं कि आपने जितनी बातें गांवों में जाकर कही थीं, उनकी कुछ तो पूर्ति करें, ताकि आपकी पार्टी की साख बने। हमारे लिए तो आप कहते हैं कि हमने तीस साल तक कुछ नहीं किया, लेकिन आप भी उन खामियों को दूर किए बिना कायम नहीं रह सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि थोथी घोषणाओं से आपकी पैठ खराब होगी, आपकी पार्टी की इमेज बिगड़ेगी। जैसा कि यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने बताया और मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ता ने भी कहा कि हम गांव में जायें कैसे ? हर गांव में यही हालत है। गांवों में आपने लम्बी-चौड़ी बातें तो बहुत कर दीं कि यह करेंगे, वह करेंगे, हर गांव में पानी लायेंगे किन्तु इस बजट में पानी के लिए सिर्फ नौ करोड़ रुपया मांगा है। इस धनराशि से आप सभी जगह पानी पहुंचा नहीं सकते। रेगिस्तानी इलाका बहुत बड़ा इलाका है, डेजर्ट इलाका बहुत बड़ा है। लोग चाहते हैं कि हर गांव में पानी आ जाय, यह इस रकम से सम्भव नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में।

इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है, यह जो प्रगति विवरण है, इसमें काफी लम्बी-चौड़ी बातें कही गई हैं। जैसा यहां पर कहा गया था, इसको पार्टी का चुनाव घोषणा-पत्र बना दिया है, यह विभाग का प्रगति विवरण नहीं है। आखिर डिपार्टमेंट सरकार का है और सरकार में जरूर आपकी पार्टी है, उस पार्टी के आधार पर अगर आप अपनी पार्टी का चुनाव घोषणा-पत्र देते तो हमको कोई तकलीफ नहीं। चुनाव में आपने घोषणा-पत्र दिया, उस चुनाव घोषणा-पत्र के आधार पर आप यहां पर आए हैं। उसमें जो आपने काम करने के लिए घोषणा की थी उसके आधार पर काम करना चाहते हैं तो जरूर काम करिये, हम भी आपको सहयोग देंगे, अगर आप सहयोग लेना चाहेंगे, नहीं लेना चाहें तो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि गांवाई इलाकों को इस तरह से नेग्लेक्ट करके नहीं चलें।

अभी जोधपुर का ही सवाल आया। जोधपुर का पानी जवाई बांध से लाकर सप्लाई करेंगे। जवाई बांध में पानी पहुंचाने के लिए सेई डेम बनाया, उससे जवाई बांध में पानी आएगा और जवाई बांध से जोधपुर, पानी आएगा। इतना लम्बा-चौड़ा एरिया है, मीलों से पानी लाकर आप जोधपुर शहर को पानी पिलायेंगे क्योंकि वह संगठित शहर है। उसके मुकाबले में देहात वालों की परवाह नहीं है। एक बार जोधपुर में पानी की बहुत कमी हो गई, बहुत बड़ी चुनौती का सवाल हो गया कि या तो पानी की व्यवस्था करो, वरना शहर खाली करना पड़ेगा ?....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष :... माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री रणजीतसिंह :.. अब जोधपुर को पानी सप्लाई करने के लिए रामपुरा से

(श्री रणजीतसिंह)

पानी लाने की योजना बनी। रामपुरा जोधपुर से 18 मील दूर है। हमको सरकार ने कहा कि पानी की स्केयरसिटी हो गई है, या तो शहर को खाली करावें या पानी दें। शहर की दिक्कत का सवाल था इसलिये हमने कहा कि हम मदद करेंगे। हमारे यहां पर ट्यूब-वेल खोदे गए। काश्तकारों के पास कुएं हैं, उनसे खेती चल रही है। कुओं के लिए लाखों रुपयों का लोन दिया लेकिन वहां पर ट्यूब वेल खोद कर हमको बरबाद कर दिया, कुएं सूख गए। सरकार ने हमको यह आश्वासन दिया था कि साल भर के अन्दर इनको बन्द कर देंगे, लेकिन अभी तक वे ट्यूब-वेल चल रहे हैं। जोधपुर के लिए रामपुरा से पानी पचा सकते हैं लेकिन रामपुरा के लोग तिसाया मरेंगे। इसका नतीजा यह हुआ कि काश्तकारों ने हंगर स्ट्राइक की, लेकिन सरकार इनको बन्द करने को तैयार नहीं है। दूसरी जगह पर पानी पहुंचाने के लिए, वहां के कुएं सूख गए। रामपुरा का पानी जोधपुर ले आये और रामपुरा के आदमी तिसाया मरें, वहां की पंचायत के जो गांव हैं उनमें रहने वाले सब के सब पानी के बिना प्यासे हैं।

श्री हरिकृष्ण : व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों के बोलने के लिए पांच मिनट का समय तय किया था। इनको बोलते हुए बारह मिनट हो गए हैं।

श्री रणजीतसिंह : मैं तो डेजर्ट से आया हूं। (व्यवधान)

श्री हरिकृष्ण : मैं समझता हूं कि रात के बारह बज रहे हैं, अभी कुछ और भी सदस्य बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं है समय के लिए। फिर भी मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य जल्दी समाप्त करें।

श्री रणजीतसिंह : रामपुरा से जोधपुर तक सरकार पानी ले जा सकती है, लेकिन रामपुरा के आस-पास के जो गांव हैं, रामपुरा पंचायत के थोड़ी-थोड़ी दूर पर गांव हैं, मथा से रामपुरा, रामपुरा से चौपासनी गांव हैं जो डेढ़ दो किलोमीटर की दूरी पर हैं, वहां पर सरकार पानी नहीं पहुंचा सकती। रामपुरा के गांवों को पानी नहीं दे सकती, लेकिन रामपुरा का पानी जोधपुर लाना मंजूर है। यही हालत ओसियां की है...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया एक मिनट के तकिया कलाम को मत दोहराइये, अब जल्दी समाप्त करें।

श्री रणजीतसिंह : इसलिए मैं चाहता हूं कि जोधपुर के लिए कुछ योजना बने जिसमें छोटे-मोटे आस-पास के गांव हैं उनको भी शामिल करें। शहर में जो मोहल्ले हैं, हरिजन मोहल्ले हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स के मोहल्ले हैं, जिनको छोड़ दिया है, उनको शामिल करें। वहां पर दो-तीन योजनायें चल रही हैं सात-आठ महीने से लेकिन उन में यह डिफेक्ट है। हम नहीं चाहते कि केवल टेक्निकल राय से ही सरकार की योजनायें चलें। गांवों की जो स्थिति है उनको ध्यान

(श्री रणजीतसिंह)
में रखते हुए, उनकी आवश्यकता को देखते हुए योजना बने। हमको बड़ी-बड़ी टंकियां नहीं चाहिए, लिफ्ट इरिगेशन से पानी ला सकते हैं। डेजर्ट के अन्दर आप कुछ नहीं कर सके तो आपकी इमेज खराब होगी। इसलिए कम से कम आप वहां पर पानी की व्यवस्था कर दें, तो हम भी आपकी पार्टी की इमेज बनायेंगे। हम भी कहेंगे कि जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यहां पानी आया है। आप थोथी घोषणा करेंगे, थोथे आश्वासनों के गुब्बारे छोड़ेंगे तो वही हाल होगा जैसा साबुन के गुब्बारों का हाल होता है कि फूंक मारो और उड़ गए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल !

श्री मांगीलाल (जायल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आपकी विभाजन संख्या क्या है ? मांगीलाल दो हैं।

श्री मांगीलाल : 109 है।

सभी माननीय सदस्य पाणी, पाणी, पाणी, पाणी की पुकार करते हैं, पण म्हारे अठे तो पाणी नजर में आता दिखता नहीं है। इस सरकार से पाणी की पूर्ति होना मुश्किल है क्योंकि राजस्थान बड़ा लम्बा-चौड़ा है। भगवान जो मेह बरसाता है राजस्थान में वह भी पूरी जगह पर नहीं बरसाता है। कठई काल पटक देगा तो कठई जमाना होता है। सब जगह आज तक पाणी की पूर्ति नहीं हुई है। जब भगवान ही नहीं कर सका तो राजस्थान में सरकार से पाणी की पूर्ति होना मुश्किल है। पाणी पाणी, करता मक्ष गरीब की, किसान की आंख में पाणी है, वह भी धीरे-धीरे मिट जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरी जायल तहसील का विवरण दूं। मेरी जायल तहसील शायद सत्तारूढ़ दल के पास कभी नहीं रही। जब कांग्रेस को राज्य हो तो भी बाहर और अब जब जनता पार्टी को राज आयो तो भी बाहर ही है। इसलिए मेरी कांस्टीट्यूएंसी में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, चालीस गांवों में पानी खारा है। गर्मी की मौसम में कोई ढोर ढांढा, मवेशी पाणी पीता है, तो उसको मरना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो आपकी मार्फत सरकार से यही कहणो है कि पाणी की सरकार अगर व्यवस्था कर दे और गांवों की पाणी की तृष्णा मिट जावे तो लोग सुखी हो जावेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, कई-कई गांव म्हारी कांस्टीट्यूएंसी में इश्या आया है जहां टीबा हैं, ढाणियां हैं। एक लालगढ़ गांव है, वहां पर पाणी की बहुत मुश्किल है। पाणी काश्तकार को चार-चार मील तक नहीं मिलता है। गांव में कांकड है, ढाणियां हैं, वहां पाणी की पूर्ति होना मुश्किल है, क्योंकि पाणी खारा है और पाणी ऊण्डा ज्यादा है। कुआं खोदना बड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल से जायल तहसील बहुत पीछे रही है और सत्तारूढ़ दल के साथ कभी नहीं रही है। तो मेरा यही निवेदन है कि मेरे तहसील में पाणी की पूर्ति की जावे। आप आ पूर्ति कर दो तो आपका भी नाम रह जावे कि जनता पार्टी ने पाणी की पूर्ति कर दी .....

(व्यवधान)

श्री मेघराज पंवार : पाणी के वास्ते माला फेरो।

श्री मांगीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, म्हारो यह नम्र निवेदन है कि म्हारी तहसील के अन्दर बिजली और पानी होना चाहिए। वहां पंचायत समिति है, तहसील है और आबादी उस गांव की 15 हजार की है। और भी कई तरह की समस्याएं हैं तो पाणी की पूर्ति हो जाय तो म्हारी तहसील के लोगों को सुख हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहम्मद जहूर!

(अनुपस्थित)

माननीय कारूभाई मीणा!

श्री कारूभाई मीणा (प्रतापगढ़) : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा एक कटौती प्रस्ताव है पीने के पानी के संबंध में। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी। आदिवासी और हरिजनों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने के बारे में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, लिखा हुआ तो आप पढ़ नहीं सकेंगे। आपकी जो भावना है कह दें।

श्री कारूभाई मीणा : हमारे यहां पीने के पानी के बारे में अवश्य प्रबन्ध करेंगे। हमारे यहां 23 पंचायतें हैं जिनमें न तो पीने का पानी है और न बिजली है। पूरा आदिवासी एरिया है।

आपका हुकुम हो तो यह पढ़ दूं....

श्री उपाध्यक्ष : आप गांव के नाम पढ़कर बता सकते हैं।

श्री कारूभाई मीणा : बारां, बरखां, मदुरा तालाब, कुलमीपुरा, धमोतर, नारायणखेड़ा, चिकलाड, देवगढ़, असलपुर, रामपुरिया, मंडावा वीरपुर, सेवकपुरा, कचोटिया, मनोहरगढ़, अचलावदा, लालगढ़, फतेहगढ़, साखतली खुर्द, सेवना, सालमगढ़, ऊंटल, रायपुर, आम्बीरामा, ये 23 पंचायतें हैं। इनमें न तो पीने का पानी है और न बिजली है। पूरा आदिवासी एरिया है, पहाड़ी एरिया है। इनमें पानी की व्यवस्था कराई जाय। वहां न तो बिजली है न पानी है। पहाड़ी एरिया है। वहां पर कुएं नहीं हैं, तालाब नहीं हैं। सरकार की तरफ से इनकी व्यवस्था कराई जाय। वहां कुओं से मिलने वाले पानी की टंकियां बनाई गई हैं। हरिजन मोहल्लों में पाइप लाइन नहीं डाली गई है। वहां विरोध होने के कारण पाइप लाइन नहीं डाली गई है, वहां पाइप लाइन डाल दी जाय। अमलावदा में भी टंकी बनी हुई है। वहां पर भी पाइप लाइन अधूरी है, उसको पूरा किया जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : इसके पहले कि मैं मंत्री महोदय को उत्तर के लिए आमंत्रित करूं श्री बालकृष्ण थानवी और श्री रामकृष्णदासजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आसन से निवेदन किया था कि उन्हें आवश्यक कार्य से जयपुर से बाहर जाना था लेकिन मुझे खेद है कि जो क्रम था उसके अनुसार उनको सुविधा नहीं दे सका।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह बोल लिए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उसके बाद यह बराबर सदन में उपस्थित हैं और जयपुर के बाहर नहीं जा सके। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री किशनसिंह भाटी : Observing discipline.

श्री बालकृष्ण थानवी : कार्यक्रम बहस सुनने के लिए रद्द किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राज्य मंत्री, श्री महबूब अली को उत्तर देने के लिए आमन्त्रित करूंगा ।

श्री माणकचन्द सुराणा : देखिये आपके उत्तर पर आपका प्रमोशन निर्भर है ।

श्री महबूब अली (राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं सदस्य महोदयों को धन्यवाद देता चाहता हूं और आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने अमूल्य सुझावों से राज्य सरकार को अवगत कराया । काफी सदस्यगण काफी तैयारी के साथ आये थे । अपने-अपने विचार उन्होंने प्रस्तुत किये ।

माननीय सदस्यों की चिन्ता पेयजल की समस्याओं के बारे में है उनकी मैं कद्र करता हूं । वास्तव में उनकी चिन्ता उचित है । पिछले काफी अर्से से इन समस्याओं को जो प्रायोरिटी देनी चाहिए थी वह प्रायोरिटी नहीं मिल सकी । मैं किसी को दोषी ठहराने के लिए बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो वस्तुस्थिति है, उसका उल्लेख किये बिना नहीं रहा जा सकता है । यह बात सही है कि राजस्थान के अन्दर पेयजल की समस्या जिस मेग्नीट्यूड की प्रॉब्लम है वह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है । इसके लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता है । किसी जमाने में यदि उसकी कास्ट 70 करोड़ थी तो आज 220 करोड़ के करीब हो गई है । 70 करोड़ के समय यदि उसको पूरा कर दिया जाता तो आज यह समस्या इतनी गहरी, इतने मेग्नीट्यूड के साथ सामने नहीं आता । उस समय की राज्य सरकार की प्रायोरिटीज, उनके एम्फेसिस भिन्न थे, ऐसा मैं कहूं तो नाराज होने की, या फील करने की बात नहीं है । यह अपने-अपने दृष्टिकोण का भेद है, अपने-अपने दृष्टिकोण की बात है ।

एक बात और कही गई कि मुख्य मंत्री ने घोषणा की । पानी उपलब्ध कराने की बात कही थी, इससे रिट्रीट करने का प्रश्न पैदा नहीं होता । लेकिन मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या यह प्रिमेच्योर इवेल्युएशन नहीं है ? राज्य सरकार की कोशिशों, उसके प्रयासों का मूल्यांकन अगर करें इन 8 महीनों के अर्से का, तो क्या यह प्रिमेच्योर इवेल्युएशन नहीं है ? आप कह चुके हैं कि हम दिशा की बात कहते हैं । राज्य सरकार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर पेयजल की समस्या के समाधान के प्रति सजग है और सक्रिय रूप से उस दिशा की ओर अग्रसर है । यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं ।

500 गांव लेने की 1978-79 के अन्दर बात कही गई ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 300 ।

श्री महबूब अली : 500 । 300 इसके अन्दर शामिल हैं । 450 हैं ।

तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी नीयत, राज्य सरकार की नीयत पर किसी प्रकार से शक नहीं किया जा सकता । यह बात और है कि धनाभाव के कारण, या कुछ अन्य कारणों से, प्रशासनिक कारण समझ लीजिये, वह गति इन 8 महीनों में नहीं दी जा सकी है जिसकी आपको अपेक्षा थी और जिसकी बात पहले

(श्री महबूब अली)

कही थी। इस बात को स्वीकार करने में मुझे रत्ती भर भी हिचक नहीं है।

क्षेत्रीय असन्तुलन की बात कही गई। जिन जिलों में, मरुप्रदेश के जो जिले हैं जिनके अन्दर खारा पानी है, या पानी नहीं है उन क्षेत्रों की समस्याएं बहुत गम्भीर हैं। पिछली सरकार द्वारा जिस प्रकार से आयोजना समिति का गठन किया हुआ था, जो एक प्रक्रिया उसकी बनी हुई थी जिलेवार अलॉटमेंट करने के पहले उसमें से गुजरते थे, उसी आधार पर, उसी रीति-नीति पर चलते हुए अभी फिलहाल कार्य किया जा रहा है। यहां माननीय सदस्यों का यह विचार भी आया कि राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर प्रायोरिटी तय की जाय। विचार वास्तव में काफी गम्भीर है। इसके क्या-क्या रिपरकशन्स होंगे, इसको देखना होगा। सारे राजस्थान को देख कर प्रायोरिटीज फिक्स करने की बात सदन के अन्दर माननीय सदस्यों ने पुरजोर शब्दों में कही है, मैं इसका हामी हूं। पिछली सरकारों के सामने क्या समस्या रहीं थीं, क्या पोलिटिकल प्रेशर्स रहे थे, किन-किन गांवों को लेने में किस-किस प्रकार के मेनिपुलेशन्स हुए, किस-किस प्रकार के प्रयास किये गये, इनके विस्तार के अन्दर मैं जाना नहीं चाहता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अलॉटमेंट न करके, यदि यह कहा जाय कि सारे राजस्थान को एक दृष्टि से देखकर और जितनी आवश्यकता हो जिस जगह की, उसकी प्रायोरिटीज फिक्स करते हुए कि पानी नहीं है, खारा पानी है, जैसी प्रायोरिटी हो उसके हिसाब से फण्ड्स का अलाटमेंट किया जाय, इसके बाद इस सदन के माननीय सदस्यों की मनःस्थिति किस प्रकार होगी, यह विचारणीय विषय है...

एक माननीय सदस्य : यह सही होगी।

श्री महबूब अली : लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे तैसे डिस्कन्टेन्टमेंट को आप लोग अभी महसूस नहीं कर रहे हैं किन्तु बाद में एम. एल. ए. विधायकों में किस प्रकार का डिस्कन्टेंटमेंट आयेगा ? मैं काफी समय से इस विभाग को देख रहा हूं, मेरा अनुभव है इस बात का कि बहुत से समस्याग्रस्त गांव नहीं होते हुए भी उनके अन्दर जल समस्या के समाधान की बात कही जाती है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, राजस्थान की सारी जनता को निवेदन करना चाहता हूं कि दृष्टिकोण को बदलने की बड़ी भारी आवश्यकता है। यदि बहुत गहराई से देखा जाय तो राजस्थान में समस्याग्रस्त गांव हैं या जिस जगह बिलकुल पानी नहीं है, स्रोत नहीं हैं, खारा पानी है, इस तरह के जो गांव हैं, किसी प्रकार से उनकी समस्या का समाधान करने के लिए बहुत कन्सन्ट्रेटेड एफर्ट्स किए जाएं, तो मैं समझता हूं कि वह लाभप्रद हो सकता है। क्षेत्रिय जलप्रदाय योजना का जो निर्माण होता है, उनको किस प्रकार बनाया जाता है, उस पर भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इतनी बड़ी-बड़ी योजनाएं अनइकोनॉमिक योजनाएं बनादी गई हैं, उनके मेन्टीनेन्स के लिए इतना जबर्दस्त करीब 12 करोड़ रुपया रखा गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पर

(श्री महबूब अली)

रखा गया है। ये इतनी बड़ी योजनाएं बना दी गई हैं कि उनकी मेंटीनेन्स पर काफी अनावश्यक रूप से खर्चा करना पड़ता है। इस आस्पेक्ट पर विचार किया जा रहा है कि इनको किस प्रकार से छोटा बनाया जा सकता है। जो समस्याग्रस्त गांव हैं, उनको टॉप प्रायोरिटी पर लेकर उनमें अधिक कार्य किया जाएगा। राज्य सरकार के सामने बहुत सी समस्याएं हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जल समस्या, एक ऐसा सर्किल है जिसको आप समझने का प्रयास करें, मैं हर एक के ज्ञान में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। अण्डरग्राउण्ड वाटर प्रकृति पर निर्भर है। जब भी ऊपर से पानी बरसता है, रिसता है, उसका लेवल ऊंचा-नीचा होता है कितना पानी निकलना चाहिये, कितना पानी उसके अन्दर रह जाना चाहिए, यह एक्सपार्ट्स बताते हैं। उसके हिसाब से ट्यूब-वेल का निर्माण होता है और तभी ट्यूब-वेल अच्छे बनाए जा सकते हैं। यह बात तो केवल टैक्निकल आदमी हैं वे ही जानते हैं। वे बताते है पानी का कितना डिपोजिट है, उसकी कितनी आयु है, उसका वे एवरेज निकालते हैं। यह प्रोसीजर बताया है मुझे, जो टेक्निकल व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया है। मुझे स्वयं को इतना ज्ञान नहीं है। यह सारी प्रकृति पर निर्भर करने वाली बात है। इसकी उपयोगिता के बारे में, पानी की उपयोगिता के बारे में आवश्यकता के बारे में किसी भी प्रकार से इन्कार नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार के सामने, पहली वाली राज्य सरकार के सामने यह समस्या रही है कि इसका कॉमर्शियल बेसिस पर किस तरह से गांव के अन्दर गठन किया जा सकता है। प्रजातान्त्रिक सरकार होने के नाते बड़ा भारी इस बात का उसका दायित्व है कि गांव-गांव में पानी पहुंचावे। मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन यदि उसका किसी न किसी सीमा तक पेईंग प्रपोजीशन नहीं बनाया जा सके, तो यह उस प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी जिससे निकलना इस सरकार, या कोई भी आने वाली सरकार हो, के लिये मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोई न कोई इसका आधार बनाना जरूरी है कि किस सीमा तक इसका रिटर्न लिया जा सकता है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि धनाभाव की बात आपसे छिपाने की बात नहीं है। राज्य सरकार के फाइनेन्स आपसे छिपे हुए नहीं हैं। इस समस्या की गहनता, इस समस्या के मेग्नीट्यूड से आप परिचित हैं। इसी को देख करके जैसा लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी 'जल निगम' बनाने की बात कही, राज्य सरकार ने भी इस बात को समझा है कि एक साथ अपने रिसोर्सेज से इतनी धनराशि नहीं जुटाई जा सकती है। इसलिए विश्व बैंक के साथ वार्तालाप चला। मार्च में दूसरे दौरे पर उनकी टीम आई थी। उस टीम ने यहां अपनी तरह से सारी योजनाओं का परीक्षण किया। हमारे अधिकारियों से बातचीत की और मुख्य मंत्री के साथ उन्होंने एक मीटिंग की। उनके खयाल से कॉमर्शियल बेसिस पर रूरल स्कीम्स, कभी उपयोगी नहीं हो सकती है, इसलिए अर्बन स्कीम्स के साथ उनको जोड़कर उनका रिटर्न लिया जाय। वे जो कर्जा देते हैं उसकी अदायगी की स्थिति का खयाल भी उनको रखना पड़ता है। ऐसा उन्होंने मुख्य मंत्री के साथ बातचीत में, बातचीत के दौरान बताया। जब विस्तार से बातचीत हुई उस समय मुख्य मंत्री के साथ

(श्री महबूब अली)

सभी साथी मंत्री महोदय, और मैं भी शामिल था। मुख्य मंत्री ने इस बात पर इम्फेसिस दिया कि हम यह स्कीम्स रूरल ओरियेन्टेड करना चाहते हैं। इस सारे प्रोग्राम से उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे यह सब सुनकर, देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि राजस्थान सरकार गांवों पर इतना इम्फेसिस देना चाहती है और इस विश्वास के साथ देना चाहती है कि इस लोन के रिपेमेन्ट के लिए वह सक्षम होगी। तो इस सारी स्कीम में एकदम जो 160 करोड़ रुपय गांवों में लगाने की बात है, और 40 करोड़ शहरी योजनाओं के अन्दर लगाने की बात है, इसके पहले जो सोच विचार कर रहे थे तब इसकी उल्टी पोजीशन थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार राजस्थान की पेयजल समस्या के प्रति काफी सजग है, काफी प्रयत्नशील है ईमानदारी से। हम कथनी और करनी का अन्तर बहुत देखते आए हैं, पिछले काफी समय से देखते आए हैं। मैं यह कहूं कि पिछली सरकार की कथनी और करनी में कितना अन्तर था और आज सरकार की कथनी और करनी में कितना अन्तर है, इसका मूल्यांकन पांच साल बाद, दो-चार साल बाद आपको करने का मौका मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी कथनी और करनी में आज भी अन्तर नहीं है और 5 साल के बाद भी नहीं मिलने वाला है। मैं उतनी ही बात करूंगा जितनी कर सकता हूं।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत लम्बी चौड़ी बातें कही गई है कि हम चुनाव में वायदा करके आये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हू कि वायदा करने का सवाल नहीं है, कोशिश करने का सवाल है। इन समस्याओं के बारे में सोचा गया है। आप अपने क्षेत्र के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप जाकर यह कह सकते हैं कि हम विधान सभा में ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं। वित्तीय साधनों की उपलब्धि के अनुसार पेयजल की समस्या का समाधान हो सकता है।

इधर और उधर से काफी सुनने के बाद ऐसा मालूम पड़ता है, माननीय सदस्य ज्यादा सुनने के मूड में नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम सुन रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री किशन सिंह भाटी : बोलिए, बोलिए।

श्री महबूब अली : जहां तक प्रत्येक माननीय सदस्य के कटौती प्रस्तावों का उत्तर देने का प्रश्न है, यह हमारे लिए असंभव है। इसलिए लिखित उत्तर में आप लोगों के पास भेजने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने शुरू होते ही, कुछ बातें कही थीं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हम जो यहां बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जो बैठे हैं उनके ऊपर दया कीजिए। जो है नहीं, उनके लिए कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री महबूब अली : मैं जिस प्रकार...

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जो प्रश्न उठाये गये हैं, उनका जवाब देना चाहिए।

श्री शंकरलाल : जो माननीय सदस्य बैठे हैं उनके उत्तर तो आप दे नहीं रहे हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : He should reply about our points also.

श्री महबूब अली : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर की समस्या के बारे में मैं आश्वासन देता हूं कि जुलाई तक वहां की समस्या का काफी समाधान हो जायगा, इस बात का प्रयास किया जा रहा है। पाइप लाइन द्वारा जवाई बांध से पानी लाने के बारे में गंभीरता से विचार किया जा रहा है। वित्तीय साधनों की उपलब्धि के साथ उसका कार्य किया जा सकेगा

इसके अलावा बीकानेर में भी जुलाई तक पानी लाने का प्रयत्न है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या जुलाई में कोई विशेष मुहूर्त निकाला है ?

श्री महबूब अली : जयपुर में आपको कल से ही दिन भर पानी मिलेगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता: You cannot deny the right of citizens of Bikaner.

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य !

श्री रतनलाल वर्मा: व्यवस्था का प्रश्न है:, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : whether you have not any reply about....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, रामकृष्ण दासजी आप कह चुके हैं।

श्री महबूब अली : आप जो उचित समझें, वैसा कदम उठायें।

फिलहाल बीकानेर में रॉ वाटर दिया जाएगा। आप जो भी उचित समझते हों, वह कदम उठायें...

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : 60 लाख गैलन फिल्टर्ड वाटर है। आप 20 लाख गैलन अनफिल्टर वाटर दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप मन्त्री महोदय के उत्तर में इण्टरप्शन नहीं कर सकते हैं। आसान की अनुमति से ही आप पूछ सकेंगे।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह हमारे विवेक पर निर्भर करेगा।

श्री महबूब अली : एक बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर में भी दिन भर पानी सप्लाई करने का विचार कर लिया गया है। फिल्टर पानी की सप्लाई कोटा के अन्दर भी अक्टूबर तक कर दी जाएगी, जिससे काफी समस्या का समाधान हो जायेगा।

अपनी ओर से और सरकार की ओर से....

श्री रघुनाथ विश्नोई : जोधपुर के लिए ?

श्री महबूब अली : जोधपुर में जुलाई तक समस्या का हल हो जाएगा। दिन भर पानी देने की व्यवस्था की जाएगी जुलाई तक।

जहां तक जयपुर में पानी देने का प्रश्न है, यह एक्सपेरीमेन्ट बेसिस पर शुरू कर

(श्री महबूब अली)
रहे हैं। यह इस पर निर्भर करेगा कि आयन्दा बारिश का क्या हाल रहता है और कितनी मात्रा में बरसात रहती है। रामगढ़ के, सिचाई के बांध से पानी लिया जा रहा है। इस अवस्था में यद्यपि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जयपुर में पूरे दिन पानी सप्लाई किया जाये, लेकिन इसको एक्सपेरीमेंट बेसिस पर ही करने के लिये बात कर रहा हूं। स्पेशली आने वाले दिनों में इस बात पर ध्यान रखा जायेगा।

श्री किशनसिंह भाटी : जयपुर में तो पानी की कमी नहीं है। I want to know about Jaisalmer.

श्री महबूब अली : मैं अधिक नहीं कहता हुआ, आप सभी को धन्यवाद देता हूं।

श्री किशनसिंह भाटी : हमारा क्या हुआ ? मैंने कहा था, उत्तर नहीं दे सकोगे।

श्री महबूब अली : मैं निवेदन कर रहा हूं...

श्री शंकरलाल : भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करायेंगे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री किशनसिंह भाटी : You have not replied to my points.

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब के बाद प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं। यह हाउस की परम्परा रही है। This has been a convention. We want to know about our problems.

श्री हजारीमल सारण : मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चूरू के बारे में जो शिकायत की गई थी, उसका क्या हुआ ?

श्री किशनसिंह भाटी : With due respect to the Chair....

श्री उपाध्यक्ष : आपने मन्त्री महोदय को सुना। उन्होंने समुचित उत्तर दे दिया है। डेजर्ट एरिया के बारे में कहा था। भावना उन्होंने व्यक्त कर दी है।

श्री किशनसिंह भाटी : प्रायोरिटीज के बारे में करेक्ट बताइये। I allege that these are wrong priorities.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुमित्राजी आप पूछिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह तो आश्वासन दे दिया कि जयपुर में पानी दे दिया जायेगा, कोटा में पानी दिया जायेगा, जोधपुर में पानी दिया जायेगा, लेकिन मैंने नीति सम्बन्धी कुछ प्रश्न रखे थे उनमें से एक का भी जवाब नहीं दिया।

आप कृपया मुझे यह बतायें कि ग्रामीण जलप्रदाय योजना का जो आप मेन्टीनेन्स कर रहे हैं, घरों में कनेक्शन देने की आपकी क्या नीति है ? जो रीजनल स्कीम आप बना रहे हैं, जो ग्राम ऑन दी वे, इन दी वे, एन-रूट हैं दो सौ, चार सौ और पांच सौ फीट तक वे गांव कवर किये जा सकते हैं, उसके बारे में क्या नीति है ?

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मुझे यह बतायें कि विभाग पर राजनैतिक पार्टी से संबंध होने के जो चार्ज लगाये गये हैं, उनके बारे में आपको क्या कहना है?

श्री किशन सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल था कि.......

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सभापति महोदय, मैंने विभाग पर जो भ्रष्टाचर के आरोप लगाये थे, उनके बारे में माननीय मन्त्री महोदय ने एक शब्द भी नहीं कहा। हम उम्मीद कर रहे थे कि जनता सरकार भ्रष्टाचार को घटायेगी लेकिन मन्त्री महोदय इस बारे में चुप रहे। क्या हम मान लें कि वे भ्रष्टाचारियों के साथ में हैं?

श्री किशन सिंह भाटी : मेरे इस प्रश्न का उत्तर......

श्री उपाध्यक्ष : मैं चाहूंगा कि....

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : एक तरफ तो कहते हैं कि पैसा नहीं है, दूसरी तरफ कोई उत्तर नहीं देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बात सुन लें। मन्त्री महोदय उत्तर दें। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आपने प्रश्न पूछा है, मन्त्री महोदय ने सुन लिया है, वे उत्तर देना चाहें तो दे सकेंगे, लेकिन मैं उनको बाध्य नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जनता के प्रतिनिधि की बात नहीं सुनते....

(व्यवधान)

गन्दे पानी को रोकने के बारे में मन्त्री महोदय जवाब नहीं दे सकते। इसलिये सदन से I walk out.

(बहिर्गमन)

श्री किशन सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह एडमिट करते हैं क्यों कि प्रायोरिटी के मामले में जो प्रिन्सिपल है उसका वायलेशन किया गया है। This is very specific. very, important and very rational question.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। आप और प्रश्न पूछ रहे हैं। मन्त्री महोदय ने सुन लिया है। मैं मन्त्री महोदय को बाध्य नहीं करूंगा। कृपया विराजिये।

श्री किशन सिंह भाटी : That means he has admitted it. My allegation is correct and he has admitted this.

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय मंत्रीजी, मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैंने एक तो यह पाइन्ट रेज किया था कि आपके मीटर गलत हैं। इस कारण गलत बिलिंग होती है। इसके सम्बन्ध में आप क्या करने जा रहे हैं?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि गांवों के लिए जो आपने ग्रामीण जलप्रदाय योजना बनाई हैं, वहां पर आपने टंकियां बना दीं। नागौर जिले की मैं बात करता हूं, उन

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)
टंकियों को टैस्ट नहीं किया, वे ऐसे ही पड़ी हुई हैं और आप उन टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं कर रहे हैं। लाखों रुपया खर्च किया गया है। उन टंकियों के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके कटौती प्रस्तावों के उत्तर लिखित में आ जायेगा।

श्री किशन सिंह भाटी : Will this injustice, which has been done with my district, be removed or not ? That I want to know.

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको अवसर दे दिया है। विराजिये।

श्री किशन सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे चांस दे दीजिये। सुमित्राजी महिला होने का फायदा उठा रही हैं। I have used the word 'injustice' and I want to know whether justice will be done to our people ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। मैंने इस बारे में अपने विचार प्रकट कर दिये हैं। माननीय मंत्री महोदय उत्तर नहीं देना चाहते, तो मैं बाध्य नहीं कर सकता।

श्री किशन सिंह भाटी : इन्जस्टिस दूर करेंगे या नहीं ? यह रिप्लाई चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : मंत्री महोदय उत्तर देना नहीं चाहते।

श्री रामदेव (बिलाड़ा) : मंत्री महोदय उत्तर देने में असमर्थ हैं इसलिये हम सदन से वाक आउट करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री किशन सिंह भाटी : Hon'ble Dy. Speaker Sir, I very humbly request whether he will remove the injustice meted to my district ?

श्री रतनलाल वर्मा : बुरी नीयत करने से कोई फायदा नहीं। 12 बज गये हैं और आगे भी बजने वाले हैं।

(व्यवधान)

श्री महबूब अली : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, कोई मामला सामने आयेगा तो उसकी जांच कराई जायेगी, राज्य सरकार जांच कराने के लिए रेस्पान्सिबल है।

श्री किशन सिंह भाटी : जैसलमेर के साथ इन्जस्टिस हुआ है।

श्री हजारीमल सारण : वर्तमान सरकार की योजनाएं ठीक प्रकार से न चलने के कारण और पानी न मिलने के कारण गांव में जो एक कुआं धंस गया है, गांव के लोग खाली करके जा रहे हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आपके जो कटौती प्रस्ताव हैं उनका लिखित में उत्तर मिल जायेगा।

श्री किशन सिंह भाटी : जैसलमेर के साथ अन्याय कन्टीन्यू रहेगा क्या ? This is very relevant. Whether this injustice d one with Jaisalmer will be removed in future or not ? This is my

(श्री किशन सिंह भाटी)
specific question. क्या मन्त्री महोदय असेम्बली के फ्लोर पर यह जवाब भी नहीं दे सकते कि इन्जस्टिस मिटायेंगे या नहीं ? This is very relevant and very rational.

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ सकते है, उत्तर देने के लिए मैं मन्त्री महोदय को बाध्य नहीं कर सकता। माननीय सदस्य बिराजिये, मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री किशन सिंह भाटी : केवल इतना ही पूछना है कि अन्याय मिटायेंगे कि नहीं ? This is not a hypothetical question. I have charged that injustice has been done and he admitted this. This is my charge. He has not denied.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप कृपया बिराजिये।

मांग संख्या 27 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27—पेय-जल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 25,10,17,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 1978 के प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. रा. 12 बजे, सोमवार दिनांक 20 मार्च, 1978 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 345 की सूची)

भाग 'क' [प्रश्न भाग संख्या 1 की सूची]

कुल मामले:– 1129

1. रकम वसूली के ग्रादेश किये गये मामलों की संख्या	239	
2. विचाराधीन मामलों की संख्या	79	(40 ग्रधिकारी एवं 39 कर्मचारी)
3. निदेशक द्वारा नियमित किये गये मामलों की संख्या	811	
योग..	1129	

भाग 'ख' [प्रश्न भाग 1 खण्ड की सूची]

गबन के मामलों की सूची (कर्मचारी फरार हैं):–

कर्मचारी का नाम	ऊन ऋण की राशि	फरार होने का दिनांक
1. श्री के. एन. ग्रवस्थी, भूतपूर्व पर्यवेक्षक, कोलायत	39,000/–	9-5-68
2. श्री गोविन्द सिंह, भूतपूर्व पर्यवेक्षक, लोहावट	11,840/–	21-9-71

भाग 'ग' [प्रश्न भाग संख्या 2 की सूची]

वसूली हेतु ग्रादेश किये गये मामलों की सूची–

वर्ग	मामलों की संख्या	राशि
राजपत्रित ग्रधिकारी	107	97,759/–
ग्रराजपत्रित कर्मचारी	132	2,13,498/–
योग ..	239	3,11,257/–

(228)

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 32 का विवरण)

क्रम संख्या	जिले का नाम	चयनित परिवारों की संख्या	लाभान्वित परिवारों की संख्या	ऋण भुगतान परिवारों की संख्या	राशि	राशि सब्सीडी के रूप में वितरित की गई
1	2	3	4	5	6	7
1	अजमेर	6538	1816	118	230668	31437
2	अलवर	8572	1330	143	179582	16482.95
3	बांसवाड़ा	7133	3094	5597	839000	–
4	वाड़मेर	3942	18	18	22000	6000
5	भरतपुर	8666	3642	171	340000	–
6	भीलवाड़ा	5593	13	13	–	–
7	बीकानेर	2390	533	265	604000	5543
8	बून्दी	3111	953	–	–	–
9	चित्तौड़गढ	8249	945	945	407330	–
10	चूरू	8576	658	163	275000	–
11	डूंगरपुर	4160	612	3	13200	–
12	गंगानगर	6639	2197	4	–	–
13	जयपुर	11225	2164	7	10000	–
14	झालावाड़	6438	2402	519	239557	–
15	जैसलमेर	2045	34	34	133250	–
16	जालोर	2823	82	33	57100	–
17	झुन्झुनूं	3401	370	13	28500	–
18	जोधपुर	3342	320	12	6939	–
19	कोटा	8261	351	351	533850	6350
20	नागौर	5599	909	130	179224	93379
21	पाली	4614	535	19	49700	13064
22	सवाई माधोपुर	6923	1258	121	298500	–
23	सीकर	5873	181	181	199300	–
24	सिरोही	2484	170	72	57275	–
25	टौंक	4331	1432	392	341160	4875
26	उदयपुर	15494	4026	2552	3794000	58960
	योग ..	126422	30045	11788	4627935	239090.95

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

पंचायत चुनाव और रातड़िया गांव का मतदान स्थान

352. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में पंचायतों के चुनाव केवल बावरा ग्राम पंचायत के गांव रातड़िया का मतदान स्थान बदला गया और किसी मतदान स्थान को नहीं बदला गया ?

(2) क्या यह सही है कि रातड़िया गांव के मतदान स्थान को बदलने का आदेश राज्य स्तर से किया गया ? यदि हां, तो किस व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर, किस अधिकारी द्वारा, किस कानून और नियमों के तहत ऐसा किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) यह आदेश चुनाव विभाग द्वारा, राजस्थान पंचायत व न्याय उप-समिति चुनाव नियम, 1960 के अन्तर्गत मतदाताओं की सहूलियत के लिए किया गया।

माकड़ादेव सहकारी समिति के विरुद्ध शिकायतें

353. श्री लालूदास (फलासिया) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या माकड़ादेव, तहसील झाड़ोल में कोई सहकारी समिति चल रही है ? यदि हां तो कब से ?

(2) इस समिति द्वारा अब तक किन-किन को ऋण दिया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या इस समिति का कार्य संतोषजनक चल रहा है ? यदि नहीं, तो इसके विरुद्ध कितनी शिकायतें आईं और उन पर क्या कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं । परन्तु माकड़ादेव में पहले सहकारी समिति थी जो दिनांक 30-9-76 को बाघपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में विलीन कर दी गई है ।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी नहीं, समिति का कार्य संतोषजनक न होने के कारण इसे सशक्त समिति, बाघपुरा में विलीन कर दिया गया है। समिति के विरुद्ध चार सदस्यों की शिकायत प्राप्त हुई थी और जांच करने पर व्यवस्थापक के विरुद्ध रुपये 52,857.00 गबन के आरोप प्रमाणित हुए हैं तथा व्यवस्थापक के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। धारा 120 के तहत उसकी सम्पत्ति भी कुड़क कर दी गई है और पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भेज दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राज्य कृषि विपणन बोर्ड में नियुक्तियां

354. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर में कई कनिष्ठ लिपिक शीघ्र लिपिक, संगणक, रोकड़िया, लेखाकार आदि पदों पर नियुक्ति राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं की जाकर, नियमों का उल्लंघन किया जाकर की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि बोर्ड के कर्मचारियों पर राजस्थान सेवा नियम ही लागू होते हैं ? यदि नहीं, तो कौन से नियम लागू होते हैं ? उन नियमों की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि कई कर्मचारियों को सीधी भरती के द्वारा नियुक्ति दी गई ? यदि हां, तो ऐसा किसके आदेशों से, किन नियमों के अन्तर्गत किया गया है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इनमें से कई नियुक्तियों के सम्बन्ध में बोर्ड के अंकेक्षण रिपोर्ट में आपत्ति उठाई गई थी ? यदि हां, तो उन आपत्तियों का निबटारा किया गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि कर दिया गया है, तो क्या ?

(5) क्या यह भी सही है कि किन्हीं कर्मचारियों को नियमों के विरुद्ध तीन-तीन वेतन वृद्धियां दी गई हैं ? यदि हां, तो क्यों और किन नियमों के अन्तर्गत ?

(6) क्या यह सही है कि किन्हीं कर्मचारियों को, अधिकारियों को वाहन भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो किन-किन को कितना और किन नियमों के अन्तर्गत ?

उत्तर

(1) बोर्ड द्वारा अनियमित नियुक्तियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। ये नियुक्तियां भूतपूर्व मनोनीत बोर्ड के कार्यकाल के समय की गई थीं। उक्त सूची के अलावा बोर्ड द्वारा 72 कर्मचारियों को 'वर्कचार्ज' आधार पर समय-समय पर नियुक्त किया गया है।

(2) जी नहीं। राजस्थान सेवा नियम बोर्ड के प्रस्ताव दिनांक 28-5-75 के अनुसार बोर्ड की सेवा विधियां पारित होने तक लागू किये गये थे, बोर्ड द्वारा सेवा उप-विधियां दिनांक 11-7-77 को पारित की गई एवं अब वे ही कर्मचारियों पर लागू होती हैं। उप-विधियों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(3) जी हां। ये नियुक्तियां तत्कालीन अध्यक्ष महोदय तथा सचिव महोदय के आदेशानुसार की गई। ये नियमानुसार नहीं हैं।

(4) जी हां। अब मामला बोर्ड के विचाराधीन है

(5) जी नहीं।

(6) जी हां। सहायक जन सम्पर्क अधिकारी को तत्कालीन अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार 75/- मासिक वाहन भत्ता स्वीकृत किया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पंचायत समिति, अन्ता क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय

355. श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति, अन्तां की जलोदा तेजाजी, किशनपुरा, भटवाड़ा, माल बमोरी, मऊ तथा पाड़लिया ग्राम पंचायत में कहां-कहां पर प्राथमिक विद्यालय हैं ?

(2) इनमें से किस स्कूल में सरकारी स्कूल भवन हैं, कहां तक कक्षा है, कुल कितने छात्र हैं, अध्यापकों की संख्या कितनी है ? प्रत्येक स्कूलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या राज्य सरकार इन स्कूलों की स्थिति सुधारने हेतु प्रयत्न करेगी ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, अन्ता की ग्राम पंचायत जलोदा तेजाजी के क्षेत्र के ग्राम जलोदा तेजाजी, मोज्याहेड़ी व शाहपुरा, ग्राम पंचायत, किशनपुरा के क्षेत्र के ग्राम किशनपुरा, बोरदा व कून्डला, ग्राम पंचायत, भटवाड़ा के क्षेत्र के ग्राम महुवा, ग्राम पंचायत माल बमोरी के क्षेत्र के ग्राम माल बमोरी, रावल-जावल व बालापुरा, ग्राम पंचायत मऊ के क्षेत्र के ग्राम मऊ, रेनगढ, खानपुरिया व जड़ावादिया एवं ग्राम पंचायत हिंगोनिया के क्षेत्र के ग्राम हिंगोनिया पाड़लिया व हरसोलो में प्राथमिक विद्यालय हैं । अब पालड़िया के बजाय ग्राम पंचायत हिंगोनिया हो गई है ।

(2) सूची सदन को मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी हां । शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने, वर्तमान में पढने नहीं आने वाले बच्चों को पाठशाला में भर्ती करने, शालाओं के लिए उपयुक्त भवन एवं शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा ।

पाठशालाओं के लिए सरकारी भवन होने, कक्षाएं चालू रखने, छात्र एवं अध्यापक संख्या के विवरण संबंधी सूची

क्रम. सं.	नाम पाठशाला	सरकारी भवन है या नहीं	चालू कक्षाओं का विवरण	छात्रों की संख्या, जिनके नाम स्कूल में दर्ज हैं	अध्यापकों की संख्या
1.	किशनपुरा	सरकारी भवन	कक्षा 1 से 3	40	1
2.	वोरदा	देवस्थान का मन्दिर	,, 1 से 4	94	2
3.	कुन्डला	सरकारी भवन	,, 1 से 5	67	1
4.	जलोदा तेजाजी	सरकारी भवन	,, 1 से 5	121	2
5.	मोजाहेड़ी	गांव वालों द्वारा बनाकर दिया हुआ कच्चा मकान	,, 1 नवीन शाला	41	1
6.	शाहपुरा	सरकारी भवन	,, 1 से 3	38	1
7.	महुवा	सरकारी भवन	,, 1 से 4	77	2
8.	मालवम्बोरी	सरकारी भवन (अपूर्ण)	,, 1 से 5	185	3
9.	रावलजावल	सरकारी भवन	,, 1 से 3	55	1
10.	वालापुरा	गांव वालों द्वारा बनाकर दिया हुआ कच्चा मकान	,, 1 से 3	40	1
11.	मह्रू	सरकारी भवन	,, 1 से 5	151	3
12.	रेनगढ़	ग्रामवासियों द्वारा बनाकर दिया गया पक्का मकान	,, 1 से 3	31	1
13.	खानपुरिया	गांव वालों द्वारा बनाकर दिया गया कच्चा मकान	,, 1 से 3	33	1
14.	जुडावादिया	,, ,, ,,	,, 1	40	1
15.	हिंगानिया	सरकारी भवन	,, 1 से 5	73	1
16.	बारलिया	ग्रामवासियों द्वारा बनाकर दिया गया कच्चा मकान	,, 1 से 2	22	1
17.	हरसोली	,, ,, ,,	,, 1 से 3	35	1

223

जोधपुर नगर परिषद् की सीमा व अरबन एरिया की कृषि भूमि

356. **श्री नरपतराम बरवड़** (सूरसागर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर के आस-पास के कुछ गांव अरबन एरिया में लिये गये हैं ? अगर हां, तो कौन-कौन से ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्व अभियान व अन्त्योदय योजना के तहत इन ग्रामों के निवासियों को कोई फायदा नहीं मिला तथा भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत उनको बेदखली व जुर्माने के आदेश जारी किये गये ? अगर हां, तो इस प्रकार के निर्णय राजस्व अभियान के दौरान कितने व किन-किन के खिलाफ हुये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर परिषद् की सीमा व अरबन एरिया में बहुत-सी कृषि भूमि आयी हुई है तथा काश्तकारों के कब्जे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से भी पूर्व से उनका कब्जा काश्त चला आ रहा है उसके बावजूद भी उन लोगों को खातेदारी अधिकार अभी तक नहीं दिये गये हैं ? अगर हां, तो इन्हें खातेदारी अधिकार अभी तक क्यों नहीं दिये गये तथा अब इन लोगों को खातेदारी अधिकार कब तक दे दिये जायेंगे ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं दिये जायेंगे तथा राज्य सरकार की इस बाबत क्या स्पष्ट नीति है ?

उत्तर

(1) जी हां। ये 33 ग्राम हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। राजस्व अभियान एवं अन्त्योदय योजना के तहत इन ग्रामों में कार्य हुआ है एवं धारा 91 के तहत बेदखली के आदेश जारी नहीं किये गये हैं और न ही जुर्माने के आदेश दिये गये।

(3) जी हां। इस बारे में जिन लोगों ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये हैं उनके प्रार्थना-पत्रों की जांच की जा रही है। वैसे जो व्यक्ति कानूनी तौर पर खातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी हैं वे सक्षम न्यायालय में दावा करके भी खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।

सूची

1. आंगणवा
2. बासनी मालिया
3. पूंजला
4. डिगाड़ी कलां
5. डिगाड़ी तोला
6. खारड़ा रणधीर
7. भोचरली
8. बापनी चौहाना
9. ढूंढ
10. सामरिया
11. चौखा
12. सूखला
13. गोलासनी
14. मण्डोर
15. सूरपुरा
16. दईजर

(राजस्व मन्त्री)

सूची

17. जोधपुर सिटी
18. चैनपुरा
19. पदवासिया
20. बासनी तम्बोलियान
21. डिगाड़ी खुर्द
22. बासनी गेंदा
23. भलकयड़ा
24. बिनायकीया
25. झालामण्ड
26. कुड़ी भगतासनी
27. पाल
28. चौपासनी
29. गैंवा
30. वागा
31. देसरिया विश्नोइया
32. बड़ली
33. देसूरिया खारेला

जयपुर के न्यायालय भवन

357. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल बाजार, जयपुर): क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर के विभिन्न न्यायालय भवन कहां-कहां पर स्थित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इन भवनों के अलग-अलग होने से न्याय कार्य में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है ? क्या राज्य सरकार इन भवनों को जनता और वकीलों की सुविधा के लिए हाई कोर्ट बिल्डिंग में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या वर्तमान जिला सत्र न्यायालय के भवन में वकीलों और जनता के बैठने के लिए कोई उपयुक्त और पर्याप्त स्थान है ? यदि नहीं, तो क्या व्यवस्था की जाती है ?

उत्तर

(1) जयपुर में अधीनस्थ न्यायालय निम्न स्थानों पर स्थित हैं:—

(ए) सांगानेरी दरवाजे के पास पुराने न्यायालय भवन में—

1. अपर मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट एक।

2. न्यायिक मजिस्ट्रेट चार।

(बी) न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेल्वे) का न्यायालय स्टेशन पर स्थित है।

(सी) न्यायिक मजिस्ट्रेट (परिवहन) का न्यायालय बस स्टैण्ड पर स्थित है।

(डी) तीन न्यायालय जिलाधीश कार्यालय भवन में हैं।

(ई) शेष सभी न्यायालय बनीपार्क स्थित नये भवन में हैं।

(2) जी नहीं।

न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेल्वे) तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट (परिवहन) के न्यायालय उनके कार्य के अनुसार उचित स्थान पर रखे गये हैं। अन्य जगह स्थित न्यायालय नये भवन बनीपार्क में स्थानाभाव के कारण रखे गये हैं।

(विधि मन्त्री)

हाई कोर्ट बिल्डिंग में न्यायालयों के स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी नहीं, उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। उपयुक्त व्यवस्था करने पर विचार किया जावेगा।

ऋण पर ब्याज की वसूली

359. श्री जगमराज मेहता (ब्यावर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही तकाविमों के ऋण वसूली के समय मूलधन के बराबर ही ब्याज वसूल किया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सहकारी विभाग में ऋण वसूली के समय सहकारी समितियां मूलधन के बराबर ब्याज वसूल नहीं करके मूलधन से कई गुना अधिक रकम वसूल करने के उपरांत भी ब्याज की वसूली जारी रखती है ? यदि हां, तो सहकारी विभाग में भी राजस्व एवं अन्य विभागों की तरह मूलधन के बराबर ब्याज वसूली के आदेश कब तक जारी करने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान कृषि ऋण (तकावी) नियम, 1958 को ब्याज सम्बन्धी नियम 8 से 10 में अधिकतम ब्याज के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

(2) राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत मूलधन से अधिक ब्याज वसूल करने का प्रतिबन्ध नहीं है। ऐसा प्रश्न अभी राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

चौमू में तहसील की स्थापना का मामला

360. श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चौमू में नई तहसील की स्थापना का मामला राज्य सरकार के पास बहुत समय से विचाराधीन है ? यदि हां, तो राज्य सरकार चौमू में नई तहसील कब तक स्थापित करने जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि चौमू में तहसील की स्थापना के कई बार आदेश प्रसारित किये गये, लेकिन क्रियान्विति अभी तक नहीं हुई। यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ? इस मामले में कौन अधिकारीगण दोषी थे ?

उत्तर

(1) वर्तमान में ऐसा कोई मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं।

स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि. के भूतपूर्व संचालक को एडवान्स के रूप में दी गई राशि

361. श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान

Page No. 235

(236)

(श्री गुल मोहम्मद)
स्टेट कोग्रापरेटिव बैंक लि. (एपेक्स बैंक) द्वारा श्री महेन्द्र शास्त्री, भू. पू. संचालक को 12 हजार रुपये चेकोस्लावाकिया यात्रा हेतु एडवान्स स्वरूप दिये गये ? यदि हां, तो 21-5-74 को 12 हजार रुपया एडवान्स किस आधार पर दिया गया ?

(2) क्या यह सच है श्री महेन्द्र शास्त्री द्वारा दिनांक 24-8-76 को 12,679.00 व 282.00 रु. के बिल यात्रा व्यय के एडवान्स के प्रति प्रस्तुत किये गये ?

(3) क्या बैंक के हिसाब का ऑडिट करते समय उक्त यात्रा व्यय के बिल में कोई कमियां पाई गईं ? यदि हां, तो क्या यह पद का दुरुपयोग नहीं है ?

(4) क्या राज्य सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) श्री महेन्द्र शास्त्री की चेकोस्लावाकिया यात्रा का क्या उद्देश्य था और उनकी यात्रा से बैंक को क्या लाभ हुआ ?

(6) क्या वर्तमान सरकार श्री शास्त्री की उक्त विदेश यात्रा को उचित व सफल मानती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(7) यदि नहीं, तो इस यात्रा के निमित्त हुए प्रबंध व्यय को राज्य सरकार वसूल करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । संचालक मण्डल के प्रस्ताव के अनुसार राशि दी गई है ।

(2) जी हां ।

(3) यह बिल अभी पास नहीं किया गया है। अतः अभी इस बिल के ऑडिट की स्टेज नहीं आई है ।

(4) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(5) श्री महेन्द्र शास्त्री, संचालक मण्डल के प्रस्तावानुसार 19वीं अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी समिति में भाग लेने हेतु जिला विलड़ो (चेकोस्लावाकिया) गये थे । इस समिति का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र के प्रमुख पदाधिकारियों का सहकारी शिक्षा कार्यक्रमों की समस्याओं से सम्बंधित अनुभवों एवं विचारों का पारस्परिक आदान-प्रदान करना था एवं चेकोस्लावाकिया क्षेत्र के सहकारी आन्दोलन, विशेष तौर पर कोआपरेटिव केडर का गठन सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना था। लाभ के बाबत बैंक द्वारा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

(6) यह विदेश यात्रा बैंक के संचालक मण्डल के निर्णय के अनुसार थी जिसके लिये वह पूर्णरूपेण सक्षम है ।

(7) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

भूतपूर्व मुख्य मंत्री के बंगले एवं फार्म की भूमि

362. श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्री हरिदेव जोशी, भूतपूर्व मुख्य मंत्री, राजस्थान का बंगला व फार्म जयपुर से अजमेर जाने वाली सड़क के किनारे है ? यदि हां, तो

(श्री रतनलाल वर्मा)

यह कुल जमीन कितनी है ? सन् 1952-53 में यह जमीन किसके खाते में थी और अब किसके खाते में है ? यह भूमि कितनी बार बदली यानी दाखल खारिज कब-कब किस-किस के नाम हुये और उसके क्या-क्या कारण रहे ?

(2) क्या यह सही है कि यह जमीन अनुसूचित जाति के छात्रावास एवं उत्थान हेतु आवंटन हुई थी ?

(3) क्या सरकार उक्त फार्म अब शिड्यूल्ड कास्ट वालों को दिलाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि गलत भू-आवंटन व गलत बेचान के कैन्सिल किये जाने के लिये राज्य सरकार ने कानून बना रखे है ? यदि हां, तो उनका उपयोग क्या श्री हरिदेव जोशी के उक्त मामले में राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री हरिदेव जोशी, भूतपूर्व मुख्य मंत्री का बंगला एवं भूमि जयपुर से अजमेर जाने वाली सड़क के किनारे पर है जिसका कुल क्षेत्रफल 37 बीघा 18 बिस्वा है। इस भूमि में से 20 बीघा 1 बिस्वा भूमि सेवा सदन संस्था के मंत्री श्री कल्याण विद्यार्थी के नाम तथा शेष 17 बीघा 17 बिस्वा भूमि ठुकराइन भट्याणी महला के नाम खातेदारी में सन् 1952 53 में दर्ज थी। इसके पश्चात् उक्त सेवा सदन संस्था की भूमि मंत्री कल्याण विद्यार्थी की सहमति से जून, 1962 में नामान्तरकरण संख्या 28 के द्वारा श्री हरिदेव जोशी के नाम हुई। इसी भूमि में से 6 बिस्वा रकबा श्री जोशी ने नामान्तरकरण संख्या 78, दिनांक 5-2-76 के द्वारा राज्य सरकार के हित में समर्पित किया था, जो पुनः श्री जोशी को बैण्डसा ब्लेड्स कटिंग मशीन नामक लघु उद्योग स्थापित करने हेतु 99 वर्ष के लीज पर दे दी गई है। दूसरी भूमि ठुकराइन भट्याणी की खातेदारी की भूमि 17 बीघा 17 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 49, दिनांक 7-8-68 को रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के द्वारा श्री हरिदेव जोशी के नाम दाखिल खारिज हुई है। इस प्रकार 20 बीघा 1 बिस्वा भूमि से सम्बन्धित 2 नामान्तरकरण हुए हैं और 17 बीघा 17 बिस्वा भूमि का एक नामान्तरकरण हुआ है।

(2) जी नहीं। ग्राम बीड़ खातीपुरा में राज्य सरकार द्वारा 150 बीघा भूमि आवंटन की गई थी जिसमें से 60 बीघा भूमि सेवा सदन संस्थान को तथा 90 बीघा भूमि संस्था के 4 कार्यकर्त्ताओं के लिए आवंटन हुई थी।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी हां। पूर्ण जांच कराने पर यदि भू-आवंटन व बेचान नियम विरुद्ध पाया गया तो राज्य सरकार नियमानुसार कार्यवाही करेगी।

पंचायत चुनावों में जीतकर आये निलम्बित सरपंच

363. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा), श्री कुंजीलाल (बामनवास) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जो पूर्व

(श्री कुजीलाल)
(श्री मूलचन्द सामरिया)
निलम्बित सरपंच पंचायत चुनावों में फिर से जीतकर आ गये हैं, उन्हें शपथ दिलाकर कार्यभार सौंप दिया गया है? यदि हां, तो क्या यह सिद्धान्त रूप में उचित है? यदि नहीं, तो कार्यभार सौंपने का क्या औचित्य है?

(2) कार्यभार सौंपने के पश्चात् उनको निलम्बित करने के पूर्व निर्णय का क्या होगा?

(3) क्या यह सही है निलम्बित सरपंचों द्वारा की गयी कार्यवाही जब तक कि उनके निलम्बित आदेश समाप्त नहीं किये जायें तब तक अवैध मानी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जी हां। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(2) पंचायत की अवधि समाप्त हो जाने पर उक्त पंचायत के सरपंच पद पर निर्वाचित व्यक्ति सरपंच ही नहीं रहता है। अतः ऐसे सरपंच को पूर्व में निलम्बित करने का निर्णय पंचायत की अवधि समाप्त हो जाने पर स्वतः ही प्रभावहीन हो गया है।

(3) जी नहीं। पूर्व निलम्बन सम्बन्धी निर्णय निष्फल हो गया है।

राज्य की सहकारी संस्थाओं के चुनाव

364. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राज्य में सहकारी संस्थाओं के चुनाव कब होने चाहिये थे?

(2) चुनाव स्थगित करने का क्या कारण है?

(3) राज्य की कितनी सहकारी संस्थाओं में प्रशासक हैं?

(4) सहकारी संस्थाओं के चुनाव अब कब करा दिये जायेंगे?

(5) चुनाव किस प्रकार से कराये जायेंगे तथा कौन अधिकारी चुनाव करायेगा? चुनावों के सम्बन्ध में कोई नियम बने हों या कोई आदेश जारी किये गये हों, तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) प्रत्येक सहकारी संस्था के उप-नियमों के प्रावधान के अनुसार संस्था में चुनाव भिन्न-भिन्न समय पर ड्यू होते हैं।

(2) प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के पुनर्गठन एवं इनके पश्चात् की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण करने हेतु चुनाव स्थगित किये गये हैं।

(3) 176 सहकारी संस्थाओं में।

(4) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(5) सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन राजस्थान सहकारी संस्था (संशोधित) नियम, 1969 के नियम 32 एवं 33 के प्रावधानों के अनुसार होते हैं। नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार

365. श्री नाथूराम (बागीदोरा) : क्या जन-जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चालू सत्र में आदिवासी क्षेत्रों में मिडिल/सैकण्डरी स्कूलें क्रमोन्नत करने के लिये ट्राइबल सब-प्लान से शिक्षा विभाग को कितना धन दिया गया तथा कहां-कहां शालाएं क्रमोन्नत हुई ? सूची सदन को मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि शालाओं को क्रमोन्नत करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था, लेकिन आदिवासी क्षेत्र के प्रतिनिधि उसमें नहीं लिये गये। परिणामस्वरूप शिक्षा मंत्री ने जो निर्देशन सिद्धान्त शालाओं के क्रमोन्नत हेतु बनाए थे उनकी आदिवासी क्षेत्र की शालाओं को क्रमोन्नत करने में पालना नहीं की गई ?

(3) उक्त समिति के सदस्य कौन-कौन थे तथा उनमें ट्राइबल कमीशन आदिवासी सदस्य कौन-कौन थे एवं डूंगरपुर-बांसवाड़ा में जो शालाएं क्रमोन्नत की गई उनकी दूरी अन्य शालाओं से कितनी-कितनी थी, संबंधित क्षेत्र की जनसंख्या कितनी थी व उनमें कितने आदिवासी लाभान्वित होंगे ? सूची सदन की मेज पर रखने का श्रम करावें।

(4) यदि हां, तो आदिवासी क्षेत्रों के समन्वित विकास के निमित्त क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधियों व कमीशन की राय के अनुसार ही शालाओं को क्रमोन्नत किया जाये इसके लिए राज्य सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) चालू सत्र में आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों को मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत करने के लिए ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत शिक्षा विभाग को विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा 75 हजार रुपया स्वीकृत किया गया।

(2) 10 प्राथमिक शालाएं क्रमोन्नत की गई हैं, उनकी सूची संलग्न कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने यह सूचित किया है कि निदेशालय स्तर पर ऐसी कोई समिति गठित नहीं की।

(3) 10 शालाएं जो क्रमोन्नत की गई उनमें बांसवाड़ा की 2 शालाएं हैं। डूंगरपुर की कोई शाला नहीं है। जो शालाएं क्रमोन्नत की गई हैं उनकी दूरी 5 कि. मी. से ऊपर है।

(4) इस प्रश्न पर नीति निर्धारण हेतु राज्य सरकार विचार कर रही है।

10 प्राथमिक शालाएं जो क्रमोन्नत की गई उनकी सूची

नाम	पंचायत समिति क्षेत्र	शहर क्षेत्र
1. काले का माता	—	बांसवाड़ा
2. घाटोल	घाटोल	—
3. नवीन प्रतापगढ़	—	प्रतापगढ़
4. डीगरी	सराडा	—
5. बेमला	गिरवा	—
6. शिकरना	,,	—
7. जावर	,,	—
8. बम्बोरा	,,	—
9. लाई	,,	—
10. पूण	धरियावद	—

ग्राम बेगूं से नन्दवई तथा चेंची सड़क का कार्य

366. **श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील बेगूं के तहत पूर्व में अकाल राहत के कार्यों के रूप में ग्राम बेगूं से नन्दवई तथा ग्राम बेगूं से चेंची तक कोई सड़क निर्माण कार्य किया गया था ? अगर हां, तो कितना व किस वर्ष में किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन दोनों ही सड़कों को पूरा करने की सिफारिश प्रशासक सचिव, कृषि उपज मन्डी समिति, बेगूं जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ ने राज्य सरकार को दी है ? अगर हां, तो कब ?

(3) क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में इन सड़कों को पूरा करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो क्या इस वर्ष इन सड़कों को पूरा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

विवरण इस प्रकार है:—

	मेटल्ड	अर्थवर्क
1. बेगूं नन्दवई सड़क	3 कि.मी.	2 कि.मी.
2. बेगूं-चेंची सड़क	2 कि.मी.	—

यह कार्य सन् 1968-69 से 1975-76 तक क्रेश एवं अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कराया गया ।

(2) जी नहीं । अभी कोई सिफारिश नहीं आई है ।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) इन सड़कों का निर्धारित मापदंड के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर निर्माण करवाने पर विचार किया जायेगा। इस वर्ष इन सड़कों पर कोई प्रावधान नहीं है।

सहरिया आदिवासी क्षेत्र का ट्राइबल सब-प्लान

367. **श्री ओंकार लाल चौहान** (अटरू) : जन-जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के किशनगंज-शाहबाद के सहरिया आदिवासी क्षेत्र को राज्य के ट्राइबल सब-प्लान में शामिल करने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय ले लिया जावेगा ?

(2) ट्राइबल सब-प्लान में कौन-कौन से जिले शामिल किये गये हैं ? अब तक इस पर राज्य सरकार द्वारा कितनी धन-राशि खर्च की जा चुकी है ? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ट्राइबल सब-प्लान में डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के सम्पूर्ण जिले, उदयपुर जिले की कोटड़ा, फलासियां, झाडोल, खेरवाड़ा, सलूम्बर, सराड़ा, धरियावद, लसाड़िया तहसीलें, पंचायत समिति, गिरवा, चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील व सिरोही जिले की आबू रोड पंचायत समिति शामिल की गई है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1974-75 में 466.26 लाख रुपये वर्ष 1975-76 में 973.60 लाख रुपये एवं वर्ष 1976-77 में 1260.04 लाख रुपयों की धनराशि इस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च की है।

भीलवाड़ा में दुग्ध अवशीतन संयंत्र

368. **श्री कोशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार भीलवाड़ा नगर में 1 लाख लीटर दूध शीतल रखने का संयंत्र इसी वर्ष अर्थात् 1978 में लगाने का विचार रखती है ?

(2) क्या इस कार्य हेतु विश्व बैंक से 3 करोड़ से अधिक की सहायता राशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई है ?

(3) जब भीलवाड़ा नगर में एक लाख लीटर दुग्ध प्रतिदिन का संयंत्र लग रहा है तो अभी 40 हजार लीटर दुग्ध अवशीतन संयंत्र लगाने का क्या औचित्य है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) भीलवाड़ा में अभी 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का अवशीतन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। भविष्य में जब कभी बड़ा डेयरी प्लांट लगेगा तब इस अवशीतन केन्द्र का उसमें समावेश हो जायेगा।

Page No. 241

(242)

धौलपुर विधान सभा क्षेत्र के सरपंचों के विरुद्ध गबन के मामले

369. **श्री जगदीश सिंह** (धौलपुर) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

धौलपुर विधान सभा क्षेत्र व धौलपुर सब-डिवीजन में ता. 28-2-78 तक कितने सरपंचों के विरुद्ध मिस-एप्रोप्रियेशन केसेज पेन्डिग हैं, कब तक उनकी इन्क्वायरी पूरी हो सकेगी ? जो गबन सरकारी रकम के किए गये हैं उनको राज्य सरकार क्या जल्दी निपटाने की व्यवस्था कर रही है ?

उत्तर

56 मामले विचाराधीन हैं जिनकी जांच कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करवाई जावेगी। जी हां ।

जोधपुर से बर वाया बिलाड़ा सड़क को चौड़ी करने का कार्य

370. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर—जोधपुर सड़क को जोधपुर से बर तक वाया बिलाड़ा चौड़ी करने के लिए पिछले 2 वर्ष से कितना बजट प्रावधान रखा गया और उसके कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क पर मिलिट्री के भारी वाहन चलने के कारण प्रति वर्ष सड़क की टूट फूट बड़े पैमाने पर हो जाती है ? यदि हां, तो इसके एवज में क्या भारत सरकार के रक्षा मन्त्रालय से कोई अंशदान के रूप में धनराशि मिली है ? अगर नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष इस सड़क पर स्थित बाणगंगा का पुल अतिवृष्टि व बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने से दो माह तक पूरा यातायात बन्द रहा था और उसके कारण जनता एवं राज्य सरकार को लाखों रुपयों का आर्थिक नुकसान हुआ ?

(4) जोधपुर-जयपुर सड़क के बाणगंगा का मोड़ व बाण गंगा का सदैव बहने वाले नाले के ऊपर पुल बनाने की कोई योजना राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ? अगर हां, तो इसके लिए इस वर्ष कितनी धनराशि इस कार्य को सम्पूर्ण कराने हेतु रखी गई है ?

उत्तर

(1) पिछले 2 वर्षों में अर्थात 1975-76 व 1976-77 में इस सड़क को चौड़ा व मजबूत करने के लिये 73 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई। जोधपुर से बर वाया बिलाड़ा सड़क की लम्बाई 128 कि. मी. है जिसमें से अभी तक 87 कि.मी. कुल लम्बाई चौड़ी करदी गई है और जगह-जगह पर उसकी मजबूती पर भी कार्य कि[illegible] है।

(2) जी हां। मिलिट्री के वाहनों से सड़क की अतिरिक्त टूट-फूट होती है जिसके एवज में [illegible] तक रक्षा मन्त्रालय से कोई अंशदान की धनराशि नहीं मिली है ।

(3) सन् 76 में अतिवृष्टि व पिचियाक बान्ध टूटने से सड़क पर ऊंचे व तेज बहाव से पानी बहने के कारण सड़क कुछ समय बन्द रही। बाणगंगा पर पुल नहीं है, सरफेस काजवे है। लाखों रुपये के नुकसान होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Page No. 242

243

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) नए पुल बनाने को अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3 मार्च, 1978)

कृषि उपज मण्डी, सवाई माधोपुर के अन्तर्गत नायपुर-तलावड़ा रोड का कार्य

40. श्री चुन्नीलाल (खण्डार): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील खंडार, जिला सवाई माधोपुर में कृषि उपज मंडी, सवाई माधोपुर की ओर से नायपुर-तलावड़ा रोड कब मंजूर हुई थी ?

(2) नायपुर-तलावड़ा रोड का ठेका किस ठेकेदार को दिया गया एवं इसके बनाने की समयावधि कितनी थी ?

(3) क्या उक्त कार्य की समयावधि समाप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो यह कार्य क्यों अधूरा है ?

(4) क्या राज्य सरकार इस कार्य को पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) नायपुर-तलावड़ा रोड के निर्माण के बारे में कृषि उपज मंडी समिति, सवाई-माधोपुर द्वारा अपनी बैठक दिनांक 8-10-75 में निर्णय लिया गया ।

(2) ठेका श्री राम प्रसाद गोयल, ठेकेदार, सवाई माधोपुर को दिनांक 17-2-76 को दिया गया एवं इसके बनाने की समयावधि 6 माह की थी ।

(3) जी हां । कार्य लगभग पूर्ण होने को है । अभी तक अधूरा रहने का कारण मण्डी समिति द्वारा कार्य रोकने सम्बन्धी निर्णय ले लेना तथा समय पर रोड-रोलर का उपलब्धि न होना है ।

(4) यह कार्य कृषि उपज मण्डी समिति एवं विपणन बोर्ड द्वारा पूरा किया जाना है । कार्य अभी प्रगति पर है तथा यथाशीघ्र सम्पूर्ण किये जाने की आशा है ।